राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या: 10

बुधवार,

17 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर से सटे क्षेत्र में होटलों का निर्माण

179. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर में अब तक क्या-क्या कार्य हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डी.एम.आई.सी. के मास्टर प्लान के नियमों की अवहेलना करते हुए उक्त कोरिडोर से सटे क्षेत्र में कई होटलों व मोटल का निर्माण हो गया है? नियम विरुद्ध बनाई गई होटल और मोटल की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध बने होटल और मोटल के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजना के प्रथम चरण में 2 नोड-खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाना है।

खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (केबीएनआईआर):

1. अलवर जिले की तहसील मुण्डावर एवं नीमराना के 42 गांव के 165 वर्ग किमी. क्षेत्रफल का मास्टर प्लान तैयार किया जाकर 22 मई, 2013 को अधिसूचित किया गया।

(उद्योग मंत्री)

2. केबीएनआईआर क्षेत्र हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एन्वायरमेन्ट स्वीकृति अक्टूबर, 2014 में प्रदान की गई।

3. डीएमआईसी डवलपमेन्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली के सलाहकारों द्वारा इस क्षेत्र की विस्तृत विकास योजना तैयार कर दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को अनुमोदित की गई।

4. केबीएनआईआर क्षेत्र के प्रथम चरण (फेज 1ए) में 532.30 हैक्टेयर भूमि एवं एप्रोच रोड (60 मीटर) हेतु भूमि अवाप्ताधीन है। हितबद्ध खातेदारों को मुआवजा राशि का वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है।

5. केबीएनआईआर के अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट के रूप में भिवाड़ी के समीप प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु Detailed Project Report (DPR) राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु डीएमआईसी डवलपमेन्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली से प्राप्त हुई है।

जोधपुर-पाली-मारवाड़ इण्डस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए) :

1. पाली जिले की तहसील रोहट के 9 गांव के 154 वर्ग किमी. क्षेत्रफल का मास्टर प्लान तैयार किया जाकर 02 नवम्बर, 2016 को अधिसूचित किया गया।

2. जेपीएमआईए क्षेत्र हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एन्वायरमेन्ट स्वीकृति जुलाई, 2017 में प्रदान की गई।

(2) डीएमआईसी क्षेत्र में शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ मास्टर प्लान 2041 लागू है। उक्त कोरिडोर में बिना स्वीकृति होटल एवं मोटल का निर्माण किया गया है, की सूची परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। बिना स्वीकृति निर्मित होटल व मोटल के खिलाफ शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि डीएम.आई.सी. में वर्षों से किसानों की जमीन को एक्वायर करके रखा और डी.एल.सी. की रेट पांच गावों की कुछ ज्यादा रही, उसको पिछली सरकार ने फिर अवाप्ति से मुक्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार किसान का कोई भी हित चाहती है या नहीं चाहती है? किसान को फायदा हो तो भगा दो। जब भूमि की रेट ज्यादा थी तब तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अब उसको छोड़ दिया तो क्या सरकार यह मंशा रखती है कि उन गांवों के लोगों को भी मुआवजा मिलेगा और मंत्रीजी ने कहा कि मुआवजा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा देंगे क्या और देंगे तो कब तक देंगे?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजे के लिए राशि सरकार द्वारा आबंटित कर दी गयी है। संबंधित पक्षों को शीघ्र ही मुआवजा देने की कार्यवाही जारी कर दी जाएगी।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक सवाल और पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि बिना स्वीकृति के होटल, मोटल या कालोनी काटना अवैध है और हम कार्यवाही करते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की? मैंने खुद लैटर लिखा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अलवर रोड पर अनाज मंडी की पूरब दिशा में और उसके सामने की जमीन अनाज मंडी को और डवलप करने के लिए 22.8 बीघा जमीन एक्वायर की जानी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्वायर की जानी है, उस जमीन में अवैध कॉलोनी दिल्ली के लोकल भूमि माफिया द्वारा काटी जा रही है, होटल बनाया जा रहा है। मंत्रीजी, बहरोड़ अनाज मंडी की पूरब दिशा में और उसके सामने जो होटल, मोटल और कॉलोनी अवैध बिना स्वीकृति के बन रही है, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और करेंगे तो कब तक करेंगे? एम.एल.ए. की शिकायत के बावजूद अब तक कार्यवाही नहीं की तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और कब तक करेंगे? यह बताने का कष्ट करें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस डी.एम.आई.सी. का मास्टर प्लान है, उसके बाद में जो भी निर्माण हुआ, कुछ निर्माण बहुत पुराने भी हैं उनको हमने नोटिस जारी कर दिये हैं और शीघ्र ही उन पर कार्यवाही करेंगे।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

पंचायत स्तर पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने की योजना

180. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड की दुर्घटनाएं कहां-कहां पर घटित हुई हैं तथा उक्त दुर्घटनाओं में जान-माल का कितना नुकसान हुआ है? वर्षवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की किन-किन पंचायतों में वर्तमान में कितने अग्निशमन यंत्र तथा अग्निशमन वाहन, पानी के टैंकर व अग्निशमन से संबंधित अन्य उपकरण उपलब्ध हैं तथा कितनी ग्राम पंचायतें अग्निशमन से संबंधित वाहन तथा उपकरणों से वंचित हैं? जिलेवार, पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड की दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु नगरपालिका की भांति प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक-एक अग्निशमन वाहन, पानी टैंकर व अन्य अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) प्रदेश में विगत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्ड की दुर्घटनाओं एवं इनमें हुए जान-माल के नुकसान का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) प्रदेश की पंचायतों में वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन वाहन तथा पानी के टैंकर से संबंधित सूचना का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है तथा अग्निशमन वाहन तथा उपकरणों से वंचित ग्राम पंचायतों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्ड की दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु नगरपालिका की भांति प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक-एक अग्निशमन वाहन, पानी के टैंकर व अन्य अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विभागीय स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आग से काफी नुकसान गांवों में होता है। हर साल गर्मी का मौसम आता है तो गांवों में काफी आगजनी होती है। जिला हैडक्वार्टर पर एक मात्र अग्निशमन यंत्र रहता है और वह शहर से करीब काफी दूर रहता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): हां। मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है और जान-माल की हानि भी होती है, पशुओं की हानि भी होती है। पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर भी अपने अग्निशमन यंत्र नहीं है, ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर भी नहीं है। 9475 के आस-पास ग्राम पंचायतें हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य, चर्चा नहीं, आप प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मैं यह पूछना चाहता हूं कि भविष्य में आगे अग्निशमन यंत्र के लिए पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर या ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर सरकार क्या ऐसी कोई मंशा रखती है?

एक और, अपन मुआवजे के रूप में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब नहीं प्लीज। आपको प्रश्न पूछना है या क्या पूछना है? नहीं, ऐसे अलाउ नहीं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत स्तर पर जो राजस्थान में जितनी भी पंचायतें हैं उन पंचायतों में अग्निशमन यंत्र रखना सम्भव नहीं है लेकिन पंचायत समिति स्तर पर, ब्लाक स्तर पर यंत्र रखने के लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही करने की चेष्टा की जाएगी। अभी वर्तमान में इस बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपदा प्रबंधन विभाग को 100 अग्निशमन यंत्र देने की घोषणा की है, इसी प्रकार से उसको बढ़ाने के लिए भी कार्यवाही करने की चेष्टा की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आगजनी हो जाती है तो उसका मुआवजा बहुत ही कम मिलता है। किसान का करोड़ रुपयों का नुकसान होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): उसको केवल मात्र दस हजार रुपये मिलते हैं तो भविष्य में ऐसी आगजनी का मुआवजा बढ़ाएं और उसको उचित मुआवजा दिलाएं और मुआवजे को बढ़ाने के रूप में सरकार और आप सोचें और अच्छा मुआवजा देने के बारे में आप बताएं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार की गाइडलाइन्स है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो चार लाख रुपये, व्यक्ति पूरी तरह से असहाय हो जाता है तो दो लाख रुपये और इसके अलावा अग्निकांड के अंदर जो अलग-अलग फेज हैं, उनके अंदर मुआवजे की राशि तय है। भारत सरकार की गाइडलाइन्स हैं, उस गाइडलाइन्स में अगर किसी प्रकार की वृद्धि करानी है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को लिखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपदा राहत मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि आपदा राहत में पर्याप्त पैसा रहता है। अगर हम प्रयास करें तो पंचायत समिति को अग्निशमन दे सकते हैं, अपने पास जो फंड है, उसके लिए केन्द्र सरकार से मैंने भी लिखा-पढ़ी की थी कि उनको वह अलाउ कर सकते हैं, एक तो यह।

दूसरा, यह इस प्रश्न की थोड़ी ग्रेविटी बनाने के लिए अगर आप इसका टोटल दे देते कि इन पांच सालों में आदमी की डैथ इतनी हुई, पशुओं की इतनी हुई और टोटल जो नुकसान हुआ, वह इतना हुआ। इसको आधार बनाकर अगर अपन पंचायत समिति पर अग्निशमन लेने का प्रयास करेंगे तो क्या हम इसके लिए मानसिक दृष्टि से तैयार हैं क्या?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि 100 वाहन अबकी बार हम देने की घोषणा कर चुके हैं और मेरे विभाग के अंदर परीक्षण करके कि कितने वाहन हम और दे सकते हैं, मैंने यह चलाकर अबकी बार यह कहा था इस

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

बात के लिए कि पहले बहुत कम नगरपालिका में पांच्दस, पांच-दस ऐसे वाहन दिये जाते थे। मैंने स्वयं ने कहा कि कम-से-कम 100 वाहन अब की बार हम देंगे और इसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो विभागीय स्तर पर परीक्षण करके निश्चित तौर से बढ़ाने का प्रयास करूंगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

सिरोही जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की कार्ययोजना

181. **श्री जगसी राम** (रेवदर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सिरोही के समस्त श्रेणी के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? कारण सहित चिकित्सा इकाईवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले की उक्त राजकीय चिकित्सा इकाइयों के उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जिला सिरोही की समस्त श्रेणी के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि एवं कारण सहित चिकित्सा इकाईवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ के रिक्त एवं स्वीकृत पदों का रिक्ति अवधि एवं कारण सहित चिकित्सा इकाई विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों व पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी./पी.जी. पूर्ण कर आने वाले चिकित्सकों से प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जाएंगे। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों स्थानान्तरण एवं आगामी भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के पश्चात् रिक्त पदों को प्राथमिकता के साथ भरे जाने का प्रयास किया जाएगा। पैरा-मेडिकल संवर्ग के पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न के जवाब के रूप में परिशिष्ट-अ में दिया है। इसमें मेरे प्रश्न की मंशा के अनुरूप सिरोही जिले की राजकीय चिकित्सा इकाइयों में चिकित्सकों के कुल रिक्त पदों एवं कुल स्वीकृत पदों का अंकन तक नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि आपके श्रीमुख से सदन को अवगत करायें कि सिरोही जिले में एम.ओ. एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं, इनका टोटल तक नहीं बताया। आपने परिशिष्ट..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न। ऐसे नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री जगसी राम (रेवदर): मंत्री महोदय, आपने जो बताया है और आधी-अधूरी जानकारी जो मुझे दी है, इसका तात्पर्य यह है कि इन सब बातों को आप छिपाना चाह रहे हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न नहीं है यह।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी छिपाने की चेष्टा नहीं की गयी है। माननीय सदस्य को मैं सदन में जानकारी दे रहा हूं कि सिरोही जिले में वरिष्ठ विशेषज्ञ के 6 पद स्वीकृत हैं। उनमें से 5 कार्यरत हैं, उसमें से एक रिक्त है। कनिष्ठ विशेषज्ञ के 50 पद स्वीकृत हैं, 31 पद उनमें से कार्यरत हैं और 19 रिक्त हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 12 पद हैं, 8 पद उनमें से कार्यरत हैं, 4 रिक्त हैं और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दंत) का एक पद है, वह पद भरा हुआ है, कोई खाली नहीं है। चिकित्सा अधिकारी के 79 पद स्वीकृत हैं, 59 पद भरे हुए हैं और उनमें से 20 पद रिक्त हैं। चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 6 पद हैं, 5 भरे हुए हैं, एक खाली है।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया है कि चिकित्सकों के 44 पद रिक्त हैं और मेडिकल स्टाफ के 97 पद रिक्त पड़े हैं। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में कई ऐसे चिकित्सालय हैं, वहां पर ज्यादा से..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, एक्सप्लेन नहीं।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो आवश्यकता से अधिक लगे हुए हैं और सिरोही जिले के अंदर देखने जाएं तो तुलनात्मक नहीं के बराबर हैं। मैं सारी बातों को न कहते हुए मेरे रेवदर सी.एच.सी. की बात करूं तो जे.एस. सर्जरी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न नहीं है तो फिर उत्तर नहीं। आप प्रश्न पूछें। आप सीधा प्रश्न पूछें कि अधिक हैं तो ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? बात खतम हुई।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि रेवदर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 8 में से 6 पद जो रिक्त हैं, वह मुख्यालय है, उनको आप कब तक भरेंगे? यह मुझे आप बतायें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, विराजें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवदर में चिकित्सकों के कुल 32 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 17 चिकित्सक पदस्थापित हैं। तीन चिकित्सक पी.जी. के अध्ययनरत के लिये गये हैं और इस प्रकार वास्तव में 14 चिकित्सक इनके यहां आलरेडी काम कर रहे हैं। फिर भी मैं माननीय सदस्य की भावना से अवगत हुआ हूं और जो प्रश्न वह पूछना चाह रहे थे, पर पूछ नहीं पाये, वह काम हम बजट सत्र के बाद करने जा रहे हैं। जहां आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं और जहां बहुत ज्यादा कमी है, हम यह प्रयास करेंगे कि जो पद विरुद्ध लोग लगे हुए हैं, उनके बारे में हम कोई नीतिगत निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

182. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो 10 जून, 2019 तक कितने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री कौशल नियोजन एवं उद्यिमता (श्री अशोक): (1) राज्य के समस्त रोजगार कार्यालय में दिनांक 31 मई, 2019 को 10 लाख 73 हजार 652 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे। जिलेवार सूचना परिशिष्ट-'क' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सरकार ने पात्र शिक्षित बेरोजगारों को मुख्य मंत्री युवा संबल योजना के तहत प्रतिमाह 3500 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र आशार्थियों को दिसम्बर, 2018 से मई, 2019 तक किये गये भुगतान की जिलेवार सूचना परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने जवाब में कहा है कि कुल 10 लाख 73 हजार 652 शिक्षित बेरोजगार हैं और उसमें से 40 हजार 118 युवकों को 5 करोड़ 909 रुपये आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें से पिछली सरकार की अक्षत योजना के अन्तर्गत तो आपने कितने लोगों को और कितनी राशि का भुगतान किया और मुख्य मंत्री युवा संबल योजना, जो आपकी सरकार आने के बाद जन घोषणा पत्र में जो आपने घोषणा की, उसके अनुरूप आपने यह योजना लागू की है, इसके अन्तर्गत कितने लोगों को कितनी राशि का भुगतान कब से किया?

श्री अध्यक्ष: विराजें, प्रश्न हो गया। एक-एक प्रश्न पूछें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): फिर आप अलाउ करेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप एक साथ चार प्रश्न पूछेंगे तो ठीक नहीं है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं। आपने पहला प्रश्न तो यह पूछा कि पहले की योजना के अन्तर्गत उन 40 हजार लोगों को कितना भुगतान किया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 40 हजार में से कितने लोग?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): पहले की योजना मैं आपको बताता हूं, पहले के समय में 42 हजार के आस-पास रजिस्टर्ड थे, 40,118 लोगों को हम लोग दे रहे हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड थे। नये रजिस्ट्रेशन कल शाम तक 29,019 और हो चुके हैं। पहला सवाल तो यह हो गया आपका, कि उनमें से 40,118 लोगों को हम दे रहे हैं। पुरानी योजना में भी दिया और फरवरी का..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं..(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा फिर। जवाब सुनना पड़ेगा। जवाब सुनने के बाद फिर खड़े होना।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): और आपने यह पूछा कि पहले की योजना के तहत कितना पैसा दिया और मुख्य मंत्री संबल योजना के तहत कितना पैसा दिया, वह मैं आपको बता देता हूं। 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक उन 40 हजार लोगों को पूर्व की योजना के तहत तकरीबन 14 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। इसके बाद में 30 मई तक 69 करोड़ 42 लाख रुपये का भुगतान हुआ इन्हीं 40 हजार लोगों को।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यह पूछ रहा हूं साहब, मुख्य मंत्री युवा संबल योजना, जो आपने चालू की और ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बैठें। बैठकर सुनें, बैठकर सुनें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 3500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की, उसके अन्तर्गत आपने दिसम्बर, 2018 से लेकर जून, 2019 तक आपने उनमें से कितने लोगों को कितनी राशि का भुगतान किया?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक 14 करोड़ रुपये का भुगतान 40,118 लोगों को हुआ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह तो पिछली योजना .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें, मैं प्रश्न बंद कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): आप मुझे बोलने देंगे? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा 3 मार्च को की। इसमें फरवरी का पैसा मार्च से शुरू हुआ उन्हीं 40,118 लोगों को, उसके बाद में हमने निरन्तर नये लोग, जो एप्लाई करते गये, उनको हम एनरोल करते गये और 29,019 लोग कल की तारीख तक नये जुड़ चुके हैं और इसके तहत हम लोग 69.42 करोड़ रुपये 01 मार्च से लेकर मई अंत तक का जून के अंदर भुगतान कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नोट अलाउड।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये। प्रश्न पूछें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): प्रश्न ही पूछ रहा हूं, मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत 3500 रुपये प्रति माह कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता आपने दिया? यह बताइये। यह बता नहीं रहे हैं और गोल-मोल जवाब दे रहे हैं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल) मैंने आपको कह दिया माननीय सदस्य, जो पहले से 40,118 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी स्पष्ट कह रहे हैं कि 40,118 की संख्या मुख्य मंत्री स्वावलंबन जो योजना थी, उसके अन्तर्गत और बाद में 29 हजार जुड़े हैं, इससे स्पष्ट और क्या कहेंगे। (व्यवधान) नहीं, प्लीज, आप बैठें। कटारिया जी, प्लीज। (व्यवधान) प्लीज। I'll not allow. Not allowed. ...(व्यवधान) प्लीज। अंकित नहीं होगा। I'll not allow. प्लीज बैठें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: आपके लीडर खड़े हैं फिर भी खड़े हो गये, क्या तरीका कर रखा है आपने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने यह जो सूची हमको दी है वो 10 लाख 73 हजार 652 लोग आपके रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं और उसके तहत आपने जिनको पैसा देना बताया, मैं केवल अपने ट्राइबल एरिया में ही बता रहा हूं, यह संख्या क्यों है? बांसवाड़ा में 24 हजार लोग आपके एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, उसमें से केवल 135 को ही यह पैसा क्यों मिला?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: शेम किस बात की, बात सुनें। प्रश्न पूछ रहे हैं, शेम कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसी तरह से डूंगरपुर में 14 हजार लोग रजिस्टर्ड हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उन 14 हजार में से 351 लोगों को ही क्यों मिला? प्रतापगढ़ में 8 हजार लोग रजिस्टर्ड हैं, उसमें से केवल 94 लोगों को ही क्यों मिला? उदयपुर में 20 हजार लोग रजिस्टर्ड हैं, उसके अगेंस्ट 200 लोगों को ही क्यों मिला? यह बाकी लोग अपात्र क्यों हैं और यह आपकी सूची में क्यों नहीं आये और आने वाले समय में यह कब तक आएंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में, उदयपुर में केवल इतने बच्चे क्यों आये, यह सवाल आपको पूर्ववर्ती सरकार से करना चाहिए क्योंकि यह आपके समय की गलतियां हैं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज, बैठें। अब नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): हम इसके बाद में 29 हजार और 19 बच्चे नये जोड़ चुके हैं। ये वो सूची है जो बच्चे पहले से प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि आपने तब तक की सूची मांगी है, नई सूची 29 हजार की जिलेवार सूची बनाकर फिर से मांगेंगे तो मैं आपको पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) नोट अलाउ।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अगर शेम है तो हमारी सरकार पर नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार पर शेम है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। Not allowed. श्री अमृतलाल मीणा। अगला प्रश्न। (व्यवधान) नहीं होगा। अगला प्रश्न, श्री अमृतलाल मीणा। (व्यवधान) नहीं होगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप अलग ढंग से आइये। (व्यवधान) माननीय कटारिया जी, अलग ढंग से आइये। नहीं, आप अलग ढंग से आइये। आप अलग ढंग से पूछिये। आपके पास दूसरा तरीका है। (व्यवधान) इन्फोर्मेशन नहीं है, मैंने पढ़ लिया, इसमें कुछ नहीं है। सूचना दें, यह लिखा हुआ है। (व्यवधान) नहीं, I'll not allow. (व्यवधान) not allowed. not allowed. अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा। श्री अमृतलाल मीणा।

प्रश्न संख्या 183

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल कठूमर। श्री बाबूलाल कठूमर। अगला प्रश्न। बाबूलाल कठूमर।

कठूमर में वन भूमि पर कब्जा

184. **श्री बाबूलाल** (कठूमर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम मैथना व नागलरूपा में वन भूमि पर कितने व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है? कब्जाधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अवैध कब्जाधारियों से वन भूमि को मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ये प्रश्न काल है। प्रश्न काल में अलाउ नहीं है। प्रश्न काल में अलाउ नहीं है, मैं पढ़कर आया हूं। प्रश्न काल में अलाउ नहीं है। केवल इन्फार्मेशन ले सकते हैं। नहीं, चलिये आप शुरू करिये। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, बोलिये।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर अधीनस्थ क्षेत्र में ग्राम मैथना व नागलरूपा में वन क्षेत्र की भूमि पर क्रमश: 90 व 10 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

ग्राम मैथना व नागलरूपा में अतिक्रमित वन क्षेत्र की भूमि एवं अतिक्रमियों सम्बन्धित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट-'ए' एवं 'बी' अनुसार है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा कोई।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (2) जी हां। वन क्षेत्र की भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त करवाये जाने के क्रम में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, राजगढ़ द्वारा ग्राम मैथना की वन भूमि के क्रम में 90 अतिक्रमियों के विरुद्ध दर्ज 54 प्रकरणों में से 53 प्रकरणों में तथा ग्राम नागलरूपा की वन भूमि के क्रम में 10 अतिक्रमियों के विरुद्ध दर्ज 10 प्रकरणों में से 7 प्रकरण निर्णित किये जाकर

(राज्य मंत्री, वन)

बेदखली के आदेश जारी किये गये हैं। शेष चार प्रकरण विचाराधीन हैं जिनमें माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष ...(व्यवधान) यह पढ़कर आइये आप। नहीं, प्लीज, पढ़कर आयें। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, पढ़कर नहीं आये। आप सीनियर लीडर हैं। प्रश्न काल केवल सूचना के लिए है, इसके लिए नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) बैठिये आप। जवाब दीजिए माननीय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: जाइये आप। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री बाबूलाल (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यही क्वेश्चन 20 साल पहले पूछा था तब जवाब आया था कि इस जमीन पर बीस या बाइस लोगों के कब्जे हैं और आज जवाब दिया है कि इसमें 54 आदमियों के कब्जे हैं, तो 20-30 साल से इसमें सरकार ने कोई निगरानी की या नहीं की? उल्टा बीस, बाइस की जगह 54 आदमियों का कब्जा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, आप प्रश्न पूछें।

श्री बाबूलाल (कठूमर): हर साल पढ़कर यही सुना दिया जाता है ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बाबूलाल (कठूमर): मैं यह कह रहा हूं कि पहले तो बाइस आदमियों के ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर): साहब, प्रश्न पूछ रहा हूं। पहले तो बीस-बाइस आदमियों के कब्जे थे अब 54 व्यक्तियों के कब्जे हैं और नीचे जो कर्मचारी, अधिकारी लिख करके भेज देते हैं वही मंत्री जी हमको पढ़कर सुना देते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछिये आप। प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई रास्ता तो निकल ही नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये, बैठें नहीं तो।

श्री बाबूलाल (कठूमर): साहब, बीस-बाइस की जगह 54 आदमियों का कब्जा हो गया, अब सरकार इसमें क्या करेगी?

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप बैठें, प्लीज। माननीय मंत्री जी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, मैथना में कुल 90 किसानों ने अपने खेत के पास में जो वन भूमि लगी हुई थी उस पर कब्जा कर रखा था, उनमें 54 प्रकरणों का निस्तारण करके उनका कब्जा हटा दिया गया है और बाकी कार्यवाही चल रही है। इसी तरह से ग्राम नागलरूपा में वन भूमि पर 10 आदमियों ने पक्के मकान बना लिये थे, उसमें से सात का अतिक्रमण हटा लिया गया है और तीन पर कार्यवाही चल रही है, जैसे ही पुलिस बल मिलेगा उनका भी अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल (कठूमर): अध्यक्ष महोदय, एक भी कब्जा नहीं हटा। हम मौके की स्थिति देखकर तो क्वेश्चन पूछते हैं और उलटा-सीधा जवाब देते हैं। इसका मतलब हम सदन का टाइम खराब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनकी भावना को समझें। वो कह रहे हैं कि कब्जे की संख्या बढ़ रही है घटने के बनिस्पत, तो क्या आप, मंत्री जी, वहां पर जाकर इस बात की जांच करेंगे?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): जी, जी। 90 में से 54 का अतिक्रमण हमने हटा दिया है और जो ग्राम नागलरूपा में 10 किसानों के वन भूमि पर, पक्के मकान बने हैं उसमें सात हटा दिये और तीन हटा देंगे। माननीय सदस्य को विश्वास दिलाते हैं आइंदा अतिक्रमण नहीं होने देंगे, उस पर सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा। श्रीमती इन्द्रा। प्लीज। श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर में आर.एस.एल.डी.सी. के प्रशिक्षण केन्द्र

185. **श्री गोपी चन्द मीणा** (जहाजपुर): क्या कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपी चन्द मीणा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कुल कितने प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किस-किस स्थान पर किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर किस-किस ट्रेड़ में कितने-कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, ऐसे नहीं, बैठे-बैठे बात नहीं करेंगे।

राज्य मंत्री, कौशल नियोजन एवं उद्‌यमिता (श्री अशोक): (1) जी नहीं। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से वर्तमान में कोई प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं है।

(2) निगम में सम्बन्धित सूचना शून्य है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एल.डी.सी. के प्रशिक्षण केन्द्र जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालन करने का सरकार विचार रखती है क्या?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसके अन्दर ट्रेनिंग पार्टनर्स एप्लाई करते हैं कि उनको वहां पर कोर्स चालू करना है। यदि कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर आएंगे और वहां पर कोर्स चालू करने का केन्द्र मांगें तो हम लोग वहां पर निश्चित तौर पर केन्द्र देने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

बेरोजगारों हेतु रोजगारों का सृजन

186. **श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या कौशल नियोजन एवं उद्‌यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रत्येक स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रीधारी बेराजगारों को सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितना एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में उक्त योजना के तहत जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक कुल कितने बेरोजगारों को कितना-कितना बेरोजगारी भत्ता कब-कब भुगतान किया गया एवं जनवरी, 2019 से मई, 2019 तक कितने बेरोजगारों

(श्रीमती इन्द्रा)

को कितना-कितना बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया? वर्षवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने हेतु रोजगार सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल नियोजन और उद्यमिता (श्री अशोक): (1) जी हां। प्रदेश में दिनांक 01 जुलाई, 2012 से राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012 (परिवर्तित नाम अक्षत योजना) के तहत आवेदन करने वाले निर्धारित पात्रता एवं शर्तें पूरी करने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रीधारी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। वर्तमान में अक्षत योजना के स्थान पर दिनांक 01 फरवरी, 2019 से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना लागू की गई है जिसके तहत पात्र स्नातक महिला तथा विशेष योग्यजन पंजीकृत बेरोजगार आशार्थी को 3500/- रुपये प्रतिमाह एवं स्नातक पुरुष आशार्थी को 3000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-'क' पर उपलब्ध है।

(2) अक्षत योजना के तहत पात्र स्नातक बेरोजगार पुरूष आशार्थी को 650/- रुपये एवं महिला व विशेष योग्यजन आशार्थियों को 750/- रुपये की दर से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। योजना के तहत जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक कुल 153657 आशार्थियों को 1 करोड़ 22 लाख...

श्री अध्यक्ष: 122 करोड़।

राज्य मंत्री, कौशल नियोजन और उद्यमिता (श्री अशोक): 122.43 करोड़ रुपये की राशि भत्ते के रूप में वितरित की गई है। जनवरी, 2019 से मई, 2019 तक कुल 40118 आशार्थियों को 58.27 करोड़ रुपये की राशि भत्ते के रूप में वितरित की गई है। यह अवधि के अनुसार चार्ट आपको जवाब में दे दिया है। या इसको पढ़कर सुनाऊं?

श्री अध्यक्ष: पढ़कर सुनाएं। यही पहले प्रश्न का उत्तर था।

राज्य मंत्री, कौशल नियोजन और उद्यमिता (श्री अशोक): सुना देता हूं।

अवधि	**लाभान्वितों की संख्या**	**वितरित राशि (करोड़ों में)**
1.1.14 से 31.3.14	8433	6.05
1.4.14 से 31.3.15	31738	28.79

(राज्य मंत्री, कौशल नियोजन और उद्यमिता)

अवधि	लाभान्वितों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ों में)
1.4.15 से 31.3.16	27341	22.33
1.4.16 से 31.3.17	14648	18.69
1.4.17 से 31.3.18	46701	24.10
1.4.18 से 31.12.18	24796	22.47
1.1.19 से 31.5.19	40118	58.27

(3) रोजगार विभाग रोजगार का सृजन नहीं करता अपितु बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करता है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अधीन शिक्षित बेरोजगारों को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रदत्त कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, आईटीआई में उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर, आर्मी भर्ती रैली एवं रोजगार सहायता शिविरों के माध्यम से युवाओ को रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों से जोडने का कार्य किया जा रहा है। एक और सूचना देना चाहता हूं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रश्न पूछने दो उनको।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): ठीक है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का आंकड़ा आपने दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगी कि मेरे जिले में कितने आवेदन पैंडिंग हैं और इनका भुगतान कब तक किया जाएगा?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): आपके जिले के आवेदन सारे आनलाइन हो रहे हैं। अब एक जिले का तो मैं आपको अलग से दे दूंगा, क्योंकि अब सारी आनलाइन फीडिंग है। पूरे राजस्थान में तो 29019 नए लोगों को 40000 के अलावा दिया गया है। आपके जिले की विशेष सूचना मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, खण्ड (3) के आधार पर मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि रोजगार सहायक शिविर कब से कब तक लगाए जाते हैं? इनको लगाने का जो प्रचार-प्रसार है लोगों के अंदर, वह किस प्रकार से किया जाता है? क्या कोई निर्धारित समय आपने तय कर रखा है, या नहीं? सूचना किस तरीके से चस्पा की जाती है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): इसकी ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं है। समय-समय पर विभाग इन योजनाओं के तहत रोजगार मेले लगाता है। अख़बार तथा अन्य सूचनाओं के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार होता है। आगे जब भी ऐसे मेले आपके जिले में आयोजित होंगे, या किसी भी जिले में आयोजित होंगे तो, आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं इन्फार्म करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

तकनीकी शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन एवं वर्गीकरण

187. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में राज्य में संभाग स्तर पर कितने नए तकनीकी शिक्षा संस्थान प्रारम्भ हुए एवं वर्तमान में कुल कितने तकनीकी शिक्षा संस्थान प्रत्येक संभाग में निजी एवं सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं व कितने संस्थान बंद हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों में विहित शर्तों की पालना की जांच किस प्रकार की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के उल्लंघन के कितने दृष्टांत विगत 5 वर्षों में आए है एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश के तकनीकी संस्थानों के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) विभाग के अधीन विगत 5 वर्षों में राज्य में संभागवार प्रारम्भ नये तकनीकी शिक्षा संस्थानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्तमान मे संभागवार कार्यरत निजी एवं राज्य क्षेत्र के तकनीकी शिक्षा संस्थानों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। बन्द हुये संस्थानों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) पोलीटेक्निक शिक्षा संस्थान की शिकायत प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

approval Process handbook (APH) में निर्धारित मापदण्डानुसार एडवाइजरी जारी की जाती रही है। विश्वविद्यालय द्वारा विहित शर्तों की पालना हेतु गठित बोर्ड आफ इन्सपेक्शन (BOI) के समक्ष प्राप्त शिकायत को प्रस्तुत कर वहां हुए निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(3) विगत 5 वर्षों में अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के उल्लंघन का कोई दृष्टांत प्राप्त नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के लिए QIV (Quality Index Value) में उल्लेखित बिन्दुओं में अंक प्रदान कर A, B व C श्रेणी में वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में QIV की गणना कर सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों को A, B व C श्रेणी में वर्गीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में वर्गीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अकादमिक सत्र 2018-19 की QIV (Quality Index Value) सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा भी उक्तानुसार समस्त सम्बद्ध अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का मूल्यांकन एवं वर्गीकरण अकादमिक सत्र 2018-19 के लिए किया जा चुका है। अकादमिक सत्र 2018-19 की QIV (Quality Index Value) सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

राज्य के पोलीटेक्निक तकनीकी संस्थानों के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण की कोई नीति नहीं है। गत वर्ष राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर में कम्प्यूटर शाखा का एन.बी.ए. एक्रेडिटेशन करवाया जाकर नई ब्रांच पैट्रोलियम इंजीनियरिंग खोली गई। नई पोलीटेक्निक महाविध्यालय खोलने के लिये एन.बी.ए. एक्रेडिटेशन की अनिवार्यता नहीं है। संस्थानों को एल.ओ.ए. जारी करने/नहीं करने का कार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा संस्थानों का मूल्यांकन कर किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपने पिछले 5 वर्षों में यह कहा कि कोई शर्तों का उल्लंघन किसी भी कालेज के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन मेरा आपके माध्यम से उनसे यह पूछना है कि क्या सिस्टम है आपके पास में, जिससे आपने यह जाना कि इन शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जब किसी कालेज की परमिशन लेने के लिए आते हैं तो प्रोफार्मा होता है, उसको फिलअप करते हैं। उसके बाद में एक कमेटी है। वह कमेटी जाकर उसको फिजिकल वैरीफाई करती है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन इन ड्यू कोर्स जब सालों साल निकलते हैं, वह कालेज चल रहे हैं तो फिजिकल वैरीफिकेशन क्या हम समय-समय पर कराने का कोई विचार रखते हैं? क्योंकि आपने जैसा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रश्न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा यही है कि क्या आप फिजिकल वैरीफिकेशन समय-समय पर करवाने का विचार रखते हैं ताकि उनकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी तकनीकी शिक्षण संस्थान जब खोला जाता है तो 3 स्तर पर उसके इंस्पैक्शन की कार्यवाही होती है। एक, सरकार के स्तर पर, निदेशालय के स्तर पर जो एनओसी जारी की जाती है। दूसरा एआईसीटीई के द्वारा फाइनल एप्रूवल दिया जाता है। तीसरा, विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के लिए इंस्पैक्शन किया जाता है। मैंने जो जवाब दिया, जो अपने स्तर पर कोई भी शिकायत इस तरह की प्राप्त नहीं की गई, जो एनओसी में, निदेशालय स्तर पर, शर्तों का उल्लेख किया गया हो और उनका उल्लंघन किया गया हो।

जहां तक एआईसीटीई का है, वह बराबर इस तरह के इंस्पैक्शंस शिकायत प्राप्त होने पर कराती रहती हैं। संबंधित विश्वविद्यालय, क्योंकि संबद्धता देने का काम विश्वविद्यालय का है, तो विश्वविद्यालय को जो सूचना प्राप्त होती है, उनकी भी इंस्पैक्शन टीम शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। बैठे-बैठे बात नहीं करें। आप प्लीज बोलें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): जहां तक आपने फिजिकल वैरीफिकेशन कराने का कहा है कि काम किया है कि नहीं किया है, तो वर्तमान में यह काम एआईसीटीई और यूनिवर्सिटी का है। अभी राज्य सरकार के स्तर पर ऐसी कोई नीति नहीं है कि वह अपने स्तर पर इनका फिजिकल वैरीफिकेशन कराए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि एआईसीटीई तो केन्द्र सरकार की है और जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड कालेज हैं, तो उनका यूनिवर्सिटी करती हैं कि नहीं करती हैं, वह उनके ऊपर है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक नहीं करती है। यह आपका कहना है। आगे आप क्या विचार रखते हैं इसके बारे में? यह आपने बताया नहीं, लेकिन करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, हमने इनसे पूछा कि कितने कालेजेज बंद हुए? प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज 37 बंद हुए और प्राइवेट पोलीटेक्निक 67 बंद हुए। इसमें मूल्यांकन की कोई नीति पोलीटेक्निक कालेजेज के अंदर नहीं है, जैसा आपने कहा। इंजीनियरिंग कालेजेज के हमने क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू 2017-18 से शुरू कर दिए थे लेकिन क्या सरकार इसके लिए नीति लागू करने पर विचार रखती है कि पोलीटेक्निक कालेज की भी क्वालिटी इंडेक्स वेल्यू निकालनी चाहिए जिससे इनका भी स्तर इम्प्रूव हो, क्वालिटी एजुकेशन अच्छा हो? अगर ऐसा विचार रखते हैं तो कब तक लागू करेंगे? 11 इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कालेजेज आपके हैं जो सोसायटी मोड पर चल रहे हैं, उन्हें क्या सरकार अपने स्तर पर लेकर गवर्नमेंट कालेजेज बनाने पर विचार रखती है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, जहां आपने बात कही कि पोलीटेक्निक कालेज के इंस्पैक्शन का कोई मैकेनिज्म डवलप किया जाए। अभी तक तो कोई मैकेनिज्म है नहीं लेकिन सरकार की टेक्निकल एजुकेशन पालिसी लाने की बात विचाराधीन है। उसकी प्रक्रिया अभी शुरू कर रहे हैं, उसके तहत भी जो भी टैक्निकल शिक्षण संस्थान हैं, उनके सम्बन्ध में नीति तैयार की जाएगी।

दूसरी बात कही आपने 11 इंजीनियरिंग कालेज को सरकार के अधीन लाने की। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो मॉडल शुरू किया गया था वह कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट के तहत बीओजी, बोर्ड आफ गवर्नर्स की मीटिंग के माध्यम से किया गया है। मैं यह बताते हुए अफसोस जाहिर करना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने अपने पांच सालों में एक बार बीओजी की मीटिंग की थी जबकि नियम कहता है कि हर तीन माह में एक बीओजी की मीटिंग होनी चाहिए थी। मैं बताना चाहूंगा उस बीओजी की मीटिंग न होने से जो एआईसीटीई जो पैसा

(डा. सुभाष गर्ग)

देती थी, उसकी वजह से इनको पैसा बहुत लेट मिला और वर्तमान सरकार आने के बाद, एक महीने में हमने तीन मीटिंग लगातार करके उस पैसे को रिलीज करवाने का काम किया है। मैं बताना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि आपने कहा कि अभी...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बीओजी के मीटिंग के बारे में यह कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए आप, मंत्री बोल रहे हैं।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मुझे बोलने दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इस पर आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री बोल रहे हैं। आप बैठें, प्लीज। आप सीनियर मैम्बर हैं। मंत्री बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं? Please listen, have patience. सुनिए आप, मंत्री बोल रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): Sir, I have patience, पर आप मुझे प्रोटेक्शन देंगे न।

श्री अध्यक्ष: नो, आई विल नोट अलाउ। मंत्री बोल रहे हैं, बीच में बोलना कौनसी परम्परा है? मंत्री बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या सरकार इनको राज्य सरकार के अधीन, गवर्नमेंट सैक्टर में लेने का विचार रखती है, तो अभी संसाधन और नीति के तहत तय किया जाएगा तब लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

टोडारायसिंह औद्योगिक क्षेत्र में विकास के कार्य

188 **श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड टोड़ारायसिंह में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): रीको द्वारा मालपुरा विधान सभा के उपखण्ड टोडारायसिंह में वर्तमान में कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है

(उद्योग मंत्री)

तथापि रीको द्वारा टोडारायसिंह में एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है एवं इस हेतु ग्राम श्रीनगर की 23.49 हैक्टेयर भूमि जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा दिनांक 07.02.2018 को सैट अपार्ट की गई है। भूमि के आबंटन एवं तदुपरांत नियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। टोडारायसिंह में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु वर्ष 2019-20 में कुल 250 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह जमीन आरक्षित की जा रही है वह 25 हैक्टेयर से कम है, क्या इसके डवलपमेंट का काम उद्योग लगाने वाले करेंगे या रीको द्वारा किया जाएगा?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको द्वारा ही इसको अधिग्रहण किया जा रहा है और वही मुआवजा देगा और वही डवलपमेंट करेगा। माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शीघ्र ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 189

श्री अध्यक्ष: स्थगित।

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल।

कोटड़ा व झाड़ोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सैटेलाइट इकाई में क्रमोन्नयन

190. **श्री बाबुलाल** (झाड़ोल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कोटडा एवं झाड़ोल में स्थापित सामुदायिक केन्द्रों को सैटेलाइट इकाई के रूप में क्रमोन्नत करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): जी नहीं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में पंचायत समिति झाड़ोल, कोटड़ा एवं फलासिया का क्षेत्र आता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाड़ोल (फ), कोटड़ा, फलासिया एवं ओगणा की शय्याओं की उपयोगिता दर बहुत कम है। वर्तमान में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही सैटेलाइट चिकित्सालयों की सुविधा उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की शय्याओं की उपयोगिता दर निम्नानुसार है:-

चिकित्सा संस्थान	**शय्याओं की संख्या**	**शय्याओं की उपयोगिता दर (प्रतिशत)**
सीएचसी, झाड़ोल (फ)	50	19.48
सीएचसी, कोटड़ा	30	20.26
सीएचसी, ओगणा	30	16.76
सीएचसी, फलासिया	30	17.33

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, आपने जवाब में दिया है कि यह सुविधा अभी शहरी क्षेत्र में ही उपलब्ध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गांव का व्यक्ति, गरीब आदमी इस सुविधा से क्या वंचित रहेगा?

दूसरा मेरा आपसे प्रश्न यह है कि शय्याओं की उपयोगिता कम है, वहां पर चिकित्सक जो सर्जन हैं, उनकी सुविधा नहीं है, उनकी सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण वे लोग वहां नहीं जाते हैं, वे या तो प्राइवेट चिकित्सालय में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो यह सुविधा होगी तो शय्याओं की उपयोगिता होगी। आप यह बताने की कृपा करें कि शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ देंगे या नहीं देंगे?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने झाड़ोल के बारे में सवाल पूछा है तो मैं झाड़ोल का ही जवाब देता हूं। झाड़ोल में ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दो पद स्वीकृत हैं और कार्यरत, पदस्थापित पदों की संख्या 2 है, रिक्त पद 0 है। कनिष्ट विशेषज्ञ के 11 पद स्वीकृत हैं, कार्यरत 1 है 10 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 2 पद हैं, दोनों कार्यरत हैं। चिकित्सा अधिकारी 28 हैं, 17 चिकित्सक पदस्थापित हैं और उन 17 में से 2 हर साल जो पीजी में जाते

(श्री रघु शर्मा)

हैं डाक्टर्स, वह पीजी में गए हुए हैं। चिकित्सा अधिकारी दंत में 3 पद हैं और तीनों रिक्त हैं। कुल 46 पदों में से 22 पद भरे हुए हैं और 24 पद खाली हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्य की चिंता से वाकिफ हूं। अभी हमें 737 डॉक्टर्स की वित्तीय स्वीकृति मिली है नई भर्ती के लिए। हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस को उनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए निवेदन किया है। उनकी भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। वह डॉक्टर्स की भर्ती होने के बाद, चूंकि यह आदिवासी क्षेत्र है, मैं खुद भी यह बात महसूस करता हूं कि वहां पर चिकित्सक होने चाहिए तो चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया हम अति शीघ्र पूरी करेंगे, जहां खाली पद हैं चिकित्सकों के, वह भरेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पैरा मेडिकल संवर्ग के हम अभी 15000 की भर्ती कर रहे हैं, वह प्रक्रियाधीन है, वह भी जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके उपरांत इनके जो पैरा मेडिकल के पद खाली हैं वह भी हम भरने का प्रयास करेंगे।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, जो सर्जन और मेडिसन डाक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वह वहां पर उपलब्ध नहीं है जिसके कारण से वह लोग वहां नहीं जा पाते, डाक्टर्स का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो मेरा सीधा सा सवाल है कि उन सर्जन और मेडिसंस के डाक्टर्स हैं स्पेशलिस्ट, उनको लगाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि हम वहां इनका लाभ ले सकें। यहां से डॉक्टर जाता है वह केवल एमबीबीएस किया हुआ ही जाता है, तो क्या आप सर्जन और मेडिसंस के डाक्टर्स को वहां लगाने का विचार करेंगे?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल, विभागीय पदोन्नति के आधार पर हर साल जिन लोगों की पदोन्नति होती है उनके अनुसार विषय विशेषज्ञों को आपके यहां जरूर लगाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

प्रश्न संख्या 191

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम का निर्माण

192. **श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकर सिंह रावत)

(1) ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम निर्माण पर अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं उक्त स्टेडियम में क्या–क्या कार्य पूर्ण हो गये तथा क्या–क्या कार्य शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2012 में विधायक कोष से 20 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी होकर डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 278287 दिनांक 08.12.2012 को सचिव राजस्थान क्रीड़ा परिषद, जयपुर के नाम जारी किया गया था? यदि हां, तो शेष 180.00 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा अब तक जारी नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब शेष राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम, ब्यावर के निर्माण एवं विकास कार्य पर स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

उक्त स्टेडियम पर पूर्ण कार्यों व शेष कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा ब्यावर में स्टेडियम विकास हेतु 180 लाख स्वीकृत नहीं किये अपितु 151.11 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत तहसील पर 200 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबाल, वालीबाल, खो-खो/कबड्डी, जिम्नेजियम, आफिस बिल्डिंग एवं सिटिंग स्टैप्स प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने का प्रावधान है।

इन सभी कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा परिशिष्ट-क अनुसार राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

(3) राज्य सरकार द्वारा स्टेडियम ब्यावर के निर्माण व विकास हेतु सम्पूर्ण स्वीकृत राशि 151.11 लाख रुपये जारी की जा चुकी है जिसमें से 113.89 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

स्टेडियम में 55 मीटर सीटिंग टियर्स व 200 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

का निर्माण शेष है। इस शेष कार्य को खेल विभाग द्वारा स्वीकृत राशि एवं माननीय सदस्य द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास मद से उपलब्ध कराई गई राशि से पूर्ण कर लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सिटिंग स्टैप्स जो बैठने के लिये बननी बाकी हैं, उन्हें भी क्या आप प्राथमिकता से इस बजट में पूरा करने का विचार रखते हैं? और दूसरा निवेदन यह है कि जो स्टेडियम का पिलर बनाया गया था सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के लिये, वह गलत जगह पर बना दिया गया था तो क्या वह उसी जगह पर बनेगा या अन्य जगह पर बनवाएंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टैप्स का कार्य, जो कि 55 मीटर का बाकी है, उसे जल्दी पूरा कराया जाएगा, यह तो जवाब मैं आपको दे चुका हूं। माननीय सदस्य ने पहले भी सवाल लगाया था, पृथ्वीराज चौहान के स्टैच्यू के लिये जो बेस का काम किया। जब पिछली बार इन्होंने सवाल लगाया, मैं अगले ही दिन ब्यावर खेल स्टेडियम पहुंच गया और मैंने वहां खुद ने जानकारी ली।

उसके अनुसार जहां पर माननीय विधायक महोदय को बताया गया था, वहां पर चूंकि पार्किंग स्थल है, इसीलिये अधिकारियों ने उसकी जगह बदल दी, लेकिन माननीय सदस्य को इसके बारे में बताया नहीं गया, क्योंकि वहां पर सभी सामने थे और वहां पर जाकर मैंने खुद निरीक्षण किया। माननीय विधायक महोदय वहां पर थे। मेरे निरीक्षण की रिपोर्ट भी मैं माननीय मंत्री महोदय को पेश कर दूंगा, उसमें जो भी अनियमितिताएं हुईं, उसके खिलाफ कार्यवाही के बारे में माननीय मंत्री महोदय को लिखूंगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में 200 सदस्य बैठते हैं, किसी के भी खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही हो सकती है, आप यह बताएं कि उस जगह पर तो नहीं बना था वह, इस बात के लिये तो आप संतुष्ट हैं, आप गये और मौके पर देखा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें अपना।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी ने हमें गुमराह किया है जो यह कह रहा है कि साहब वह रिटायर हो गया। नहीं, अभी वर्तमान में है, उसी ने बनाया है, इसीलिये उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि निश्चित तौर पर आपने गलत होते हुए देख लिया है, अगर गलत किया गया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे वहां जाने के उपरांत आपसे भी मेरी चर्चा हुई और वहां जिस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं, उसकी जगह बदली गयी है। माननीय विधायक जी ने दूसरी जगह बतायी थी, लेकिन पार्किंग स्थल का हवाला देते हुए उसकी जगह बदली गयी, पर माननीय सदस्य को इसके बारे में अवगत नहीं कराया गया, यह उन्होंने स्वीकारा है और मैं वहां की पूरी रिपोर्ट संबंधित माननीय मंत्री महोदय को लिखूंगा। उसमें अनियमितताएं तो हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अशोक डोगरा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक लाइन।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पार्किंग स्थल है..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने बात बता दी, आपकी बात समझ में आ गयी, अधिकारी जिसने गलत किया, उसके खिलाफ कार्यवाही की बात समझ में आ गयी।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): नहीं, पार्किंग स्थल पहाड़ी पर कैसे बनेगा? वह तो नीचे बनेगा।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात समझ में आ गयी। श्री अशोक डोगरा।

प्रश्न संख्या 193

श्री अशोक डोगरा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ के संस्कृत विद्यालयों का क्रमोन्नयन

194. **श्रीमती संतोष** (अनूपगढ़): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कितने उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के कितने-कितने पद श्रेणीवार स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने पद कौन-कौन से विद्यालयों में रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन संस्कृत विद्यालय खोलने व विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में तीन राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के श्रेणीवार स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 में निहित है।

(3) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम एवं अध्यापक लेवल-II के पदों पर की गई भर्ती के अनुसरण में जारी किये गये पदस्थापन आदेशों में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, नई मण्डी, घड़साना में लेवल-I तथा लेवल-II के एक-एक पद पर तथा राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रावलामण्डी में अध्यापक लैवल-I के एक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।

वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 690 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है एवं वरिष्ठ अध्यापक के 177 पदों व अध्यापक के 226 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रस्तावित है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर चयनित अध्यापकों से रिक्त पदों का भरा जाना सम्भव है।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

(4) राजकीय संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने संबंधी मापदण्ड के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय को प्रवेशिका स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने हेतु कक्षा-8 में छात्र संख्या न्यूनतम 20-25 होनी चाहिए, जबकि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 8 में वर्ष 2018-19 में छात्र संख्या मात्र 5, 16 व 8 है। निर्धारित मापदण्ड में वर्णित प्रावधानों को पूरा करने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही नवीन संस्कृत विद्यालय खोलना एवं क्रमोन्नत करना सम्भव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि बच्चों की संख्या कम होने के कारण, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि संस्कृत विद्यालयों में अध्यापक ही नहीं हैं तो बच्चों का प्रवेश अभिभावक किस आधार पर करवाएंगे? पदों को भरवाने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा बताया, आपका कहना सही है, लेकिन 690 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। जैसे ही परिणाम आएगा और हमें सूची मिलेगी, पदों को भर दिया जाएगा। इसके अलावा 177 वरिष्ठ अध्यापक और 226 अध्यापकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रस्तावित की गयी है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिये राज्य स्तर पर क्या प्रयास किये जा रहे हैं? जिस प्रकार राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिये सरकार अभियान चलाती है, क्या उसी प्रकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अभियान चलाया जाएगा?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा, वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालते ही और जो जन घोषणा पत्र है, उसमें संस्कृत शिक्षा के प्रचार-प्रसार की बात है, उसके तहत प्रचार-प्रसार के कई निर्णय लिये हैं। मैं माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहूंगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक जो भी प्रचार-प्रसार हुआ है, वह कांग्रेस सरकारों के अधीन ही हुआ है।

(डा. सुभाष गर्ग)

इसके लिये पहला आयोग तो नेहरू जी द्वारा गठित किया गया और दूसरा आयोग मनमोहन सिंह जी द्वारा गठित किया गया। जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की डीम्ड यूनिवर्सिटीज खोली गयीं, वे कांग्रेस सरकार द्वारा खोली गयीं और राजस्थान में भी जो कुछ हुआ है, चाहे वह संस्कृत निदेशालय की स्थापना हो या संस्कृत विश्वविद्याल खोला गया हो, वह कांग्रेस सरकार द्वारा ही हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार पूरी तरह सजग है। संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन, विचार और प्रचार-प्रसार के लिये पूरी तरह कार्यरत है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

जयपुर मैटल उद्योग को पुनः प्रारम्भ करने की कार्ययोजना

195. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने लम्बे समय से बंद पड़े जयपुर मैटल को पुन: प्रारम्भ करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया है? यदि हां, तो उक्त को कब तक पुन: प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रिसर्जेन्ट राजस्थान में निवेश हेतु कुल कितने प्रस्तावों पर सरकार व उद्यमियों के मध्य एमओयू हुआ तथा कितना निवेश हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा रिसर्जेन्ट राजस्थान समिट में हुए एमओयू को रद्द करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कितने एमओयू रद्द किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं। कम्पनी विगत 20 वर्षों से बंद पड़ी हुई है। कम्पनी का प्रकरण पिछले कई वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में पृथक-पृथक विधिक प्रक्रियाओं में उलझा रहा है। प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कम्पनी का प्रकरण माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की जयपुर बैंच में विचाराधीन चल रहा है जिसमें राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की जा रही है। कम्पनी को पुन: प्रारम्भ करना अथवा नहीं करना उक्त न्यायालय के निर्णयाधीन होगा। अत: जयपुर मैटल को पुन: प्रारम्भ करने के संबंध में फिलहाल कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

(उद्योग मंत्री)

(2) रिसर्जेन्ट राजस्थान-2015 के दौरान रुपये 3.38 लाख करोड़ के 470 एमओयूज (MoUs) विभिन्न विभागों द्वारा हस्ताक्षरित किये गये थे। इन 470 एमओयूज में से दिनांक 25.06.2019 तक रुपये 11,577.46 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 72 निवेश प्रस्ताव क्रियान्वित हो चुके हैं, जिनकी सूची अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। रिसर्जेन्ट राजस्थान समिट में हुए एमओयूज को रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, परन्तु संबंधित विभागों द्वारा समयावधि पार होने अथवा अन्य कारणों से एमओयूज निरस्त किये गये हैं। कुल एमओयूज में से दिनांक 25.06.2019 तक रुपये 1.17 लाख करोड़ के 232 एमओयूज निरस्त हो चुके हैं तथा 3 एमओयूज आंशिक रूप से निरस्त एवं आंशिक रूप से कार्यान्वित हैं। निरस्त हुए एमओयूज की इकाईवार सूची मय प्रस्तावित निवेश के अनुसंलग्नक-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री अविनाश एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम पाला (मेड़ता सिटी) निवासी श्री शिवराज चौहान द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी के संबंध में दिनांक 16.09.2016 को दर्ज करायी गई एफ.आई.आर. पर ठोस कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में मृतक मस्तराम मीणा की मृत्यु के बाद बिना परिवार की सहमति के किडनी, लीवर और हार्ट निकालने तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री बाबुलाल (झाड़ोल), सदस्य की ओर से सरकार द्वारा कतिपय अनुदानित छात्रावासों को अनुदान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से दिनांक 17.10.2017 को नोहर (हनुमानगढ़) में हुए पवन व्यास हत्याकाण्ड में न्याय न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से U.G. (मेडिकल/डेंटल) में प्रवेश हेतु NEET-2019 में टीएसपी एरिया की 04 सीटें नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्रीमती अनिता भदेल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में होमगार्ड के जवानों की लगाई जाने वाली ड्यूटी में की जा रही अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से निजी बसों का टैक्स बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में किसानों की जमीन के कुडक आदेश निकालने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में मध्यप्रदेश की तरह 09 अगस्त को राजकीय अवकाश घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री बिहारी लाल विश्नोई, सदस्य की ओर से राजकीय आयुर्वेद औषधालय नोखा को क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में डी.एम.एफ.टी. मद से स्वीकृत कार्य भुगतान के अभाव में पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री अभिनेष महर्षि, सदस्य की ओर से नोहर के पवन व्यास हत्याकाण्ड के मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, वेदान्ता ग्रुप की जावर माइन्स से निकलने वाले अपशिष्ट से हो रही जनहानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से जयपुर जिले में बांग्लादेशी व

(श्री अध्यक्ष)

पाकिस्तानी नागरिकों की बिना जांच-पड़ताल किये मकान आबंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से नोहर के पवन व्यास हत्याकाण्ड के मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(16) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में उद्योगों को संवर्धन व प्रोत्साहन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में जनसंख्या अनियंत्रित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली जिले में नवजीवन योजना से जुड़ी जातियों के बच्चों का सत्र प्रारम्भ होने के बावजूद विद्यालयों में प्रवेश नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की लम्बित मांगों को पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(20) श्री रामलाल शर्मा एवं श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से जयपुर जिले के विराटनगर क्षेत्र के बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से दो व्यक्तियों की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री संदीप शर्मा, श्री मदन दिलावर, श्री ज्ञानचंद पारख, श्री नारायण सिंह देवल, श्री रामलाल शर्मा एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही बस स्टैंड पर व्याप्त असुविधाओं के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री मोहन राम चौधरी, सदस्य की ओर से नागौर शहर में एक सैटेलाइट अस्पताल एवं महिला चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में।

(3) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के वन क्षेत्र में आने से कतिपय सड़कों का निर्माण न होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर नगर परिषद के सीमांकन क्षेत्र को बढ़ाया जाकर अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से बानसूर कस्बे में ए.सी.जे.एम. न्यायालय खोले जाने के संबंध में।

(7) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

(8) श्री चेतन सिंह चौधरी, सदस्य की ओर से डीडवाना में निजी भूमि पर परिवहन विभाग की मिलीभगत से नया बस स्टैण्ड बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के राजकीय उप जिला चिकित्सालय, नाहटा में चिकित्सकों के रिक्त पदों से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(10) श्री बाबूलाल (कठूमर), सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कठूमर एवं खेड़ली में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(11) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में राशन सामग्री का वितरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची

आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 38 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	**नाम सदस्य**	**विषय**
1.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	पीलीबंगा क्षेत्र में वन भूमि, गोचर भूमि, जोहड़ पायतन में ग्रामीणों की जमीन आने से उन्हें पानी एवं विद्युत कनेक्शन हेतु पंचायत द्वारा एन.ओ.सी. नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री बलजीत यादव	अलवर सरस डेयरी में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
3.	श्री रूपाराम	पुलिस थाना मकराना क्षेत्र में होने वाली चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री गिरधारी लाल	बीकानेर जिले में ऋणी कृषकों की रबी की फसल बर्बाद होने से क्लेम नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव पर श्री संदीप शर्मा।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। एक सूचना है, सर। एक जरूरी सूचना है, सर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, जीरो आवर में नहीं। माननीय सदस्या, जीरो आवर के बाद उठाएं। बैठिये आप। आप बैठें। माननीय सदस्या, पाइंट आफ आर्डर जीरो आवर के बाद। बैठें आप। श्री संदीप शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

उद्योगों का संवर्धन व प्रोत्साहन

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग राज्य की विकास, समृद्धि का बेहतर विकल्प है। युवाओं के रोजगार एवं प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो,

(श्री संदीप शर्मा)

उस हेतु उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कई पुरानी चलती औद्योगिक इकाइयां या तो बन्द हो गई हैं अथवा बन्द होने के कगार पर हैं और नये उद्योग भी राज्य में नहीं आ पा रहे हैं। उद्योगों की स्थिति बहुत दयनीय है और सरकार द्वारा कोई नये उद्योग लग सकें, बड़े निवेशक औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत प्रदेश में आकर्षित हो सकें, ऐसा कोई प्रयास इस वर्तमान बजट में नहीं किया गया है। आवश्यकता है कि सरकार ऐसी प्रभावशाली योजना बनाए जिससे निवेशक राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आगे आएं। राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार राजस्थान में कच्चे माल के आयात के लिए भी भाड़ा देना पड़ता है और जो उत्पाद है, उसके लिए भी अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो प्रमुख निवेशक हैं वे राजस्थान में उद्योग स्थापित नहीं करते हैं, कतराते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में भी कथनी और करनी में स्पष्ट अन्दर नजर आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से एक ओर राजस्थान सरकार अपने बजट में उद्योगों के विकास की बात करती है वहीं दूसरी ओर जो कैप्टिव पावर प्लांट हैं, जो अपनी विद्युत खुद जनरेट करते हैं उन पर 150 प्रतिशत अतिरिक्त भार उन उद्योगों पर लगा दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जिससे वर्तमान में उन उद्योगों की कमर टूट गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कैप्टिव पावर प्लांटों पर लगाये गये विद्युत शुल्क से लगभग ऐसे 100 से अधिक जो कैप्टिव पावर प्लांट उद्योग हैं, वे परेशान हैं। राज्य सरकार द्वारा 2015 में कैप्टिव पावर प्लांट वाले ऐसे उद्योगों पर 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से यह विद्युत शुल्क लगाया गया था और लगातार ये उद्योग सरकार से प्रार्थना कर रहे थे कि यह 40 पैसे प्रति यूनिट को कम किया जाए क्योंकि कई राज्यों में 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भी कम और कई राज्यों में तो बिल्कुल उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह व्यवस्था नि:शुल्क कर रखी है।

इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिले और पूर्व में लगे उद्योग भी जो बन्द होने के कगार पर

(श्री संदीप शर्मा)

हैं, उनको भी सम्बल प्राप्त हो सके। आज आवश्यकता है कि हमारे राज्य में नये उद्योग और स्थापित हों, उद्योगों को मजबूत करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय संक्षिप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्योंकि आज यदि सरकार नई औद्योगिक नीति नहीं बनाकर उद्योगों को अगर प्रोत्साहित नहीं करेगी तो निश्चित रूप से हम आर्थिक रूप से पिछड़ते चले जाएंगे और जो दूसरे राज्य हैं, जो आर्थिक रूप से जो मजबूत हैं, वहां निश्चित रूप से उद्योग जाएंगे, उसके पीछे बड़ा कारण इसलिए आवश्यक है कि हम उद्योगों की ओर ध्यान दें और उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित करें कि हमारे यहां पर उद्योग अधिक से अधिक लग सकें। निवेशक इस ओर आकर्षित हों, ये मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ही नहीं पूरा विश्व बढ़ती हुई जनसंख्या से काफी चिंतित है। मैं बात करूं, पूरे देश की तो जब देश आजाद हुआ तो हमारी जनसंख्या 33 करोड़ थी। आज लगभग 4 गुना बढ़ गई है। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की वृद्धि दर 21.44 प्रतिशत है, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.71 है। राजस्थान वृद्धि दर में हिन्दुस्तान में आखिरी स्थान पर है और राजस्थान विश्व की जनसंख्या का एक प्रतिशत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में हमारी जनसंख्या 6.87 करोड़ थी और 2021 में जब जनसंख्या होगी, संभावित, लगभग वह साढ़े 8 करोड़ हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ने से माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थितियां ये बन गई हैं कि रोजगार कम हो गये हैं। किसान की खेती परिवार बढ़ने से बंटती जा रही है। क्योंकि, ये जमीन बढ़ नहीं सकती हैं और इसके कारण से उसके इनकम के सोर्सेज कम हो गये हैं और लोग बेरोजगार होने लगे हैं। सभी सरकारें कोशिश कर रही हैं रोजगार देने की, नये-नये रोजगार देने के रास्ते खोजती हैं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने ये रोजगार के रास्ते सारे बौने हो गये हैं। यहीं नहीं है, मकानों की संख्या निरन्तर बढ़ानी पड़ रही है और उसके कारण से हम कृषि योग्य भूमि पर भी मकान बना-बनाकर, उनको क्रंकीट, सीमेंट में तब्दील करते जा रहे हैं।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं है यदि ये रफ्तार नहीं रुकी तो स्थिति गम्भीर हो जाएगी, क्योंकि, हमारे खाद्यान्न के लिए धरती वही है, जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है और खाद्यान्न कम होता जा रहा है। जिस प्रकार से डीएपी और दूसरे साधनों से कम होता जा रहा है, मैं समझता हूं कि एक दिन हिन्दुस्तान के ही लोग नहीं, विश्वभर के लोग भूखों मरने की स्थिति में हो जाएंगे और राजस्थान की स्थिति भी बहुत खराब हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि अधिक लोगों के रहने से पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है लकड़ी की, पेड़ काटे जा रहे हैं तो आक्सीजन कम हो रही है। जहां आक्सीजन कम हो जाती है, वहां कार्बन-डाइ-आक्साइड की अधिकता हो जाती है और जहां आक्सीजन और कार्बन-डाइ-आक्साइड की और ज्यादा कमी हो जाती है तो कार्बन मोनो-आक्साइड हो जाती है और कार्बन-मोनो-आक्साइड जहरीली गैस होती है। इस देश की धरती पर जब कार्बन-मोनो-आक्साइड की अधिकता हो जाएगी तो लोग बिना मौत मारे जाएंगे, स्थिति बहुत खराब हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इस सबंध में एक कानून बनाया जाना चाहिए क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। देश के और प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए कानून बनाना चाहिए और उस कानून की कोई पालना नहीं करता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कानून में सबसे पहले तो उसके वोट का अधिकार समाप्त करना चाहिए। सरकार की दी जाने वाली सुविधाएं हैं, वे सब बन्द करनी चाहिए, जो अनुदान है, बीपीएल है, खाद्य सुरक्षा है, जितने भी लाइसेंस दें, वे सब रद्द करने चाहिए, कानून की पालना नहीं करते तो, कानून की पालना बहुत जरूरी है। यदि ये होगा तभी हम जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन है मेरा। कुछ लोग अपनी धर्म पुस्तक का हवाला देकर के...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय वाइंड-अप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): निरन्तर जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाने के कारण से स्थितियां ये हो गई हैं कि धर्म के नाम पर, इस देश की सत्ता को हथियाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें, प्लीज। ज्ञानचन्द पारख। माननीय सदस्य, don't take liberty.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये जनसंख्या नियंत्रण बराबर सब पर लागू हो, सब पर एक प्रकार हो, भारत का संविधान जो कहता है काम हो, किसी धर्म पुस्तक के आधार पर ये निर्णय नहीं हो कि कौन जनसंख्या बढ़ा सकता है और कौन घटा नहीं सकता...

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल। बस, धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): लेकिन परम्परा बन गई है। ये ठीक नहीं है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं बोल रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप खड़े ही नहीं हुए। मैं नहीं करूंगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): ये बोल रहे थे, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप खड़े हुए क्या? ये कोई तरीका नहीं, जब आप खुद ही लिबर्टी लेना चाहते हैं तो, नहीं प्लीज। ज्ञानचंद जी पारख।

पाली जिले में नवजीवन योजना से जुड़ी जातियों के बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीन अध्यक्ष महोदय, शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो गया और ऐसे में प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल जाए, उसके लिए विद्यालय की तलाश भी कर रहा है। जैसी उसकी हैसियत है, उसकी नजर उस स्तर के विद्यालय पर लगातार रहती है। हमारा प्रदेश बहुत भाग्यशाली प्रदेश है कि जहां पर नवजीवन योजना लागू है। जो अवैध दारू के निर्माण और अवैध दारू के व्यवसाय से जुड़े परिवार हैं, जिनमें पहले शिक्षा का बहुत अभाव था, लगभग सारे के सारे अशिक्षित थे, बच्चे पढ़ते ही नहीं थे या पढ़ते थे तो ऐसे विद्यालय में जहां मात्र औपचारिकता पूरी करनी होती थी, लेकिन इनके बच्चों के लिए हमारी सरकार ने नवजीवन योजना की शुरुआत की और पिछले कुछ सालों में इस योजना के जो परिणाम देखने को मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय, वाकई में बहुत खुशी होती है कि जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती थी, आज शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गये कि मैरिट में अपना स्थान बना रहे हैं, सरकारी खर्च से शिक्षा लेकर।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह आ रही है अब सीटें आपकी हैं लिमिटेड और इस योजना में हमने इतनी जातियों को जोड़ दिया पहले और साथ में, इस योजना में नि:शुल्क शिक्षा तो मिलती है पर आपकी सुविधाएं भी इतनी मिलती हैं कि वाहन का, वह भी खर्च सरकार उठाती है। उसकी ड्रेस का पैसा है, वह भी सरकार देती है। उसके जूते हैं, उसका बैग है, उसकी कापी है, उसकी पानी की बोतल है, खाने का टिफिन है, वह भी इस योजना के माध्यम से सरकार के पैसे से होता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि बच्चे की रूचि बढ़ती है, अभिभावक की रूचि बढ़ती है कि मेरे बच्चे का एडमिशन भी, क्योंकि मैं इस जाति से जुड़ा हुआ हूं तो इससे जुड़े विद्यालय में एडमिशन हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह रहेगा, यह बहुत महत्ती योजना है उन व्यक्तियों के लिए योजना है जो...

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव, दो-ढाई मिनट में, डिमांड नहीं है, प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो मिनट में, तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा एक तो आप सीटें बढ़ाएं मेहरबानी करके क्योंकि शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो गया है। बच्चे और बच्चे के अभिभावक विद्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं और जो स्कूल के संचालक हैं, वे सीटें कम की बात कहकर उनको रोज घुमा रहे हैं कि सीटें बढ़वा देंगे, उसके बाद में एडमिशन होगा। एक तो मेरा यह मुद्दा है।

दूसरा, मंत्री महोदय, इसमें आपने माध्यमिक शिक्षा तक का तो प्रावधान किया हुआ। अब माध्यमिक शिक्षा से, रोजगार से जुड़ जाए, ऐसा मुश्किल है कि वह अवैध दारू का व्यापार छोड़ दें तो मेहरबानी करके उन जातियों के लिए आप उच्च शिक्षा में, कालेज शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा में भी प्रावधान करके, जिन बच्चों ने निरन्तर दसवीं, बारहवीं कर ली, इसी नवजीवन योजना के माध्यम से उनको कालेज में या आईटीआई में, यदि वे तकनीकी शिक्षा लेना चाहें, तो उसमें एडमिशन हो जाए, ये मेरा सरकार से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगें

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने

(श्री नारायण सिंह देवल)

मुझे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल प्रदेश में 16 जुलाई को रोडवेज कर्मचारियों ने जयपुर सहित पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालय पर और रोडवेज डिपो पर विरोध प्रकट किया। 60 साल तक रोडवेज के कर्मचारी सेवा करने के बाद में, आज उनको पिछले तीन-चार महीने से सैलेरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है और उनका डी ए भी नहीं मिल रहा है। कई कर्मचारियों के घरों में तो चूल्हे जलने में भी बहुत मुश्किल हो गई है। उन कर्मचारियों की पारिवारिक जवाबदारी भी है और वो पारिवारिक जवाबदारी भी नहीं निभा पा रहे हैं और कई कर्मचारियों के बीमार होने पर इलाज भी नहीं करवा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा मंत्री महोदय जी का कि कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसके अंदर कर्मचारियों से लोक लुभावने वादे और आश्वासन देकर फसल की वोट तो आपने काट ली। आज कर्मचारी ठगा महसूस कर रहा है।

मैने अभी प्रश्न पूछा था 27 जून को, उसका उत्तर आया अध्यक्ष महोदय, रोडवेज का कुल संकलित घाटा 4833.81 करोड़ है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 10 करोड़ रोडवेज को आर्थिक सहायता के तौर पर मिलता था, वह भी पिछले मार्च के बाद से नहीं मिल रहा है। कल मुख्य मंत्री जी ने जो बीस करोड़ और पैंतालीस करोड़ देने की बात कही मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रोडवेज का घाटा प्रतिमाह 42 करोड़ है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):... तो इस रोडवेज को आप कैसे उबारेंगे? मैं यह जानना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

विराटनगर में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसे विषय की ओर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, जो घटना दु:खद भी है और मार्मिक भी है।

अध्यक्ष महोदय, कल विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में नींझर मोड़ हाईवे पर एक हादसा हुआ 11 केवी की लाइन की वजह से जिसके अन्दर दो

(श्री रामलाल शर्मा)

लोगों की मौत हुई। एक राम कुमार मीणा और एक ओम प्रकाश शर्मा और तीन लोग इस घटना में घायल हुए। यह पहली घटना नहीं है जो राजस्थान में घटित हुई हो। ऐसी अनेकों घटनाएं समय-समय पर जयपुर जिले में और प्रदेश में घटित होती रहती हैं लेकिन उसके बावजूद भी विभाग कभी नहीं चेता और बात यहां तक ही नहीं है इस परिवार के ऊपर एक और दु:खों का पहाड़ टूटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जो मृतक राम कुमार मीणा है, 2 मई को इसके पिताजी का देहान्त हुआ, 3 मई को इसके बड़े भाई का बेटा है ओम प्रकाश मीणा उसकी दुर्घटना में मौत हुई और आज दो महीने के बाद राम कुमार मीणा की भी इस हादसे में मौत हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन इतना ही है कि यह पहली घटना नहीं है, ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं। ठीक आठ महीने पहले इसी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर खातोलाई के अन्दर भी बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से एक वैवाहिक कार्यक्रम के अन्दर विस्फोट हुआ उसके अन्दर कई लोगों की मौत हुई है, उसके बावजूद भी विभाग जागा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किस व्यक्ति ने लापरवाही की है? शट डाउन लेने के बाद में किसने लाइन चढ़ाई? लाइन चढ़ाने की वजह से यह हादसा हुआ और उसके बाद काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों के पास संसाधन क्यों नहीं थे? उनके पास ऐसे संसाधन भी नहीं थे जिसकी वजह से यह हादसा टाला जा सकता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके ऊपर तत्काल उनको मुआवजे की घोषणा करें, परिवार को नौकरी की घोषणा करें और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी सरकार समुचित व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मंत्री महोदय, दो-तीन लाइन में अपनी बात को समाप्त करूंगा। घटना हो गई। घटनाएं औसतन अगर आप देखो, मैं एक लेख में पढ़ रहा था, हर महीने में तीनों डिस्काम्स में अलग-अलग जगह पर दस से पन्द्रह घटनाएं ऐसी होती हैं पर घटना होने के बाद अकाउंटेबिलिटी कभी तय नहीं होती। शट डाउन हुआ। रजिस्टर में लिखकर शट डाउन किया। शट डाउन लेते वक्त जब उसने कंपीटैंट आथोरिटी से पूछा और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक्सईएन ने लिखा कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक शट डाउन है फिर शट डाउन के बाद में वापस बिजली की लाइन चालू करने का भी उसमें लिखा रहता है एक कालम में कि इतने घंटे तक ये-ये बिजली अबाध रूप से रूकी रहेगी उसके बाद वह कैसे हो गया? इसलिए मैं मंत्री महोदय, यह चाहता हूं माननीय सदस्य ने मुआवजे की बात कही, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी शाहपुरा की सीएचसी को घेरे हुए कुछ लोग बैठे हैं तो मैं यह चाह रहा हूं कि मुआवजा तो आप दें जो मुआवजा देय है, पर इसके अन्दर अगर अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती। खातोलाई की घटना छोटी नहीं है, एक ट्रांसफार्मर फटा, माननीय अध्यक्ष महोदय, शादी के समय में उस समय चाहे सरकार किसी की हो पर तकनीकी अधिकारी इतने बेलगाम हो गये जिनको तनख्वाह इसीलिए मिलती है कि तकनीकी रूप में उनकी दक्षता है और हमेशा बच जाते हैं। आप इसलिए अकाउंटेबिलिटी तय करें, मुआवजा दें उनको और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए कोई टास्क फोर्स बनाकर उसकी राय लेकर कोई एडवाइजरी जारी करो, ताकि दुबारा ऐसी बात नहीं हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 16.7.19 को सायं 6.45 बजे के लगभग नींझर मोड़ हाईवे पर विद्युत निगम सहायक अभियंता कार्यालय के तकनीकी कर्मचारी श्री ओम प्रकाश शर्मा 11 केवी लालाकाली फीडर पर एक विद्युत पोल खड़ा करने का कार्य कर रहे थे। कार्य करने में श्री मालीराम कुमावत, श्री राहुल मीणा एवं श्री राम कुमार मीणा सहयोग कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बिजली चालू हो जाने से चार लोगों को विद्युत करंट लगा जिनमें से दो व्यक्ति क्रमश: श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री राम कुमार मीणा की मौक़े पर मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य व्यक्ति श्री राहुल मीणा एवं श्री मालीराम कुमावत घायल हो गये। श्री सीताराम मीणा का अखबारों में जो नाम आया था वह वहां से चला गया था, जिन्हें तुरन्त एसएमएस, जयपुर के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां श्री मालीराम को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि श्री राहुल मीणा के हाथ में विद्युत करंट से बर्न का इलाज चल रहा है एवं चिकित्सकों ने स्थिति खतरे से बाहर बताई है। दो व्यक्ति श्री ओम प्रकाश व श्री राम कुमार मीणा का शव शाहपुरा चिकित्सालय की मोर्चरी में है व पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जानी है जिसके लिए प्रशासन एवं विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता मौके पर हैं। विद्युत दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होने पर

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कर्मचारी को वर्तमान कम्पन्सेशन एक्ट के तहत कम्पन्सेशन देने का प्रावधान है, जो लगभग बीस लाख रुपये के करीब है जबकि अन्य व्यक्ति जो गुजरा है उसे पांच लाख एकमुश्त क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का प्रावधान है जो मृत्यु प्रमाण पत्र/पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं दुर्घटना की जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। दुर्घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता, कोटपूतली की आज ही एक कमेटी गठित कर जांच करवायी जा रही है जिसके निष्कर्ष के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। जांच पूरी होने तक संबंधित कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है एवं सहायक अभियंता, विराटनगर को एपीओ कर दिया गया है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। आज तीन मांगों पर चर्चा होगी इसलिए आप सबकी अनुमति से 295 को पढ़ा हुआ माना जाए। पर्ची पर संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

(पढ़ी मानी गयी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पीलीबंगा के ग्रामीणों की वन भूमि, गोचर भूमि, जोहड़ पायतन में पंचायत द्वारा पानी व बिजली कनेक्शन

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में काफी गांवों के नजदीक भूमि पर वर्षों से लोग आबाद हो गये हैं वह भूमि वन भूमि, जोहड़, पायतन व गोचर भूमि है। वहां पर मकान, धर्मशाला, स्कूल, मंदिर, गोशाला व अन्य धार्मिक स्थान पानी बिजली के कनेक्शन, सड़क, नाली सारी व्यवस्थाएं हैं, परन्तु उनके पट्टे नहीं बनाये गये हैं। किसी प्रकार की एनओसी नहीं दी जा रही है। सरकारी सुविधा नहीं मिलती है उनको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

हूं कि जिस वन भूमि, जोहड़, पायतन व गोचर भूमि पर वर्षों से आवास बना रखे हैं सरकार ऐसे गांवों का सर्वे कर उस भूमि पर बसने वाले नागरिकों को लाभ दिलाये ताकि उनके मकानों के पट्टे मिल सके। विद्युत विभाग व जलदाय विभाग से कनेक्शन ले सके। समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का उनको लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वन भूमि, जोहड़, पायतन व गोचर भूमि की जगह सरकार यदि दूसरी जगह अलाट कर दे तो पीड़ितों को न्याय मिल सकता है। यह गम्भीर विषय है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बलजीत यादव।

अलवर सरस डेयरी में भ्रष्टाचार

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अलवर जिले में किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सरस डेयरी में इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। वर्षों से ठगी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले के किसी बच्चे से भी जाकर पूछो तो वह आपको बता देगा कि सरस डेयरी के अन्दर मशीनों को डाउन करके लैब के लोग उनकी फैट को काट देते हैं और पानी का टैंकर भर के जो डेयरी के चैयरमेन हैं +++ उनके टैंकर भर के पानी के आते हैं और वो दूध के रूप में तुल जाते हैं और सबको, बच्चे-बच्चे को पता है लेकिन अफसोस की बात है कि पिछली सरकार के डेयरी मंत्री ने आदेश दिया जांच का और जांच में उसको दोषी माना गया। दोषी मानने के बाद धारा-57 और धारा-30 में उसको नोटिस दिया गया कि आप अंतिम जवाब दो कि क्यों नहीं आपको बर्खास्त कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जांच का आदेश देता है वही मंत्री के निगरानी यचिका लगती है और मंत्री उसको स्टे कर देता है कि आप इस पर फैसला नहीं देंगे। उसके बाद चला आ रहा है। फिर सरकार बदल जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बदलने के बाद भी इन माफियाओं का गठजोड़ देखिये, इन माफियाओं की पहुंच देखिये। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट में चले गये लोग कि इस पर फैसला दें। लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। एसीबी ने रेड डाली, उनके पीए को रंगे हाथों पकड़ा। उनकी दराज से पैसे बरामद किये और एसीबी ने भी उसको दोषी मानते हुए उसके ऊपर केस चलाने की अनुमति मांगी पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, एसीबी को अनुमति नहीं दी गई और वह भ्रष्टाचार

(श्री बलजीत यादव)

बददस्तूर चालू है और 107 में निगरानी याचिका का फैसला मौजूदा डेयरी मंत्री के पास पेंडिंग है और रजिस्ट्रार के पास पड़ा है तो मैं यह चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीस सैकंड। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपकी कांग्रेस सरकार के अस्सी साल के एमएलए पर वह डेयरी का उसके खिलाफ आवाज उठाने पर बलात्कार का असत्य मुकदमा दर्ज करवा देता है और छाती ठोक कर यह कहता है कि अब वह एमएलए बोलकर बताये मेरे खिलाफ। आज बलजीत यादव बोला है, कल बलजीत यादव को घेरा जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस सदन में..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गुस्सा नहीं करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या भ्रष्टाचारी इतने मजबूत हो गये कि पिछली सरकार भी घुटने टेक दे और मौजूदा सरकार भी घुटने टेक दे? क्या बन्ना लाल के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी सरकार? माननीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षण चाहूंगा और सरकार से जवाब चाहूंगा वरना फिर आने का धिक्कार है हमारा सदन में बोलने का और बोलकर चले जायें कुछ नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शांति रखें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं धरने पर बैठूंगा, प्रदर्शन करूंगा, कार्यवाही होनी चाहिए। यह मांग करता हूं। जवाब चाहता हूं सरकार से।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चर्चा की, इस प्रकरण में 23.08.2016 को एसीबी द्वारा ट्रैप का आयोजन कर अलवर डेयरी चेयरमैन के पीए कनिष्ठ लिपिक श्री चेतराम मीणा को दूध संकलन केन्द्र खुलवाने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की गई तथा श्री चेतराम व धनीराम यादव, प्राइवेट व्यक्ति को 45 हजार रुपये लेते हुए ट्रैप किया गया। इस संबंध में मुकदमा नंबर 284/2016 दर्ज किया जाकर श्री धनीराम के विरुद्ध 24.9.2018 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। साथ ही, दूसरे प्रकरण में श्री ज्ञानदेव आहूजा जी द्वारा अलवर डेयरी में फर्जी इंसेंटिव वितरित करना, वाहन की निविदाओं में अनियमितता करना ...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इससे मतलब नहीं है। जो पाइंटेड है

(श्री अध्यक्ष)

एक्शन होना है या नहीं होना है। आप इतना डिटेल में नहीं, आज डिमांड है, आप ओपरेटिव पार्ट बता दो।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जो प्रकरण संज्ञान में आये हैं, जिनमें प्रमाणित पाया गया, उनमें कार्यवाही की गई है। एसीबी द्वारा भी की गई है और विभाग द्वारा भी की गई है। साथ ही, माननीय सदस्य ने जो चर्चा की सहकारी एक्ट के अंतर्गत, उसकी शिकायत हुई। उसमें सहकारी मंत्री जी के द्वारा स्टे दिया गया, बाद में वह स्टे खारिज हुआ, बाद में वह दूसरे न्यायालय में गया। फिर भी माननीय सदस्य को कोई विशेष शिकायत हो तो वह मुझे बताएं, मैं उसमें निश्चित जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): आप बर्खास्त कीजिए, 24.4.2019 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इसमें दो महीने में फैसला दे, यह पैंडिंग फाइल है, लेकिन दो महीने निकल गये, 24.4.2019 को फैसला दिया था, नहीं हुआ है और अध्यक्ष महोदय, नहीं होगा। बर्खास्त नहीं होगा। बलजीत यादव सदन में कह रहा है, यह बर्खास्त नहीं कर पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठें। माननीय मंत्री जी, कुछ कहना है, वह कह रहे हैं हाई कोर्ट पर स्टे नहीं है। (व्यवधान) नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा और मैं चर्चा बंद कर दूंगा। यह चर्चा पहले भी आ चुकी है, अभी भी आई है। जो गंभीरता से माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उस गंभीरता से सरकार काग्नीजेंस ले और एप्रोप्रिएट एक्शन ले। चर्चा समाप्त हुई। श्री रूपा राम।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी मुद्दे को लेकर बोल रहा हूं। प्रजातंत्र के बारे में मैंने कहा है, इस सदन में मैंने कई बार कहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, टू द पाइंट, आज डिबेट करनी है।

मकराना में चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं करना

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्या की जड़ शुरू कर दूं। समस्या की जड़ यह है कि लोकशाही पर अफसरशाही भारी हो रही है। एक जनप्रतिनिधि का, एक विधायक का अधिकार क्या है और उसके क्षेत्र में जब उसके अधिकारों का हनन होता हो तो विधायक के अधिकार का

(श्री रूपा राम)

हनन होना ज्यादा नुकसान की बात नहीं है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जनता ने उसको मत दिया है, जिस जनता ने उसको जिताया है, उसकी भी आशा होगी। मैं मकराना के पुलिस इंचार्ज, सीआई के बारे में कहने जा रहा हूं। एक अफसर जब मनमर्जी करने लग जाए और हमारे राजनीतिज्ञ उनको शह देने लग जाएं तो उस क्षेत्र में क्या होगा। मैं उनकी मनमर्जी के बारे में बता रहा हूं, वह जब चाहे जिसकी एफआईआर लॉज कर लेते हैं, जब चाहे नहीं करते। एक ज्वलंत मुद्दा तीन दिन पहले आया, बिजली की समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर मैंने पीएचईडी के एईएन साहब से बात की, एक्सईएन साहब से बात की, फिर मैंने एमडी साहब से बात की तो उन्होंने कहा है कि एक व्यवस्था है, जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो पुलिस में जब उसकी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो कहते हैं कि मुकदमे ज्यादा हो जाएंगे, हम ट्रांसफार्मर के चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। जब चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो ट्रांसफार्मर दूसरा मिलता नहीं है। एक्सईएन साहब को मैंने कहा, एमडी अजमेर को कहा यह एक सीआई की बढ़ती हुई मनमर्जी और दादागीरी है। दूसरी बात, जब बिजली विभाग और पुलिस विभाग में तालमेल नहीं है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जनता का क्या होगा? एक जेईएन, एईएन, एक एक्सईएन परेशान है कि हमारी एफआईआर इसलिए नहीं लिखी जाती कि मुकदमे ज्यादा हो जाएंगे।

दूसरा, एक छोटा-सा उदाहरण है। 5 मार्च को बुल्डको की ढाणी में ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। उसके बाद 5 जुलाई को हुआ। उसके बाद 2 जुलाई को हुआ। तीन बार ट्रांसफार्मर चोरी हो गये। एईएन साहब लगभग दस बार वहां थाने में चले गये, कोई दर्ज नहीं हुआ। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं आप जांच करवा लीजिए। किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर करना या उसको लाइन हाजिर करना, यह बहुत बड़ी सज़ा नहीं है। अगर अधिकारी मनमर्जी से जात पात के आधार पर फैसला करता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बुरी बात है। मैं एक मिनट और बोल देता हूं, मेरे में तो वैसे ही जबरदस्ती जिद करके बोलने वाले गुण आये ही नहीं, मैं कोशिश तो करता हूं कि इनकी तरह मैं भी बोलूं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

इस सीआई की मनमर्जी देखो, हैलमेट वालों को पकड़ता है। इसके सामने से मकराना के हर चौराहे पर रोज 10 हजार लोग बिना हैलमेट जाते

(श्री रूपा राम)

हैं। इस सीआई पर, इस एसएचओ पर मेरा सबसे बड़ा आरोप है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, यह जातिवाद के आधार पर चलता है। जो भी इनको गांव के लोग दिखते हैं, उनके मुकदमे दर्ज कर लेते हैं। एक छोटी-सी बात और बता रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: प्लीज हो गया।

श्री रूपा राम (मकराना): हुआ तो नहीं, लेकिन आप कह रहे हो तो हो गया, मैं मान लूंगा। साहब, इस आदमी की जांच कराइए। एक मिनट में बोल देता हूं। अब तक पिछले 6 महीने में फोर व्हीलर और टू व्हीलर की पैनल्टी करके जुर्माना किया है, किस-किस जाति के लोगों पर किया है। दूसरी बात, जब-जब कोई लोग चोरी के मुकदमे दर्ज कराने जाते हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया अब। आप डिसिप्लीन आदमी हैं, बैठें।

श्री रूपा राम (मकराना): एक मिनट, आप 6 महीने की जांच कराइए कि इस आदमी की कार्यशैली क्या है। भू माफिया बनकर खानों को लूट रहा है।

श्री अध्यक्ष: बात हो गई। माननीय सदस्य, आपकी बात पर सरकार ध्यान देगी और इस पर कार्यवाही करेगी। श्री गिरधारीलाल।

बीकानेर जिले में रबी की फसल बर्बाद होने पर क्लेम

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में पिछले रबी की फसल में बेमौसम अंधड़ और बरसात के कारण बीकानेर, श्रीडूंगरगढ़, नोखा, लूणकरणसर क्षेत्र में किसानों की फसल बर्बाद हुई। किसानों के खराबे की ऑनलाइन रिपोर्ट कुछ किसानों ने कराई। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टाटा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सर्वर क्षेत्र में आये आज तक बीकानेर जिले में, श्रीडूंगरगढ़, लूणकरणसर, बीकानेर तहसील में रबी की फसल में जो खराबा हुआ था, उसका आज तक किसानों को नहीं मिल पाया है। अध्यक्ष महोदय, प्रति हैक्टेयर साढ़े सात हजार बीमा कंपनी किसान के नाम से प्रीमियम वसूल करती है। बीकानेर संभाग में जोत बड़ी है, काश्त छोटी है। बीमा कंपनियां तहसील की माप और तहसील की फसल खराबे की गिरदावरी को नहीं मानती। अध्यक्ष महोदय, बीमा कंपनियों को सरकार कानून बनाकर बीमित किसानों को सरकारी गिरदावरी को आधार मानकर बिना शर्त लाभ दिलाने का कानून बनाये, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 131, श्री संयम लोढ़ा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सिरोही में शराब की दुकानों की स्वीकृति में अनियमितता एवं न्यायिक आदेशों की अवहेलना

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 131 के अंतर्गत मैं शराब की दुकानों की स्वीकृति में अनियमितताओं व न्यायिक आदेशों की पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय आबकारी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शराब की दुकान की लोकेशन के बाबत जो बात उठाई है, उसमें मुख्य तौर पर आपने दो-तीन कमियां बताई हैं। पहली कमी तो यह बताई कि वाणिज्यिक स्वीकृति नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें प्लीज, अभी एक सेंटेंस ही शुरू किया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह आपकी आपत्ति नहीं थी? आपने नहीं लिखा यह?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज इधर देखें, अध्यक्ष की तरफ देखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल यह था कि शराब की दुकान जहां पर भी खोली जाती है, उसकी पहले वाणिज्यिक स्वीकृति ली जाती है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि बिल्डिंग बायलाज अलग बने हुए रहते हैं, लेकिन आबकारी नियम 1956 का जो 75 नियम बना हुआ है, 75 के नियम के तहत में यहां पर कोई पाबंदी नहीं है कि जो दुकान लगेगी, क्या उसके लिए भू-परिवर्तन करवा लिया? इसमें कहीं पर भी भू-परिवर्तन करवाने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं। आपने जैसे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि स्टेट हाइवे पर 220

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मीटर दूर और नेशनल हाइवे पर 550 मीटर दूर तक। तो क्या 500 मीटर तक 24 फुट रोड पर भू उपयोग परिवर्तन करने के लिए खातेदार राज़ी हो जाएगा? यह चल ही नहीं पाएगा, इसलिए आबकारी एक्ट में यह लिखा गया कि इसमें किसी भी प्रकार भूमि उपयोग का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

सवाल यह है कि आपने सिद्धरत गांव के लिए लिखा है। उसमें आपका यह कहना था कि वहां पर उसको शहरी क्षेत्र बताते हुए, जबकि वह ग्रामीण क्षेत्र में है। उसको शहरी क्षेत्र बताते हुए वहां के डी.ई.ओ. ने वहां पर परमिशन दे दी। कुल मिलाकर आपका यह केस है। मेरा निवेदन यह है कि निश्चित तौर पर यह बात एक्जामिन करवा ली गयी है कि वाकई गलती से या जानबूझकर, कोंसपिरेसी करके, जो इंस्पैक्टर था उसने यह रिपोर्ट की कि यह शहरी क्षेत्र में आता है। ग्रामीण क्षेत्र पर वहां पर लोकेशन मंजूर करवा दी गयी है। मंजूर करने के लिए उन्होंने डीईओ को लिख दिया है। इसमें मैं आपसे इतना-सा ही निवेदन करना चाहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस आदमी ने गलती की है, जिस इंस्पेक्टर ने गलती की है, उसको बाकायदा 16सीसी का नोटिस दे दिया गया है, एपीओ कर दिया गया है और वहां से रिलीव कर दिया गया है। सवाल रहा डीईओ का, डीईओ को भी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 131 का माननीय मंत्री जी पहली बार रिप्लाई दे रहे हैं। मैंने 131 में लिखित में आपके माध्यम से सरकार को नोटिस भेजा है। पहले तो आपको उसका पूरा रिप्लाई हाउस में पढ़ना चाहिए। मेरे नोटिस का रिप्लाई क्या है, वह पढ़िए, उसके बाद मैं आप से पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, don’t compel. It’s not 131.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, 131 में यही होता है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, ऐसा नहीं है। आपने पूछ लिया। इन्होंने जवाब दे दिया। आपने कहा कि पढ़ें, मंत्री जी को नहीं पढ़ना है। प्लीज आप बैठें। आप अपनी बात बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऐसा पहली बार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात बोलें, जो बोलना है। आपने जो 131 दिया है, उस पर बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने पूछा है उसका जवाब तो हाउस के रिकार्ड पर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बोलें न। आपने जो 131 दिया है, सरकार ने जवाब दिया है, तब हमने लगाया है। आपको जो बोलना है, बोलिए। 131 में यह नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने विधान सभा को जो लिखित उत्तर भेजा है कि आबकारी नीति में आबकारी दुकान के लोकेशन के लिए श्रेणी वाणिज्यिक या अन्य निर्धारित नहीं है। तो यह बताइये कि आबकारी नीति को मास्टर प्लान के प्रावधान, म्युनिसिपल एक्ट के प्रावधान और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कन्वर्जन रूल से एग्जेम्प्ट कब किया गया? आप पहला जवाब यह दें। दूसरा यह दें कि...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक-एक का जवाब ही देता जाऊं मैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, ऐसा नहीं होगा। एक-एक का जवाब नहीं होगा। ऐसे अंत नहीं होगा, 131 भी कोई सिस्टम है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के लोगों की शराब की दुकान की पीड़ा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत डिटेल आर्डर किया कि जहां मर्जी हो, वहां आप कहीं दुकान नहीं लगा दें। लोग रह रहे हैं, मकानों के बीच में दारू की दुकान खड़ी कर दी। कहीं लोहे का ताबूत खड़ा कर दिया, कहीं लकड़ी का ताबूत खड़ा कर दिया। वहां छोटे-छोटे बच्चे पास में रहते हैं। उनसे गाली-गलौज करते हैं। वहीं दारू पीते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि आपने जितने गोदाम स्वीकृत किये हैं। उन गोदामों से भी दारू बिक रही है। आंगनबाड़ी केन्द्र पर छोटे बच्चे जाते हैं। यह तो आप भी मानते होंगे। उससे दस मीटर दूरी पर तरतोड़ी में आपने दुकान मंजूर कर रखी है। एक जो मैं सिद्धरत की दुकान का कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आर्डर टेबल कर रहा हूं। खाली सिद्धरत का नहीं है, उसके साथ तीन दुकानें सिर्फ सिरोही की म्युनिसिपल पैरीफेरी में इस कोंसपिरेसी के तहत पैसे लेकर ये दुकानें इस तरह से मंजूर की हैं। आप एक्साइज पालिसी के अंदर म्युनिसिपल एक्ट के प्रोविजन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कन्वर्जन रूल्स और मास्टर प्लान, इन तीनों को इन-कारपोरेट करेंगे या नहीं करेंगे। यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सब विभागों के अलग-अलग नियम बने हुए हैं और एक्ट बना हुआ है। एक्साइज एक्ट में कहीं पर भी यह प्रोविजन नहीं है कि कोई शराब की दुकान किसी कमर्शियल लैंड पर खोली जाएगी, एक बात। दूसरी बात, आपने यह बताया कि यह मास्टर प्लान के तहत जरूरी है या उसके तहत जरूरी है या रेवेन्यू बोर्ड के तहत जरूरी है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो यूडीएच के द्वारा जो बिल्डिंग बायलाज बनाये हुए हैं कि कमर्शियल के लिये भूमि उपयोग परिवर्तन कराना आवश्यक है। लेकिन पर्यटन विभाग ने नियम बना दिया कि अगर हैरिटेज होटल है, तो वहां पर परिवर्तन करवाने की जरूरत नहीं है। सब के अलग-अलग हैं। आप यह जो कहना चाहते हैं कि करेंगे या नहीं करेंगे, यह तो आगे की बात है कि यह शामिल होगा या नहीं होगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि न तो दुकान खोलने के लिये पंचायत से पूछने की आवश्यकता होती है और न ही उसको कमर्शियल करवाने की आवश्यकता होती है। आपका सवाल जहां तक इस बात का है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले निर्णय दिया था कि 500 मीटर और 200 मीटर, यह नेशनल हाइवे पर लागू होगा और स्टेट हाइवे पर भी लागू होगा। यह नगर पालिका क्षेत्र में भी लागू होगा, लेकिन बाद में इसे बदल दिया। बदलकर नगरपालिका क्षेत्र में बिल्कुल फ्री कर दिया। आप एक दुकान के बराबर में दूसरी दुकान लगा सकते हो, लेकिन वहां पर नहीं किया, आउट आफ नगरपालिका क्षेत्र में।

कुल मिलाकर आप तीन गांवों के बाबत बता रहे हो। आपने इसमें सिर्फ एक गांव सिद्धरत के लिए लिखा है। आपकी शिकायत पर सिद्धरत में लोकेशन बदल दी गयी है। बाकायदा मैंने आपको जैसे बताया कि एक्साइज इंस्पेक्टर को एपीओ कर दिया गया है। उसको 16सीसी का नोटिस दे दिया गया है और उसको रिलीव कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर की सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी की वजह से भी उसको नोटिस दे दिया गया है। जो आपने बताये हैं, उसकी आप शिकायत लिखकर दे दें, उसकी भी हम कार्यवाही करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, 131 लगा है इसलिए मैं बता रहा हूं। जब आबकारी नीति बनी थी, उसके बाद आबकारी पालिसी में बहुत परिवर्तन हो गये। अब आबकारी पालिसी में यह परिवर्तन हो गया है कि अलग-अलग

(श्री अध्यक्ष)

जगह दुकानें खुल सकती हैं। जब अलग-अलग दुकानें खुल सकती हैं। आबकारी में यह प्रोविजन नहीं है कि दुकान कहां पर खुलेगी। उसका यह नुकसान हो रहा है कि पंचायत में दुकान खुलती है तो उसका रेवेन्यू पंचायत को नहीं मिलता है। नगरपालिका में खुलती है तो नगरपालिका को रेवेन्यू नहीं मिलता है और मनमर्जी से जहां चाहते हैं वहां दुकान खुल जाती है। अब समय आ गया है कि आबकारी एक्ट को दोबारा देखा जाए। In the light of the new policy of Excise, जो कि नई बन रही है। इससे न तो स्टेट को रेवेन्यू का लोस हो और न लोकेशन इस तरह की बने, जहां लॉ एंड आर्डर की प्रोब्लम हो। समाज में ऐसी जगह दुकान न खुल जाए, जो मंदिर के पास हो, स्कूल के पास हो, आंगनबाड़ी के पास हो। इस दृष्टि से इस बारे में सरकार सोचे और इसका निर्णय करने का काम करें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। मैं चर्चा समाप्त बोल चुका हूं। प्लीज।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) (वर्ष 2017-18)

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त) एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) (वर्ष 2017-18)

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)।

घोषणा/व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं व्यवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं।

विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है।

जब मांग मतदान के लिए आती है, उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि यह कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, यह वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वह अपने सारे कटौती प्रस्ताव पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जाएंगे। उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्ताव के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री हरीश चौधरी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 8-राजस्व की प्रस्तुति

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-8 राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले...

श्री अध्यक्ष: नहीं, खाली मांग रखें। अच्छा ठीक है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): ...को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 08,36,54,04,000/- (आठ अरब छत्तीस करोड़ चौवन लाख चार हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

(मांग संख्या-8 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 9-वन की प्रस्तुति

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9-वन के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 08,59,31,34,000/- (आठ अरब उनसठ करोड़ इकतीस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-9 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री भंवरलाल जी, पर्यटन।

मांग संख्या 47-पर्यटन की प्रस्तुति

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 47-पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,51,38,000/- (चौरासी करोड़ इक्यावन लाख अड़तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-47 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

मांग संख्या 8, 9 व 47 पर विचार

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 8 राजस्व, मांग संख्या 9-वन और मांग संख्या 47-पर्यटन पर विचार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, संयोगवश मुझे इस सदन में आते हुए काफी वर्ष हो गये। मांगों पर विचार हो, माननीय सदस्य अपनी बात कहें। मंत्री महोदय सरकार की तरफ से उत्तर दें। परन्तु आफिसर गैलेरी की ऐसी हालत मैंने कभी नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

देखी। तीनों विभागों के प्रिंसिपल सैक्रेटरी आज आफिसर गैलेरी से अनुपस्थित हैं। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आ जाएंगे। जल्दी डिमांड शुरू हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, अध्यक्ष महोदय। परन्तु यह परम्परा, यह परिपाटी इस लोकतंत्र को कमजोर करने वाली परिपाटी है। आप जैसा व्यक्ति आसन पर विराजे, इसलिए मैं आपके संज्ञान में यह बात लाया हूं।

अध्यक्ष महोदय, वन और पर्यावरण मानव की सभ्यता के साथ चोली-दामन का साथ इनका रहा। आज हालात यह बन गये हैं, विकास की होड़ में, बदली हुई जीवनशैली से और हमारी टूटती हुई परम्पराओं से कि प्रकृति से हमने जो छेड़छाड़ की, दूषित हुए पर्यावरण के कारण से, घटते हुए वनों के कारण से, विश्व मंच पर अब इस बात की चिंता की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मानव जब उत्पत्ति के दौर में था तब वनस्पति और उसका साथ, साथ-साथ हुआ है और मैंने एक पुस्तक सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास- युवाल नोआ हरारी की पढ़ी। उस पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूं कि मानव सभ्यता जब आकार ले रही थी तब सृष्टि के अंदर वनस्पति उसके साथ-साथ आकार में बढ़ रही थी। निश्चित तौर पर वन और वनस्पति का एक अटूट रिश्ता मानव से बना। कभी जंगल में समूह बनाकर मानव रहा करता था। परन्तु सुविधाओं की दौड़ में, बढ़ते हुए विकास की होड़ में मानव उन जंगलों का दुश्मन बन गया। आज हालत क्या बन गई? अब इस विकास के विस्तार और औद्योगीकरण की होड़ के अंदर पर्यावरण इतना बिगड़ा, ग्रीन गैसों का उत्सर्जन इतना हुआ कि इस उत्सर्जन ने धरती का तापमान बढ़ा दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसी दिसम्बर, 2018 को पोलेंड के कटोविस एक जगह पर 200 देशों के प्रतिनिधि विश्व मंच पर इकट्ठे हुए, 200 देशों के बीच में एक सहमति बनी कि जो पेरिस का समझौता, माननीय मंत्री महोदय जो 2015 में हुआ था, जिसमें हिन्दुस्तान भी सिग्नेट्री है। उस पेरिस के समझौते को यथावत् लागू करना आज की आवश्यकता है। जो 2015 में पेरिस का समझौता हुआ, उसमें यह निर्णय हुआ था, सब लोगों के बीच में सहमति बनी थी कि 2030 तक भारत के अंदर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन 30 परसेंट कम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

होगा। यह कम कैसे हो? इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता, उस वक्त देश के विचारकों ने, चिंतकों ने इस बात की कि जब तक वनों का विस्तार नहीं होगा, पर्यावरण में शुद्धता नहीं आएगी।

अध्यक्ष महोदय, अभी जैव विविधता पर 2017 के अंदर छठी रिपोर्ट आई। उसमें लिखा है कि पृथ्वी का तापमान पिछले दस वर्षों में एक डिग्री सेन्टीग्रेड बढ़ गया। समुद्र का जलस्तर बढ़ गया और इस जैव विविधता के संकट से हजारों वनस्पतियां और सैकड़ों पशु-पक्षियों का अस्तित्व मिट गया। अध्यक्ष महोदय, आप खुद गांव के रहने वाले हैं। कभी गांव के अंदर कोई पशु मृत होता था तो सबसे पहले गिद्ध आते थे। आज वह गिद्ध हमारे देखते-देखते लुप्त हो गये। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस बिगड़े हुए पर्यावरण ने, दूषित पर्यावरण ने कई वनस्पतियों को मिटा दिया।

(12.56 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

जैविक विविधता पर संकट खड़ा हो गया। सभापति महोदय, अभी यूएनए के क्लाइमेट पैनल्स, 2017 की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह आया कि इस सदी के अंत तक समुद्र के जल का स्तर दो मीटर बढ़ेगा, यानी साढ़े छह फीट बढ़ेगा। न्यूयार्क और शंघाई, मैं समझता हूं कि विश्व के मानचित्र पर ये दोनों शहर और इनके औद्योगीकरण, जो यूएनए क्लाइमेट पैनल कह रहा है कि ये दोनों शहर समुद्र में समा जाएंगे, धरती का तापमान 5 डिग्री बढ़ जाएगा और मुख्यत: ग्रीन गैसों का उत्सर्जन वायुमंडल को ऐसा कर देगा, कार्बन डाई आक्साइड बढ़ जाएगी और कई प्रकार की बीमारियां इस विश्व में महामारी के रूप में आएंगी।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान, ह्यूमन डवलपमेंट पर मंत्री महोदय अभी एक रिपोर्ट आई है। ह्यूमन डवलपमेंट की रिपोर्ट कह रही है कि ग्लोबल वार्मिंग का अगर यह दौर इसी तरह चलता रहा तो जो फसल का चक्र है, वह फसल का चक्र बदल जाएगा। भारत जैसे देशों के अंदर अपने गेहूं, दाल और चावल, हम कितने ही फर्टिलाइजर ले आएं, हम कितनी ही जैविक खेती की बात कर लें परन्तु जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ह्यूमन डवलपमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है कि इनका उत्पादन कम हो जाएगा और खाद्य सुरक्षा, जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है। जीने का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिकार तो तब मिलेगा जब उसको खाद्यान्न मिलेगा। यह रिपोर्ट कह रही है कि खाद्य सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और यह भी कह रही है कि इस सदी के अंत तक दुनिया की आधी आबादी को भूखा रहना पड़ेगा। खाद्यान्न में इतनी कमी आ जाएगी।

सभापति महोदय, ओजोन की परत में क्षरण हो रहा है। उसके कारण तापमान बढ़ रहा है। हिमग्लेशियर का पिघलना निरन्तर जारी है। मैं यह पृष्ठभूमि इसीलिए बता रहा हूं कि आज यहां पर ही नहीं, विश्व मंच पर जो चिंताएं हो रही हैं, उस चिंता का मुख्य कारण है वनों का दुश्मन, औद्योगीकरण और विकास की इस होड़ के अंदर मानव बन गया। जो 2015 के अंदर पेरिस में समझौता हुआ था, उसमें सिग्नेट्री सारी कंट्रीज ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग एक चुनौती है मानव सभ्यता के सामने। दो डिग्री तापमान कम करने के लिए सब लोग सहमत हुए थे। इस बात पर भी सहमत हुए थे कि वनों के विस्तार के रूप में हमें अपने-अपने देशों में योजना बनानी पड़ेगी। पर्यावरण की शुद्धता का वनों के विस्तार से संबंध है।

(13.00 बजे)

सभापति महोदय, जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है। इस तेज रफ्तार की दौड़ में आपने देखा होगा, आप तो स्वयं बहुत सेवा भावी रहे हैं। आजकल कैंसर आम बीमारी बन गई है, जल प्रदूषण भी उसमें एक कारण है। फैफड़ों का कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग। सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा 2017 में स्टेट आफ ग्लोबल एयर इंडेक्स जारी हुआ है, वह यह कह रहा है कि इस हिन्दुस्तान के अंदर वायु प्रदूषण से हर साल 12 लाख लोगों की मौत हो रही है। हर साल 12 लाख लोग हिन्दुस्तान में काल कवलित इसलिए हो रहे हैं कि वायु प्रदूषण, वनों की कमी बढ़ गई।

सभापति महोदय, ग्रीन पीस संस्था है, उसने एक सर्वेक्षण किया कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित 50 शहर कौनसे हैं। उन शहरों के अंदर राजस्थान के शहर शामिल हैं। विश्व के 50 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर उसमें जयपुर है, जिस राजधानी में, सभापति महोदय, आप विराजते हैं, जोधपुर है जहां मुख्य मंत्री जी विराजते हैं, पाली, उदयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा है। इन सबकी हवा के जो पर्टिकूलर मैटल हैं वह 2.5 परसेंट से कम रहना चाहिए जो इससे कहीं अधिक है। इसीलिए एयर इंडेक्स हमें लगातार चेतावनी दे रहा है कि वायु प्रदूषण वनों के ह्रास के कारण से हो रहा है, यह आने वाले समय में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम सबके लिए चुनौती बनेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह शहर सांस नहीं ले रहे हैं, यह शहर हांफ रहे हैं। इस बदलती परिस्थिति के अंदर, हमारे शरीर पर, हमारे जन जीवन पर यह प्रदूषण छाप छोड़ता जा रहा है।

सभापति महोदय, मुदित फर्म है जो कंसल्टिंग का काम करती है, उसने कहा है कि 2021 तक धरती का तापमान 2 डिग्री सैल्सियस बढ़ेगा, तो विश्व की अर्थव्यवस्था पर 29 खरब डालर का नुकसान। यही नहीं, अभी ग्लोबल एन्वायर्नमेंटल आउटलुक की रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट यह कह रही है हम अंधाधुंध कैमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, हम धरती की उर्वरक शक्ति को कम कर रहे हैं। उर्वरक शक्ति से जो खेती होने का रकबा है वह रकबा निरन्तर मिटेगा। यह आज की हालत मैंने इसलिए रखी है, यह मेरे विचार नहीं हैं, मैंने जिन-जिन रिपोर्टस का यहां उल्लेख किया है, उन रिपोर्टस के आधार पर जो भयावह स्थिति है क्योंकि आज सदन विचार कर रहा हैं, मैंने सदन के सामने रखी है।

सभापति महोदय, आप ज्ञानी भी हो। हम प्रकृति के साथ किस प्रकार जिएं, हमारी धर्म संस्कृति ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले हमें संदेश दे दिया, जंगल नहीं कटे, हम वृक्ष के साथ रहें। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा पहले गांव में कुआं बनता था, कुएं के पास एक छायादार पेड़ जरूर लगता था, छायादार पेड़ को कोई नहीं काटे, धार्मिक मान्यता यह थी कि यह पेड़ देव का वास है। उस पेड़ को कोई नहीं काटता था।

सभापति महोदय, आप ध्यान कर लें, आपके जीवन में भी कुआं पूजन हुआ होगा। हम नदी को मां मानते हैं, हम कुएं की पूजा करते हैं, हम जोहड़ की पूजा करते है, हम तालाब की पूजा करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके पीछे मंतव्य क्या था। मंतव्य सिर्फ यही था कि हमारा जल है वह प्रदूषित नहीं हो। जल संरक्षण के साथ-साथ इसको देव मानकर इसकी शुद्धता के लिए सब चिंता करें।

सभापति महोदय, मैं पांच वृक्षों का वर्णन करूंगा। वर्णन इसलिए करूंगा कि ब्रहम पुराण और वेद पुराण में इनको देववृत कहा गया है। पीपल दिन-रात आक्सीजन छोड़ता है। सभापति महोदय, ब्रहम पुराण और देव पुराण आपने पढ़ा होगा और यह दृष्टांत भी पढ़ा होगा कि एक बार ऐसा समय आया था जब देव और असुरों में युद्ध हुआ। असुर जीत रहे थे भगवान विष्णु देवों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अस्तित्व को बचाने के लिए, जितने देव थे उनको ले जाकर पीपल के वृक्ष के पीछे छुप गये, तब से यह मान्यता बनी कि पीपल के अंदर विष्णु का वास है, इसीलिए कहते हैं कि पीपल की पूजा करते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। नव ग्रह स्थान, यह मैं नहीं कह रहा, यह लिखा हुआ, ब्रह्म पुराण, आप जैसे ज्ञानी लोगों ने इस समाज को पढ़ाया, उसमें लिखा है कि नवग्रह की अगर शांति चाहते हैं तो पीपल की पूजा करें। आयुर्वेद में इसको कल्पवृक्ष भी कहा गया है। पीपल को काटना, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि दिन-रात आक्सीजन छोड़ता है।

सभापति महोदय, मैं लखनऊ गया था। वहां पर मायावती जी ने अपने शासनकाल में एक पूरी सड़क पर लगभग 500-600 पीपल लगा दिए, उस पीपल स्ट्रीट पर लोग सुबह घूमने जाते हैं। वास्तव में ताजगी और पर्यावरण की दृष्टि से वह बहुत बड़ा काम है। इसलिए मेरा सुझाव है, हम बहुत से वृक्षारोपण करते हैं लेकिन जब हमें मालूम है साइंटिफिक रूप से यह पेड़ दिन-रात आक्सीजन देता है, तो हमारी जितनी भी नगरपालिका हैं, नगर परिषद हैं, उनमें पीपल का वृक्षारोपण क्यों नहीं कर सकते, निश्चित तौर पर इस पर सरकार विचार करेगी यह मेरा विचार है।

सभापति महोदय, दूसरा पेड़ है बरगद, आपके घर के पास भी है। विष्णु पुराण में लिखा है कि बरगद के पेड़ में तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों ही रहते हैं। बरगद का पेड़ भी रात-दिन आक्सीजन छोड़ता है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण में कहां लिखा है, किस चैप्टर में लिखा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है यह तो मैं नहीं कह सकता। बाकी पीपल और बड़ पक्षियों को भोजन देता है, प्राणियों को आक्सीजन देता है। इधर और इधर, दोनों पक्ष के माननीय सदस्य चिंतित हैं, हालत आपकी वह हो रही है जैसे टोबेको पर लिखा रहता है, सिगरेट पर लिखा रहता है कि खाना मौत का कारण बन सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है, फिर भी सब लोग खाते हैं। आप सबको पता है कि पेड़ काटने से प्रकृति का नुकसान हो रहा है, फिर भी पेड़ काट रहे हैं।

मेरा आप सभी से आग्रह है और सुझाव है। माननीय 200 सदस्य यहां विराजे हुए हैं। इस बात का संकल्प लें कि आपके विधायक कोष से हर वर्ष, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एक हजार पेड़ हर वर्ष आप लगाएंगे।

(श्री सभापति)

पांच वर्ष बाद उसका सोशल आडिट होगा, उसका अंकेक्षण होना चाहिए। पांच वर्ष बाद यह एंश्योर होना चाहिए कि हर विधायक ने अपने विधायक कोष से पांच हजार पेड़ अपने विधान सभा क्षेत्र में लगाए। एक-एक फीट वाली डालियां मत रोप देना, कम से कम 10-12 फीट का पेड़ लगाना। यह सुनिश्चित करें कि उसका आडिट हो, सोशल आडिट हो, कि पांच वर्ष बाद आपने जो पेड़ लगाए हैं वह कम से कम 20-20, 30-30 फीट के बन चुके, ताकि आपकी चिंता का समाधान भी हो जाए और लोगों को आक्सीजन भी मिले। (व्यवधान) आप संकल्प ले रहे हैं क्या? विराजिए, विराजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): आप सरकार को निर्देश दें कि विधायक कोष से वृक्षारोपण का प्रावधान करें।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): गाइडलाइन में अनुमति दिलाओ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय। मैंने आप लोगों के सामने एक संकल्प रखा, आप सबकी सहमति है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बिलकुल, हां।

श्री सभापति: तो एक प्रस्ताव लीजिए, दोनों पक्ष के माननीय सदस्य हमारे मुख्य मंत्री महोदय को लिखकर दें कि विधायक कोष से हर विधायक एक हजार पेड़ एक साल में लगाएगा और उसकी पांच साल बाद सोशल आडिट होगी, यह प्रस्ताव करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंजूर।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आपने एक नया मुद्दा, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी गाय के नाम पर होने वाला ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं अलाउ नहीं करूंगा ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मुद्दा छीन लिया ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सौहार्द्रपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आपकी बात को...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए। इतने गम्भीर मुद्दे को ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बिगाड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अभी जो चर्चा चल रही है मैं उस पर अलाउ नहीं करूंगा। संकल्प रखा है उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसको आप इधर-उधर ले जा रहे हैं, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) धन्यवाद नहीं, आप सब संकल्प लीजिए, 200 माननीय विधायक संकल्प लें जो मैंने बात रखी है उसके लिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पेड़ लगाने का नरेगा में पहले से ही प्रावधान है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपने असली स्टेटमेंट बोला है, पर्यावरण के प्रति प्यार करने वाला व्यक्तित्व बोला है।

सभापति महोदय, आप एक बात बताएं, ये महेशजी मेरे साथ विश्वविद्यालय में थे, बिलकुल सहपाठी थे। महेशजी, राजेन्द्र राठौड़ के मुंह से वेद पुराण और ब्रह्म पुराण की बात हो, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा आपको! समय के साथ-साथ, सभापति महोदय, जो नहीं बदलते हैं, उन्हें मिटना पड़ता है। पुरानी बातें, पुरानी यादें यहां छोड़ो और इन वेदों की तरफ लौटो, यह मेरा आपसे निवेदन है। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं बोलूं, मेरा नाम लेकर बोल रहे हैं, चूरू से आने वाले जो मेरे माननीय मित्र हैं, मेरे को तो आप पहले भी अच्छे लगते थे।

श्री सभापति: मुझे पता है कि आप दोनों जिस वृक्ष के नीचे बैठते थे, वह वृक्ष आज हरियाली में फला-फूला है और आज भी पर्यावरण को फूल दे रहा है।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): नहीं, माननीय सभापति महोदय, मेरे को तो ये पहले भी अच्छे लगते थे। ये खुद ही अपने आपको गलत ठहरा रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं इसलिये यह बात कह रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापतिजी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने एक्स-प्रेसीडेंट हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आज आपने देखा होगा कि मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं वन जैसे विषय पर आलोचना की बात भी नहीं कर रहा। आज आवश्यकता इसकी है, हम समालोचना करें, हम सामूहिक आत्म-चिंतन करें। इसलिये सभापति महोदय, मैंने मेरे पहले, जो शुरुआत की, उसके अन्दर हालत बताई। अब मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आज भी हमारी परम्परा, हमारी धर्म-संस्कृति को थोड़ा-सा हम याद कर लें तो हम वापस इस पर्यावरण की जंग में अपने आपको शामिल कर सकते हैं। सभापति महोदय, आपने जो प्रस्ताव दिया, हालांकि मैंने प्रतिपक्ष के नेता महोदय से बात नहीं की, पर मैं इनका स्वभाव जानता हूं। अगर सरकार संकल्प लेकर आएगी तो हम संकल्प के साथ खड़े मिलेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी इन दिनों हमारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हर बूथ के ऊपर हमारे सौ सदस्य बन रहे हैं। उसमें हमने रखा क्या है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन में प्रतिपक्ष के नेता को, इन्होंने सुझाव दिया, कल्लाजी, कि आप जब सदस्य बनाओ तो पंचवटी, मतलब पांच वृक्ष हर हालत में हर बूथ पर लगाओ। यह हमारा संकल्प है। मैं मन से कह रहा हूं।

सभापति महोदय, इसलिये मैं कह रहा था, जिस तरह मैंने पीपल की व्याख्या की, मैं बरगद की बात कर रहा हूं। इसमें तीनों देवताओं का वास है। यह भी दिन-रात आक्सीजन छोड़ता है और आवश्यकता इस बात की है कि सरकार ऐसे पौधों की पौध तैयार करे, नि:शुल्क आबंटन करें।

तीसरा पौधा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वह नीम है। हमारे साइंटिफिक अध्ययन यह कह रहे हैं, वैज्ञानिक शोध यह कह रहे हैं कि आम पौधों व पेड़ों से नीम का पेड़ 25 प्रतिशत ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है और जिस जगह पर नीम का पेड़ है वह तापमान को 10 डिग्री कम करता है। आप नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर देख लेना।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वनों के विस्तार के नाम पर विलायती बबूल को लगा देना यह वन मंत्रीजी, मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मैं भी उसी इलाके से आता हूं। वृक्षारोपण के नाम पर विलायती बबूल को लगाकर हम इतिश्री कर लेते हैं। हमारे राजस्थान के क्लाइमेट को नीम सूट कर रहा है। आप नीम को लगाने के लिये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस बार यह रखें कि नीम के पेड़ अधिक से अधिक लगाएं। सभापति महोदय, इसी तरह से बिल्व-पत्र है। आपने बहुत चढ़ाए हैं, मैं जानता हूं, आप शिव भक्त हैं। इसी तरह से गूलर है। ये जो पांचों पेड़ मैंने बताये, हमारे शास्त्र यह कहते हैं कि इन पांचों पेड़ों में हमारे देवताओं का वास है। इसीलिये धार्मिक मान्यता के आधार पर अगर इन पेड़ों का वृक्षारोपण हम ज्यादा करेंगे तो आम आदमी, सभापति महोदय, धर्मभीरु है, गांव के व्यक्ति को अगर मालूम पड़ जाए कि इस काम को करने से पाप लगता है, वह काम नहीं करता है।

सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान, मंत्री महोदय, अपना राज्य-पुष्प क्या है, आपको ध्यान होगा। रोहिड़ा का जो फूल है वह हमारा राज्य-पुष्प है। यह जो आपने पुस्तक दी, इसी में मैंने देखा, पुष्प भी रंग-बिरंगे आते हैं। यह रोहिड़ा, जिसको मारवाड़ी-टीक भी कहते हैं, अब संकट के दौर से गुजर रहा है, 50 डिग्री तापमान में अगर कोई पेड़ खड़ा रह सकता है, चूरू, सीकर, झुंझुनूं में तो वह रोहिड़ा का पेड़ है नागौर में भी। इसलिये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस मिटते हुए रोहिड़े को हम किसी तरह आगे और बढ़ाएं। इसके लिये निश्चित तौर पर बात करनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं खेजड़ी की चर्चा इसलिये करूंगा कि मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां गांव के अन्दर आज भी खेजड़ी ही खेजड़ी खड़ी है। इस खेजड़ी को हमने राज्य-वृक्ष का दर्जा भी दे रखा है। शास्त्रों में इसको शमी वृक्ष भी कहते हैं। मंत्री महोदय, आज यह संकट के दौर से गुजर रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। अभी आपकी जो आफरी संस्था है, उसका जो लेटेस्ट सर्वेक्षण हुआ है, आप नैट पर जाकर, आफरी संस्था ने अभी जो सर्वेक्षण खेजड़ी पर किया है, उसने क्या कहा, सभापति महोदय, कि विगत दस वर्षों में खेजड़ी का पेड़, 70 प्रतिशत खेजड़ी नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं में होती है, खेजड़ी के वृक्षों में आधी कमी आई है। दुनिया के लोग यह कह रहे हैं कि वृक्ष बढ़ाओ, लगाओ और आपकी खुद की सरकारी संस्था का सर्वेक्षण यह कह रहा है कि खेजड़ी के पेड़ों के अन्दर 50 फीसदी इसकी कमी हो गई। इसके लिये अंधाधुंध कटाई, इसका प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, भौतिक कारण भी हो सकता है, जो मैंने आपको कहा कि मैं आज आलोचना के लिये खड़ा नहीं हुआ, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, किस तरह से कटाई हो रही है, क्या हो रही है, अपन फिर मिलेंगे तब बात कर लेंगे। पर मैं यह कह रहा हूं कि यह खेजड़ी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, सांगरी की सब्जी आपको बहुत पसंद है, सांगरी की सब्जी कितनी पौष्टिक है, इस खेजड़ी के जो पत्ते हैं, हमारी भेड़-बकरियां कितनी, आप कितने समय तक इसको संरक्षित रख के कर सकते हो। इसकी जो छाल है, अगर खांसी और अस्थमा हो, मैं बताऊंगा, इसके उपयोग से खांसी और अस्थमा भी ठीक हो सकता है।

सभापति महोदय, राजस्थान को गौरव है। राजस्थान में खेजड़ली की घटना, 250 वर्ष पहले की घटना, 1730 भादवा सुदी दशमी की घटना, पेड़ों को बचाने के लिये एक साथ 363 लोग बलिदान हो जाएं। 69 महिलाएं और 294 पुरुष बलिदान हो जाएं, विश्व के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ। आज आने वाली पीढ़ी को मालूम नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि खेजड़ी और खेजड़ली की इस घटना पर निश्चित तौर पर कोई वृत्त चित्र बनना चाहिए, डाक्यूमेंट्री फिल्म बननी चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम में इस प्रकार की बातें सम्मिलित होनी चाहिए, हैं भी, मेरे को जो बताया गया। सभापति महोदय, इसलिये मेरा सुझाव है कि यह खेजड़ी की जो कलम या खेजड़ी की जो पौध है, इसको आप तैयार करें। खेजड़ी की पौध को तैयार करके आप इंसेंटिव दें आप, जितनी हमारी योजनाएं हैं, अलग-अलग योजनाएं, जिसमें हम सब्सिडी देते हैं, उसमें किसी न किसी शर्त में इसको डालें कि आपको इस काम के लिये, 50 प्रतिशत इंसेंटिव ड्रिप इर्रिगेशन में ले रहे हों तो आपको इसके साथ खेजड़ी के इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर आप यह करेंगे तो पर्यावरण के लिये बहुत बड़ी बात हो जाएगी।

सभापति महोदय, अभी कनाडा के अन्दर एक सर्वेक्षण हुआ था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट, कनाडा की, उसमें यह लिखा है कि अगर घर में दस पेड़ हों तो जीवन सात साल बढ़ जाता है। घर में दस पेड़ हों, मैं नहीं कह रहा, दस पेड़ घर में लगे हों तो आपकी औसत आयु में, यातायात मंत्रीजी, सात साल की वृद्धि होगी। सभापति महोदय, उसी में यह भी बताया कि एक सामान्य पेड़ एक साल के अन्दर 20 किलो फूल, 20 टन कार्बन डाइआक्साइड, एक साल में, और एक लाख वर्ग मीटर में दूषित हवा को फिल्टर करने का काम करता है। क्या यह कम काम है! और एक पेड़ के नीचे अगर आप चले जाओ, अगर पेड़ लगा दो, तापमान भी वह चार डिग्री कम करता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में बना और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनी। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अन्दर यह लक्ष्य रखा गया था कि हमारे भू-भाग का 33 प्रतिशत वन हो। इस विषय की गम्भीरता कितनी थी। पहले यह विषय स्टेट लिस्ट में था। इसके लिये संविधान में 42वां संशोधन हुआ। संसद में बैठकर सांसदों ने कहा, नहीं, यह एक ऐसा विषय है, जो जीवन से जुड़ा हुआ है यह कान्करेंट लिस्ट में आना चाहिए। आज यह समवर्ती सूची का विषय है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, भारत के अन्दर इस वक्त, फरवरी, 2017 में भारत के वन स्थिति की जो पन्द्रहवीं रिपोर्ट है, उसमें हमारे 24.4 प्रतिशत वन हैं। सभापति महोदय, राजस्थान को एक गौरव और प्राप्त है। 2010 में राजस्थान अकेला ऐसा राज्य था जहां वन और पर्यावरण नीति बनाई गई।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो 32737 किलोमीटर में वन क्षेत्र दर्ज है, इसका कुल प्रतिशत 9.5 है। हमारी जो वन नीति है वह यह कहती है कि 30 परसेंट करो और इसके अंदर भी 32737 किलोमीटर में जो रिजर्व फोरेस्ट हैं, जिसमें किसी प्रकार की कटाई नहीं हो सकती, वह है 12475 किलोमीटर और जो प्रोटेक्टेड फोरेस्ट है, सुरक्षित वन हैं, वह हैं 18271 किलोमीटर तो, मंत्री महोदय, अभियान चलाओ, योजना बनाओ। यह जो आपका सुरक्षित वन है, इस वन क्षेत्र को आप किस प्रकार रिजर्व फोरेस्ट में लेकर जाओ ताकि हमारा वन हमेशा के लिए सुरक्षित जोन में आ जाए।

मंत्री महोदय, मैं अब आपका ध्यान राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 2 (4) की ओर दिलाना चाहता हूं। आपने उसमें वन सम्पदा को डिफाइन किया है। इतनी व्यापक डेफिनेशन उसकी है, यह आज का नहीं है, यह हमारे टाइम में भी था, माननीय सभापति महोदय, हो क्या रहा है, मैं मेरे खेत के अंदर पेड़ लगाता हूं। पेड़ सूख गया या पेड़ आंधी से गिर गया। मैं उस पेड़ को अपने घर में लेकर आता हूं, उस पेड़ की लकड़ी के उपयोग के लिए तो रास्ते में मुझे पुलिस मिलती है या फोरेस्ट के अफसर मिलते हैं तो जो इसकी धारा 52 है उसके अंदर इसको सीज कर लेते हैं क्योंकि वन सम्पदा की डेफिनेशन में यह है इसलिए मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसके अंदर कोई न कोई संशोधन आपको निश्चित तौर पर लाना चाहिए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है, यह मैंने पहले भी कहा कि हमारे एक डी.डी.पी. का प्रोग्राम चला, वृक्षारोपण के नाम पर अनेकों प्रोग्राम चले, केन्द्र सरकार की अनेकों योजनाओं के करोड़ों-करोड़ों रुपये आए पर लगाया क्या आपने? विलायती बबूल। आओ तो विलायती बबूल, चलाओ तो विलायती बबूल। मैं समझता हूं कि इस विलायती बबूल के नीचे न तो खेती होती है, इसका कोई उपयोग नहीं है इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे रेगिस्तान का भूभाग 70 परसेंट से ज्यादा है तो उसकी जो प्रजाति है आप खेजड़ी लगाओ, रोहिड़ा लगाओ, आप कुमटिया लगाओ, आप जाल लगवाओ, बेर लगवाओ, आप फोग लगाओ, फोग तो अब खतम ही कर दिया, फोग और सेवण घास, माननीय सभापति महोदय, इस सेवण घास पर हमारे मवेशी जिंदा रहते थे। जब से यह ट्रैक्टर चले हैं फोग खतम हो गई, क्योंकि जब ट्रैक्टर से बुवाई करते हैं तो फोग की जड़ें कट जाती हैं, सेवण घास जड़ों से उखड़ जाती है। अब फोग और सेवण घास जो कभी हमारे जीवन के साथ अभिन्न अंग के रूप में जुड़े थे, मंत्री महोदय, इनको निश्चित तौर पर आपको किस प्रकार, इस चीज को आप और आगे बढ़ा सकते हो, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप वृक्षारोपण तो करते हो और सुरक्षा के लिए पैसा भी देते हो, उसका पुख्ता इंतजाम भी करते हो और पांच साल उसको छोड़ देते हो। कभी आपने यह सोचा कि पांच साल बाद आपने उस पेड़ को छोड़ दिया तो पेड़ इस अवस्था में नहीं रहता कि उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके और उसके साथ-साथ जो माड्यूल आपने बना रखा है, उस माड्यूल के अंदर कम से कम आपको सिंचाई का उसका पूरा प्रावधान करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है ताकि पेड़ बचें वरना होता क्या है कि अभियान चलता है।

माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा कि करौली के अंदर पिछली से पिछली विधान सभा में एक मामला उठा था। एक दिन के अंदर 12 लाख पेड़ लगा दिये। पेड़ लगा दिये और भूल गये। उसके साथ यह नहीं बताया, यह पेड़ लगे हैं यह तो निश्चित तौर पर अच्छा है, हम भी चाहते हैं और केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को शायद स्मरण होगा कि आप और हम सब, दोनों ने पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखरजी के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया था छात्र संघ कार्यालय में, आप कभी उसके पास से गुजरना,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसकी पत्ती-पत्ती राजेन्द्र-राजेन्द्र कहेगी क्योंकि आप मुझे छोड़कर दूसरी जगह चले गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि जो वनवासी हैं, वन और वनवासियों का संबंध तो अटूट रहा है। जो अपने यहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य परम्परागत वन निवास वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 है, जिसके नियम हमने 2008 में बनाए, जिसके अंदर यह लिखा था कि 31.12.2005 से पूर्व में जिसका कब्जा है, वह कब्जा, वह जमीन उस वनवासी की है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता ने एक अभियान अपने टाइम में चलाया था और उस समय, जिसका जिक्र आपके प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ-37 में भी है। दिसम्बर, 2018 तक जब हम थे न तब 76553 वनवासियों के दावे आए थे और उसमें से 74724 दावे यहां निर्णीत हो गये क्योंकि ग्राम सभाओं में मामला गया, ग्राम सभा ने कई मामलों को रिजेक्ट कर दिया पर आज भी लगभग 1829 दावे लम्बित हैं। आज भी बहुत से ऐसे वनवासी हैं, मंत्री महोदय, जिस तरह से हमने अभियान चलाया, 2005 से पहले का कब्जा अगर वनवासी अपना प्रमाणित कर देता है तो उसका अधिकार बन जाता है। आज वह वनवासी वहीं पर बैठा है पर आज उसके मन में एक भय है क्योंकि वह देखता है कि सरकारें बदलती हैं तो संवेदनाएं बदलती हैं। चूंकि, मैंने कहा कि मैं आलोचना नहीं करूंगा इसलिए मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे इसलिए जिस तरह से हमने कैम्प लगाकर इस बात को आगे बढ़ाया था, आपको भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं सदन का ध्यान इस प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ-48 की ओर दिलाना चाहूंगा। कैम्पा फंड है। मंत्री महोदय, कैम्पा फंड के अंदर आपने प्रतिवेदन में लिखा कि 536 करोड़ का आपके पास आज की तारीख में अलग-अलग काल खण्ड से आया हुआ पैसा है और आपने खर्च कितना किया? आपने दिसम्बर तक खर्च किया 437 करोड़ रुपये। आप यह 99 करोड़ क्यों लेकर बैठे हैं? यह पैसा उन्हीं का है जो वृक्ष कटे हैं। आधारभूत संरचनाओं को बनाने के लिए जो कटे, यह क्षतिपूर्ति का है। इन 99 करोड़ रुपये का आप उपयोग करो, इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

इसी तरह से पृष्ठ-49 में पर्यावरण वानिकी के अंदर आपके पास 886 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने किया और खर्च किये हैं 256, यह 630 करोड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपये, मंत्री महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आज सरकार की हालत आपको मालूम है। पी.एफ. का पैसा आपने सैलेरी बांटने में लगा दिया, आपकी सारी ट्रेजरी अटकी पड़ी है इसलिए इस पैसे का आप उपयोग करो।

एक मैं मेरे मतलब की बात भी कहूंगा। आप चूरू में नेचर पार्क में गये। मुझे गर्व है। मुझे अगर कोई कहें कि आप इतनी बार वहां से निर्वाचित हो गये, आपके जीवन में सबसे आनंदमय कौनसा काम है जो आपने किया? तो मैं यह कह सकता हूं कि मैंने चूरू की उस जगह को जो बिलकुल अबन्डन जगह पड़ी थी, जहां पर कोई आदमी जाता नहीं था, उसको नेचर पार्क का रूप दिया। मैं यह चाहूंगा कि उस माडल पर आप शहरों के अंदर, माननीय सभापति महोदय, जमीनें पड़ी हैं, फोरेस्ट विभाग की पड़ी है, लोग कब्जा पर कब्जा करते जा रहे हैं पर उस जगह पर कोई आता नहीं है। अब नेचर ने जो दे दिया जो वहां पर है, उसको संरक्षित रखते हुए आप उसको डवलप करें और चूरू को नेचर पार्क के अंदर जो 113 करोड़ रुपये, 234 करोड़ रुपये बचे हुए हैं, उसको आप रिलीज फर्माएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा कि आप आकर देखें। कोई कंसल्टेंट नहीं, मतलब कोई आर्किटेक्ट नहीं। मैं सिर्फ तीन लोगों का नाम उल्लेख करना चाहता हूं ताकि रिकार्ड में चला जाए। ऐसे लोग जो डेडिकेटेड रूप से काम करते हैं, तीन आदमी, एक पंकजजी गुप्ता थे और दूसरे हमारे दौलत तंवर थे और एक टीचर थे मुकुल, तीनों ने बैठकर, वह सुबह जाते थे, आप पूछ भी लेना मंत्री महोदय, जब आप जाओ तो और शाम तक कहते थे कि इधर से अपने इसको यह काम कर दें तो कैसा रहे और आज उसका स्वरूप देखने वाला है इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर निश्चित तौर पर विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यटन पर थोड़ी-सी बात इसलिए कहूंगा कि पर्यटन का आज जिम्मा संभाल रखा है महाराजा विश्वेन्द्र सिंहजी ने। माननीय सभापति महोदय, चलता-फिरता इतिहास है। माननीय सभापति महोदय, अगर विश्वेन्द्र सिंहजी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर तलवार लगाकर मूंछ थोड़ी ऊंची करके निकलें न तो अगर टूरिस्ट नहीं आकर्षित हो जाए तो मुझे कह देना। मैं आज कह रहा हूं और मैं उम्मीद करता था, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): पहले से ही ऊंची है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पहले से ही ऊंची है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, आज मैं यह उम्मीद कर रहा था, आज पर्यटन की डिमांड है, दुनिया देख रही है। आज अगर आपके पास ...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): आज आप धोती पहनकर नहीं आए, कल बहुत सुंदर लग रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): महाराज, आप अगर उसी ड्रेस में होते, वह कलंगी लगा हुआ साफा आपका, वह लोहागढ़ का, वह आपकी ढीली-ढाली अचकन और वह आपकी गर्वित मुद्रा तो मैं कहता हूं कि यह संदेश जाता पूरे राजस्थान में और दुनिया कि पर्यटन के नाम पर अगर चलता-फिरता पर्यटन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति वहां का मंत्री है तो कैसे है?

श्री सभापति: महाराज साहब के पास में एक ए.डी.सी. भी चाहिए। महाराज साहब जब खड़े हों तो साथ में एक ए.डी.सी. भी चाहिए, वह नाम भी बता दो।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान का चिकित्सा मंत्री हूं।

श्री सभापति: आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव हो तो आप भी बता दो।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसलिए कि किसी भी माननीय सदस्य के शरीर में कोई व्याधि हो जाए या उसका हाथ-पांव टेढ़ा हो जाए, यह मेरा फर्ज बनता है कि इस सदन में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, महाराज साहब जब खड़े होते हैं, नहीं-नहीं, महाराज साहब जब खड़े होते हैं तो ए.डी.सी. चाहिए, पहले उसके लिए आपकी तरफ से कोई नाम हो तो बता दो।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का हाथ टेड़ा हो गया है, अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं क्योंकि चिंता है इनके बारे में। यह लगातार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वह टेढ़ा है या सीधा है, वह तो बाद की बात है लेकिन माननीय महाराज साहब जब खड़े हो तो ए.डी.सी. कौन हो, उसका नाम प्रस्ताव कर दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आपने बड़ा सही सवाल किया। निश्चित तौर पर जब पर्यटन की बात चले तो महाराज का एक ए.डी.सी. भी होना चाहिए और तो मेरे को पता नहीं माननीय सभापति महोदय, आज रात के नौ बजे बाद मुझे ए.डी.सी. बना लेना, महाराज। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप ए.डी.सी. के लिये प्रस्तुत हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह राजस्थान है। यह राजस्थान देशी-विदेशी पर्यटकों का स्थान अब से नहीं कई सदियों से रहा है, काफी समय से रहा है, क्योंकि यहां के कण-कण में मान-सम्मान की कहानी छिपी है, मर्यादा छिपी है, त्याग छिपा है, तपस्या छिपी है, शौर्य छिपा है, इसीलिए पर्यटक दौड़े चले आते हैं। मंत्री महोदय, दिसम्बर, 2018 तक के प्रतिवेदन में आपने कहा है कि 4 करोड़ 63 लाख देशी पर्यटक आये और 16 लाख 10 हजार विदेशी पर्यटक आये। आवश्यकता इस बात की है, सभापति महोदय, जो पर्यटन है, यह जन उद्योग बनें, क्योंकि निश्चित तौर पर विदेशी मुद्रा का अर्जन तो है ही, पर यह परोक्ष रूप से रोजगार का सृजन भी करता है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर समय के थपेड़ों ने हमारे इतिहास के अवशेषों पर जो प्रहार किया, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

मैं, मंत्री महोदय, आपका ध्यान केन्द्र सरकार की एक योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं 'Adopt a Heritage, Adopt a monument' मतलब ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिये केन्द्र सरकार ने योजना बनायी सी.एस.आर. फण्ड से। कोई भी उद्योगपति हमारे मिटते हुए ऐतिहासिक विरासतों को गोद ले लें, मैं समझता हूं कि आपको इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको उद्योग मंत्रीजी से बात करके, कि राजस्थान के लोगों की औद्योगिक जगत में दमक काफी है। इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको कोई न कोई बात कहनी चाहिए।

मैं अभी कुछ समय पहले कुंभलगढ़ फोर्ट में गया था। कितना बड़ा इतिहास छिपा है और वहां किस प्रकार के हालात हैं। लाइट और साउंड की वहां जो पहले व्यवस्था थी, लोग देखते थे तो रोमांचित हो उठते थे, वह सारी धूल-धूसरित हो गयी और मैं इस मौके पर पूर्व सरकार के मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे कई मित्रों को बुरा लगेगा। निश्चित तौर पर अगर इतिहास को समीक्षित करने का काम किया है तो वसुन्धरा जी ने किया पैनोरमा बनाकर, 44 पैनोरमा...(व्यवधान)

श्री सभापति: इस मौके पर अच्छा होता आप माननीय श्रद्धेय भैरोंसिंह जी का नाम भी लेते, जिन्होंने जो इमारतें थीं, उनको संरक्षित करने का जो जिम्मा उस वक्त लिया था, आप सब भी साक्षी हैं, माननीय नेता, प्रतिपक्ष भी साक्षी हैं, मैं भी स्वयं उस वक्त था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने सही कहा, सभापति महोदय, अगर आप मुझे करेक्ट नहीं करते तो मैं भूल जाता। उन्हीं की तो देन है जिस जगह पर मैं खड़ा हूं। उन्हीं के तराशे हुए हम लोग हैं। भैरोंसिंहजी शेखावत जी ने जिस वक्त यह बात कही थी, जब वह सबसे पहले इन हवेलियों को हैरिटेज होटल्स में और दूसरी चीजों में तब्दील करने के लिये एक योजना लेकर आये थे। मैं उस वक्त जो बयान पढ़ रहा था कल्ला जी और सब लोग विरोध में ऐसे खड़े थे, यह राजशाही हो रही है, यह, यह हो रहा है, पर उन्होंने जो पद-चिह्न छोड़े, आज उन्हीं के कारण से आज हमारा इतिहास सुरक्षित है।

सभापति महोदय, मैं पैनोरमा की बात कर रहा था कि हम रहें या न रहें, यह पैनोरमा, यह ऐतिहासिक दस्तावेज हमारे रहेंगे। (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): कल्याण सिंह कालवी नहीं, जड़ तो वहां से थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं पैनोरमा की बात इसलिए कर रहा हूं और मुझे तकलीफ है। कुछ लोग युग-पुरुष होते हैं, कुछ लोग युग-दृष्टा भी होते हैं। समाचार पत्रों में जो पढ़ा, कि दीनदयाल पर बने पैनोरमा पर आपने ताला लटका दिया। मैं समझता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कोई ताला नहीं लगाया है। एक मिनट विराजें आप। इन्होंने पैनोरमा तो बना दिये, लेकिन उनकी व्यवस्था, उनका रख-रखाव, उनको कौन सम्हालेगा, उनका रेकरिंग एक्सपेंडिचर का कोई प्रावधान नहीं किया। एक बात प्रसंगवश और कह दूं कि अभी इन्होंने कई गप्पे मारे हैं। इन्होंने कहा कि फलाने वृक्ष पर तीनों देवता रहते हैं। सभापति महोदय, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं बिल्वपत्र का जो पत्ता है, उसके लिये तो जरूर संस्कृत में एक श्लोक है -'मूलतो: ब्रह्मरूपाय, मध्यतो विष्णुरूपणे, अग्रत: शिवरूपाया, एक बिल्व पत्रम् शिव अर्पणम्'। इन्होंने क्या-क्या गप्पे मारे हैं, वह मुझे नहीं कहना। कम से कम शास्त्र के बारे में गप्प मारना छोड़ दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसीलिए जनता ने बहुत दिनों बाद इस ज्ञान को हमारे तक पहुंचाने के लिये आपको यहां भेजा है। मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मेरी कांस्टीट्यूएंसी को आपने तितर-बितर कर दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था, माननीय मंत्री महोदय, 28.02.2017 को एक सर्कुलर निकला है, पहले 05 सितम्बर, 1995 को निकला। पर्यटन के लिये जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, उसमें इन पैनोरमा के रख-रखाव के लिये कमेटी बनी जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, आप बड़ा मन रखें और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है, और सभापति महोदय, अब इसमें पैनोरमा बनें कैसे, कि लोग पूज्य देवता तेजाजी का पैनोरमा खरनाल में बना है। आजकल इतिहास, जब लोगों को कहते हैं न कि गाय के लिये जान दे दी तेजाजी ने, और वीर अमर सिंह राठौड़ का नागौर में पैनोरमा, शाहजहां के दरबार में सलावत खां को मारा, सभापति महोदय, कम बात है। संत रैदास जी का पैनोरमा चित्तौड़ में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, यह निश्चित तौर पर पैनोरमा के संरक्षण की बात करेंगे। मैं अब एक निवेदन करते हुए बात समाप्त करूंगा। जयपुर के अंदर, जयपुर बड़ा प्रसिद्ध है पोलो के गेम को लेकर। पोलो क्लब पर टेढ़ी निगाह क्यों कर ली आपने? सभापति महोदय, 1957 में फ्रांस में वर्ल्ड पोलो मैच हुआ था, उसमें सवाई मानसिंह जीते थे और जिसने स्टिक बनायी थी न, उसको पोलोविक्ट्री सिनेमा बनाकर दे दिया। 12 अन्तरराष्ट्रीय मैच यहां हुए हैं। कोई ऐसा राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, हैड आफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर आफ यू.एस.एस.आर., क्वीन आफ इंग्लैण्ड, किस-किसका नाम लूं। कोई ऐसा नहीं है, जो यहां मैच देखने नहीं आये। अब इस रामबाग परिसर की सारी जमीन अवाप्त हुई थी, मामला अलग-अलग कोर्टों में चला। हमारे धारीवाल साहब की अध्यक्षता में उस वक्त में एक कमेटी बनी थी और एक सहमति बनी थी और सहमति यह बनी थी 04.09.2000 को, कि राजस्थान पोलो क्लब की जमीन, गोल्फ क्लब की जमीन यथावत रहेगी और सैंट्रल पार्क जरूर बनेगा और महाराजा भवानी सिंहजी को इन्होंने पोलो क्लब का लाइफ टाइम प्रेसीडेंट बनाया और इसमें ले-आउट भी सी.एस. की अध्यक्षता वाली कमेटी ने दे दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो पोलो ग्राउंड है, उसका मापदण्ड बना हुआ है। अब वहां चूंकि यह अपना कोई जोगिंग ट्रैक बना रहे हैं, इससे पोलो मैच हमेशा के लिये बंद हो जाएंगे, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। अंत में, मैं यह कहूंगा कि एक तो हमारे चूरू का गढ़ है, उस गढ़ में कभी चांदी के गोले चले थे, उस गढ़ की मरम्मत के लिये मंत्री महोदय, कुछ आप मदद कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। मैं अंत में यही कहूंगा कि 'पधारो म्हारे देस' स्लोगन बदलने से कुछ नहीं होगा। महाराज, आपको पुराने रूप में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा था वित्तीय प्रावधान तो आपका बिलकुल ही 161 करोड़ से, पिछले साल से भी, और महाराज विश्वेन्द्र जी, आपके रहते हुए, खून खौल उठना चाहिए आपका, और मैं समझता हूं निश्चित तौर पर आप करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: इससे पहले कि खून खौले, आप विराज जाएं। श्री मेवाराम जैन।

सूचना

बाड़मेर में भगताराम माली की हत्या

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत, बाड़मेर में एक घटना रात को घटी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आज राजस्व, वन और पर्यावरण पर चर्चा हो रही है, आप उसमें भाग ले रहे हैं। यह बात आप बाद में बताना, पहले आप इस पर चर्चा कर लें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): दो मिनट में अपनी बात कह दूं। वह बहुत ही अर्जेंट बात है। वहां पर रास्ता रोका हुआ है। एक आदमी भगताराम माली है, जिसकी रात को हत्या कर दी, उसके शव को जला दिया गया, टुकड़े किये और गाड़ी को जलाया गया और जो हत्या करने वाले हैं, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। रोड जाम है, लोग वहां पर इकट्ठे हो गये हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल कार्यवाही करके इनको गिरफ्तार करें।

(श्री मेवाराम जैन)

अनुदान की मांग

मांग संख्या-8, 9 व 47 पर विचार

सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग संख्या-8 राजस्व, मांग संख्या-9 वन एवं मांग संख्या-47 पर्यटन पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व आदरणीय राठौड़ साहब ने पूरी तरह से वन, पर्यावरण और पर्यटन, इन सब पर प्रकाश डाला। आज जिस तरह से देश का, प्रदेश का वातावरण है, जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, जिस तरह से आज तापमान बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि बरसात जिस समय होनी चाहिए, बरसात नहीं हो रही है और जिस तरह से वातावरण दिनों-दिन प्रदूषित और वनों की कटाई की वजह से दूषित हो रहा है। एक बहुत ही सोचने का विषय है, सभी को इसमें विचार करने का विषय है कि हम किस तरह से इस प्रदूषण को ठीक करें। प्रदूषण और वातावरण तभी ठीक होगा जब हम इन वृक्षों को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लगाएं। वृक्ष कटें नहीं, अच्छे वृक्ष लगें, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है और पूरी तरह से सरकार चाहती है कि हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, अच्छे वृक्ष लगाएं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो वृक्ष हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि जो अंग्रेजी बबूल है यह इतना फैल रहा है कि करीब-करीब आधी जमीन उससे बंजर होती जा रही है, न वो किसी काम के हैं और जितनी भारी तादाद में यह बबूल उग रहे हैं, इन पर विचार करना पड़ेगा कि इनकी वजह से अन्य खेती नष्ट हो रही है, वहां आना-जाना मुश्किल हो रहा है और इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इसकी जगह हम ज्यादा से ज्यादा खेजड़ी, रोहिड़ा, कुम्बट, कैर ऐसे जो हमारे यहां लाभदायक वृक्ष हैं इनको वन विभाग ज्यादा से ज्यादा लगाएं। हम सबको, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जैसा आपने पूर्व में फर्माया कि हम घर-घर कोई टारगेट दे दें कि एक व्यक्ति, हम इतने वृक्ष लगाएंगे, चाहे स्कूल में छात्र को कह दें कि एक वृक्ष लगाएगा। इस तरह से हम एक अभियान छेड़ेंगे तो निश्चय ही वृक्ष लगेंगे और वृक्ष लगेंगे तभी यह पर्यावरण ठीक हो पाएगा। आज जितने उद्योग, इंडस्ट्रीज, कल-कारखाने जिस तरह से लग रहे हैं उसी तरह से इन वनों की कटाई हो रही है, हमें उनको रोकना होगा कि किस तरह

(श्री मेवाराम जैन)

से यह वृक्ष नहीं कटें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष कैसे लगें, इस पर हम सबको आगे आकर प्रयास करना होगा।

सभापति महोदय, एक हमारे बाड़मेर, जैसलमेर का ही मुद्दा है जहां डेजर्ट नेशनल पार्क है और उसमें करीबन 88 गांव आते हैं और वो इसलिए बनाया गया कि वहां गोडावण और अन्य जीव रहते हैं इसलिए वहां इसको सुरक्षित किया, 88 गांव, इतना बड़ा क्षेत्र, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें काश्तकार, किसान रहते हैं, उनकी खातेदारी जमीन है और खेती करते हैं, उनको सरकार ने जिस तरह से आरक्षित कर वहां जो रह रहे हैं उनकी हमेशा की जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की है, सारी सुविधाओं से वंचित कर रखा है। न तो सरकार वो जमीन ले रही है, या तो जमीन ले लें, उनको दूसरी जगह बसा दें या उनके लिए यह सुविधाएं, जो आवश्यक हैं वो सुविधाएं देने के लिए छूट दिलाएं। सरकार न तो उनको किसी तरह की सुविधा दे रही है न वो जमीन ले रही है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन 88 गांवों ने क्या बिगाड़ा? वहां के लोग किस तरह से जी रहे हैं, जाने के लिए सड़क नहीं, पानी पीने के लिए पाइपलाइन ले जाने नहीं दे रहे हैं, लाइट का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और दूसरी जगह बसा भी नहीं रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है सभापति महोदय, मैं इस सदन से सभी से निवेदन करना चाहूंगा। बड़ी बात यह है कि उसमें जो गोडावण वगैरह पशु-पक्षी की बात कर रहे हैं वो वहां हैं भी नहीं अगर वो होते तो भी कोई बात, उसके लिए आप आरक्षित करो अच्छी बात है पर वहां आप कमेटी बनाकर उसकी जांच कर लें, वहां पर यह आपको मिलेंगे ही नहीं। जिस उद्देश्य के लिए हमने इसको आरक्षित किया वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हम इसको कम करें, इस प्रोजेक्ट को हम कम करें, सैंक्चुरी पार्क जो डेजर्ट नेशनल पार्क का है इसको हम कम करें और इसमें जो आबादी बसी हुई है उन लोगों को या तो एरिया निकाल दें या फिर उनके लिए कोई व्यवस्था करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके लिए कई आन्दोलन हुए धरने हुए प्रदर्शन हुए। सभापति महोदय, आज मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि इस पर विचार करें और कैसे भी हो, इसका समाधान करने का प्रयास करें।

आज जिस तरह से चाहे यह कम्पनियां काम कर रही हैं, बाड़मेर में राजवेस्ट है, कैयर्न है, दूसरी कम्पनियां काम कर रही हैं, अंधाधुंध वृक्ष कट रहे हैं और उधर चाहे पावर प्लांट लगे, तेल, गैस और इसके, यह निकल रहा है

(श्री मेवाराम जैन)

उससे प्रदूषण फैल रहा है। हम यह नहीं चाहते कि यह काम रुके, काम चले हमें कोई एतराज नहीं परन्तु पर्यावरण को ध्यान में रखकर, जो यह वृक्ष कट रहे हैं वापस वृक्ष लगें ताकि वहां का वातावरण ठीक हो और जिस तरह से इस प्रदूषण से बीमारियां फैल रही हैं, जिस तरह से वहां लोग परेशान हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि यहां जो भी तेल और गैस का, चाहे लिग्नाइट का जो काम चल रहा है वो जो सरकारी मापदण्ड हैं उन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका निरीक्षण किया जाए और जो वृक्ष वापस लगाने हैं, जो लग रहे हैं या क्या है, जीवित हैं या नहीं हैं, इसकी जांच की जाए ताकि वहां का पर्यावरण ठीक हो सके।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-8 राजस्व पर निवेदन करना चाहूंगा। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री एवं हमारे मंत्री जी ने राजस्व के लिए सीधा ही कर दिया है कि कोई किसी तरह का म्यूटेशन हो, भू-अभिलेख में सरलीकरण, कागज रहित बनाने का प्रयास किया और इसमें कई तहसीलें जिनको आने वाले समय में आनलाइन कर दिया जाएगा और जिन नकल के लिए पटवारी और इनके लिए तहसील में चक्कर काटते थे उनके लिए इन्होंने बाजार में कहीं भी ई-मित्र पर, मोबाइल पर आनलाइन उसको प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्व विभाग काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है। इसमें पटवारियों की कमी है, आरआई की कमी है, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी पद खाली हैं, क्योंकि इस पंचायत के लिए एक पटवारी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पद भरे जाएं और खाली नहीं रहें, यह बहुत जरूरी है। पटवारी, आरआई और चाहे नायब तहसीलदार हों, बहुत ही जरूरी हैं, यह पद भरे जाएं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज गोचर जमीन, ओरण जमीन और नाडी है, जिस तरह से इन पर कब्जे हो रहे हैं, जिस तरह से जो भू-माफिया उन पर काश्त कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए और जितनी भी यह जमीन है इस जमीन को खाली कराना चाहिए, 91 बनाकर वो मिलकर फिर उसमें मामूली पैनल्टी लगाकर उसको जोतते ही जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गोचर जमीन पशुओं के लिए है। गांव में जितनी गोचर है उसको जोत लेते हैं तो पशु कहां

(श्री मेवाराम जैन)

जाएंगे? नाडी का आगोर है उसको कर लेते हैं, नाडी में पानी कैसे आएगा? चाहे ओरण हो, इस तरह से यह खतम हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की बात है। सब जगह जितनी भी है क्योंकि नई तो आज गोचर जमीन नहीं कर सकते, न ओरण कर सकते हैं इसलिए इनको कैसे बचाया जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता था।

आज पर्यटन की बात कर रहे हैं। पर्यटन में हमारे यहां किस प्रकार से बाहर के लोग जाएं। चाहे पैनोरमा की बात करें, हमारे बनाए भी हैं, राठौड़ साहब कह रहे थे, भादरेस में घोषणा भी की थी कि संत ईश्वर दास का पैनोरमा, मेरे खयाल से उसको 6 साल हो गए हैं। आपकी सरकार ने पहले आते ही घोषणा की थी, अभी तक उसकी नींव ही नहीं लगी। उसको बनाने के लिए आपने घोषणा की थी, लेकिन वह बना नहीं। कोई बात नहीं, उसको हम बनाएंगे।

सभापति महोदय, पर्यटक कैसे आकर्षित हों? पर्यटक हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा कैसे आएं? मैं बाड़मेर की बात करूं, किराडू का मंदिर है, जो बहुत प्राचीन है। अब उसका जीर्णोद्धार हो और वह ऐसे बने ताकि लोगों में उसकी आस्था हो और वहां लोग ज्यादा से ज्यादा आएं। इस प्रकार के कई स्थान हैं।

जैसलमेर में अपने आप ही खूब पर्यटक आ रहे हैं। बाड़मेर में भी जैसलमेर के जैसे ही धोरे हैं। सिर्फ एक ही फर्क है कि इनका प्रचार-प्रसार हम कैसे करें। वहां पर लोग तभी आ पाएंगे। हमारे यहां नेशनल हाईवे के राइट साइड में कोई फोरेनर आ नहीं सकता। ऐसी जो पाबंदियां हैं इनको हटाएं, ताकि अगर पर्यटक बाड़मेर शहर में भी आना चाहे तो आ सके। बाड़मेर के दार्शनिक स्थल हैं, चाहे विरात्रा के मंदिर की बात करो, किराडू की बात करो, चाहे अन्य जो मंदिर हैं, वहां पर्यटक जा सकें। जो ऐसे स्थल हैं, उनको भी देख सकें। उसके लिए भी सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, यही कहना चाहूंगा कि सरकार को अभी 6-7 महीने ही हुए हैं और हर तरह से चाह रही है और जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्री जी ने शानदार बजट दिया है, इसका लाभ आम आदमी को मिले। आज जो यह 3 मांगें हैं, इनमें विशेष तौर से वन और पर्यावरण इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें। वनों की कटाई नहीं हो।

सभापति महोदय, इसमें एक निवेदन करना चाहूंगा। बाड़मेर का ही

(श्री मेवाराम जैन)

मुद्दा है। वन विभाग की जमीन जिस पर भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। जिसमें आपके फोरेस्ट के अधिकारी मिले हुए हैं। करोड़ों रुपये की जमीन है। रातों-रात उसमें रेवेन्यू वाले मिलकर के वृक्ष काट देते हैं। फिर वह जमीन बंदरबांट हो जाती है। इस तरह से जो वनों की कटाई हो रही है, जिसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। यह जमीन शहर के बीचों बीच आई हुई है और उस पर कब्जा कर रहे हैं। वह कब्जा आपके अधिकारियों की मिलीभगत के कारण हो रहा है। इनको भी रोका जाए। जितनी भी जमीन है, चाहे वन विभाग की हो, चाहे ओरण हो, चाहे गोचर हो, इनको हम कैसे सुरक्षित रख सकें, इसके लिए प्रयास होना चाहिए।

सभापति महोदय, अंत में यही कहता हुआ कि आज की मांगों से जनता को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा पहुंचे, पर्यावरण को हम सब मिलकर के कैसे ठीक कर सकें। एमएलए कोटे की बात कही, चाहे कहीं से भी हो, अगर पर्यावरण ठीक हुआ तो हम सब ठीक रहेंगे। पर्यावरण खराब हुआ तो हमारा सारा जीवन ही खराब हो जाएगा। पर्यावरण को कैसे ठीक करें, प्रदूषण को कैसे कम करें, इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव। श्री बलजीत यादव। (अनुपस्थित)

श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आज आपने राजस्व, वन और पर्यटन की चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया।

सभापति महोदय, 30 नवम्बर, 2011 को राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने अपना यह इंटेंशन अधिसूचित किया कि वह कुम्भलगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान बनाना चाहती है। उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन हम लोग बहुत मामलों में स्वयं की जानकारी का शासन को लाभ देने की बजाय अधिकारियों पर निर्भर रह जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उदयपुर ने 25 सितम्बर, 2017 को एक पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा था। जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि कुम्भलगढ़ वन क्षेत्र से, जो राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है, रणकपुर का मंदिर परिसर बाहर रखा जाए। उसके साथ-साथ मुछाला महावीर जो मंदिर क्षेत्र है, उसको भी कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बाहर रखा जाए।

(श्री संयम लोढ़ा)

रणकपुर मंदिर परिसर की भूमि 9.84 हैक्टेयर है। मुछाला महावीर की भूमि 3.28 हैक्टेयर है। तत्कालीन महाराणा, उदयपुर ने विक्रम संवत 1431 में यह रणकपुर तीर्थ के लिए भूमि प्रदान की थी। विक्रम संवत 1496 में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। लेकिन अधिकारियों पर निर्भरता किस तरीके से लोगों में एक अच्छे कार्य के प्रति असंतोष पैदा कर देती है, नाराजगी पैदा कर देती है, मन में यह भाव पैदा कर देती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपको राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक हैं, जिन्होंने 10 सितम्बर, 1918 को उदयपुर के मुख्य वन संरक्षक को जो पत्र लिखा, उसका छोटा-सा अंश सुनाना चाहता हूं, 'यह कार्यालय आप द्वारा प्रस्तावित रणकपुर मंदिर परिसर 9.84 हैक्टेयर एवं मुछाला महावीर मंदिर परिसर 3.28 हैक्टेयर को प्रस्तावित कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बाहर रखे जाने से सहमत है। किन्तु उक्त क्षेत्र पूर्ववत अभयारण्य का भाग रहेगा। संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित सूर्य मंदिर तथा बिन्दु संख्या 3 में वर्णित मोहम्मद अली शाह वली बाबा की मजार, सायरा रणकपुर रोड झुंझार जी का मंदिर, उदयपुर सादड़ी रोड़ नाग देवता का मंदिर, चारभुजा देसूरी रोड, तीर्थेश्वर महादेव जी का मंदिर, काली घाटी कलमाड रोड और प्रसिद्ध परशुराम महादेव का मंदिर, इनको राष्ट्रीय उद्यान की परिसीमा से बाहर रखे जाने पर यह कार्यालय सहमत नहीं है'।

सभापति महोदय, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा 2017 में भेजे गए इस प्रस्ताव के आधार पर अब 2019 में अंतिम आदेश पारित हो गया जिसमें सिर्फ कुम्भलगढ़ और मुछाला महावीर के तीर्थ को उद्यान से बाहर रखा गया है। वहां पर आंदोलन हो रहे हैं, सादड़ी में आंदोलन हो रहे हैं, बाली में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान की मौजूदा सरकार इस बात को गंभीरता से ले। परशुराम महादेव का मंदिर उस इलाके में क्या महत्व रखता है? पूरे पाली जिले से भारतीय जनता पार्टी के 6 लोग चुनकर आए हैं। आज इस सदन के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी तब आपने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से परशुराम महादेव के उस प्रसिद्ध तीर्थ को बाहर निकालने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया? आज आप लोग पीछे के दरवाजे से मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं। आप आंदोलन करना चाह रहे हैं। अब दिल्ली में आपकी

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार है। राष्ट्रीय उद्यान की अंतिम स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा ही दी जाएगी।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बाघों को लाने की योजना है। मूल रूप से 119 बघेरे इस अभयारण्य में हैं। अब चूंकि रणथम्भौर के अंदर टाइगर की संख्या ज्यादा हो गई तो तत्कालीन वन मंत्री ने, जो बहुत ही वन प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी मंत्री थीं, उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर यह नया प्रकल्प दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज वन क्षेत्रों की क्या स्थिति हो गई है। जिस जिले में फोरेस्ट है उस जिले में तो फोरेस्ट के कार्मिक नहीं हैं और जिस जिले में फोरेस्ट नहीं है वहां निर्धारित संख्या से भी बड़ी संख्या में कार्मिक लगे हुए हैं। उस वजह से लगातार फोरेस्ट की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक पत्र मैंने पढ़ा जो उन्होंने भारत सरकार को लिखा। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की भारत सरकार ने वनाधिकार कानून के तहत लोगों को, वनवासियों को जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और उनके लाखों प्रकरण लम्बित हैं, उस पर भारत सरकार पुनर्विचार करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक सख्त आदेश दिया था कि अब एक आखिरी मौका दे रहे हैं आपको, इसके बाद पूरे राजस्थान में नये तरीके से सुनवाई हुई।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी यह सुनवाई हुई एक भी जगह पर वन विभाग ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। निर्देश थे सरकार के कि मौखिक साक्ष्य को भी माना जाए, आज तीन-तीन पीढ़ियों से जो लोग रह रहे हैं, फोरेस्ट उन्हें कभी नोटिस देता नहीं, जो रहने वाले हैं उनको। जो आवास कर रहे हैं उनके खिलाफ 91 का मुकदमा कभी दर्ज करता नहीं तो कहां से वह दस्तावेजी साक्ष्य लाएंगे, लेकिन आस पास के लोगों से पूछा जाए, दूसरे लोगों से पूछा जाए जो पीढ़ियों से वहां निवास कर रहे हैं तो एक ही बात सामने आएगी कि तीन-तीन पीढ़ियों से ये आदिवासी भाई वहां पर निवास कर रहे हैं। अभी पिछले महीने इस सम्बन्ध में जन सुनवाई हुई थी हर ग्राम पंचायत स्तर पर, पर माननीय सभापति महोदय, कोई लाभ आदिवासियों को उस जन सुनवाई का प्राप्त नहीं हुआ।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मेरे खुद के क्षेत्र में, तलधरी में, 36 प्रकरण निरस्त कर दिए, यह बताकर निरस्त कर दिए कि वहां पर फोरेस्ट की नर्सरी है। मौके पर देखें तो माननीय सभापति महोदय, तो कुछ नहीं। आप लीजिए आबू रोड का क्षेत्र ईको सेंसिटिव जोन कर रखा है, 10 किलोमीटर के एरिये को, हाई कोर्ट ने कह रखा है कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है आप 10 किलोमीटर की परिधि मानें। क्या कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, धड़ल्ले से अवैध निर्माण, धड़ल्ले से कन्वर्जन, कौन रोकेगा? राज बदलते हैं, किसलिए बदलते हैं? इसलिए बदलते हैं कि आप नई तरह का शासन दें, नई तरह की पहल करें। जो पहले वाले कर रहे थे, वही आपको भी करना है तो वह भी क्या बुरे थे? यह सारा काम तो वह और ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे थे। वह तो एक ही कमरे में बैठकर तय करते थे कि फोरेस्ट की कौनसी लैंड पर कब्जा करवाना है, कौनसी ऊंची इमारत बनवानी है। आज आबूरोड का तलहटी क्षेत्र माननीय सभापति महोदय, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और यह पूरी तरह से सरकार की जानकारी में है। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं। एक्सप्लाइटेशन सो मच, मतलब सारी सीमाएं खतम हो चुकीं। जिस किसी सक्षम अधिकारी को कोई शिकायत करता है वह अपना शोषण करके उस सम्बन्धित पक्षकार का आगे चला जाता है, फिर दूसरा आता है वह दूसरे को उसका चार्ज दे जाता है, मैंने तो कर लिया, अब आप करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार ने इतने सख्त कानून बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि यह वन क्षेत्र आबाद रहे, आप लोगों को भी अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। फोरेस्ट लैंड को अपने उसी पुराने स्वरूप में लौटाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में फोरेस्ट लैंड पर फिर से किसी तरह का एंक्रोचमेंट नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, अब माउण्ट आबू का लीजिए। इनका कुछ पैसा नगरपालिका माउण्ट आबू वालों ने नहीं दिया तो इन्होंने खुद ने चार्ज लगा दिया। एक आदमी बैठा दिया, पर्यटक आता है तो यात्री कर घुसते ही अलग देता है और फिर सनसैट पाइंट पर जाता है तो वहां और जेब खाली करवाते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से बगैर किसी कारण के पर्यटकों पर आर्थिक भार डालना किसी भी रूप में उचित नहीं है। आपकी एक समरूपी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपकी नगरपालिका टैक्स लेगी या आप

(श्री संयम लोढ़ा)

टैक्स लेंगे या नगरपालिका टैक्स लेगी उसमें से आपको हिस्सा देगी। पहले, माननीय सभापति महोदय, यही था कि नगरपालिका टैक्स लेती थी और फोरेस्ट को अपना हिस्सा देती थी। नगरपालिका फोरेस्ट को हिस्सा नहीं देने लगी, पैसा उन्हीं के पास पड़ा हुआ है तो आपने अपना नया टैक्स चालू कर दिया। एक अलग तरीके का वहां एक कॉकस डवलप कर लिया जो टूरिस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर माननीय मंत्रीजी ध्यान दें और आने वाले वक्त में राजस्थान पूरी तरह हरा भरा हो, वृक्षारोपण हो, जितने भी सामाजिक क्षेत्र आप सड़कों पर जाएंगे तो दोनों तरफ प्राइवेट लोग वृक्ष लगा रहे हैं। आज पूरे सिरोही, पाली इन जिलों की सड़कों पर जाएंगे तो देखेंगे कि सरकार ने नहीं लगाए हैं, जो लोग सेवा भावना रखते हैं, पर्यावरण के प्रति प्रेम रखते हैं, वृक्षों के प्रति प्रेम रखते हैं, खुद के पैसे से सड़क के दोनों ओर हजारों पेड़ लगाए हैं, खुद पानी पिलाते हैं, खुद पानी की व्यवस्था करते हैं, ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से सम्मानित करिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उन्हें बढ़ावा दीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए जिससे आने वाले वक्त में हमारा हरित क्षेत्र और अधिक विकसित हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा आप जयपुर पर नजर डालिए, क्या स्थिति है? मंत्री महोदय जिस 'अरण्य भवन' में बैठते हैं, उसके पीछे आप देखेंगे पहाड़ी पर तो आपको एंक्रोचमेंट दिखेगा। झालाना का क्या हाल है, क्या नाहरगढ़ का हाल है, क्या रणथम्भौर का हाल है? आप सारा कामर्शियलाइज कर रहे हैं, उसके आस पास की जमीनें होटल व्यवसायी खरीद रहे हैं और जयपुर तो पहाड़ियों पर बढ़ रहा है, पता नहीं कितनी बस्तियां आपने पहाड़ पर डवलप कर दी हैं। मैं जब पिछली बार एमएलए था तब का मुझे याद है तब 80 हजार एंक्रोचमेंट थे फोरेस्ट लैंड पर इन पहाड़ियों पर। इन सालों में कितने बढ़वा दिए होंगे, कौन देखेगा? हमने यही सोच रखा है, यह बदलेंगे हम आ जाएंगे, हम बदलेंगे वह आ जाएंगे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला तो लोगों को निराशा हो गई और लोगों का जो माइंड सैट बना हुआ हुआ है कि कुछ नहीं होने वाला है कुछ होने वाला नहीं है। आप उसी को मजबूत कर रहे हैं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने 24

(श्री संयम लोढ़ा)

फरवरी, 2005 को संभागीय आयुक्त और समस्त जिला कलेक्टरों को एक आदेश भेजा है। उसमें उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर सड़क रूपांतरण के लिए आप 75 मीटर सड़क छोड़ेंगे और उस पत्र का क्रमांक है, 1603, 24.02.2005, इस पैरामीटर की कन्वर्जन में पालना हो रही है? यह सुनिश्चित करने का काम किसका है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत दिलचस्प किस्सा बताऊंगा, सिरोही जिले में राजस्थान सरकार की ओर से रेलवे और जिला कलेक्टर की उपस्थिति में एक सहमति हुई कि जो बनास पर ओवर ब्रिज बनने वाला है, बन रहा है, रेलवे का, उसका 50 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार वहन करेगी, 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार करेगी। माननीय सभापति महोदय, 19 अप्रैल, 2016 को कि यहां इस जगह पर ओवरब्रिज बनेगा, हमारी सहमति है। रेलवे की भी सहमति है। माननीय सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे 19 अप्रैल की उस सहमति के बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर ने 27 अप्रैल, 2016, 28 अक्टूबर, 2016 और 27 अक्टूबर, 2016 को उसी जगह को कामर्शियल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बताइये कलेक्टर साहब कैसा सपना देख रहे थे। क्या उस ओवरब्रिज के ऊपर होटल बनाने वाले थे, जो उन्होंने लैंड को कन्वर्ट कर दिया?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया है। माननीय सभापति महोदय, कन्वर्ट किया सो किया, उसके बाद में 27 जून, 2017 को डीएलसी की सिरोही में बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो लैंड कॉमर्शियल में कन्वर्ट की गयी है, उसकी पचास प्रतिशत डीएलसी बढ़ा दी जाए। उसके बाद फिर 8 अप्रैल को एक प्रस्ताव जिला कलेक्टर ने आईजी, स्टैंप को भेजा कि पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी तो हो गयी, आप इसकी दोगुनी कर दें। बहुत कृपा रही आईजी, स्टैंप की कि उन्होंने भी पूरी उदारता और तत्परता दिखाते हुए उस भूमि की डीएलसी रेट दोगुनी कर दी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 585 रुपये रेट थी, वह 1145 रुपये हो गयी। भूमि अधिग्रहण में जानी है तो यह खेल कौन खेल रहा है? जिस भूमि के चार करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे भूमि अवाप्ति के, पूरे अधिकारियों के काकस और रैकेट की

(श्री संयम लोढ़ा)

वजह से अजमेर से लेकर सिरोही तक आज 24 करोड़ रुपये पर वह पहुंच गया मुआवजा।

माननीय सभापति महोदय, यह आपके कार्यकाल की बात नहीं है। यह पुण्य काम इन्हीं ने किया। मैं तो सिर्फ आपकी जानकारी में ला रहा था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसी क्षेत्र के खसरा नम्बर 18/3 में बनास की 3 बिस्वा भूमि थी, उसमें से 2 बिस्वा भूमि नेशनल हाई-वे में अवाप्त हो गयी। एक बिस्वा भूमि रही एक व्यक्ति की। नेशनल हाई-वे से सटी हुई थी। अब आप बताइये, उसे आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया? वह तो पार्ट हो गयी नेशनल हाई-वे का। उसके बाद भी आपने कामर्शियल में कन्वर्ट कर दिया है।

पूरा खेल हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता के मेहनत के 24 करोड़ रुपये हड़पने का है। यह एक षड्यंत्र है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसमें सख्त कार्यवाही करें। माननीय सभापति महोदय, हमारे विधान सभा के चुनाव 7 दिसम्बर को थे। लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए, 5 तारीख को एक नोटिस कांग्रेस पार्टी के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित नेता के रिश्तेदार को दिलवा दिया। मैं नाम नहीं लूंगा। ईडी का नोटिस दिलवा दिया, जिससे लोगों को भ्रमित किया जा सके। वोटों को प्रभावित किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2013 का चुनाव। बीकानेर के उसी भूमि प्रकरण को लेकर के पूरे राजस्थान में बोर्ड लगाकर घूमते रहे, दुष्प्रचार करते रहे कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। पांच साल किसने रोका था आपको? जो कुछ कर सकते थे, आपने वह सब किया, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। हाई कोर्ट तक में गये और वहां भी आपको कुछ नहीं मिला, इसलिये सिर्फ राजनीति के लिये राजनीतिक परिवारों के लोगों को प्रताड़ित करना बंद कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जैसी स्थिति अभी बाई-इलेक्शन में हुई है, वैसी ही स्थिति आपकी होने वाली है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसी अभी लोक सभा के चुनाव में हुई है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान हाई कोर्ट अब्दुल रहमान का

(श्री संयम लोढ़ा)

फैसला और उसके बाद अनगिनत चाहे रामगढ़ का हो, चाहे दूसरा हो, सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को निर्देश देता रहा। आप ताज्जुब करेंगे, अब्दुल रहमान के फैसले में जो इन्होंने पालना रिपोर्ट दी है, वह भी अपने आप में कंटेम्प्ट आफ कोर्ट है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने अगस्त महीने में राजस्थान हाई कोर्ट में लिखित में रिपोर्ट दी कि दस जिलों में 132 अधिकारियों ने वाटर बाडीज की जमीन को लोगों को बांट दिया।

सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देश पर अधिकारी चिह्नित किये और उनकी सूची दी। उन्होंने जो गलत काम किया, उसकी जानकारी दी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर दें तो यह बताएं कि इन छह महीने में आपकी सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की? माननीय सभापति महोदय, जाते-जाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों ने अनेक पुण्य काम किये। जोधपुर में जो जेडीए की 28 बीघा भूमि थी, जिसे एसडीओ निरस्त कर चुका था, मंत्री जी ने वह भूमि सिर्फ कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को देने का निर्णय कर लिया।

आप जब जवाब दें तो बताएं कि उस भूमि की क्या स्थिति है। पिछली सरकार ने उदयपुर के क्षेत्र में अन्य बड़े उद्योगपतियों को सैकड़ों बीघा जमीन आबंटित की।

श्री सभापति: सहयोग करें, माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट टूरिज्म पर बोलना चाहता हूं। महाराज साहब पर्यटन और वन्य प्रेमी हैं। भरतपुर आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उसमें इनका और इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें जो काम मिला है, वह बहुत चुनौतीपूर्ण है। आज पर्यटन में राजस्थान की क्या स्थिति है? गोवा जैसा बहुत छोटा-सा स्टेट हमसे आगे है। केरल जैसा स्टेट हमसे आगे है। गुजरात, जिसके पास टूरिज्म के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है, वह भी अमिताभ बच्चन की फोटो दिखा-दिखाकर पूरी दुनिया के लोगों को गुजरात में लाने में सफल रहा है।

तमिलनाडु जैसा स्टेट हमसे आगे है। हमारी क्या स्थिति है? हमारे आरटीडीसी की क्या हालत है? माननीय सभापति महोदय, 2009-10 में साढ़े तीन हजार पर्यटक आरटीडीसी की होटलों में रुकते थे, वह आंकड़ा आज 307

(श्री संयम लोढ़ा)

पर आकर खड़ा हो गया है। कितना नीचे आ गये हैं हम। जो हमारे स्वदेशी पर्यटक हैं, आरटीडीसी की होटलों में जो पौने दो लाख का फीगर था, वह आज 96 हजार पर खड़ा हो गया। आज आरटीडीसी की 75 होटलें हैं, कितनी चल रही हैं? घाटे में हैं।

मंत्री महोदय, जब आप उत्तर दें तो जरूर बताएं कि उस खासा कोठी के प्रसिद्ध कालीन का क्या हुआ? इनकी पार्टी ने पूरे राजस्थान में मुद्दा बनाया था, हम आएंगे और खासा कोठी का प्रसिद्ध कालीन खासा कोठी में बिछाएंगे। आपकी सरकार पूरे पांच साल में पूरा पुलिस का लवाजमा होते हुए भी उस कालीन का पता नहीं लगा पायी। उल्टे एक आईपीएस आफिसर ने यह फाइल पर लिखने की हिम्मत की तो इनकी सरकार ने उस आफिसर को पूरे पांच साल तक प्रताड़ित करके रखा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अब इस सरकार को मौका मिला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह सच्चाई सबके सामने लाये। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदारों को रोजाना प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि उन कालीन चोरों को सामने लाएं और राजस्थान की जनता को बताएं कि वे कौन लोग थे जिन्होंने खासा कोठी से उस कालीन की चोरी की।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या हुआ हाथी गांव का जिसमें आप हाथी बसाने वाले थे? माननीय सभापति महोदय, जयपुर में 109 हाथी हैं। उनमें से कितने हाथी गांव के दरवाजे पर खड़े हुए हैं? कितने आपने अंदर बैठा दिये हैं?

श्री सभापति: कन्क्लूड करें माननीय सदस्य। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज कितने साल हो गये उस प्रोजेक्ट को? भारत सरकार आपको पैसा देती है। एक हाथी के पीछे 19 लाख रुपये आपको मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के पर्यटन में, जयपुर के पर्यटन में हाथी की बहुत बड़ी भूमिका है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 8, 9 और 47 पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व वक्ता 27 मिनट बोले हैं, मैं घड़ी देख रहा था।

श्री सभापति: उससे पूर्व 50 मिनट बोल लिये। आप अपनी बात कहिये सिर्फ। आसन को निर्देश देने की जरूरत नहीं है कि कौन कितना बोला। यह आसन का अधिकार है कि किसको कितना बुलाएंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): रहम रखा करो, सभापति महोदय, थोड़ा।

श्री सभापति: आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, अपनी बात रखें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार के खजाने से एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं होगी, कुछ समस्याएं ऐसी हैं काश्तकारों की जिनका समाधान वर्तमान में जो कानून-कायदे और नियम बने हुए हैं उनके मुताबिक हो सकता है। प्रथम तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अन्दर, कोई ज्यादा संख्या नहीं है, मुश्किल से 800-1000 लोग ऐसे होंगे जिनको टीसी आबंटन हुई थी और पिछले 50 वर्षों से खातेदारी लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। उनको खातेदारी देने में कोई अड़चन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपात्र है तो उसको अलग करो पर जो पात्र व्यक्ति है, आबंटन के समय 18-19 साल के थे और अब वो मरने को तैयार हैं पर खातेदारी अभी तक उन्होंने नहीं देखी। सभापति महोदय, यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ लोग पुख्ता आबंटन करवा चुके और पुख्ता आबंटन होने के बाद में 3 वर्ष के बाद स्वत: ही उनको खातेदारी मिल जानी चाहिए परन्तु लोग 15-15, 20-20 वर्ष से खातेदारी का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक खातेदारी नहीं मिली। काश्तकार की कोई ड्यूटी नहीं है खातेदारी लेने की, नियमों में प्रावधान है कि 3 वर्ष पूरे होने के बाद में, किश्त जमा करवाने के बाद में खातेदारी देने का सरकार का दायित्व है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि तरह-तरह के राइडर लगा रखे हैं। यह जो टीसी भूमि है, कई जगह जब कोलोनाइजेशन सन् 1986 में मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ से जब उठा तो कुछ सरकारी रकबा था

(श्री रामप्रताप कासनियां)

जिसका टीसी आबंटन तो कर गये पर साथ में वन विभाग प्रस्तावित लिख दिया। अब वन विभाग प्रस्तावित लिखने के कारण जो वर्षों से 80 सी के आबंटी हैं उनको आबंटन नहीं हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर एक बार ऐसा प्रयास किया गया था कि प्रस्तावित भूमि जो है, जिसके अन्दर पेड़ नहीं है, वन विभाग की कोई तारबन्दी नहीं है, वर्षों से काश्तकार खेती करते आ रहे हैं और उनका टाइटल भी है, हक भी है, टीसी आबंटन है तो उस भूमि की खातेदारी देने के लिए वन विभाग को बदले में जो रकबा, डैजर्ट भूमि दूसरी जगह पड़ी है वह आबंटन करने का निर्णय किया था पर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद आप सत्ता में विराज गये। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम कोई कठिन नहीं है, सिर्फ निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। काश्तकारों को राहत देने की सरकार की अगर नीयत है तो इसी तरह से उपनिवेशन क्षेत्र के अन्दर, वैसे तो राजस्व ही है, बालिग पुत्रों के प्रकरण पैण्डिंग पड़े हैं, स्माल पैच के पड़े हैं, कुछ लोग आबंटन के पात्र हैं उनकी भूमि गजट में प्रकाशित करवा दी सभापति महोदय। पटवारियों ने रिकार्ड के अन्दर पुख्ता आबंटन का अमल-दरामद नहीं किया, यानी जमाबंदी में अंकन नहीं किया और रकबा राज्य की सूची में पकड़कर विशेष आबंटन के लिए गजट में साया करवा दिया। सभापति महोदय, आप समझते हो, काश्तकार उस भूमि को वर्षों से गजट से नहीं निकलवा सकता, इसकी प्रक्रिया बहुत लम्बी है। सर्वप्रथम तहसीलदार के पास जाओ, एप्लीकेशन दो कि मुझे फलां सन् में यह भूमि आबंटित हुई पुख्ता आबंटित हो गई, मैंने किश्त जमा करा दी और खातेदारी इसलिए नहीं मिल रही है कि भूमि गजट में है। अब गजट में तहसीलदार भेजेगा एसडीएम को और तरह-तरह के राइडर लगाकर फाइल वापस लौटाएंगे। फिर फाइल जाएगी कलेक्टर के पास, फिर आएगी डीएस के पास, फिर आएगी सैक्रेटरी के पास, फिर मंत्री जी के पास, फिर राज्यपाल महोदय के पास और उसी चैनल से वापस चलेगी। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की समस्या हनुमानगढ़ और गंगानगर, दोनों जिलों में इस तरह की समस्या है इसलिए सरकार इसकी तरफ ध्यान दे।

सभापति महोदय, सरकारी भूमि पर लोगों ने वर्षों से कब्जा कर रखा है। सरकार ने नियम भी बना रखा है नियमन करने का पर नियमन आज तक नहीं हुआ। कुछ लोग जो एप्रोच वाले थे उन्होंने नियमन करवा ली। जो लोग गरीब हैं, जिनकी एप्रोच नहीं है, ऐसे लोग नियमन नहीं करवा पाये तो

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सरकार से मैं यह आग्रह करूंगा कि जिस भूमि को वर्षों से लोगों ने काबिज कर रखी है और नियम है कि 15 वर्ष से जिस काश्तकार के पास कब्जा है उसकी ऐसी भूमि का नियमन कर दिया जाए। इसी तरह से मीडियम पेच, स्माल पेच, तरह-तरह की बीमारी पेण्डिंग है।

सभापति महोदय, पोंग डैम विस्थापितों का प्रकरण लगातार 20-25 वर्षों से चल रहा है। वो लोग कभी दिल्ली, कभी जयपुर गये। पूर्ववर्ती सरकार ने उनको रकबा आबंटन भी कर दिया था पर एक हिमाचल का रहने वाला रिटायर्ड तहसीलदार था उसने कोई वाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, सामने कोई पार्टी थी नहीं इसलिए वहां जो पोंग डैम विस्थापितों को भूमि आबंटित की वो केस सुप्रीम कोर्ट में हार गये। अब राजस्थान सरकार और हिमाचल सरकार के बीच में संवाद जारी था, पता नहीं प्रकरण किस स्टेज पर है पर यहां पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो काश्तकार पिछले 30 वर्ष से घूम रहे हैं, उन्होंने पैसे जमा करवा दिये और सुप्रीम कोर्ट के केस के कारण आज वो उस जमीन से महरूम हैं। कब्जा उन्हीं का है। सभापति महोदय, कब्जा वे लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप उनको मारो, बर्बाद करो, कुछ भी करो, वे लोग कब्जा छोड़ने वाले हैं नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने पैसा जमा करवा रखे हैं। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि ऐसे काश्तकारों को वाकई में आप राजस्व के अंदर सरलीकरण करने की बात करते हो, काश्तकारों को राहत देने की बात करते हो, तो इस तरह के जो प्रकरण पैंड़िग है। उसमें सरकार का कोई खर्चा लगने वाला नहीं है, बिना खर्चे के ये कार्य होने वाले हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर शहर के चारों तरफ डेजर्ट है, टिब्बा क्षेत्र है और प्लानिंग क्षेत्र लागू कर रखा है। 10 किलोमीटर तक, पूरब दिशा के अन्दर वहां वो टीसी आबंटी हैं, उनको खातेदारी नहीं दी जा रही है। तो, ये रोक हटाई जाए और वर्षों से जो काश्तकार खातेदारी का इंतजार कर रहे हैं उनको खातेदारी दी जाए। ये जो प्लानिंग क्षेत्र का रोडा लगा रखा है, वहां कोई शहर बसने वाला नहीं है, 100-100 फीट ऊंचे टिब्बे हैं, वहां कोई प्लान होने वाला नहीं है, सिर्फ उनके लिए एक राइडर लगा रखा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस जगह में भी लोगों को खातेदारी आबंटन हुई है, कैसे हुई हैं, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता,

(श्री रामप्रताप कासनियां)

खातेदारी हुई है, शहर के बिलकुल नजदीक हुई है, दो किलोमीटर परिधि के अंदर हुई है। 10 किलोमीटर जो प्लानिंग क्षेत्र है, उसमें भी आबंटन हुआ है पर हुआ दूसरे रास्ते से है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की छोटी-छोटी वर्षों से समस्याएं चलती आ रही हैं उसका समाधान करके काश्तकारों को राहत देने का काम करें।

सभापति महोदय, यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि खसरा भूमि जो है सिंचित हो गई और सिंचित होने के बाद मुरब्बाबंदी, किलाबंदी करके काश्तकारों को सही स्थान बता दिया जाता है कि आपकी भूमि का अमुक मुरब्बा नम्बर, अमुक किला नम्बर है। वो मुरब्बाबंदी का काम भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर काफी पैंडिंग है कोई बहुत बड़ा उसमें खर्चा होने वाला नहीं है, कोई बहुत बड़ी रकम खर्च नहीं होगी, सिर्फ पटवारियों की टीम बनाकर के और मुरब्बाबंदी और किलाबंदी लागू करके और रेवेन्यू विलेज घोषित करने का काम सरकार करेगी यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सरकार ने एक भूमि नापने के लिए सौ मशीनें, मैंने बजट में पढ़ा उपलब्ध करवाई है पर मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जरीब के नाप पर लोगों का भरोसा कम है तो सरकार से मैं यह चाहूंगा कि हर रेवेन्यू पटवारी को एक जीपीएस मशीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि आये दिन भूमि की सीमा को लेकर के आपस में जो झगड़े होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वर्षों से, मैं चौथी बार हूं इस विधान सभा के अंदर, हर सरकार यह बात कहती है कि रेवेन्यू के अंदर हम ऐसा कानून लेकर आएंगे, जिससे काश्तकारों को कोई परेशानी नहीं रहेगी, रास्ते के मामले में खसरों की जो भूमि है, उसमें आए दिन विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं तो सरकार को ऐसे स्थान पर जो कटान बोलें अपनी पुरानी भाषा में कटान के रास्ते जो हैं उनको नक्शों में सही जमा करके, जहां कटे हुए नहीं हैं और वर्षों से जो रास्ते चल रहे हैं, 40-40, 50-50 वर्ष से उन रास्तों को मंजूर करके नक्शे में तरमीम करके ये दर्शा दिया जाए कि अमुक गांव से अमुक गांव का रास्ता है, ताकि...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ।

श्री सभापति: 15 मिनट हो गए, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अब आपने मेरा विषय भटका दिया, इतना मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, ज्ञानी भी नहीं हूं...

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बड़ी मुश्किल से रट कर आया था और आपने तो मेरे को भटका दिया। सभापति महोदय, क्या बताएं, मेरे से पता नहीं क्या नाराजगी है।

श्री सभापति: आप इतने सीनियर हो, पहला वक्ता आपको होना चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): राजस्व पटवारियों के पद रिक्त पड़े हैं। एक-एक पटवारी के पास चार-चार हलके का चार्ज है और वह काम अपनी मनमर्जी से करता है। जब कोई उच्च अधिकारी उसको निर्देश देता है कि फलां गांव में जाकर मौका देखो तो वह कहता है कि साहब, मेरे पास चार हलके हैं। आपने जो पूर्व में आदेश दिया था, उसके लिए मैं फलां गांव में जा रहा हूं। आज तो नहीं जा पाऊंगा तो इस तरह से पटवारियों की मनमर्जी से काश्तकारों की हालात बहुत ही दयनीय है, पद रिक्त होने के कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, दूसरी भर्ती आप करो मत करो पर पटवारियों की भर्ती अवश्य करो, यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट, सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां बहस तो बहुत होती है बातें भी बड़ी-बड़ी सुंदर-सुंदर कही जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा पर मौके पर कुछ भी लागू नहीं होता। विलायती बबूल की चर्चा हो रही थी...

श्री सभापति: समाप्त करें, श्री मदन प्रजापत।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): विलायती बबूल वन विभाग की लाज रखने वाला पेड़ है...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री मदन प्रजापत।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि जितने हजारों की संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं...

श्री सभापति: सबको सहयोग करना पड़ेगा, समाप्त करें, प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): और यह वर्षा ऋतु के अंदर अपने आप ही पनपते हैं और वन विभाग के अधिकारी, उनको इतने पेड़ हमने लगा दिये, इस तरह से रिकार्ड में दर्शा देते हैं। एक तो विलायती बबूल, एक ये विदेशी नस्ल की गाय जो कांग्रेस..

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट, विलायती गाय, विलायती बबूल इस देश को बर्बाद करने का काम, इन दो ने कर दिया, इन पर समय रहते रोकथाम नहीं लगाई तो पूरे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पेड़ों के बारे में सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि रोड के..

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें, अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए। प्लीज, प्लीज सहयोग करिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डा. राजेन्द्र राठौड़ को कहूंगा कि वो आपका इलाज करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए, सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, काफी माननीय सदस्यों को बोलना है। समय की सीमा का निर्धारण करना पड़ेगा। मैं आवश्यक रूप से यह चाहूंगा कि आप 10 मिनट का समय लें और 10 मिनट में आप इस तरह से अपनी बात रखें कि आपकी बात पूरी आ जाए, वरना मैं सब माननीय सदस्यों को समय नहीं दे पाऊंगा। 21 माननीय सदस्य कांग्रेस की तरफ से हैं, बीजेपी की तरफ से 15 माननीय सदस्य हैं, 6 माननीय सदस्य और हैं, 7 माननीय सदस्य और हैं, 8 माननीय सदस्य और हैं। इस तरह से तो सबको समय नहीं दे पाऊंगा। आवश्यक रूप से आप 10 मिनट का समय लें और अपनी जो महत्वपूर्ण बात है, पहले रखें ताकि आपको परेशानी न हो। मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज बजट सत्र की अनुदान मांगों के पहले दिन मांग संख्या 8 राजस्व, मांग संख्या 9 वन, मांग संख्या 47 पर्यावरण पर्यटन, अभी जो शुरुआत हुई है काफी साथियों ने जो सुझाव दिए और आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर वन और पर्यावरण नहीं रहे तो जो भविष्यवाणी और कहावतें हैं कि अगला विश्व युद्ध भी पानी के लिए होगा। यह पर्यावरण मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सदियों से अपना इतिहास रहा है, परम्पराएं रहीं, लेकिन आज आधुनिक दौर में बड़ी चिन्ता होती है मनुष्य का मकसद एक ही रहा है पैसा कमाना, पैसा कमाने की लालसा। इन पैसों की लालसा के आगे सब बातें गौण हो जाती हैं और अपन सब मिलकर अपने पर्यावरण के लिए अपने पेड़-पौधों और वनों के लिए बातें सभी करते हैं लेकिन मुख्य मुद्दा जहां गांधी जी का फोटो छपे हुए नोट की बात आती है तो भले-भले डिग जाते हैं। आज अपन सब 200 सदस्यों का दायित्व है, पूरी करोड़ों की जनता अपन से उम्मीद लगाये बैठी है कि आज पर्यावरण के बारे में क्या सुझाव आते हैं और शाम को जब मंत्री जी जवाब देंगे और उसके बाद में क्या एक्शन होता है।

माननीय सभापति महोदय, आज सबसे पहले मैं पर्यावरण की बात करूं तो बढ़ती हुई जनसंख्या, घटते वन, घटती जोत, बढ़ते उद्योग और प्रदूषित नदियां, अंधाधुंध अवैध खनन, घटता जल स्तर और बढ़ती हुई आधुनिकता की दौड़ में मोटर वाहन, ध्वनि प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो और आज तो अपन मनन नहीं कर रहे हैं, चिन्ता नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। राठौड़ साहब ने भी चिन्ता व्यक्त की कि कई प्रजातियां पक्षियों की अपने बीच में नहीं है। आज यह संकेत है कल अपने लिए खतरा है यह खतरे की घंटी है और इस खतरे की घंटी का देखकर अपन सावधान नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी कि हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करके गये। अभी भी समय है। आज से सावधान हो जाएं सब पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के लिए अपन मददगार बने यह एहसान नहीं है अपनी जिन्दगी के लिए, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए है।

माननीय सभापति महोदय, पेड़ों में देवताओं के अलग-अलग रूप भी दर्शाये हैं और किसी न किसी प्रकार में चाहे ओरण, आगोर, गोचर और ये जो वनस्पति हैं, आदमी कई प्रकार के दानदाता होते हैं और कई बराबरी का सौदा करते हैं, मुझे फायदा दोगे तो मैं आपको दूंगा। लेकिन पेड़ अपने को देते ही देते हैं लेते कुछ नहीं हैं, ये इन्सान से भी ज्यादा लाभदायक अपने लिये जीवन

(श्री मदन प्रजापत)

में हैं। आज वनों की कटाई और अवैध खनन के कारण जब इतिहास में अमृतादेवी विश्नोई का नाम आता है सदियों तक उस नाम को कि पेड़ों के लिए शहीद होना अपनी जान दे देना, याद किया जाएगा। पेड़ों में इसका भी महत्व है जो नागाणा राय देवी राठौड़ों की कुल देवी है उसकी नीम से उत्पत्ति बताई हुई है। जो नागाणा राय देवी को मानता है वो नीम को नहीं जलाता है, नीम की लकड़ी को नहीं जलाता है। जैसे बांस को जलाना भी अपने लिए अशुभ है, इसी प्रकार कई अलग-अलग पेड़, आज अपने मारवाड़ में रोहिड़ों को सागवान मानते हैं राजस्थान का। खेजड़े को तुलसी मानते हैं। आज ओरण, आगोर, गोचर, वनों में कैर, सांगरी, कुमुठिया हो, चाहे पीलू, ढेलू बोर हो, चाहे गूंदा हो अनेक प्रकार की लाभदायक वनस्पतिक औषधि ओरणों से अपने को प्राप्त होती है। आज अपने से कई हजारों साल पहले उनकी आगामी सोच थी कि इतनी ओरण, ये कैचमेंट एरिया, आगोर और गोचर के लिए हजारों लाखों सालों के बाद में भी इतनी पर्याप्त मात्रा में है। आज अपनी नीति रहती है कि कहीं ओरण और गोचर पड़ी है दो बीघा जमीन तो मैं कैसे हड़प सकता हूं। यह लोगों की सोच और समझ रह गयी है। उनको सलाम करते हैं कि इतने साल पहले आगामी सोच को ध्यान में रखते हुए कि आबादी बढ़ेगी, पशु बढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी उन्होंने आज जो इतनी जमीनें छोड़ी हैं, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि चाहे बाड़मेर हो, मारवाड़ हो, राजस्थान हो, हजारों बीघा कैचमेंट एरिया पडा़ है। उसमें पानी की आवक है और एक बात जब मैं सोच रहा था मैं क्या कहूं जब पूराराम जी चौधरी बोल रहे थे वो कम ही बोलते हैं और जब बोल रहे थे तो राठौड़ साहब जोर-जोर से तालियां बजा रहे थे कि गणित और जीरों का अविष्कार किसने किया, भीनमाल के कवि माघ ने किया। वो पूजनीय थे। आज से 2500 साल पहले कवि माघ के इतिहास को भूल नहीं सकते, लेकिन मंथन आपको करना है कि गणित और जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है या कवि माघ ने किया है और एक नहीं, कई लोग तालियां बजा रहे थे। मुझे हंसी आ गयी ये वैसे कम ही बोलते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं मांग करता हूं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वाहन उपलब्ध करवाया जाए और पुरानी नर्सरी जो खतम हो चुकी है उनको बालोतरा पुन: शुरू किया जाए। वन विभाग की जमीन पर जो अतिक्रमण किया है उसका पूरा नाम करवाकर वापस जमीन को सुरक्षित किया जाए, यह अपना दायित्व बनता है। पर्यावरण के लिए खतरे की बात पाली से

(श्री मदन प्रजापत)

बालोतरा सिणधरी तक कैमिकल का पानी है। आज लूनी नदी जो मरुगंगा है और मरुगंगा की हालत यह है कि एक तरफ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण के बाद में माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि लूनी नदी का नाप करवाकर जो बढ़ता कैमिकल है चाहे जोझरी जोधपुर से हो, चाहे पाली से हो, आज कुए में कैमिकल का पानी आ गया। जब अपन सुनते हैं कि पंजाब से नहर में जहर आ रहा है। आज यह अपन ने गहराई से मंथन नहीं किया, इसकी रोकथाम नहीं की तो यह पंजाब से जो जहर आ रहा है उससे एक दिन जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अपन सबका दायित्व बनता है चाहे कार्यपलिका हो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका के द्वारा हो, मीडिया के द्वारा हो सबका मकसद एक ही हो कि यह पंजाब से जो अपने सामने नहर के माध्यम से चमड़े का पानी, कैमिकल का पानी है और उसको अमृत मान कर अपन पी रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए अपन ने प्रयास नहीं किया तो इससे बड़ी कोई चुनौती हो ही नहीं सकती।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, दो बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

जब लोढ़ा जी बात कर रहे थे एक व्यक्ति जो रानी का रहने वाला कुमावत ट्रस्ट हजारों किलोमीटर रोड के दोनों तरफ एक उद्योगपति, एक व्यापारी, एक व्यक्ति अगर लाखों पेड़ लगा सकता है, उनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। मैं मांग करता हूं कि कुमावत ट्रस्ट और रानी के रहने वाले मुम्बई के उद्योगपति का राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान हो, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर और भी कोई जज्बा, हौंसला और हिम्मत जागे। ये पेड़ लगाएं और आज मैं यहां से प्रण लेता हूं कि चाहे विधायक कोष के अलावा प्रेरणा देकर, जागरूकता लाकर ज्यादा से ज्यादा मैं मेरे मुंह से कहूं वह मायना नहीं रखता और मारवाड़ में कहावत भी है कि मां के कहने से बेटा सपूत नहीं होता है। आने वाले दो तीन साल बाद मुझे यह खुशी होगी कि जो मैंने किया है उस कार्य को यहां बताऊं, तब मुझे खुशी होगी कि जो मैंने पहले बजट सत्र में वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया है उसमें मैं कितना खरा उतरा हूं।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, जो दूसरी मांग पर्यटन की है, मैं मांग करता हूं वीर दुर्गादास जी का स्मारक, इनके ऊपर जितनी ज्यादा राशि खर्च की जाए, वह कम है। वीर दुर्गादास जी का इतिहास अपन सब जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, चाहे सिवाना का किला हो, चाहे हल्देश्वर हो, पूंगला पूंगली आप सभी जानते हैं, हल्देश्वर हो, चाहे वीर दुर्गादास जी के अलावा, मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे क्षेत्र में चाहे हल्देश्वर तीर्थ हो, चाहे ब्रह्मधाम हो, चाहे नाकोड़ा हो, चाहे राणी भठियाणी ट्रस्ट हो, चाहे खेड़ हो, चाहे नागाणा हो, चाहे सांभरा आशापुरा हो, तमाम जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के आस पास जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, उनके ऊपर खेड़ का जो गुप्त कालीन इतिहास रहा है, खेड़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये, इनके रख रखाव के लिये अगर कोई योजना बनाई जाती है तो यह कारगर साबित होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, एक मुख्य मुद्दा है, बड़ा घोटाला जो पूर्व सरकार ने किया, मोरसंग होटल, मिड वे होटल का निर्माण किया। वह अतिक्रमण है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पर्यटन मंत्री, राजस्व मंत्री और आप तीनों मंत्री जी विराजमान हैं, बालोतरा की मोरसंघ होटल के ऊपर पूर्व की भाजपा सरकार ने किसी व्यक्ति को बिना कोई कागजात, आज वहां एक कंपनी का आफिस चल रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि आने वाली पीढ़ी मोरसंघ को भूल रही है कि मोरसंघ वाद्ययंत्र है।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में निवेदन करता हूं बालोतरा जिला बनाने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। कई एमएलए यहां आये, मन में रह गई। आज राजस्व मंत्री जी जब शाम को यहां जवाब देंगे तब मुझे पूरा यकीन है, हमीर सिंह जी सुन रहे हैं, आपका भी दायित्व है, आपके ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है कि बालोतरा जिला इस सत्र में बनेगा। इस उम्मीद के साथ जिन्होंने देवताओं के नाम ....

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री मोहन राम चौधरी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): भू माफियाओं ने और खनन माफियाओं ने जो खड्डे खोदे हैं, पूर्व सरकार के खड्डे, मुझे आपसे उम्मीद है कि वह खड्डे आप भरेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, बातें तो कई हैं लेकिन हमने संघर्ष में ही जन्म लिया है। एक बात मैं निवेदन करता हूं कि मैंने कहा कि हम आराम से बैठे हैं, मदन भाई दूसरों के भरोसे हैं, अगर आराम से बैठ गये, संघर्ष में जन्म लिया है, घर में और बाहर आपने संघर्ष नहीं किया तो आपकी छुट्टी हो जाएगी और आराम करने वाले सिफारिशी लोग, वह बड़े लोग जिनको विरासत में मिलती है, आपने जमीनी स्तर से शुरूआत की है, आराम आपके लिखा हुआ नहीं, संघर्ष ही जीवन है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, सहयोग कीजिए। श्री मोहन राम चौधरी।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग क्रमांक 8 के विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये हृदय से आभार। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15 व 16 के तहत राज्य सरकार को प्रादेशिक खंडों का गठन करने और उनकी सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार है। नागौर जिले की अलाय को नागौर में नई उप तहसील गठन करना लोक हित में रहेगा। महोदय, भू-राजस्व अभिलेख निरीक्षण वृत्त अलाय और भू-अभिलेख निरीक्षण वृत्त श्रीबालाजी, जिसमें श्रीबालाजी में चार पटवारी मंडल हैं और अलाय में चार पटवारी मंडल हैं, इनको मिलाकर नागौर को उप तहसील बनाई जाए तो उचित रहेगा। यह भू-निरीक्षण छितरी हुई आबादी में है और उसमें गांव बहुत फैले हुए हैं जिनकी नागौर से बहुत दूरी है। इसलिए लोगों को वहां से नागौर आने जाने में बहुत कठिनाई आती है। नागौर में अलाय उप तहसील बनती है तो आस पास के लोगों को वहां केन्द्र होने 20-21 किलोमीटर दूरी में सभी काश्तकार आएंगे जिससे उनका काम सरल रहेगा। यह रेगिस्तानी इलाका है, साधनों का अभाव है इसलिए इसको उप तहसील बनाया जाए, यह मेरा आग्रह है।

सभापति महोदय, नागौर वैसे राजस्थान का केन्द्र है। मेरे नागौर क्षेत्र में मूंडवा क्षेत्र आता है जिसमें नगरपालिका है, पीएचईडी, आरएसईबी और पुलिस का वृत्त कार्यालय भी वहां है। नागौर में उप खण्ड कार्यालय नहीं होने की वजह से सहायक कलेक्टर मुख्यालय नागौर के पास दे रखा है। नागौर कलेक्टर मुख्यालय में पिछले दस वर्षों से वहां कोई नियुक्ति नहीं है, पद रिक्त है। इसलिए वहां काश्तकारों के जितने भी मुकदमे हैं, 1193 प्रकरण हैं

(श्री मोहन राम चौधरी)

जो अभी वर्तमान में पैंडिंग हैं। इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा सहायक कलेक्टर कार्यालय को हटाकर मूंडवा उप खण्ड कार्यालय बना दिया जाए जिसमें सरकार का कोई अन्य खर्चा भी नहीं होगा और वहां प्रकरणों को ठीक से देख सकते हैं। इससे नागौर से भी लोड कम हो जाएगा और आसानी रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जब कोई रजिस्ट्री होती है तो तीन प्रतियों में लेते हैं, परन्तु वह एक प्रति पटवारी के पास सीधी चली जाए तो उस जमीन का म्युटेशन हो जाए। आज राजस्थान में सब जगह सबसे बड़ी समस्या है कि म्युटेशन नहीं करते। भोले भाले लोग बैठे रह जाते हैं और जब बेचते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं उस समय माहौल और होता है। बाद में भाइयों में थोड़ा कुछ होने के कारण म्युटेशन नहीं हो पाता इसलिए मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा होती है। म्युटेशन हो गया उसके बाद भी यदि उस हिसाब से उसकी टर्मिंग नहीं होती, किसी की सीमा कहां तक है, यह यदि पटवारी नहीं करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा समस्या होती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जब हमारी तीन प्रतियां आती हैं तो क्यों नहीं उसको पाबंद किया जाए, पटवारी के पास भेजकर इतने समय में म्युटेशन होना चाहिये। मैं समझता हूं अगर इस प्रकार का राजस्थान में आदेश जाएगा तो आधे मुकदमे कम हो जाएंगे और काश्तकारों को इसमें बहुत रिलीफ मिलेगी। महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये आपका आभार, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग पर चर्चा करते हुए आज राजस्व, वन और पर्यटन महत्वपूर्ण विषय पर मैं 1936 की उस घटना का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें देश भर से किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय किसान सभा नाम का संगठन बनाया। उसमें नारा यह दिया था कि जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा। मैं आपके मार्फत राजस्व मंत्री जी का ध्यान इंगित कराना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान में खेजड़ी और कीकरसिंह के नाम से हजारों हैक्टेयर जमीन है, जो किसान के बंट नहीं रही है।

(15.00 बजे)

कोई सरकार उसको बांटने की हिम्मत नहीं कर रही है। मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि हर रोज कह रहे हैं कि बजरी माफिया पनप रहे

(श्री बलवान पूनियां)

हैं। मैं उस इलाके से आता हूं जहां घग्घर नदी है। घग्घर नदी में रेनी सीजन में पानी आता है तो नदी का फ्लो पूरे पीक पर रहा है और पानी पाकिस्तान तक जाता है, लेकिन रबी की फसल की सारी जमीन में खातेदारी है। लोग खेती करते हैं। यहां सरकारी भूमि पर जैसे खनन माफिया पनप रहे हैं, मेरी सरकार से इल्तिजा है कि एक-एक इंच जमीन किसान और मजदूर में बांटी जाए। यह चीज जब तक राजस्थान की सरकार तय नहीं करेगी, खनन माफिया पनपेंगे। कभी सिपाही कुचले जाएंगे, कभी लोग कुचले जाएंगे, कभी मजदूर कुचले जाएंगे, इसलिए आप इस बात के संदर्भ को समझने का प्रयास करें।

हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में 05.03.2008 में चकबंदी के नाम पर एक एमओयू किया गया था, वह चकबंदी/मुरब्बाबंदी का काम, उस समय भाजपा की सरकार थी, उन्होंने वेपकोस कंपनी के साथ किया लेकिन अगली सरकार ने बिना चकबंदी किए भुगतान कर दिया। पिछली बार 2017 में फिर चकबंदी के काम को अंजाम देने के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपये का 15.05.17 को एमओयू किया, लेकिन आज तक चकबंदी नहीं हुई है। लोग आज भी चकबंदी की मांग कर रहे हैं। भादरा, नोहर, सादुलपुर और टिब्बी तहसील के टोटल 118 गांवों हैं। इन 118 गांवों की जनता राजस्थान की सरकार के काबिल अफसरों की मुंह की तरफ 2005 की घोषणा के बाद से देख रही है। 1991 में पहली दफा सिद्धमुख नहर आई थी। उसका पहली दफा उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज तक भी चकबंदी का नाम नहीं हुआ, इसलिए आप इस बात पर गौर फरमाएंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए मैंने आपसे मांग की थी कि एसीएम की पोस्ट आज भी खाली है, जिससे एसडीओ, जो कानून व्यवस्था के काम भी देखता हैं, दूसरे जरूरी काम देखते हैं, एसीएम के काम भी वह खुद करता है। इसलिए एसीएम की पोस्ट पर जल्दी नियुक्ति हो जाए। मेरे यहां तो एडीएम की पोस्ट भी पिछले तीन महीने से खाली है। पटवारियों की चर्चा तो मेरे सारे साथियों ने कर ली तो मैं उस चर्चा को दोहराने का काम नहीं करूंगा। 24 चक ऐसे हैं जो री-फिटिंग का इंतजार कर रहे हैं, 24 चकों में लोग न तो डिग्गी बना पाते, ढाणी बना पाते। क्या पता, किस दिन कहां शिफ्ट हो जाएंगे। यह स्थिति हमारे क्षेत्र में बनी हुई है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस बात पर इंगित कराना चाहूंगा। हमारे यहां सन् 2000 से लेकर 2002 तक +++, सोरी

(श्री बलवान पूनियां)

मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, एक एडीओ थे, जिन्होंने जोहड़ पायतन की जमीन लोगों को औने-पौने दाम पर दे दी। आज लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। जोहड़ पायतन की जमीन से गांव-गांव में झगड़े हुए हैं। सरकारें बदलीं, हालात बदले, लेकिन गांव के लोगों की स्थिति कुछ नहीं बदली। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि आप उस मसले को देखिए।

जहां तक बात आती है। उन्होंने वन विभाग की जमीन भी नहीं छोड़ी थी। जब एक ढाणी को ही जोहड़ पायतन में बना ले, जब कोई घर जमीन पर बना ले, जोहड़ पायतन में तो उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, उसको पट्टा नहीं दिया जाएगा। जरूरी चीज नहीं दी जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद भी वे ही कोर्टें, जो सपट लिखती हैं कि आप जोहड़ पायतन की जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। सन् 2002 में की थी, आज तक उनका समाधान नहीं हुआ है। इसलिए मैं सदन से मांग करता हूं कि आप इस चीज को देखें, जो अवैध आबंटन किये गये थे आप उनको एकमुश्त निरस्त फरमाने का काम करेंगे।

हमारे पूरे राजस्थान में जो मंदिर माफी की जमीन है। जो किसान खेती करते हैं। बार-बार मांग भी उठती है कि मंदिर माफी की जमीन पर तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवीं पीढ़ी रहती है। मंदिर का लालन-पालन भी करते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं, लेकिन मंदिर माफी की जमीन पर न तो कोई बिजली का कनेक्शन ले पाता है, न कुएं का कनेक्शन ले पाता। काश्त तो वे करते हैं, पुजारी और पुजारी के परिवार के लोग। उनकी जरूरी चीजें नहीं पूरी हो पातीं। इसलिए हम चाहते हैं कि मंदिर माफी की जमीन भी, जो लोग उसमें काश्त करते हैं, उनको बांटने का काम किया जाए।

मैं सरकार का ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि जब भी राजस्व की बात आती है। राजस्व वृद्धि की बात आती है तो जनता पर टैक्स लगाकर भार बढ़ाने का काम सरकारें ही करती रही हैं। हालांकि, इस बजट में टैक्स कम करने की बात की गयी है, लेकिन एक सीधा-सा सिद्धांत है कि अगर राजस्व इकट्ठा करना है तो जनता पर भार डालना पड़ता है, लेकिन सरकारों ने ऐसा कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया कि राजस्व इकट्ठा करने के लिये, हम नये तरीके से कैसे राजस्व इकट्ठा करें, इसकी योजना सरकारों ने आज तक नहीं बनायी।

(श्री बलवान पूनियां)

जब राजस्थान रोडवेज की बात आती है। जब रोडवेज के कर्मचारियों के आंदोलन की बात आती है तो एक जवाब होता है कि पैसा नहीं है। अभी वन विभाग की बात चल रही थी तो कह रहे थे कि सिर्फ डेढ़ सौ करोड़ रुपये मिले हैं। पैसा किसलिए नहीं है, कि साहब राजस्व नहीं है। इसलिए इस डिमांड में सारे साथियों ने गंभीरता से चर्चाएं की हैं कि वन विभाग को भी बचाने का काम करना पड़ेगा, पर्यटन को बचाने का काम भी करना पड़ेगा। मंत्री जी, वन विभाग में तो एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि आज तक कितने वन लगे हैं, कितने पेड़ लगे हैं, पेड़ किसने लगाये, पेड़ कहां गये? मैं तो यह समझता हूं कि आज तक जो लोग वन विभाग में नौकरी करते हैं, चाहे वे रिटायर भी हो गये। जिनकी आय से अधिक सम्पत्ति है, उनकी जांच बिठायी जाए क्योंकि आपने और हमने रोटियां खायी होंगी। अगर बड़ा टुकड़ा चला जाए तो श्वांस नली में अटक जाता है। वन विभाग के अधिकारियों के गले में कीकर, सागवान के पेड़, सफेदे के पेड़ नहीं अटकते, सीधे अंदर जाते हैं। उनका क्या हाजमा है? इस हाजमे को पहचानना पड़ेगा और एक-एक कर्मचारी की जांच पड़ेगी कि आपके पास सम्पत्ति कहां से आयी? दो-दो साल से रिलीव नहीं हो रहे हैं। दो-दो साल के ट्रांसफर आर्डर पड़े हैं। वनपाल रिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि डीएफओ कह रहा है कि साहब मेरे पास ऊपर से फोन आ गया। ये ऊपर कहां है? विधान सभा से ऊपर भी कोई और ऊपर है क्या? यमराज हिसाब करें, उससे पहले हिंदुस्तान का संविधान हिसाब करे। मैं यह बात चाहते हूं।

जब वन संरक्षण की चिंता आती है, पर्यावरण संरक्षण की चिंता आती है। सब लोग पेड़ लगाने के लिए भागते हैं। हमने लगा दिए। एक एमएलए 1 हजार पेड़ लगा देगा। बचाएगा कौन? एमएलए के साढ़े चार साल और बचे हैं। पता नहीं, बाद में दूसरा एमएलए बन जाए। दूसरा एमएलए आकर उसे पटवा देगा या फिर वह खा जाएगा, जिसका हाजमा मजबूत है। इसलिए वन विभाग की बहुत निगरानी करने की जरूरत है। जिन-जिन लोगों ने वन विभाग में नौकरियां कीं, उन सबकी आय से अधिक सम्पत्ति की जांच करवायी जाए। अपने आप जंगल न उग जाएं। मंत्रियों के, विधायकों के घर के आगे-आगे पेड़ लगा जाएंगे, कहेंगे साहब, थारे मोटो सो जांटो लगाके जावां, थे म्हारी जांच काहे बिठायी है। यह स्थिति है, इसे हमें समझना पड़ेगा। हम इसको नजरंदाज नहीं कर सकते। आप और हम कार्यक्रम बनाते रहे।

आरटीडीसी का जिक्र चला। आरटीडीसी फायदे में थी। जब लोगों के

(श्री बलवान पूनियां)

पास मनोरंजन के साधन कम थे, जब लोगों के पास पैसे कम थे, लोग कंजूस हुआ करते थे, तब तो आरटीडीसी के होटल भरे हुए रहते थे। आज लोग थोड़ा पिकनिक-शिकनिक करना शुरू किये हैं, तो सरकारी होटल खाली हो गये। ऐसी परिस्थिति में हमें पर्यटन पर, मेरे इलाके में गोगामेड़ी मेला होता है। वहां पर गोगाजी का पीर है। आप ताज्जुब करेंगे कि पूरे उत्तरी भारत से पूरे साल में 70-80 लाख लोग आते हैं। हम उसको पर्यटन स्थल घोषित कर सकते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): पहले पैनोरमा बनाया था, लेकिन अभी भी वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। मैं माननीय देवस्थान मंत्री जी का भी ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि वहां पर पर्यटन स्थल के रूप में और देवस्थान की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के रूप में आप काम करेंगे। मैं तमाम बातों पर राजस्थान की सरकार का ध्यान दिलाते हुए, चाहे हम राजस्व की चिंता करें, चाहे हम पर्यावरण की चिंता करें, चाहे हम वन की चिंता करें। बजट भी हमारे हैं, व्यवस्थाएं भी हमारी हैं, हमें गंभीरता से फैसले लेने हैं। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने जो यहां पर कमिटमेंट किया है, अगर वह कमिटमेंट हम लागू कर दें तो हमारे यहां व्यवस्थाओं की कमी नहीं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल मीना।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि कैर का पौधा बीज से लगता है, लकड़ी से लगता है, कैसे लगाया जाए कैर का पौधा? इसका शोध करके बताएं हमें।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज मांग संख्या 8 राजस्व, मांग संख्या 9 वन एवं मांग संख्या 47 पर्यटन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि चकबंदी के नाम पर लोगों को जो पुराने नक्शे, जब नये नक्शे में परिवर्तित हुए तो हजारों की तादाद में उन नक्शों में छोटा-बड़ा हुआ जिसके कारण हजारों किसानों को केस करके, उनको दुरुस्त कराने का काम हुआ है। मैं राजस्व मंत्री को कहना

(श्री गोपाल लाल मीना)

चाहूंगा कि जहां भी चकबंदी हुई है उस चकबंदी में जो भी त्रुटियां हैं, उनको सरकार के लेवल पर एक साथ पूरा किया जाए। इससे किसानों में आपस में झगड़ा हुआ है, इसकी वजह से लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है, उनको परेशानी होती है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह नक्शे एक साथ दुरुस्त हों ताकि इन लोगों को दिक्कत नहीं आए।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र जमवारामगढ़ में जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पहाड़ हैं, नदियां हैं, काफी लंबा है, इसलिए पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी ने हमें उप-तहसील दी जिससे किसानों को आने-जाने की परेशानी से फायदा मिला। सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आंधी में उपतहसील है, उसको तहसील में क्रमोन्नत किया जाए ताकि वहां के लोगों को 50-60 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। ताला में एक उप-तहसील हो, जिससे वहां भी लोगों को फायदा हो पाए। मैं राजस्व मंत्री जी को यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आंधी में, वही मैं दूरी की बात कर रहा हूं, जगह की बात कर रहा हूं, वहां उपखण्ड कार्यालय भी हो तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को आने-जाने की परेशानी दूर हो जाएगी और लोगों को फायदा मिल पाएगा।

मैं वन क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा। वन क्षेत्रों में सड़कें बनती हैं। उनकी एनओसी के लिए सालों गुजर जाते हैं। आपको बताऊं, मेरे क्षेत्र में एक 90 करोड़ की रोड पास हुई थी पिछली बार, उसमें कुछ क्षेत्र वन क्षेत्र में आया। पिछली सरकार ने पांच साल निकाल दिए लेकिन उसमें एनओसी लेने का इरादा नहीं रखा। मैं कहना चाहूंगा उन अधिकारियों को भी, जो वन क्षेत्र में जो रोड बनी हुई है, पुराने जमाने से जब से जयपुर-अलवर बसा हुआ था, तब से वह रोड बनी हुई थी, लेकिन उसमें भी अधिकारी यह कहकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं कि यह तो केन्द्र से है। सेन्ट्रल का नियम है। हम इसमें एनओसी नहीं दे सकते। कानूनी हिसाब से जो 1980 से पहले की रोड हैं, उनमें तुरन्त एनओसी दी जा सकती है। इसलिए मैं वन अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि वन क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं, उन सड़कों के लिए इन्हें एनओसी देने में टाइम नहीं लगाना चाहिए। मैं वन मंत्री को कहना चाहूंगा कि जहां भी सड़कों की दिक्कत है, वहां पर आपका भी हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार का भी होना चाहिए और उनकी समय-समय पर मीटिंग करके उन सड़कों की एनओसी देनी चाहिए। आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए और 70 साल के बाद भी

(श्री गोपाल लाल मीना)

उन गांवों में सड़कें नहीं पहुंच पा रही हैं। यह वन क्षेत्र की वजह से नहीं पहुंच पा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से वन मंत्री को कहना चाहूंगा कि ऐसे गांवों को चिह्नित करें, जहां ग्रेवल रोड बन रही है और वर्षों से बन रही है। 1980 से पहले से रोड बन रही हैं, उन रोड को बनाने का, उनको एनओसी देने का काम वन मंत्री को करना चाहिए।

वन क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश में आदिवासियों को पट्टे देने का काम किया था, वह एक ऐतिहासिक काम था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जहां भी आदिवासी क्षेत्रों में, जो वन क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, उनके पट्टे आज तक नहीं दिए गए। मैं वन की मांग संख्या 9 पर बोलते हुए यह कहना चाहूंगा कि जहां भी वन क्षेत्र हैं चाहे आदिवासी हों, चाहे और लोग बसे हुए हों, उनको पट्टे देने चाहिए। उन लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। अगर वन क्षेत्र में कोई थोड़ा-सा भी काम करते हैं, कोई लाइट भी लगाता है तो वहां पर जाकर वन अधिकारी उनको बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जहां वन क्षेत्र नहीं है वहां पर वाइल्ड लाइफ बताकर उस क्षेत्र को रोक दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां भी वन क्षेत्र है, उसमें अगर फोरेस्ट की जमीन नहीं है तो वहां पर तो कम से कम अधिकारियों को यह होना चाहिए कि इस क्षेत्र में जाकर तो नहीं रोके। मेरे क्षेत्र में सैक्चुअरी एरिया है, उसमें 33 गांव आते हैं। 33 गांवों की पांच साल पहले, उस क्षेत्र की रजिस्ट्रियों को रोक दिया जिससे उन लोगों को इतनी परेशानी हो गई कि न तो वह केसीसी ले सकते हैं, न ही वह अपनी पेरेन्टल सम्पत्ति को अपने बेटे के नाम करवा सकते हैं। जहां की जहां स्थिति में कर दी। जैसे अंतरिक्ष में आदमी रुक जाता है, वैसे ही वह जमीन वहां की वहां रुक गई। पहले वहां पर रजिस्ट्री भी हो रही थी। उनको केसीसी के भी पैसे मिल रहे थे। इन 33 गांवों की रजिस्ट्रियों को पुन: खोला जाए। उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। पेरेन्टल रजिस्ट्रयों के नामान्तकरण खुलने चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रजिस्ट्रियों को तुरन्त प्रभाव से आदरणीय वन मंत्री जी देखकर इनकी जो भी स्थिति हो, इनको केसीसी के पैसे मिलने चाहिए जिससे इनका जीवन सही हो पाए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा हमारा डिकोता का जो रेंजर है, उसको सरिस्का में ले लिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर सरिस्का में हमारे लोगों को जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी मीटिंग चल रही है। वन विभाग

(श्री गोपाल लाल मीना)

के अधिकारी यह कह रहे हैं कि जमवारामगढ़ को भी हम वाइल्ड लाइफ में ले लें। यह बड़ी दिक्कत है। हमें बहुत परेशानी है। अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ में आ जाएंगे तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वन मंत्री को कहना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ में डीएफओ आफिस हो। डीएफओ वहां पर बैठें, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अन्यथा हमको बहुत दिक्कत है क्योंकि हम अलवर जाकर हमारे क्षेत्र की समस्या को, कोई दिक्कत हो, वह जाकर वहां नहीं बता सकते। हमारा डीएफओ अभी जयपुर में लगता है।

मैं आपको पर्यटन के बारे में भी बताना चाहूंगा क्योंकि पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से जमवारामगढ़ बांध आज से ही नहीं वर्षों से पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आज उसकी यह स्थिति है कि पानी, मैंने पहले भी विधान सभा में कहा था लेकिन बजट में नहीं आ पाया। आगे मुख्य मंत्री जी से कहेंगे कि इस योजना को, मेज नदी से पानी आ रहा है, वह आए। 1982 में एशियाई गेम हुए थे, पूरे विश्व के लोग वहां पहुंचे थे। मैं आज कहना चाहूंगा वहां यह स्थिति है कि आरटीडीसी खेल गांव के नाम से बनी हुई थी, वह बंद पड़ी है। पर्यटन की दृष्टि से जयपुर के नजदीक है और जयपुर के नजदीक होने की वजह से आज जमवारामगढ़ बांध के आस पास का क्षेत्र पर्यटन की स्थिति से बहुत मजबूत है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जमवारामगढ़ क्षेत्र में एक शिव मंदिर टोडामीना पड़ता है, वह भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर ऊपर पानी आ रहा है, नीचे अगर पास में खोदेंगे तो 200 फीट पानी है, पर्यटन दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है।

जमवारामगढ़ क्षेत्र में एक गढ़ है, वह भी इसमें आता है। उसे अगर पर्यटन क्षेत्र में लें तो निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, आज वन पर्यावरण, पर्यटन, राजस्व संबंधी मांगों पर आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। तीनों ही विभागों के माननीय मंत्री जी विराजे हैं। पूरा सदन विराजा है। गम्भीर विषय पर चिंतन और मंथन हो रहा है। माननीय सभापति जी, ग्रामीण क्षेत्र में निरन्तर आबादी बढ़ रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आबादी क्षेत्र का विस्तार बहुत अरसे से अटका पड़ा है। ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ रही है त्यों-त्यों लोग अपने घर आबादी क्षेत्र से बाहर, गोचर, ओरण है, उनमें बस रहे हैं। उनमें आबादी विस्तार हो रहा है। गांव में कहीं भी छोटी-मोटी शिकायत, एक गांव की नहीं, यह पूरे प्रदेश की समस्या है। गांव में छोटा-मोटा विवाद होता है, अतिक्रमण की शिकायत करके लोग आगे चल पड़ते हैं, उससे असामंजस्य सामने आता है। नोखा विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण आपके सामने रखता हूं साठिका गांव जो ऐतिहासिक महत्व का गांव है। मां करणी, जगत जननी मां करणी का ससुराल। उस गांव में मात्र 150 घरों की आबादी है। ऐसी शिकायत जो आगे चलकर हाई कोर्ट तक पहुंच गई। 150 घरों में से 75 घरों को डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया, 75 घरों में से 43 घर अनुसूचित जाति, दलित समुदाय के लोगों के थे, जो बड़ी मेहनत और मजदूरी करके अपने जीवन भर की कमाई लगाकर, अपने बच्चों के लिए छत की व्यवस्था करते हैं, आज वह दो वर्षों से दर-दर भटक रहे हैं। इस बात को लेकर घूम रहे हैं कि हमें न्याय मिले। माननीय राजस्व मंत्री जी विराजे हुए हैं, हमारे एसडीएम ने, कलेक्टर ने सैट अपार्ट के प्रस्ताव भिजवा रखे हैं जो सिवाय चक और आराजी राज के हैं लेकिन उसमें भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आड़े आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने वहां से निजी खातेदारी भूमि के प्रस्ताव भी भिजवाए कि इस निजी खातेदारी भूमि के बदले सैट अपार्ट में यह व्यवस्था की जाए, इनको आबादी भूमि दी जाए, लेकिन उसमें भी कोई निर्णय नहीं हो रहा। माननीय मंत्री महोदय, पूरा सदन इस बात का गवाह है कि एक गांव नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है। सरकार इस बात पर चिंता करके सदन में इस तरह की बहस करे कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है। पूरे राजस्थान के हज़ारों प्रकरण आपके संज्ञान में इस तरह के हैं।

माननीय मंत्री जी, आज बहुत से सदस्यों ने डिबेट में भाग लेते हुए कहा कि पटवारी ग्रामीण विकास की, राजस्व की, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।

(श्री बिहारीलाल)

कितने-कितने पटवार सर्कल खाली पड़े हैं, कितने गिरदावर सर्कल खाली पड़े हैं, पटवारियों की संख्या बहुत कम है, आपने अभी भर्ती की बात बजट में की है। पूरे प्रदेश के ग्रामीणों की यह मांग है कि, अभी चार-चार पटवार सर्कल एक-एक व्यक्ति देख रहा है। ऑप्टिमम व्यवस्था तो राजस्थान के राजस्व के लिए यह हो कि इस बात को और नीचे तक ले जाया जाए, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गिरदावर सर्कल हो और प्रत्येक ग्राम तक पटवार सर्कल हो, लेकिन इस व्यवस्था में बहुत समय लगेगा। भर्ती के साथ, जितना दुरुस्त हम इस व्यवस्था को कर सकते हैं, करना चाहिए।

हमारे बीकानेर जिले में 9 तहसीलें, कोलोनाइजेशन की कई तहसीलें आई हैं जो राजस्व तहसीलें बनी हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि उनका डिजिटाइजेशन अभी तक अधूरा है, इसके बिना किसान सम्मान निधि का डाटा जो आप देख रहे हैं, वह पूरा नहीं हो पाता। उन तहसीलों के किसानों को इस बात का फायदा नहीं मिल पा रहा है, उसको भी शीघ्रता से करवाया जाए।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांवों को रेवेन्यू विलेज के रूप में प्रस्तावित कर रहा हूं। केसुपुरा ग्राम पंचायत रोड़ा, भोमढाणी ग्राम पंचायत जांगलू; खीचड़ों की ढाणी ग्राम पंचायत बंधाला; नाइयों की ढाणी ग्राम पंचायत ढींगसरी; हनुमान नगर ग्राम पंचायत सारुंडा; लोहियों की ढाणी ग्राम पंचायत कक्कू; खेतोरा की ढाणी रोडा, सियागो की ढाणी ग्राम पंचायत जांगलू; गोदारो की ढाणी देसलसर, मेघवालों की ढाणी अमलाव तालाब ग्राम पंचायत पिंधरासर; भाटियों की ढाणी ग्राम पंचायत मेनसर, ताकि वहां तक विकास की पहुंच हो सके। हमारा एक ब्लाक पांचू जो पंचायत समिति मुख्यालय है उसको उप तहसील के रूप में आगे बढ़ाने का आप महत्वपूर्ण कार्य करें, यह आपसे आग्रह है।

माननीय मंत्री महोदय, दूसरी चर्चा पर्यटन पर हो रही है। नोखा तहसील में ग्राम उदासर, पांचू, नाथूसर, भादला, सेनसर, धरनोक, साठिका, बंधाला, जांगलू, छीपनाड़ा जेगला, इनके मध्य में देशनोक जो कोलायत का हिस्सा है, मां करणी का बड़ा मंदिर है, ऐतिहासिक महत्व का नगर है, उसके पास उदयरामसर जो बीकानेर से लगता हुआ क्षेत्र है, यहां पर ऐसे-ऐसे सुनहरे व रेतीले धोरे हैं जो सम जैसलमेर को भी पीछे छोड़ते हैं। इन धोरों की श्रृंखला को भी पर्यटन मानचित्र पर पर्यटन मंत्री जी लाएं तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों

(श्री बिहारीलाल)

में विदेशी पर्यटक आएंगे। मां करणी के स्थान पर देश-विदेश के लाखों पर्यटक आते रहते हैं। इस डेजर्ट सर्कल में, इन गांवों, धोरों को, सुनहरी रेत के धोरों को पर्यटन मानचित्र पर ले आते हैं तो इन क्षेत्रों में बहुत पर्यटन का काम हो सकता है।

बीकानेर, जिसको कभी जांगल प्रदेश कहा जाता था, उसकी राजधानी कोयलापाटन थी। जिसको आज जांगलू कहा जाता है उस जांगलू में ऐतिहासिक बरंगवाली नाडी, तालाब को ऐतिहासिक धरोहर और जल संरक्षण के रूप में भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इस ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

नोखा में एक ऐतिहासिक स्थान है, मुकाम है। हम वन और पर्यावरण की चर्चा करने बैठे हैं, आज दुनियां जिस बात से चिंतित है, बड़े-बड़े वैज्ञानिक जिस बात से चिंतित हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों को बचाने की बात से चिंतित हैं, जीव रक्षा के लिए चिंतित हैं, उस चिंता को सैकड़ों वर्ष पूर्व करने वाले गुरु जम्भेश्वर भगवान इस धरती पर आए, उनका समाधि स्थल मुकाम में है, माननीय मंत्री जी, इस ऐतिहासिक स्थल को भी विश्व मानचित्र पर लाइये। इस ऐतिहासिक स्थान को आगे बढ़ाने का हम काम करें। तहसील क्षेत्र में स्थित सैंगालधोरा जो गोरखनाथ जी का स्थान है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बराबर महत्व का स्थान है, पौराणिक स्थान है, इसको भी विकसित करें। पांचू पंचायत समिति मुख्यालय से, इसको रोड से जोड़ने का काम किया जाए तो ऐतिहासिक महत्व के स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। मां करणी का स्थान साठिका, सुस्वाणी माता का स्थान मोरठाणा, इनको भी हम इस सूची में रख सकते हैं।

वन और पर्यावरण मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं और वन पर चर्चा हो रही है। इसकी शुरूआत हमारे सदन के उप नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब ने की। इस प्रदेश की फ्लोरा और फोना की बात करते हुए, चिंतित होते हुए, दुनिया भर में इस विषय में जो भी अनुसंधान हुए हैं, उनकी चर्चा करते हुए, वनस्पति की महत्ता बताते हुए, बहुत विस्तृत चर्चा उन्होंने की।

सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुनिया में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को यह मनाने के पीछे क्या कहानी है, सिर्फ इतनी कि 1972 में संयुक्त

(श्री बिहारीलाल)

राष्ट्र में 5 जून से 16 जून तक यह चर्चा हुई पर्यावरण विषय पर ग्रीन देशों के प्रभाव पर एक चिंतन मंथन हुआ कि इसको कैसे सुधारा जाए, एकमात्र इतनी सी बात पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

आज माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने अपनी बात कहते हुए एक घटना का उल्लेख किया है। ऐतिहासिक घटना, भादवा सुदी दशमी, मंगलवार विक्रम सम्वत 1787, अर्थात 21 सितम्बर, 1730 खेजड़ली स्थान, जोधपुर में, जहां पेड़ की रक्षार्थ मां अमृता के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने सिर कटा दिये, सिर कटाकर बलिदान दिया। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। दुनिया में चाहे कैसा ही आन्दोलन हो, चिपको आन्दोलन हो, किसी तरह का पर्यावरण संरक्षण का आन्दोलन हो, उसकी सीख लेने का अगर किसी ने काम किया, सीख देने का किसी स्थान से काम हुआ तो मां अमृता के नेतृत्व में खेजड़ली से हुआ। एक ध्येय वाक्य के साथ, 'सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण', अगर सिर के बदले पेड़ बचता है तो भी सस्ता सौदा है। इस ध्येय के लिए उस महिला ने, उसकी स्वयं की तीन बेटियों ने और देखते-देखते 363 लोगों ने अपने सिर पेड़ के लिये कटा दिये। ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण दुनिया में पर्यावरण की चिंता को लेकर कहीं नहीं मिलता।

इसलिये सदन का यह दायित्व बनता है, इस प्रदेश की मुखिया, जिस सदन में हम बैठे हैं, यह प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है और इस प्रदेश में ऐसी ऐतिहासिक घटना पर्यावरण की चिंता को लेकर बरसों पहले हुई है, तो इस सदन का भी दायित्व बनता है कि खेजड़ली पेड़ों के लिये शहीद होने वाले उन शहीदों को कृतज्ञता के साथ तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जब हमारा सदन एक प्रस्ताव पारित करे और केन्द्र सरकार को भेजे, और ऐसी कोई व्यवस्था हो तो यू.एन. को भी भेजे कि 05 जून की बजाय 21 सितम्बर के दिन को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया जाए। जब यह बात यहां से जाएगी, और दिल्ली की सरकार भी इसमें ताकत लगाएगी तो जब 21 जून विश्व योग दिवस हो सकता है तो 21 सितम्बर विश्व पर्यावरण दिवस भी निश्चित तौर पर हो सकता है। यह मैं आपके भरोसे पर कहता हूं।

माननीय वन मंत्रीजी, विधान सभा नोखा की पंचायत समिति मुख्यालय पांचू पर घायल वन्य जीवों के उपचार और रेस्क्यू सेन्टर की स्वीकृति करवाने की कृपा करें। जो मुकाम में रेस्क्यू सेन्टर है ...(व्यवधान) वहां एक चिकित्सक की व्यवस्था करवाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): बस, एक मिनट, माननीय सभापतिजी।

नोखा तहसील में घायल वन्य जीवों को लाने, ले जाने के लिये एम्बुलेंस वाहन मय दो वाहन चालक, इस क्षेत्र में शिकार की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिये उड़नदस्ता मय वन के स्टाफ की व्यवस्था करें।

माननीय मंत्रीजी, एक ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्रीजी को भेजा गया है, मेरे पास भी आया है। गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण जीव रक्षा प्रदेश की संस्था नागौर की इकाई है, उसके बीकानेर सम्भाग प्रभारी हनुमान दिलोइया, राज्य सरकार वन्य जीव अधिनियम, 1972 व 1992 को कठोर बनाएं। शिकारी व संरक्षणकर्ता को कम से कम दस वर्ष की सज़ा का प्रावधान करें, तब ये मूक प्राणी, जो अपनी बात कह नहीं सकते, जो अपनी बात बोलकर नहीं कह सकते, ये पेड़ जो खामोश हैं, खामोशी के साथ इस पर्यावरण को बचाने की चिंता करते हैं, मां-भारती के इस पर्यावरण के फ्लौरा और फौना को बचाने की चिंता करते हैं, वह पेड़ बोल नहीं सकता, वह जीव बोल नहीं सकता। इनको बचाने के लिये हम सबको बोलना पड़ेगा, माननीय मंत्रीजी।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा): आप सब इन बातों पर गम्भीर, चिंतन, मंथन करते हुए, राजस्व मंत्री, पर्यटन मंत्री और वन मंत्री, निश्चित तौर पर इन पर समुचित समाधान करेंगे, इस उम्मीद के साथ, माननीय सभापतिजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने कटौती प्रस्ताव राजस्व, वन, पर्यटन, मांग संख्या 8, 9 और 47 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

वन पर अभी जिस तरह से बोला जा रहा था, वन हमारे लिये, हमारे जीवन के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सब सोचते भी हैं लेकिन सार्थक नहीं हो पाता। मैं अपनी तरफ से बोलती हूं, बनाकर लाई हूं वृक्षों और वन के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कब बनाया?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अभी ताजा ही बनाया है। कल का बासी भी नहीं है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

वन में वृक्षों का वास रहने दो
झील-झरनों में सांस रहने दो
वृक्ष होते हैं जंगल के वस्त्र
छीनो मत इन्हें, लिबास रहने दो
वृक्ष हैं चिड़ियों का घोंसला
मत तोड़ो इनको, निवास रहने दो
पेड़-पौधे चिराग हैं वन के
उनमें बाकी उजास रहने दो, उजास रहने दो।

क्योंकि वृक्ष पक्षियों का घोंसला ही नहीं, पशुओं की मांद भी है, जो जंगल में रहते हैं, पशु हों, पक्षी हों।

पिछली बार मैं भी सदन में थी। जो पिछली सरकार थी, उसने कागजों में, आंकड़ों में पेड़ लगाये। आंकड़े गिनवाये कि वन विभाग की ओर से इतने पेड़-पौधे लगाये गये, लेकिन वह सिर्फ आंकड़ो में रह गये। जब उनकी जांच कराई गई तो वहां पर पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन आंकड़ों में सदन में बोल रहे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लेकिन वर्तमान में जो पेड़-पौधे लगाये जाते हैं, न उनमें फल, न फूल। अगर पेड़ पौधे लगाये जाएं, जैसा सभी लोग देखते भी हैं कि दिल्ली के जो रोड के किनारे हैं, चाहे नीम के हों, बील के हों, जामुन के हों, इमली के हों, आंवले के हों, खेजड़ी, बड़, पीपल आदि जो बड़े वृक्ष हैं, जिनसे कि राहगीर को छाया मिलने के साथ-साथ पक्षियों को भोजन भी मिलता है और निवास भी मिलता है। वन विभाग की तरफ से ऐसे पौधे नरेगा में ले करके सभी पंचायतों को निर्देशित करें, जिससे कि सारी जगह, जो यह सूखापन है, चाहे आज राजस्थान में बारिश नहीं होने का कारण हो, तो यह सब पेड़-पौधों की वजह से है। पौधों में अनेक तरह की दवाइयां, जड़ी-बूटियां भी पाई जाती हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर कट जाए तो सदाबहार का पौधा होता है उसको लगाने से न ही घाव पकता है और खून भी तुरन्त बंद हो जाता है। इस तरह की अनेकों दवाइयां बनती हैं। जैसे हमारे वहां ताल वृक्ष में अर्जुन के पेड़ हैं। वे समाप्त होने की कगार पर हैं। वन एरिया भी आता है और मेरा विधान सभा क्षेत्र भी है। मैंने बात भी की कि अगर जहां

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मेरी आवश्यकता हो, कोष देने की आवश्यकता हो, पंचायती राज में दे करके, तो ऐसे पेड़ पौधों का संरक्षण जरूरी है।

अभी सदन में, माननीय सभापति महोदय ने सदन में रखा, पेड़ लगाने के लिये, विधायकों के लिये, बहुत ही सराहनीय है। पौधों से जयपुर प्रसिद्ध है कि यहां का प्रिन्ट भी, फूल और पत्तियों से कलर बनाये जाते थे, प्राकृतिक कलर, और कुछ लोग अपना जीवनयापन छोटे कुटीर उद्योग से करते थे, लेकिन आज वह भी समाप्त होने की कगार पर जा रहा है। वन संरक्षण हमारा एक कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। हमने पहले भी देखा था कि सरिस्का वन क्षेत्र अलवर में लगता है और मेरा विधान सभा क्षेत्र है। अब जो बड़ी-बड़ी योजनाएं बना करके कि वन्य जीवों की रक्षा की जाए, लेकिन जब तक ग्रामवासियों का, गांव वालों का और फोरेस्ट विभाग का आपस में तालमेल नहीं होगा, तब तक उनकी रक्षा करना, या वन की रक्षा करना सम्भव नहीं हो पाएगा।

सदा से ही वन्य जीव और इन्सानों का रिश्ता रहा है। इसका उदाहरण, भर्तृहरि के पास एक स्थान है, नाहर सती का मन्दिर है। वह इस चीज का उदाहरण है कि किस तरह से वन्य जीवों और इन्सानों के रिश्ते कायम थे। पहले पर्दा प्रथा थी। एक महिला घूंघट करके, उसने सोचा कि मेरे ससुरजी बैठे हैं और उनको अपने बच्चे को गोद में दे जाती है, चारा लेने के लिये चली जाती है, उनके घर पर जब उनके ससुर, परिवार के सदस्य आ जाते हैं, वह कहते हैं कि इस शेर को मार देना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि आप दूर हट जाइये, मैं बच्चे को ले लूंगी। उसने घूंघट उसी तरह से, जैसे बच्चा गोद में दिया था, उसी तरह मांगा। उस शेर ने उस बच्चे को वापस गोदी में दे दिया। यह एक उदाहरण है, लेकिन फिर भी घर-परिवार वालों ने उसको खतम कर दिया था तो वह उसी के साथ सती हो गई थी। इस तरह से वन्य जीवों के साथ इन्सानों का रिश्ता रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सरिस्का क्षेत्र जहां पर पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही थी लेकिन हमने भी रुकवाया और फोरेस्ट विभाग को भी सूचना की। लेकिन फोरेस्ट विभाग किस तरह से वहां पर पेड़-पौधों के रख-रखाव के लिए कोई कदम नहीं उठाने के बजाए आपस में गांव वालों के साथ, एक सामंजस्य नहीं है बल्कि प्रतिरोध होता है। इस तरह से नहीं करके जो सरिस्का क्षेत्र है उसका

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सीमांकन हो जाए। रोज-रोज कोई भी बात होती है तो वहां पर ग्रामीण धरना-प्रदर्शन करते हैं तो सीमांकन करवा दिया जाए, जिसमें फोरेस्ट के अधिकारी भी मौजूद रहें और गांव वाले भी मौजूद रहें तो यह आपस का झगड़ा कि यह सीमा हमारी है, यह सीमा आपकी है, उस भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।

जो वन क्षेत्र में राजस्व ग्राम लगते हैं उनको वहां पर कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे शिक्षा हो, अस्पताल हो, सड़क हो, मकान बनाने को लेकर हो, तो इस तरीके की गांव वालों को सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो रेवेन्यू विलेज हैं, हजारों वर्षों से रह रहे हैं और इतनी पंचायतों को आप विस्थापित नहीं कर सकते। एक पंचायत नहीं है। मेरी पंचायतें ही बहुत सारी हैं। बामनवास, मुण्डावरा, खरखड़ी, गढ़ी, रामपुर है, बहुत सारी मेरी पंचायतें लगती हैं इनको आप विस्थापित नहीं कर सकते तो उनको सुविधा क्यों नहीं दें?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, पिछली बार तो ऐसे ही टालते रहे लेकिन अब मैं अनुरोध करूंगी कि ग्रामीणों को बिजली के कनेक्शन मिले, मकान बनाने की परमिशन मिले और रास्ता बनाने के लिए परमिशन दी जाए। अभी थोड़े दिन पहले कुशालगढ़ से जो रास्ता जा रहा था, उस पर रोक लगा दी। मैंने कहा कि आप हमसे एन.ओ.सी. ले लीजिए फोरेस्ट विभाग से तो एन.ओ.सी. के लिए भी एप्लाई कर दिया। रास्ते पर रोक नहीं लगानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, अभी तो एक ही विषय पर बोला है। आज आप थोड़ा-सा मुझे समय देने का कष्ट करें।

श्री सभापति: आप बोले ही नहीं बिलकुल भी, फिर भी आपसे निवेदन है कि आप समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): थोड़ी देर में। माननीय सभापति महोदय, पर्यटन पर थोड़ा-सा बोल लूं और राजस्व पर भी अपनी मांगें तो रख दूं।

श्री सभापति: मैंने पहले भी आप लोगों से यह निवेदन किया था कि

(श्री सभापति)

आपको जो भी प्राथमिकता की बात कहनी है, वह पहले कह दें ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत न हो। आप समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वन क्षेत्र में जो नरेगा में काम चल रहे हैं उनमें मिट्टी लाने की उन गांव वालों को परमिशन दी जाए और विस्थापित जो परिवार होंगे उनका मुआवजा बढ़ाया जाए। जो वन क्षेत्र के वन्य जीव गाय, भैंस, बकरी को खा जाते हैं तो उनका ग्रामीणों को मुआवजा बढ़ाया जाए जिससे कि वह उनकी रक्षा कर सकें और उनके साथ रह सकें। नीलगाय और सूअर जो फसल को नष्ट कर देते हैं उनका भी मुआवजा मिलना चाहिए।

एक सबसे बड़ा पाइंट है कि वन क्षेत्र में जो एनीकट और बांध आते हैं उन पर रोक लगा दी जाती है, उन्हें बनाया जाए जिससे कि वन क्षेत्र के जो पशु-पक्षी हैं वह भी पानी पीएंगे, अब गांव वाले यह तो है नहीं कि विस्थापित होने के साथ में एनीकट या बांध को उठाकर ले जाएंगे? तो कम से कम उन्हें वहां पर बांध और एनीकट बनाने की परमिशन देनी चाहिए जिससे गांव वालों का भी वहां पानी का जल स्तर बढ़ेगा और वन्य जीवों के भी काम आएगा। यह कोई ऐसा अपराध नहीं है, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह अनुरोध है और जो धार्मिक स्थल है, जैसे- हनुमानजी का मंदिर है, पांडुपोल है, ताल-वृक्ष है, शीतलनाथ महाराज है, कई हमारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर जलधारा निकल रही है तो ऐसे स्थान पर मंदिरों में बिजली लगाने की परमिशन वन विभाग से दी जाए। वहां पर बहुत पर्यटक आते हैं तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, एक लाइन पर्यटन पर और बोल दूं।

वहां पर पानी का स्तर ऊंचा है और बांध बनाने के लिए रामपुर, नांगलहेड़ी, छीण्ड, जयसिंहपुरा, नाथूसर, खरखड़ी, गढ़ी, भड़ानों की बाल, गुढ़ा, भांकरवाला, मानावास, बेरावास ऐसे स्थान हैं, जहां पर पानी का बहुत अधिक भराव क्षेत्र है, वहां पर बांध बनाने की परमिशन दी जानी चाहिए।

राजस्व विभाग में जितने भी पटवारी और यह सारे कानूनगो और उप तहसील में मेरे नारायणपुर नायब तहसीलदार नहीं है तो वहां पर रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन के बारे में बात चल रही थी कि यह जो 'पधारो म्हारे देश'....

श्री सभापतिः माननीय सदस्या, समाप्त करें। श्री रामलाल शर्मा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पर्यटन के बारे में थोड़ा-सा बोल दें? पर्यटक स्थल हमारे अलवर में है जैसे- सागर हो, चाहे महल हो और बावड़ी है, कुंड है, हमारे वहां पर इनको संरक्षित किया जाए।

श्री सभापतिः विराजिए-विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो आर.टी.डी.सी. के होटल, जितने भी थे, वह बंद कर दिये गये। बहरोड़ जो कि लाभ में था, पिछली सरकार ने यह दिखाकर सदन में कहा कि टोटे में है, सरकार को लाभ नहीं मिल रहा है लेकिन लाभान्वित था फिर भी उस आर.टी.डी.सी. को बंद कर दिया गया।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, बिलकुल। थोड़ी-थोड़ी मेरी मांग पर ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय पर बाद में बोल लेते, पहले अपने घर पर बोल लेते। हमारे गांव में एक कहावत है कि ''आकाश बांधूं, पाताल बांधूं तो घरवाली ने कहा कि पहले अपना छप्पर बांध लें जो तकलीफ नहीं पाए।'' तो आप पहले अपने घर की बात कर लेते, राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय पर तो बाद में ही बोल लेते। आप समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सारे अपनी-अपनी बातें बोल रहे थे।

श्री सभापतिः नहीं-नहीं, अब मैं ज्यादा इजाजत नहीं दे सकता। समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): राजस्व विभाग से मेरा अनुरोध है कि जो पिछली बार 'न्याय आपके द्वार' कैम्प लगाये गए थे उसमें कोई भी निस्तारण नहीं हुआ, कोई पट्टे नहीं दिये गये, कहां पर दिये गये, क्या किया गया? केवल प्रस्ताव ले लिये गये तो जिनके काम पैंडिंग पड़े हैं, उनको पट्टे दिये जाएं। श्मशान को जाने वाले रास्ते और इस तरह के जितने भी रास्ते हैं, गैर-मुमकिन नाले और नदी के, उनको दिये जाएं और एक कस्टोडियन भूमि का, मेरे बानसूर, तिजारा, कोटकासिम और बहरोड़ इसमें कस्टोडियन के पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री सभापतिः समाप्त करें। बाकी आप मंत्रीजी को लिखकर दे देना। समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पिछली बार सदन में मंत्रीजी ने

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

यह जवाब दिया कि कैम्प लगाकर दिये जाएंगे लेकिन आज तक वह कोई कैम्प नहीं लगा तो मेरा अनुरोध है कि अब इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा। रामलालजी, पहले आप चौमूं का बोल लेना, बाकी बात बाद में करना वरना फिर चौमूं अटक जाएगा और चौमूं अटक जाए, ऐसा मैं चाहता नहीं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, जैसी उदारता आपने बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या के ऊपर बरती है, वैसी मेहरबानी मैं भी आसन से चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया उस बजट के अंदर सिर्फ एक लाइन वनों के लिए कही गयी। टाइगर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गोडावण के प्रभावी संरक्षण हेतु योजना बनाई जाएगी और जलवायु परिवर्तन के लिए भी नीति लाएंगे। इसके अलावा वन के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में या वर्तमान राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर पर्यावरण की जो विषमता पैदा हुई है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 8-राजस्व, मांग संख्या 9-वन और मांग संख्या 47-पर्यटन के ऊपर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आज के वर्तमान हालत के अंदर राज्य सरकार हो या चाहे केन्द्र सरकार हो, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं बना रही है, वह लोक कल्याणकारी योजनाएं मनुष्य के लिए बना रही है लेकिन वह मनुष्यों को सुविधाएं देने के लिए बना रही है, मनुष्यों को बचाने के लिए योजनाएं नहीं बना रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिनकी वजह से इंसान जिंदा रहता है, उनके ऊपर कोई गंभीरता नहीं है। आज मनुष्य का शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, इन पांच तत्वों में से एक तत्व भी यदि हम निकाल दें, किसी व्यक्ति के ऊपर यह प्रतिबंध लगा दें कि आज से आप जल की एक बूंद नहीं पीएंगे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दें कि आपको वायु ग्रहण करने की आवश्यकता

(श्री रामलाल शर्मा)

नहीं है, सांस लेने के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह जिंदा नहीं रह सकता। किसी को यह कहें कि आप धरती के ऊपर पैर रखकर नहीं चलोगे तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। जिनकी वजह से इंसान जिंदा है, उसकी चिंता इंसान नहीं कर रहा और इंसान उनकी चिंता कर रहा है जो कभी साथ जाने वाले नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जो बात कहना चाहता हूं उसके अंदर मैं भी शामिल हूं। मेरे भी मन की स्थिति वैसी ही है, जैसी औरों की है। किसी भी व्यक्ति को आप पूछिए कि क्यों जिंदा है? लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कोई कहेगा कि मैं सैटल होना चाहता हूं, कोई कहेगा कि मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए, कोई कहेगा कि मेरे बच्चों को योग्य बनाना चाहता हूं, कोई कहेगा कि पत्नी बार-बार यह कह रही है कि मुझे मकान अच्छा-सा बनाना है, सुंदर बनाना है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज जिस तरीके से प्रकृति के साथ इंसान ने छेड़छाड़ की है, उसी की वजह से जो विगत वर्षों के अंदर जो त्रासदी हुई, चाहे वह अकाल की त्रासदी हो, चाहे गुजरात के भूकंप की त्रासदी हो, चाहे सुनामी की त्रासदी हो और चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो यह इंसान के द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया गया, उसी का परिणाम है।

सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय सुनामी आयी थी, मेरे चौमूं सर्कल के अंदर डिप्टी एस.पी. प्रहलाद सिंहजी लगे हुए थे, उन प्रहलाद सिंह के बच्चे का पूरा परिवार उस सुनामी के अंदर बहकर चला गया। आज दिन तक उस पूरे परिवार का कोई पता नहीं चला। सभापति महोदय, वह समय मैंने देखा है अपनी आंखों से, एक पिता के पुत्र का पूरा परिवार समाप्त हो जाए, उसकी वेदना क्या होती है।

केदारनाथ की त्रासदी के समय आमेर के परिवार के कुछ लोग केदारनाथ के दर्शन करने के लिये गये हुए थे, पूरा का पूरा परिवार ढूंढता रहा कि हमें कम से कम बॉडी तो मिले, वह भी नहीं मिली और हम दोष देते हैं कि भगवान ठीक नहीं कर रहा, यह भगवान की मर्जी है। भगवान की कोई मर्जी नहीं है, इंसान के कर्मों की वजह से यह सारी की सारी घटनाएं घट रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा। अभी वन मंत्रीजी नहीं हैं, वह चले गये। वैसे वन मंत्रीजी बहुत सीधे-सज्जन आदमी

(श्री रामलाल शर्मा)

हैं। इनके मन में इच्छा भी होगी कि मैं प्रदेश के अंदर कुछ अच्छा करूं, लेकिन यह अच्छा तब तक नहीं कर सकते, सभापति महोदय, जब तक इनके पास एक दरी है। उस दरी के ऊपर यह धरना देने का काम करते थे और आज भी इनका मन उस दरी के अंदर है। इस सदन के अंदर मन नहीं है उनका और जब तक यह उस दरी को अपने आपसे अलग नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले पांच साल जब बीजेपी की सरकार रही तो सिर्फ और सिर्फ वह दरी धरने देने के काम आयी। मैं चाहूंगा कि उस दरी को दूर करें और इस पर्यावरण के बारे में थोड़ी-सी चिंता करें।

सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि छोटी-छोटी समस्याओं के लिये भी व्यक्ति जूझते हुए नजर आते हैं। किसी वन क्षेत्र के अंदर बिजली की एक लाइन अंडर-ग्राउंड जाना चाहे तो भी उसके लिये परमिशन लो, नहीं जाने देते। पानी की पाइपलाइन ले जाने की अनुमति मांगें, तो अनुमति मिलती नहीं है। पशु-पक्षियों के लिये भी अगर पानी की कोई व्यवस्था करना चाहे तो उसके ऊपर भी कानून की आड़ में कठोर कार्यवाही किये जाने की बात की जाती है। पैदल जाने के रास्ते के ऊपर भी रोक लगाने की बात की जाती है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आज जिस तरीके से मानव के ऊपर जंगली जानवरों का जो हमला हो रहा है, उसका प्रमुख कारण एक ही है कि जंगल के अंदर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और उसकी वजह से जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों के अंदर आकर हमला करते हैं। मैं सदन से चाहूंगा कि जो भी पर्यावरण के वन हैं या पहाड़ हैं उनके ऊपर पीने के पानी की व्यवस्था करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि, सभापति महोदय, इंसान यह चाहता है कि मैं ही इस सृष्टि के ऊपर रहूं और दूसरा कोई व्यक्ति इस सृष्टि के ऊपर रहे ही नहीं।

हमारे पूर्वजों के बारे में लोग कहते हैं कि वह अंध-विश्वासी थे, लेकिन, सभापति महोदय, हमारे पूर्वजों की देन है कि उन्होंने वृक्षों की पूजा करके पेड़ों को बचाने का काम किया। उन्होंने पक्षियों को देवताओं से जोड़कर, पक्षी भी जिंदा रहें, पशु भी जिंदा रहें, उनकी भी चिंता की।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। एक नहीं, अनेकों घटनाएं इस दुनिया के अंदर ऐसी हुई हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति ही सर्वोच्च थी, उस अनादिकाल के अंदर भी चिंता अगर की गयी, प्रकृति को बचाने की, तो वह सिर्फ भारतीय संस्कृति के अंदर की गयी।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निवेदन करूंगा कि कृपा करके पेड़ की ट्रोली या पिक-अप, जो वृक्ष लेकर आती हैं, उनके ऊपर से आप अपनी नजरें हटा लें। आप अपनी नजरें सिर्फ वहां पर, जहां पर लकड़ी काटने की मशीनें लगी हुई हैं वहां से हटा लें। सभापति महोदय, लोग इतने अंधाधुंध तरीके से पेड़ काटकर ले जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिये वन विभाग के कर्मचारियों की रूचि नहीं रहती। उनकी रूचि सड़क पर चलने वाले ट्रैक्टर और पिक-अप के ऊपर रहती है कि कौनसा ट्रैक्टर और कौनसी पिक-अप लकड़ी लेकर आ रही है, जहां से इनको दो रुपये मिल सकें। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कृपा करके वन विभाग के अधिकारियों को आप निर्देश दें कि कम से कम वनों को संरक्षित करने का काम करें और इस तरीके का काम नहीं करें।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं, इस सदन को जिस तरीके से सुबह आपके मन की इच्छा थी कि सारे माननीय सदस्य यह संकल्प लें कि हम वृक्ष लगाने का काम करेंगे। सभापति महोदय, स्कूलों के बच्चों को अगर संकल्प करा दें कि आपको एक पौधा लगाना है, आपकी जहां इच्छा हो, लगाएं। गोचर जमीन के अंदर लगाएं, चाहे आप मंदिर में लगाएं, श्मशान में लगाएं, घर पर लगाएं, खेत पर लगाएं, कहीं पर भी लगाएं। शिक्षा मंत्रीजी मेरी बात सुनकर आ गये। शिक्षा मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक पेड़ लगाने का आपको खिताब मिल सकता है, लेकिन आपकी इच्छा हो तो। मैं चाहूंगा आप प्रदेश के बच्चों को इतना संकल्प दिला दें कि एक पौधा आपको जीवन के अंदर लगाना है। मेरे खयाल से आपके इस एक संकल्प से करोड़ों वृक्ष लग सकते हैं।

सभापति महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने चिंता की कि कई व्यक्ति ऐसे हैं, कई उद्योगपति ऐसे हैं जो लाखों रुपये खर्च करके लाखों वृक्ष लगाने का काम करें। मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र के अंदर भी बालाजी के पहाड़ के ऊपर गायत्री परिवार के सदस्यों ने, सभापति महोदय, 1200 रुपये का पौधा खरीदा है, 1200 रुपये का पौधा खरीदकर बालाजी के पहाड़ पर लगाने का काम पिछले दो साल से वह कर रहे हैं। दो रुपये प्रति लीटर पानी, क्योंकि पानी हाथ से नहीं जा सकता, गधों के ऊपर डालकर और पानी को ऊपर ले-जाकर उन पौधों को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से

(श्री रामलाल शर्मा)

मांग है कि वहां पर एक छोटा-मोटा एनीकट बनाकर बरसात के पानी को संरक्षित करके उन पेड़ों को जीवित रखने के लिये उनका सहयोग करें। एक निवेदन मेरा यह है।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से करना चाहूंगा। मंत्री महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है 20.04.2018 को मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर 14 राजस्व गांव बने- सोकिलपुरा बना है, नोपा का बास बना है, कुमावतपुरा बना है, कृष्णनगर बना है, प्रेमनगर बना है, बड़कोलाई बना है, बागड़ो का बास बना है, देवचरणवास बना है, बावड़ी बना है, लेसवा बना है, रामनगर बना है, हरिपुरा बना है और शिवनगर बना है। यह तत्कालीन आपके डिप्टी सैक्रेटरी हैं रामनिवास जी जाट, इनके हस्ताक्षर का यह लैटर मेरे पास है। मैंने कलेक्टर साहब से पूछा कि मेरे राजस्व गांव बने हैं, आप पंचायतों का पुनर्गठन कर रहे हो। इन राजस्व गांवों को तो शामिल करो। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं, हमारे पास कोई लैटर नहीं है कि ये राजस्व गांव भी बने हैं। मैंने एस.डी.एम. साहिबा को कहा कि मेरे पास यह पत्र है, डिप्टी सैक्रेटरी का पत्र है, सरकार का पत्र है। 20.04.2018 को यह राजस्व गांव बन गये, आप पंचायतों का पुनर्गठन करें तो इनको शामिल तो करें। लेकिन अभी तक उन्होंने शामिल करने का काम नहीं किया।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन मैं इतना करूंगा, आज जिस तरीके से उपखण्ड अधिकारी के पास दो तरीके के कार्य हैं- एक प्रशासनिक कार्य है और दूसरा न्यायपालिका के रूप में वह राजस्व न्यायालयों की भूमिका निभाने का काम भी करते हैं। सभापति महोदय, हकीकत है कि आज भी अगर राजस्थान के उपखण्ड अधिकारियों के विचाराधीन विवादों का आप रिकार्ड मंगाओगे तो लाखों विवाद आज भी पैंडिंग हैं। आपके एस.डी.एम. से पूछो, लाखों लोग चक्कर काटकर जाते हैं। तारीख आती है तो आज तो तारीख पर बहस नहीं हुई, तारीख मिली है। क्यों मिली है, आज एस.डी.एम. साहब आर.ओ. मीटिंग में गये हुए हैं, आज एस.डी.एम. साहब पंचायत समिति की मीटिंग ले रहे हैं, आज एस.डी.एम. साहब फील्ड के अंदर हैं, आज निरीक्षण करने के लिये गये हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप इन प्रकरणों के निस्तारण के लिये चाहे अभियान चलाएं, चाहे आप आर.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति करें, कैसे भी करके इन प्रकरणों का निस्तारण कराएं और कम से

(श्री रामलाल शर्मा)

कम अब तो संशोधन कर लो। मंत्री महोदय, आज भी कभी पटवारी, कभी गिरदावर, कभी तहसीलदार, कभी एस.डी.एम., कभी ए.डी.एम., कभी राजस्व अपील अधिकारी, आपके डिविजनल कमिश्नर, चार पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। कम से कम एक जगह आकर तो उसका निस्तारण हो। कम से कम छोटे मामले 136 के मामलों के अंदर भी, जो पटवारी के हाथ में है दुरूस्ती करने का, वह भी उनको दुरूस्त नहीं करता। वह भी कहता है 136 में आप एस.डी.एम. के पास जाओ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एस.डी.एम. के पास कितना काम है। कम से कम इस क्षेत्र के अंदर आप काम जरूर करें।

एक मेरा आपके माध्यम से निवेदन और है कि कृषि भूमि के ऊपर, जिन्होंने मकान बना लिये, कम से कम उनको पट्टे देने का प्रावधान तो आप करें। आज आबादी के अंदर तो ग्राम पंचायतें पट्टे दे रही हैं, लेकिन एग्रीकल्चर भूमि के ऊपर जिन्होंने मकान बना लिये, उनके पट्टे आज दिन तक भी कोई बनाकर नहीं दे रहा। न ग्राम पंचायत बनाकर दे रही है, न नगरपालिका बनाकर दे रही, न अन्य एजेंसी बनाकर दे रही। कम से कम एग्रीकल्चर भूमि के ऊपर जिनके मकान बन गये, उनको पट्टे मिलें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करूंगा। पर्यटन के क्षेत्र के अंदर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर, सभापति महोदय, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सामोद, यह वीर हनुमान जी का मंदिर, पंचमुखी बालाजी का मंदिर, महामालेश्वर धाम का मंदिर, महामाइयों का मंदिर, यह चार पवित्र मंदिर और एक तरीके से शक्तिपीठ महामाइयों का मंदिर है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सामोद के अंदर एक हैरिटेज होटल भी है, यह चार पवित्र स्थान भी हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 36 करोड़ रुपये इको-ट्यूरिज्म डवलप करने के लिये सामोद से लेकर पहाड़ के ऊपर रोड बनाने के काम की स्वीकृति जारी कर दी। स्वीकृति जारी करने के बाद में कलेक्टर ने डाइवर्जन कर दिया, 9.1 हैक्टेयर जमीन का डायवर्जन कर दिया। वह सारी की सारी पत्रावली वन विभाग के अंदर चली गयी, 18 बार वन विभाग के अधिकारियों ने आब्जेक्शन लगाये। जे.डी.ए. ने 18 बार उन आब्जेक्शनों को दूर करने के लिये वापस भेजा, लेकिन अभी तक भी, सभापति महोदय, 2015 के अंदर स्वीकृत किये हुए 36 करोड़ रुपये धरातल के ऊपर नहीं उतर पाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, सामोद की पहाड़ियों को ईको-ट्यूरिज्म के रूप में विकसित करें और जो पर्यटन विभाग के अंदर पत्रावली अटकी हुई है, उस पत्रावली को भी वह निकालने का श्रम करें।

सभापति महोदय, अंत में सिर्फ मैं इतना ही निवेदन करूंगा। मेरे शब्दों के अंदर मैं बयां कर रहा हूं-

'कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से,

और इस घर को लग गयी आग घर के चिराग से।'

सभापति महोदय, किसी दूसरे को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है, उसके लिये कोई दोषी नहीं है, उसके लिये हम सब दोषी हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, सभापति महोदय, हम सबने तो जिंदगी जी ली, हमारे पुरखों को भी अच्छी तरह से खाने को शुद्ध मिल गया, पीने को शुद्ध मिल गया, हवा अपने को शुद्ध मिल गयी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को न हवा शुद्ध मिल रही, न खाना शुद्ध मिल रहा, न पीने का पानी शुद्ध मिल रहा।

(16.00 बजे)

यदि आने वाले समय के अन्दर अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो मेरी सरकार से एक ही मांग है कि आप रोड बनाना बंद कर दें, आप स्कूल खोलना बंद कर दें, अन्य और डवलपमेंट बंद कर दें सिर्फ दो साल के लिए। जल, जंगल और जमीन, इन तीन के लिए काम करने की आवश्यकता है। अगर इन्सान खुद जिंदा रहेगा तो वह अपना भौतिक विकास बाद में कर लेगा लेकिन कम से कम इन्सान जिंदा रहे, इसके लिए सरकार को काम करने की आवश्यकता है।

आपने समय दिया, बिना टोके दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, आज तीन विषय की डिमांड्स हैं, राजस्व, पर्यटन और वन। कल गुरु पूर्णिमा थी और चंद्र ग्रहण था और इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारे वन हैं उनके ग्रहण लगा हुआ है और ग्रहण का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि आजादी

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

के बाद इस मुल्क में सभी क्षेत्र में तरक्की हुई है एक क्षेत्र जिसके लिए हम बिना संकोच कह सकते हैं कि हम बहुत पिछड़ गये हैं, हमारे वनों की संख्या कम हुई है, उस प्रकृति को बचाने में हम फेल हुए हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने जनसंख्या के विस्तार का उल्लेख किया था, सन् 1947 में इस देश की आबादी 33 करोड़ थी और आज हम उस 33 करोड़ से 133 करोड़ हैं, 100 करोड़ हमारी जनसंख्या की वृद्धि, स्वाभाविक है कि उस जनसंख्या की वृद्धि का सीधा प्रभाव हमारे वन, पर्यावरण और प्रकृति पर पड़ेगा। मैंने गुरु पूर्णिमा की बात इसलिए कही थी कि हमारे समाज के अनेक गुरुओं ने प्रकृति को ही गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त किया और ग्रहण की बात इसलिए की कि जब प्रकृति को ग्रहण लग गया तो उसका दुष्प्रभाव हमें भुगतना स्वाभाविक है। इस क्लाइमेट चेंज की जो बात करते हैं हम उसी रूप से उस पर चिन्तन करते हैं या देखते हैं कि जिस प्रकार से श्मशान में हम किसी नजदीक के व्यक्ति की आखिरी यात्रा में शामिल होते हैं और जब वापस लौटते हैं, तो युधिष्ठिर से पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे विचित्र बात क्या है, उन्होंने यही कहा था कि जब श्मशान में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई दूसरा ही आदमी जाएगा, हम तो अमर हैं, जब क्लाइमेंट चेंज की बात करते हैं उसको भी हम इसी रूप से देखते हैं।

आज जुलाई की 17 तारीख है, वर्षा का अता-पता नहीं है, कुछ जगह बुआई हुई है कुछ जगह बुआई नहीं हुई है। इन परिस्थितियों के अन्दर वनों की बात कर रहे हैं। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि इस विषय पर जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है उस पर बोलूं या न बोलूं। मेरे को विचार आया, मैंने कहा नहीं बोलूं, फिर मेरी निगाह पड़ी कि नहीं बोलूंगा तो पाप होगा, नहीं बोलना भी पाप है। सभापति जी, मुझे माफ करना, बहुत बार जब मैं इस सभा में बोलता हूं मुझे दिखता है तो हमारी जो विधान सभा है यह एक कैथ्रेडल के समान है इसकी बनावट कैथ्रेडल, जो भव्य कैथ्रेडल है उसमें एक पादरी बैठे रहते हैं जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं और बहुत पाप करने वाले उनके कान में जाकर अपनी बात कहकर ही प्रायश्चित करके संतोष कर लेते हैं। मुझे कभी लगता है कि मैं विधान सभा में बोल रहा हूं तो अपने कोई पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं, इसके परिणाम निकलेंगे क्या? हमारे जो दो मंत्री जी विराजमान हैं उनको इस दृष्टि से कहता हूं कि इसको एक अपार्च्युनिटी के रूप में देखें। छह महीने निकल चुके हैं, जो समय बचा है उसका पूरा उपयोग करें।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

मैं राजस्व के बारे में नहीं कहूंगा और मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनका भी उल्लेख नहीं करूंगा। मैं जनरल बात कहूंगा और सुझाव दूंगा मगर उन सुझाव को कोई ग्रहण करने वाला है? जिस प्रकार बारिश होती है और हम पानी को रोक नहीं पाते हैं और बह जाता है, फिर अकाल की बात करते हैं, इस विधान सभा में भी अकाल है कि जो सुझाव आता है उसको ग्रहण करने वाला कौन है? जो हम कह रहे हैं उसको ग्रहण करने वाला कोई है?

माननीय सभापति जी, राजस्थान में जितनी संभावना वन और पर्यावरण में है रोजगार की और विकास की, मुझे खेद है कि हमने सात दशक में उस रूप से उसका उपयोग नहीं किया। जितने से पर्यटक आ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं उनको आप रोकना भी चाहें तो भी नहीं रुकेंगे, इतने तो आएंगे। हमने किया क्या है? आज रणथम्भौर का उल्लेख है। रणभम्भौर आजादी के पहले की देन नहीं है। आजादी के पहले रणथम्भौर कोई भव्य जंगल भी नहीं था। आज जिस हालात में हम रणथम्भौर को देख रहे हैं, ऐसा जंगल दो सौ साल पहले भी नहीं था। इस सदन में जहां हम वन विभाग के अधिकारियों की आलोचना करते हैं, मैं इस सदन में उन अधिकारियों की जो आज इस दुनिया में शारीरिक रूप से नहीं हैं मगर उन्होंने जंगल के संरक्षण के लिए अपना पूरा जीवन दिया और रणथम्भौर को खड़ा किया, उनको याद नहीं करना भी गलत होगा।

मैं उल्लेख करना चाहूंगा फतेह सिंह जी का, किन परिस्थितियों में इस जंगल को उन्होंने बचाया। मगर मुझे इस बात की भी शिकायत है कि क्यों राजस्थान में एक रणथम्भौर, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक रणथम्भौर नहीं, हम राजस्थान में पांच रणथम्भौर खड़ा कर सकते हैं। क्या हमारी इच्छा-शक्ति है? मैंने आपको पैसे लाने का रास्ता भी बताया।

मैं कुछ दिन पहले बोला था। गाय समस्या हो गयी हमारी, गऊ माता हमारे लिए समस्या बन गई। दो हजार करोड़ से ज्यादा रुपये हम किसी न किसी रूप से, चाहे तो नगरपालिका में खर्च होता होगा, चाहे वन विभाग में खर्च होता होगा, चाहे हम अनुदान में दे रहे होंगे। गाय अगर लायबिलिटी बन जाए, माता अगर लायबिलिटी बन जाए फिर उसके बाद बचा क्या? इस लायबिलिटी को, इस चुनौती को हमको असैट में कन्वर्ट करना है। मैं बहुत साल पहले करनाल गया था, वहां पर जो दूध देने वाली गाय नहीं थी वहां उन बिना दूध देने वाली गायों को इकट्ठा करके उन्होंने होल्स्टीन से क्रास करके या

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

दूसरी करके उन गायों को बीस-बीस, तीस-तीस लीटर की स्थिति में पहुंचाया। बछड़ों की समस्या है, एक समय बछड़े बैलों के रूप में खेती में काम आते थे, आज नहीं आ रहे।

पर्यटन की बात कर रहे हैं, समस्या इस प्रकार की है, यूनेस्को की हैरिटेज साइट का जयपुर का आपने उल्लेख किया। जयपुर में एक स्पेनिश पर्यटक आया, जयपुर घूमने आया था, सांड ने उठाकर फैंका, मौत हो गयी, उससे हमने कुछ सबक लिया? सबक लेने की आवश्यकता है। मैंने आपसे फिर कहा कि यह जो पैसा हम गाय के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया मुकुन्दरा नेशनल पार्क का, मैं वन विभाग के अधिकारियों की जितनी तारीफ करूं इस सदन में वह कम है कि उन्होंने 14 महीने में 80 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फैंस कर दिया और आज उस जंगल को जाकर देखें, अभी ट्यूरिज्म के लिए खोला नहीं है मगर हमारे जो विधायक हैं उनको जाकर उसको देखना चाहिए। इनको वन विभाग के अधिकारी ले जाएं, वन मंत्री जी, आप इनको ले जाकर दिखाइये कि प्रकृति को अगर अपने आप पर छोड़ें और हम उसमें दखलंदाजी बंद करें तो किस प्रकार से प्रकृति खड़ी होती है। यहां से जयपुर से, सड़कों पर वही शायद हो सकता है कि उस स्पेनिश आदमी को मारने वाला सांड आज उस जंगल में छोड़ा हो इन्होंने शायद उसके बाद उसने आदमी नहीं मारा यहां। हमारे कोटा में तो अभी भी मार रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि कम से कम चार-पांच जो आपकी सैंक्चुअरीज हैं वे दिख रही हैं साफ, वन विभाग के अधिकारियों को हम उसका रास्ता बता सकते हैं। शेरगढ़ की सैंक्चुअरी है, एक गांव है उसके अन्दर, 100 स्क्वायर किलोमीटर को आप फैंस करिये, 35 करोड़ रुपये जो आप अनुदान में एक जिले में देते हैं उससे कम। जो बस्सी की सैंक्चुअरी है, उसको रोकिए। जहां के विधायक सुझाव देते हैं, उनको इस तरह से फैंसिंग करिए। जो आवारा पशु हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है कि यहां से पालतू चीतल को वहां पर छोड़ें। समस्या तो तब आती है जब गाय को हमारे जैसा जीव, मनुष्य जब घात करता है। इस प्रकार के जो सुझाव हैं, इन पर हमें काम करना चाहिए।

जो संभावनाएं हैं राजस्थान में टूरिज्म की, वह 2 क्षेत्र में हैं। रिलिजियस टूरिज्म की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि रिलिजियस टूरिज्म तो

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

अपने स्थान पर हैं ही। मगर जो आपका हैरिटेज टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, यह दोनों ऐसे हैं, कि इसमें नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का रुझान है।

आप टेलीविजन चैनल्स देख लीजिए। अफ्रीका तो पूरा वाइल्ड लाइफ के ऊपर ही जीवित है। वहां लोग जा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में जो टूरिस्ट आ रहे हैं, देशी टूरिस्ट की बात कर रहा हूं, सवा करोड़। सवा करोड़ का मतलब है कि हमारे देश की आज की जो आबादी है, उसके एक प्रतिशत से कम टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। हम 130 करोड़ हैं। सवा करोड़ टूरिस्ट यहां एक साल में आए और 6 लाख से कम विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं। आज टूरिज्म का ट्रेंड पलटा है। आज हमारे भारतवासियों के पास, हमारे देशवासियों के पास, जिसकी जेब में पैसा है, वह बड़ी संख्या में विदेश जाने लग गए हैं। हमें हमारी हालत, टूरिज्म के संबंध में, वन क्षेत्र के संबंध में सुधार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हमारी जो सैंक्चुअरी हैं, आज जनसंख्या की वृद्धि की वजह से फोरेस्ट पर बहुत जबरदस्त प्रेशर है। कोटा का ही मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक सदस्य ने सही कहा था कि जहां पर जंगल ज्यादा हैं, वहां पर कर्मचारी कम हैं। जहां पर जंगल कम हैं वहां कर्मचारी ज्यादा हैं। इस अनबैलेंस को ठीक करना पड़ेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): आपने क्या बैठने को कहा है? नहीं? धन्यवाद।

श्री सभापति: नहीं। कुछ फर्मा रहे हैं तो फर्माएं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): समाप्त ही है। मुझे नहीं बोलना था। मैं इतना बोल गया।

श्री सभापति: नहीं। फर्माएं, फर्माएं। आपका विशेष सुझाव है। आपने ज्यादातर सुझाव ही दिए हैं। कोई सुझाव हो तो फरमाएं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): सुझाव तो मैंने दिए हैं लेकिन उनको ग्रहण करने वाले कोई हों तो।

श्री सभापति: करेंगे। देखेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): सभापति महोदय, मैं एक सुझाव देता हूं।

श्री सभापति: सबसे पहले तो माननीय सदस्य, यह नैराश्य भाव आपमें है कि कोई देखेगा नहीं। आप मन में विश्वास रखिए कि यह देखेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): नहीं। निराश नहीं हूं।

श्री सभापति: माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस पर जरूर निर्देश फरमाएंगे। उनके अधिकारी भी बैठे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं। आप तो अपने सुझाव दीजिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): मैं निराश नहीं हूं। मैं नैराश्य वाला नहीं हूं। मैं करके दिखाता हूं। उस तरह का हूं। मैं करने में विश्वास करता हूं मगर जो हकीकत है, असत्य बोलना भी तो पाप है। जो सत्य है, उसको ग्रहण करने में हमें थोड़ी-बहुत तकलीफ होती है।

मैं वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, जिसमें पैसा नहीं लगता है। हर जिले के अंदर वाइल्ड लाइफ की कमेटीज बनाइए। तत्काल आप घोषणा करिए। जो लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनको लेकर आइए। इलाके में जाएं। जंगल देखें।

एक माननीय सदस्य, जो जमवारामगढ़ से आते हैं, उन्होंने जो बात कहीं, उसका भी मैं उल्लेख करूंगा। इन्होंने रामगढ़ सैंक्चुअरी में लोगों को जो तकलीफ हो रही थी, उसका उल्लेख किया। मैं जब पीडब्ल्यूडी का मंत्री था, तो मुझे उस क्षेत्र में जाने का अवसर मिला। मैं गांव वालों से बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम तो जयपुर से 60-65 किलोमीटर से दूर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जंगल की वजह से बहुत तकलीफें हैं। कोई विकास नहीं हो रहा है। जो सज्जन बोल रहे थे, वही, और उनकी एक पीड़ा और थी कि यहां गांव में विकास नहीं हो रहा है तो वहां कुंवारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कोई यहां शादी ही नहीं करता।

सभापति महोदय, आपने सुझाव की बात की। मैं आपको कहता हूं कि वह जो गांव के लोग हैं, वह बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। सरकार को उनको बेहतर जिंदगी का अवसर प्रदान करना चाहिए। कृषि मंत्री हैं या नहीं हैं यहां पर? नहीं हैं सदन में। मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि हमारे पास जब जमीनें थी आजादी के समय, हमने बहुत से कृषि फार्म अलग-अलग जगह अलाट कर दिए।

श्री सभापति: उनकी शादी हो जाए, ऐसा सुझाव तो आप दे ही दें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): मैं वही सुझाव दे रहा हूं। मैं यह

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

कह रहा हूं कि जो हमारे कृषि फार्म्स हैं अधिकांश कृषि फार्मों में सरकार कोई आदर्श खेती का नमूना वहां पेश नहीं कर रही। सीधे उन कृषि फार्मों को मुनाफे में दिखाकर के पैसा वसूल कर रही है। इन गांव वालों को उन कृषि फार्मों पर, पचासों कृषि फार्म हैं, 50-60 गांवों को आप वहां से हटाकर कृषि फार्म दे दें तो सरकार को कोई घाटा नहीं होगा और वहां जंगल खड़ा हो जाएगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): धन्यवाद आपको।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष बावरी।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 8-राजस्व, मांग संख्या 9-वन और मांग संख्या 47-पर्यटन पर मुझे आज बोलने का अवसर मिला, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भू-अभिलेखों का आधुनीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इससे बकाया खातों और नामांतरणों का कार्य निष्पादित किया जा रहा है। इसमें गांव की जमीनें एक पोर्टल पर आने से काश्तकारों को लाभ होगा। इस वर्ष 207 तहसीलों के राजस्व अभिलेख आनलाइन किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उपखंड घड़साना, तहसील रावला मंडी में काफी लंबे समय से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी के पद रिक्त चल रहे हैं। घड़साना तहसीलदार के पास ही तहसीलदार रावला, उप तहसील 365 और घड़साना नायब तहसीलदार का अतिरिक्त चार्ज काफी लंबे समय से है। जिससे राजस्व प्रकरणों का निपटारा समय पर नहीं हो पाता है। इससे काश्तकार परेशान हैं।

राज्य सरकार को इस समय वन भूमि, जोहड़ पायतन, चरागाह, कब्रिस्तान और श्मशान भूमि का भी ग्राम पंचायत स्तर पर नामांतरण करना चाहिए। असामाजिक तत्व ऐसी जमीनों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। उन जमीनों पर कब्जा नहीं हो और यदि किसी ने कब्जे कर रखे हैं तो इसे तुरन्त हटाया जाना चाहिए।

तहसील अनूपगढ़ में मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र को जारी, सत्यापित करने के लिए एक ही लिपिक है। उसको कम्प्यूटर पर नियुक्त कर रखा है जिससे अनूपगढ़ शहर व ग्रामीण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए निराकरण करने की मांग करती हूं।

(श्रीमती संतोष)

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पौंग डैम विस्थापितों का जमीनी मामला काफी लंबे समय से अटका हुआ है। पौंग डैम के विस्थापितों को जमीन आबंटन के मामले काफी लंबे समय से विचाराधीन हैं। जिन विस्थापितों को जमीन आबंटित की गई थीं, मेरा निवेदन है कि हिमाचल सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 7.06.2017 को हुए समझौता मुताबिक शेष आबंटन हेतु भूमि जैसलमेर जिले में रिजर्व की जाए। धारा 6 ए के काबिज किसानों की भूमि पौंग डैम आरक्षण से मुक्त कर, काबिज किसानों को रेगुलराइज की जाए ताकि लंबे समय से आ रही समस्या का समाधान हो सके। अत: मेरा पुन: निवेदन है कि उपरोक्त समस्या का समाधान कर धारा 6 ए के किसानों को राहत प्रदान की जाए।

सभापति महोदय, वन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज जिस प्रकार से पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा हम सबके सामने उपस्थित हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर वनों की रक्षा की ओर कदम उठाए जाने चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वन भूमि, चरागाह जमीन, नर्सरी, पौंग बांध विस्थापितों की जमीन पर 40-50 वर्षों से आबादी बसी हुई है। वन भूमि में आबादी पट्टा नहीं दिया जा रहा है। आबादी पट्टा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।

सभापति महोदय, 50-60 वर्ष पहले ऐसे कोई नियम नहीं थे कि वन भूमि, चरागाह भूमि पर निवास नहीं हो। वन अधिकारी अब उनको बेदखल करने की कार्यवाही कर रहे हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना में भी इनको आवेदन का हकदार नहीं माना जा रहा है। मेरी आपसे मांग है कि ऐसे वन क्षेत्र, चरागाह भूमि और पौंग डैम विस्थापितों की भूमि में रहने वाले लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ दिलाया जाए। जन घोषणा-पत्र में जो वादा किया गया कि वन क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों का जीवन प्रभावित नहीं होने देंगे। आप समय रहते उनकी समस्या का निराकरण करें और जन घोषणा-पत्र का पालन सुनिश्चित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र अनूपगढ़ के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। आज राजस्थान विश्व भर में पर्यटन के लिए पहली पसन्द है। कोई भी विदेशी अगर भारत आया है तो वह राजस्थान आकर राजस्थान का गौरव एवं ऐतिहासिक भवनों, स्थानों को जरूर देखना चाहता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चुघेर किला, शहर के बीचोंबीच स्थित है जो वर्तमान में काफी

(श्रीमती संतोष)

जर्जर हालत में है। शहर का हृदय स्थल होने के कारण चार वार्ड, 12, 13, 14 और 18 के घरों के बिलकुल चिपके होने के कारण रिहायशी मकानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गढ़ की दीवारें 60 से 80 फीट ऊंची हैं। इनके बिलकुल आसपास विद्युत ट्रांसफार्मर भी कई जगह लगे हैं, यदि कभी भविष्य में गढ़ की ये दीवारें इन विद्युत तारों पर गिरती हैं तो सारे ट्रांसफार्मर गिर जाएंगे और शार्ट सर्किट से लोगों के विद्युत उपकरण जलकर राख हो जाएंगे और इनका मलबा लोगों के मकानों पर गिर जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में आबकारी विभाग इस गढ़ में स्थित है, आबकारी विभाग इसे नजूल सम्पत्ति मानता है। 1993 में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर ने आबकारी विभाग को कार्यालय आबंटित कर दिया, 1993 से आबकारी विभाग यहीं स्थित है। इससे पहले यहां राजस्व तहसील हुआ करती थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी इसे असुरक्षित घोषित कर दिया है, विभाग भी इस बात को मानता है कि गढ़ एकदम असुरक्षित है। कुछ वर्ष पहले गढ़ की दीवार गिरने से एक महिला को चोटें भी आईं थीं, सरकार को इस गढ़ से सभी सरकारी कार्यालयों को हैरिटेज बिल्डिंगों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकास करना चाहिए जिससे राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा और ऐतिहासिक स्थान जर्जर होने से भी बचाया जा सकता है।

राज्य में हजार से बारह सौ वर्ष पूर्व के मंदिर, किले एवं अन्य ऐसे ऐतिहासिक स्थानों को हमारी विरासत में मिली धरोहरों को संभाल कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना उचित है लेकिन सरकार के अधीन आने वाले गढ़, किले, होटल निजी कम्पनियों को दिए जाने की तैयारी की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, पीपीपी मोड पर यह गढ़, किले देने से इन ऐतिहासिक स्थानों का रूप भी बदल जाएगा। सरकार को राज्य के सभी ऐतिहासिक स्थानों को चिन्हित कर उनके संरक्षण के उपाय करने चाहिए जिससे कि पर्यटकों का इजाफा हो और प्रदेश को पर्यटन से कई प्रकार के लाभ हो सकें। सरकार को इससे राजस्व मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी विरासत भी संरक्षित रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि अनूपगढ़ क्षेत्रवासियों की मांग पर अनूपगढ़ किले का या तो जीर्णोद्धार किया जाए या नगरपालिका को हस्तांतरित करके हैरिटेज पार्क घोषित करवाया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय।

हमारे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लैला-मजनूं की मजार है। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर दूर गांव बिंजौर में स्थित है। भारत पाक सरहद के पास स्थित लैला-मजनूं की मजार लोगों के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केन्द्र है। दिलचस्प बात यह है कि घग्घर नदी की बाढ़ का पानी इस क्षेत्र के चारों ओर आता है परन्तु यह पानी आज तक कभी भी मजार तक नहीं पहुंचता है, इस कारण भी लोगों की आस्था का यह केन्द्र बना हुआ है। इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्व, वन, पर्यटन पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, राजस्व, वन, पर्यटन की मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में राजस्थान सरकार के मंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि आप चाहे पर्यटन को शामिल करो, चाहे वन विभाग को करो, आपके सैटलमेंट रेकार्ड से आपके पश्चिमी राजस्थान में गोचर, ओरण भूमि हर गांव में हजारों बीघा है। पुराने जमाने में लोग काश्तकार ज्यादा थे और पशुपालन ही उनका एकमात्र धंधा था इसलिए गोचर भूमि ओरण के महत्व को समझते हुए हजारों बीघा भूमि हर गांव में रखी थी। आज चालाकी और चतुराई का समय आ गया, धन और दौलत कमाने का, इसमें नए युग के लोगों ने गोचर जमीन में सौ-सौ बीघा जमीन में अपने बाड़े बना दिए, अपनी टीनें लगा दीं। कोई एक आदमी ऐसा है जिसको रहने की पचास फुट जमीन नहीं है, वह अगर अतिक्रमण कर दे, उसको अगर नजर अंदाज कर दिया जाए तो भी मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं लेकिन कामर्शियल नीयत से हजारों बीघा जमीन लोग बाड़े बनाकर अपने बाप की समझकर जिन लोगों की जरूरत है और लाखों रुपयों में जमीन बेच दी है और कई लोगों ने गोचर जमीन में दुकानें बना दी हैं। आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने धारा 91 के तहत ऐसे आदमियों के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है, यह मैंने देखा है।

(श्री अमीन खां)

माननीय सभापति महोदय, वह मुकदमा न होने की वजह है आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक-एक पटवारी के पास पांच-पांच पटवार सर्कल हैं इसलिए पटवारी को कोई फुर्सत नहीं है, जमीन देखने की चाहे सिवाय चक हो या खातेदारी की हो। मेरा आपसे निवेदन है कि इस गोचर जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ, औरण में कब्जा करने वालों के खिलाफ और तालाब और आगोर में कब्जा करने वालों के खिलाफ आपकी दूसरी धारा जिसमें शामिल की हुई है, लैंड रेवेन्यू एक्ट में है या टीनेंसी एक्ट में है, जिसमें पुलिस पर केस दर्ज होकर चालान होता है, उसका गैर जमानती केस होता है। एक नमूने के तौर पर हर गांव में गोचर, औरण, तालाब और नाडी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाएं तो गोचर बचेगा, औरण और तालाब बचेगा वरना थोड़े दिनों के बाद में तालाब, गोचर, आगोर और औरण यह भी नष्ट हो जाएंगे, इससे पर्यावरण का भी भारी नुकसान होगा और गरीब लोग मायूस रहेंगे और जो बेईमान लोग मिलकर जमीन हड़पना चाहते हैं, उनके हौंसले बुलन्द हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात आपके रेवेन्यू के सम्बन्ध में आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप लोकल आदमी हैं जरा बाड़मेर, जैसलमेर, सीमावर्ती इलाके में कई ऐसे भूमिहीन हैं, जिनके बाप के नाम से जमीन नहीं है, खुद के नाम से जमीन नहीं है और सिवाय चक भूमि पर किसी का 15 बीघा पर कब्जा है, किसी का 20 पर कब्जा है, किसी का 10 पर कब्जा है। आप इनकी ईमानदारी से अधिकारियों से जांच करवाकर वास्तव में जो भूमिहीन लोग हैं और उनके पास कोई और जमीन नहीं है तो ऐसे काबिज लोगों को आप रेगुलराइज करने का तत्काल आदेश दें ताकि ऐसे गरीबों को धारा 91 की तलवार जो हमेशा लटकी रहती है वह बंद हो जाए और ये गरीब लोग आपको आशीर्वाद देंगे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मैंने मेरे कटौती प्रस्ताव में यह लिखा है, हालांकि वह लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिखा इसलिए है कि माननीय सदस्यों को समझ में आए और आपके समझ में आए। डीएनपी ने सरकारी सड़क पर कब्जा, अतिक्रमण कर रखा है, डीएनपी ने किसानों के खातेदारी पर कब्जा कर रखा है, डीएनपी में आबादी भूमि पर कब्जा कर रखा है, डीएनपी ने डिफेंस रोड पर कब्जा कर रखा है। मैं उसको अतिक्रमण मानता हूं क्योंकि सन् 1965 में शिव से गडरा रोड डिफेंस

(श्री अमीन खां)

रोड बनी और आपकी डीएनपी 1980 के बाद में आई है। जो सड़क बनी है वह भारत सरकार के डिफेंस डिपार्टमेंट की सड़क है और वह सड़क बनी है आर्मी की सुविधा के लिए। मैं आज यह कहता हूं, मंत्री जी बहुत भले आदमी हैं लेकिन इनकी छाती में ताकत नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि आज मान लें भारत -पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो उस रोड से आपके डीएनपी वाले आदमी को रोक सकते हैं क्या? उन्होंने कहा, नहीं रोक सकते तो फिर आप गरीब आदमियों को खातेदारी की जमीन से महरूम क्यों करते हैं, उनके गोचर से महरूम क्यों करते हैं, उनकी आबादी से महरूम क्यों करते हैं?

कटारिया साहब ने मेरे कहने से हमारे एरिया में पंचायत बनायी और वह पंचायत डीएनपी है और वहां धांधलेबाजी से उन्होंने कहा कि यहां पंचायत भवन नहीं बनेगा। गवर्नमेंट ने इसे पंचायत माना है, गवर्नमेंट रिकार्ड में इस पंचायत का इलेक्शन हो गया। सरपंच है, कमेटी है और पंचायत के नाम से फंड आता है, खर्च होता है और आप कहते हैं पंचायत भवन नहीं बनने देंगे और पंचायत भवन भी कौन-सा? सरकारी जमीन में बना रहे हैं। पंचायत भवन आबादी में बना रहे हैं। कहते हैं परमिशन लाएं।

मंत्री जी आपके जैसलमेर में बैठे हैं। बात कहनी नहीं चाहिए, मेरी ओछी हरकत है, इसे मैं मान लूंगा। 500 रुपये में एनओसी मिलती है। क्या इंसान का ईमान है आज-कल के जमाने में साहब, ये 500 रुपये पटवारी भी नहीं लेता है। मेरा इस मामले में बहुत अदब से अर्ज है, यह कटारिया साहब को भी मालूम होगा। बीजेपी की गवर्नमेंट के वक्त में भी लोग इनके पास आये होंगे। डैजर्ट नेशनल पार्क, मैं आज भी कहता हूं, 80 परसेंट वोट बीजेपी वालों के हैं, लेकिन इन्होंने भी इनकी पीड़ा को नहीं समझा और न ही मदद कर पाये।

मैं यह कहता हूं, वोट तो इंसान का, देश के नागरिक का फंडामेंटल राइट है। अगर खुश हुआ तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। वह किसी का गुनाह नहीं है, लेकिन उन्हें परेशान करना, यह किसी का धर्म नहीं है और किसी का भी कानून नहीं है। वह उनका गांव है। मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आप सैंक्चुअरी एक्ट का हवाला देते हैं तो उस इलाके की आबादी को आप खाली कराइये और उस आबादी का, मकान का, खातेदारी की जमीन का, गोचर का, पेड़ का सारा मुआवजा दें और फिर आपके उस सैंक्चुअरी एक्ट को

(श्री अमीन खां)

पाबंद रखें और किसी को अंदर जाने न दें। हम आपके सैंक्चुअरी एक्ट को सपोर्ट करेंगे। नहीं तो जबानी जमा खर्च में सैंक्चुअरी एक्ट इस्तेमाल करके हजारों आदमियों को आप परेशान कर रहे हैं, सात-आठ पीढ़ियों से लोग वहां रह रहे हैं, कोई रिफ्यूजी भी नहीं हैं और न ही कोई बाहर से लोग आये हैं।

इनका पेशा है गाय पालना, भेड़-बकरी पालना, ऊंट पालना और इसी पर उन लोगों का गुजर है और उन्हें इस तरह से परेशान करना मेरे खयाल में ठीक नहीं है। हम डैजर्ट नेशनल पार्क को बिल्कुल ही खतम कराने के पक्ष में नहीं हैं। वह होना चाहिए, लेकिन वहां हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन में जो आप डैजर्ट नेशनल पार्क रखना चाहते हैं, यह गलत है। आपकी जरूरत माफिक जैसलमेर जिले का जो सम से एरिया लगता है, जिसमें आपके गोडावण और तिलोर के पक्षी भी वहां थे और उस एरिया को आप कम करके जहां बाड़मेर जिला उसमें आगे शामिल होता है हरसाणी ग्राम एरिया आता है, जिसमें आबादी बहुत ज्यादा बसी हुई है उन्हें आप डिस्टर्ब न करें।

उसमें विस्तार करके आपका जो गैर-आबाद एरिया है, उसमें डैजर्ट नेशनल पार्क कायम रखें, हम डैजर्ट नेशनल पार्क के पक्ष में हैं। अब आप जंगली जानवर, जीव इनके रक्षक बहुत ज्यादा बने हुए हैं। हम इन जीवों के ऊपर रहम करते हैं। हमारा दिल कहरी नहीं। मेरी खुद की ढाणी के पास में मोर रहते हैं। उनकी आवाज हमें बहुत खूबसूरत लगती है और उनकी शक्ल-सूरत भी हमें बहुत खूबसूरत लगती है। हम अपने आपको सौभाग्यशाली मानते हैं। आपके इस डैजर्ट नेशनल पार्क में एक भी मोर नहीं है। इसमें एक भी तिलोर का पक्षी नहीं है। इसमें एक भी गोडावण का पक्षी नहीं है। इसमें चिंकारा भी नहीं है।

आप धोरीमन्ना चले जाइए, चौहटन चले जाइए। जहां आबाद एरिया है, वहां गांवों में आपको बहुत हिरण मिलेंगे, बहुत मोर मिलेंगे, पर इस डैजर्ट नेशनल पार्क में ये जानवर नहीं हैं। वजह इसकी हम आपसे पूछते हैं कि क्या है? यह ईमानदारी की वजह नहीं है, इसमें मस्ती करने वाले, इसके नाम से घूमने वाले, नोंच कर खा गये और इनका आप पक्का बंदोबस्त करें और जो बेईमानी करते हैं, उन्हें सज़ा दें और बेगुनाह इंसानों को बचाएं। यह मेरी आपसे बहुत अदब के साथ अर्ज है।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पेड़ होते हैं, उसके पनपने का कुदरत ने जमीन और पानी के अनुसार अच्छा इंतजाम किया है।

(श्री अमीन खां)

हमारे रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं, वे भरतपुर में नहीं होते हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा में नहीं होते हैं। हमारे यहां के पेड़ चार-चार साल तक बरसात न होने के बाद भी जिंदा रहते हैं। वे पेड़ हैं खेजड़ी, रोहिड़ा, जाल, क्रांका, बावली, कुंबट और इनमें एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जो निकम्मा हो। ये चारे में ऊंट के काम आते हैं, गाय के भी काम आते हैं।

बोम्बे में सांगरी सौ रुपये किलो में बिक रही है। हमारे वहां आम आदमियों के लिये यह सब्जी में काम आती है। इनमें फल होते हैं कैरों में पक्के। इन्हीं पेड़ों के लिये आपके विभाग में कहिए, वहां गोचर जमीनों और ओरणों में इसी जाति के पेड़ों को इस महीने में हमेशा लगाना चाहिए और जो दूसरे बाहर के पेड़ हैं, उन्हें वहां की हवा सूट नहीं करती है, जमीन भी सूट नहीं करती है, वह वहां पनपेगा नहीं।

लास्ट में, मैं बात कहता हूं वहां के मवेशी के लिये। बहुत ही कीमती घास है। एक सेवण है, दूसरी धामण है, तीसरी गंठूर है और चौथी कुरी है। अब ये गायब हो गयी हैं। एक तो ये जो ट्रैक्टर आये हैं, उसकी वजह से यह खतम हुई है, गोचर और ओरण में भी यह घास खतम हो रही है। उसे खतम कर रहा है यह विलायती बावल। विलायती बावल को मेहरबानी करके, चाहे हम गांव वाले खर्च दे देंगे, इन्हें जड़ से उखाड़कर के, और कई लोग इनका कोयला बनाते हैं और उससे उनके पैसों का खर्चा भी निकल जाएगा और कोयले वालों को वह दें। जब तक यह विलायती बावल जिंदा रहेगा, न तो सेवण घास वहां जिंदा रहेगी, न धामण रहेगी, न कुरी रहेगी, न गंठूर रहेगी तो इन मवेशियों के लिये असली चारे का खातमा हो जाएगा। इस ओर आप ध्यान दें।

पर्यावरण मंत्री साहब, आप सीमावर्ती तहसीलों में सिवायचक भूमि पर भूमिहीन किसान जो बैठे हैं, उन्हें रेगुलराइज करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 8, 9 व 47 पर अपनी बात कहने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले पर्यटन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान को मैं सोचता हूं सबसे ज्यादा अगर विकसित करने में भूमिका हो सकती है तो पर्यटन की हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जिस फील्ड से राजस्थान ऊंचाइयों को छू सकता है,

(श्री बलजीत यादव)
उसका भट्टा बैठाया जा रहा है। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। लोग दुबई में जाते हैं डैजर्ट सफारी के लिये। मैं कहता हूं हमारे जैसलमेर को डवलप किया जाए। हमारे पुराने किले, हमारे यहां पर टाइगर सैंक्चुअरी और इन सबका अगर अच्छे से प्रचार किया जाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान देश में अग्रणी प्रदेश होगा जहां बाहर का टूरिस्ट आना पसन्द करेगा लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति के कारण या सरकार की मन्शा ठीक नहीं होने के कारण हालत ऐसी हो गई।

पिछली सरकार में भी मैंने देखा कि हमारे वहां बहरोड़ मिड-वे, जिसके नाम से मेरे बहरोड़ को जाना जाता था और जो टूरिस्ट की सुविधाओं का इतना बड़ा केन्द्र था, राजधानी दिल्ली और जयपुर के बीच में यात्रियों की सुविधाओं का केन्द्र था। सभापति महोदय, प्रोफिट में था, कितने ही लोगों को रोजगार मिल रहा था उसके बावजूद भी मुझे वहां के अधिकारी बताते थे कि हम पर प्रेशर है कि कैसे भी इसकी इन्कम को कम करो। सभापति महोदय, उसको बेचने की तैयारी कर दी थी। मन्शा उसको बेचना था लेकिन प्रोपर्टी के मार्केट में गिरावट आ गई और वह बिका नहीं। वह बन्द पडा है, कोई पैसा खर्च नहीं होता लेकिन फिर भी वह बन्द पड़ा है और वह सारी की सारी प्रोपर्टी खराब हो रही है। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप बहरोड़ मिड-वे को पुन: चालू करते हैं तो बहरोड़ की जनता आपकी ऋणी रहेगी और अनेक टूरिस्ट, अनेक पैसेंजर आपको दुआ देंगे।

सभापति महोदय, आर.ए.एस. के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता था बहरोड़ के अनेक विद्यार्थियों से कि बहरोड़ का नाम आते ही कौनसी चीज दिमाग में सबसे पहले आती है और उसका सही उत्तर होता था बहरोड़ मिड -वे। उसको बन्द कर दिया। मैं आशा करता हूं कि उसको पुनः चालू किया जाएगा।

मैं प्रतिपक्ष के उप नेता जी की उस बात से सहमत हूं, पर्यटन मंत्री जी से वे कह रहे थे, लोग उस बात को हंसी-मजाक में ले रहे थे लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे जो पुराने राजे-रजवाड़े, किले, बावड़ियां, इन सबका अगर ठीक से प्रचार करें तो बहुत-सा बेनेफिट राजस्थान को हो सकता है लेकिन जरूरत है सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति की।

मेरे अलवर के सरिस्का में पाण्डुपोल धार्मिक स्थल है। मेरे वहां पर भर्तृहरि जी बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, मेरे बहरोड़ में भी मनसा माता का बहुत ही फैमस मन्दिर है और ऐसे मन्दिरों को सुखसुविधाओं से सुसज्जित

(श्री बलजीत यादव)

किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहां पर आने के लिए आकर्षित होंगे।

सभापति महोदय, सरिस्का में टाइगर देखने के लिए सैटरडे, सन्डे को अलवर के किसी भी होटल में रूम खाली नहीं मिलता है। मैं पर्यटन मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि अगर वहां पर और सुख सुविधाएं ठीक से की जाएं तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो रणथम्भौर जाते हैं, उससे भी ज्यादा टूरिस्ट सरिस्का में आने के लिए तैयार होंगे क्योंकि वह नेशनल राजधानी के ज्यादा नजदीक पड़ता है।

इसके अलावा, मैं राजस्व मंत्री जी से भी इतना-सा कहना चाहता हूं कि जब रजिस्ट्री करते हैं उसके बाद म्यूटेशन खोलने के लिए पटवारी को 45 दिन का टाइम दिया जाता है और वहीं भ्रष्टाचार का जन्म होता है। लोग करोड़ रुपये की जमीन खरीद लेते हैं, पटवारी म्यूटेशन खोलता नहीं है, वह उससे डिमाण्ड करता रहता है, परेशान करता रहता है। जब सरकार रजिस्ट्री करती है तो स्टाम्प ड्यूटी लेती है तो क्यों न ऐसी व्यवस्था हो कि पहले ही पटवारी से कहा जाए कि पटवारी एक सर्टिफिकेट दे कि इस जमीन को आप खरीद सकते हो, इसमें कोई विवाद नहीं है और इसका म्यूटेशन तुरन्त खुल जाएगा, इधर रजिस्ट्री होगी और इधर आपका म्यूटेशन खोल दिया जाएगा ताकि इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि यह परम्परा रही है कि स्थानीय थानों में थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, इन पदों पर वहीं के लोकल निवासियों को नहीं लगाया जाता है और गवर्नमेंट का यह आदेश भी है। अभी पिछले दिनों विवाद हुआ नीमराणा तहसीलदार के बारे में कि नीमराणा तहसील के ढूंढाड़िया गांव की उनकी बहू है, उस समय आपकी सरकार के मंत्री भी गये थे, काफी बखेड़ा हुआ कि इनके ससुर प्रोपर्टी डीलर हैं पक्षपात हो रहा है, निर्णय सही नहीं हो रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, न्याय मिलना भी जरूरी है और न्याय होता हुआ दिखना भी जरूरी है इसलिए ऐसी चीजों से आप बचें कि वे वहीं के रहने वाले हैं तो वहां नहीं लगाकर, अगर आपको उनसे कोई सहानुभूति है तो चाहे और कितनी भी अच्छी जगह लगाएं लेकिन ऐसी चीजों से बचेंगे तो मैं समझता हूं कि अच्छा होगा।

सभापति महोदय, मेरे बहरोड़ में जो तहसीलदार हैं, अनेक रास्तों पर अतिक्रमण हो रहा है, करोड़ों रुपये की दोनों तरफ सड़कें बन गईं और बीच में

(श्री बलजीत यादव)

अतिक्रमण एक आदमी ने कर रखा है एक-एक किलोमीटर और कितनी ही बार कहने के बाद भी अनेक जगह सड़कें ब्लाक पड़ी हुई हैं जिनको उनसे पैसे ले लेकर नहीं खोल रहा है। इसके बाद अलवर कलेक्टर को वहां से चलकर आना पडा तब मात्र एक रोड खुला। अभी भी जो अनाज मण्डी के लिए जमीन एक्वायर की जानी है उसके ऊपर कब्जा हो रहा है, उसके ऊपर कहने के बावजूद दिल्ली के एक भू-माफिया द्वारा रोड बना दी गई और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तारीख पर तारीख देते हैं, यह एक महीने की तारीख, दो महीने की तारीख और उसे उगाही करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए जिससे आपकी छवि साफ रहे।

मैं वन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे वहां नीमराणा में अनेक फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जिनसे बेतहाशा पोल्यूशन हो रहा है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप किसी फैक्ट्री को एनओसी देते हैं तो आप यह तो निश्चित करिये कि वे उतने पेड़ लगाएंगे। हमारे वहां पर जांटी के इतने पेड़ थे, सांगर लगते थे। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि जांटियों के सांगर लगने तक बन्द हो गये। लेसुए के पेड़ थे, इतने लेसुए लगते थे वे लेसुए लगने बन्द हो गये। लोगों को कैन्सर हो रहा है, भारी तादाद में लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं इसलिए आप कम से कम इतना सुनिश्चित करें और आपके अधिकारियों को भी आप चैक करें कि एनओसी देते हैं तो वे देखकर देते हैं या किस हिसाब से देते हैं। हमें आशा है कि आप चैक करेंगे और वहां पर अधिक से अधिक पेड़ लगवाने की आप व्यवस्था करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

दूसरा, मैं वापस मांग संख्या 47 के जरिये पर्यटन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे बहरोड़ में अनेक बावड़ियां हैं, मांडन के अन्दर किला है, उनको यदि डवलप करेंगे तो दिल्ली के नजदीक होने के कारण वहां पर टूरिस्ट ज्यादा आकर्षित होंगे क्योंकि आन हाईवे पर मेरा बहरोड़ है। इसलिए अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र में नीमराणा में जो प्राचीन बावड़ी है, वह बहुत बड़ी बावड़ी है। बहरोड़ के अन्दर बावड़ी है और मेरे बहरोड़ के अन्दर भाष्करानन्द जी के मन्दिर में बहुत अच्छा तालाब है, अगर उसका जीर्णोद्धार होगा तो मैं समझता

(श्री बलजीत यादव)

हूं कि निश्चित रूप से दिल्ली-जयपुर के बीच में जाने वाला पर्यटक वहां पर रूककर जाएगा जिससे मेरे बहरोड़ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और मेरे बहरोड़ का नाम भी विश्व के मानचित्र पर अंकित होगा। इसलिए मेरा आपसे यह पुन: निवेदन है कि मंत्री महोदय, एक बार आप मजबूत इच्छा शक्ति रखकर इस ओर अच्छा सा प्लान बनाएं कि राजस्थान को टूरिज्म की दृष्टि से कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाना है हिन्दुस्तान में।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अशोक लाहोटी।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अगर ऐसा ये करेंगे तो पूरे राजस्थान की जनता आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पर्यटन, वन एवं रेवेन्यू की डिमाण्ड्स पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, पर्यटन किसी भी देश या राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

महोदय, हम जिस प्रदेश में रहते हैं वह प्रदेश अपने आप में राज प्लस स्थान यानी, रायल्टी और पैलेसेज, हमको विरासत में पर्यटन देता है। महोदय, मैं यदि विश्व पर्यटन पर बात करूं तो विश्व पर्यटन के मानचित्र में अतुल्य भारत का इंक्रेडिबल स्टेट यदि कोई है तो वह स्टेट राजस्थान है।

महोदय, we’re the land of festivals, colors, vibrant and elegance. हमारे यहां पर वैभवशाली किले, महल, हमारा हैरिटेज, हमारी विरासत हमारी भव्य धार्मिक महत्व की प्राचीनतम मान्यता व सनातन संस्कृति के सुप्रसिद्ध मंदिर, स्थापत्य एवं शिल्पकला के बेजोड़ एवं अद्भुत धार्मिक मंदिर, अजमेर की दरगाह की बात करें, चाहे और कोई मंदिरों की बात करें, हमारी विश्व प्रसिद्ध बावड़ियां, तालाब, हमारी पैलेस आन व्हील्स जैसी धरोहर, हमारा मरुस्थल, हमारी शेखावाटी की हवेलियां, हमारे हैरिटेज होटल्स, हमारे लोक संस्कृति, शास्त्रीय संगीत लोककला के लगभग 65 कार्यक्रम तो आपने इस किताब में ही सूचीबद्ध कर रखे हैं।

इस तरह का भव्य हम कह सकते हैं कि हमारा इतिहास है। हमारे मेले, हमारे उत्सव, सुबह हमारे एक सदस्य गोगामेड़ी मेले की बात कर रहे थे,

(श्री अशोक लाहोटी)

70 लाख टूरिस्ट एक-एक मेले में आते हैं। इस तरह राजस्थान के कई मेले हैं। मैं बात करूंगा महोदय, हमारे हर जिले में हैण्डीक्राफ्ट, हस्तकलाएं, हस्तशिल्प, कारीगरी, सांगानेर, बगरू जैसे विश्व प्रसिद्ध प्रिंट, हमारे हैण्डमैड पेपर्स, हमारे कुटीर उद्योग, हमारा रहन-सहन, हमारा खान-पान हमारी प्राकृतिक भिन्नता, सम्पन्न इतिहास, हम सबको विरासत में मिले हैं, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे हर तहसील, हर ब्लाक, हर जिला ही नहीं, हमारी कण-कण में विरासत में पर्यटन है। मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि हमारे चार लोकगीत भी यदि हम देखें कि हमारा केसरिया बालम, घूमर, पधारो म्हारे देश, और धरती धोरां री, इन चार गीतों में हमारा सम्पूर्ण पर्यटन राजस्थान का दर्शन हमको देखने को मिलता है।

सभापति महोदय, मैं बिना पक्ष-विपक्ष से एक बात कहूंगा कि इतनी असीमित संभावनाएं, इतना बड़ा रोजगार का माध्यम और यदि मैं कहूं कि आज तक सरकारें इस पक्ष की रही हों, चाहे उस पक्ष की रही हों, मैं बहुत सच्चाई से कह रहा हूं शायद पर्यटन हमारा प्रायोरिटी सेक्टर कभी रहा ही नहीं, जिस तरह की हमको विरासत मिली है। उस विरासत की तुलना यदि पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के साथ हम करें, तो बहुत छोटी-छोटी विरासत है।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कई देशों की तो पूरी इकोनोमी केवल पर्यटन पर चलती है। मैं जब मेयर था तो आज सुबह कोरिया की बात हो रही थी, कोरिया के एक टापू के कुछ लोग मिलने आए, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टापू की इकोनोमी कई बिलियन्स में है और वे वहां का केवल पानी बेचते हैं। केवल पर्यटन के नाम पर उनका पानी फेमस है। उससे उनकी पूरी कंट्री की इकोनोमी चलती है।

सभापति महोदय, यदि हम चर्चा करें तो 2 लाख 33 हजार करोड़ के इस बजट में केवल 130 करोड़ रुपये हमने पर्यटन के लिए रखे हैं। मैं पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय पर भी थोड़ा देखें। मैं यदि इसको प्रतिशत में फलाऊं या मैं इसका कैपिटल एक्सपंडीचर निकालूं या विकास का पैसा निकालूं तो शायद वह आंकड़ा सुनकर उनको शर्म आएगी। सभापति महोदय, ये रिसर्च और सीएजी की रिपोर्ट में भी है और आज सुबह भी कई सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां केवल यही सेक्टर है, जिसमें हमको केवल मिनिमम इंवेस्टमेंट करना है और मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल सकता है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, यदि हम लंदन की बात करें तो वहां 6 करोड़ 76 लाख पर्यटक, पेरिस में 2 करोड़ 45 लाख और अध्यक्ष महोदय, मैं एडिनबर्ग स्काटलैण्ड की बात करूंगा। मैं जब वहां गया तो तीन दिन तक वहां के लोगों ने कहा, हम आपको कैसल पर लेकर चलेंगे और जब मैं उस किले पर गया तो कल मैं मुख्य सचेतक महोदय महेश जोशी जी को बता रहा था, मुख्य मंत्रीजी और जब हम यहां बात कर रहे थे, तब भी मैंने कहा, मैंने कहा वो कैसल हमारे मोती डूंगरी से भी छोटा था और वहां पर्यटकों की इतनी संख्या 1 करोड़ 56 लाख। सभापति महोदय, हमारे यहां तो मल्टीपल टूरिज्म है, हमारे यहां तो हर सैक्टर में टूरिज्म है, सुबह से जितने भी माननीय सदस्यों ने बताया, हर सैक्टर में टूरिज्म के बारे में बताया।

सभापति महोदय, पेरिस से लेकर बाकू तक की बात करूं तो अभी हाल ही में हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि पेरिस से लेकर बाकू तक हमारे जयपुर की धमक रही और 21 में से 16 सदस्यों ने जयपुर को वर्ल्ड हैरिटेज सिटी में शामिल करवाने के लिए यूनेस्को की टीम में खड़ा होकर सम्मान किया। यह चीज दर्शाती है कि विश्व में हमारे प्रधान मंत्रीजी का, एक शक्तिमान भारत का, विश्व में हमारी बढ़ती हुई ताकत का परिचय है। शान्ति रखें, यह आपके कारण नहीं हुआ, अभी शांति तो रखो, सुन लो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर-इधर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय लाहोटी जी, एक मिनट।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 8, 9 व 47 पर विचार

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मेहरबानी अध्यक्ष महोदय, इतनी असीम संभावनाएं होने के बाद भी हमारे यहां जो पर्यटकों की संख्या है जयपुर की या राजस्थान में, मैं ये मेले और इनमें पर्यटकों की संख्या यदि हटा दूं तो आरटीडीसी की वैबसाइट पर ऑन रिकार्ड 24 लाख 70 हजार पर्यटकों की संख्या है मात्र, सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से कहूंगा, मंत्रीजी खुद इस विरासत को समझते हैं। वे खुद विरासत के धनी हैं, इनके यहां तो जो एक दरवाजा लगा हुआ है, वह दरवाजा ही दिल्ली के दरबार को हराकर, महाराजा सूरजमल जी उस दरवाजे को लेकर आए और आज वह दरवाजा भरतपुर में लगा हुआ है उस दरवाजे का पर्यटन ही 24 लाख हो सकता है, यदि मंत्री जी थोड़ी-सी कोशिश करें।

सभापति महोदय, मैं आपको यह कह रहा हूं कि जयपुर को वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल किया, Jaipur is the only living Heritage. यदि पेरिस और लंदन की भी बात करें तो वहां इस तरह का लिविंग हैरिटेज नहीं है, जहां लोग रहते भी हों, व्यापार भी करते हों और हैरिटेज भी हो। हमारी इस पिंकसिटी को, यहां से लेकर आमेर तक के पूरे क्षेत्र को जो हैरिटेज में शामिल किया, ये केवल जयपुर नहीं, केवल राजस्थान नहीं, पूरे देश भर के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।

मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि मैं वो गौरवशाली रहा हूं। मैं अपने आप में आभारी रहा हूं कि जब मैं महापौर था, तो 2017 में इस प्रपोजल को बनाने, इसको सब्मिट करने और वहां की टीम को यहां पर बुलाकर विजिट करवाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। सभापति महोदय, इस यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज साइट में शामिल होने पर जयपुर के लिए आज मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी को, हमारे पूर्व केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडूजी को, हमारे पूर्व मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी जी को, जब यहां आर्कएशिया हुआ, उस आर्कएशिया में जब 1200 डेलीगेट्स बाहर से आए, उन डेलीगेट्स से चर्चा करके, इस वर्ल्ड हैरिटेज साइट में डवलप करने के लिए, उसमें सब्मिट करने के लिए उस प्रपोजल के लिए जितना पेन उन्होंने लिया, उसी का परिणाम है कि आज आपको मात्र केवल एक कम्प्लायंस सर्टिफिकेट देने के नाम पर ये वर्ल्ड हैरिटेज में हम शामिल हुए इसका धन्यवाद यदि सबसे ज्यादा जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है कि

(श्री अशोक लाहोटी)

16 देशों ने भारत का समर्थन किया और जयपुर को वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल करवाया।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय....

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय जयपुर को तो विद्‍याधर जी भट्ट और मिर्जा इस्माइल जैसे आर्किटेक्टस ने बनाया है और उन्होंने जो बनाया और जयपुर तो ऐसा बना, जयपुर अपने आप में, जयपुर का निर्माण तो वास्तुशास्त्र...

श्री सभापति: माननीय समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): खगोलशास्त्र, भूगोलशास्त्र, ज्योतिषीय गणना, इन सबको लेकर नवग्रहों के आधार पर बसने वाला...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, आज तो आपने हाथ खड़े करवाकर शपथ दिलवाई, कम से कम आज तो दो मिनट का टाइम दे दो, सभापति महोदय। हम आपसे टाइम ही तो मांग रहे हैं, नये लोग और तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं 2017 में जो आपने ये किया, इसके बाद यदि मैं बात करूं सिंगापुर की वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टूरिज्म को अट्रेक्ट करने वाला कंट्री सिंगापुर है। उसकी भी स्काई लाइन देखो, उसकी स्काई लाइन और हमारे जयपुर के जेएलएन मार्ग की, हमारे यहां की जगतपुरा की, गोपालपुरा बाईपास की, विद्‍याधर नगर की, इनकी स्काई लाइन लगभग-लगभग सेम है। केवल फर्क है, सभापति महोदय, ग्राउंड क्लीयरिटी का, केवल फर्क है तो गार्डनिंग का फर्क है। पैसा हम भी उतना ही खर्च कर रहे हैं, जयपुर का नगर निगम और जेडीए दोनों मिलाकर भी साल में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा गार्डनिंग पर खर्च करते हैं, लेकिन हमको केवल उनको सहेजने की आवश्यकता है। आज मैं यह कह रहा हूं यह पार्टी मंचों से ऊपर उठकर जब तक हम इस पर्यटन के बारे में नहीं सोचेंगे, शायद में यह मानता हूं कि राजस्थान की सबसे अपकमिंग इंडस्ट्री, राजस्थान के नौजवानों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री, राजस्थान की इकोनोमिक ग्रोथ में एक मल्टीपल चेंज लाने वाली इंडस्ट्री यदि कोई है तो केवल और केवल पर्यटन है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, यही नहीं इसके अलावा हमारे पास पर्यटन के बहुत माध्यम हैं। एडवेंचर टूरिज्म की बात हुई। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला यदि टूरिज्म है तो एडवेंचर टूरिज्म है। हमारे पास यहां पर फारेस्ट है, सैंक्चुअरी है, वाइल्ड लाइफ है, एग्रो टूरिज्म है।

सभापति महोदय, मैं एसएमएस हास्पिटल की बात करूंगा कि जिस तरह से गुड़गांव के मैदान्ता हास्पिटल में मेडिकल टूरिज्म डवलप किया है, उससे ज्यादा संभावना हमारे यहां एसएमएस में है....

(17.00 बजे)

श्री सभापति: श्री चेतन सिंह चौधरी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, जयपुर में फिल्म सिटी की स्थापना करने की आवश्यकता है। यहां एक कन्वेन्शन सेन्टर सांगानेर के प्रिन्ट कागज व मीना उद्योग के तीन सौ साल पुराने हैरिटेज को बचाने के लिए सांगानेर हाट का निर्माण किया जाए।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। सहयोग कीजिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं तो आपसे केवल इतना ही चाहता हूं कि जो यह पर्यटन है इस पर्यटन को हम पोलिटिकल बाउण्ड्री से बाहर लेकर, इन पोलिटिकल रेखाओं से बाहर लेकर यदि इसका ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो राजस्थान देश ही नहीं, दुनिया का नम्बर वन सैक्टर रहेगा इस इण्डस्ट्री में और उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिये। यही मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री चेतन सिंह चौधरी।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-8, 9 व 47 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, 1857 से 1947 की जो आजादी की लड़ाई चली लगभग दो सौ वर्ष और 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद जॉन स्ट्राचे नाम का एक व्यक्ति था जिसने अंग्रेजी राज को यहां एस्टेब्लिश करने में बड़ी भूमिका निभायी और वह व्यक्ति यहां से जब 1888 में रिटायर होकर वापस इंग्लैंड गया तब उसने इंग्लैंड में जगह-जगह घूमकर बड़े भारी लैक्चर दिये। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसने जो लैक्चर दिये, उन लैक्चर्स को एक जगह इकट्ठा करके एक किताब लिखी गयी, उस किताब का नाम था इण्डिया। उस किताब को वहां के तमाम सिविल सर्वेंट्स यहां आते थे राज में नौकरी करने के लिए,

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

हिन्दुस्तान को चलाने के लिए, वह किताब उनको पढ़ने के लिए दी जाती थी कि आपको हिन्दुस्तान को जानने के लिए यह किताब पढ़नी चाहिए। उस किताब में लिखा था जॉन स्ट्राचे ने, हिन्दुस्तान नाम की कोई चीज नहीं है। हिन्दुस्तान न पहले कभी था, न आज है और उसके लिखने के पीछे उसने कारण दिया कि यूरोप के स्पेन और स्काटलैंड एक जैसे हो सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तान का पंजाब और वैस्ट बंगाल कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। इतना इन लोगों में फर्क है पहनने में, बोलने में, खाने में, लेकिन उसके बाद भी 1947 में हमें आजादी मिली और आजादी ऐसी मिली जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी। बहुत सारे लोग जेल गये। भगत सिंह 23 साल की उम्र में अपने साथियों के साथ फंदे पर हंसते-हंसते इसलिए झूल गये कि वह यह संदेश देना चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों में एक जागृति हो। हिन्दुस्तान में जो उस टाइम के बाशिंदे थे उनमें जागृति हो कि हमें देश के लिए कुछ कर गुजरना है।

सभापति महोदय, जब हमें आजादी मिली 15 अगस्त, 1947 को तो अकेले दिल्ली में तीन सौ जगह तिरंगा फहराया गया। ऐसा कुछ माहौल था और उसी में सरदार पटेल ने, जो उनके पी ए थे के.एम. मुंशी उनको एक वक्तव्य दिया था उस टाइम कि आज जो कुछ भी हम अपने देश के लिए कर रहे हैं हम अपनी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाली पीढ़ियां उसको कहीं अन्यथा न ले लें। जब 1947 में यह तय हो गया कि भारत आजाद हो रहा है, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना है, तैयारी चल रही थी कि भारत को आजादी मिले। कौन प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट कैसे हो, उसी वक्त नागौर जिले के डीडवाना में डाबड़ा नाम का एक गांव था, वहां एक अलग आंदोलन चल रहा था, एक अलग बात चल रही थी। बात कर रहे थे वहां के किसान और वह बात थी अपनी जमीन के हक के लिए। अपनी खुद की जमीन जो वे जोत रहे थे उसका मालिकाना हक मिले इसके लिए वह संघर्ष कर रहे थे और उसी संघर्ष के तहत 13 मार्च, 1947 को उन्होंने एक मीटिंग बुलायी ग्राम डाबड़ा में। छोटा-सा गांव है और उस मीटिंग के शुरू होने से पहले उस मीटिंग में स्वर्गीय मथुरादास माथुर भी हाजिर थे उन किसानों के बीच में और जब यह मीटिंग शुरू होने वाली थी तो कुछ ऐसी वारदात हुई कुछ ऐसे जागीरदार लोग जो उस समय के थे उन्होंने उन पर हमला बोला अपने कुछ साथियों के साथ और पांच किसान शहीद हो गये। निहत्थे किसान और ऐसा अहिंसात्मक उनका आंदोलन था, उस पर ऐसी उन्होंने करतूत की या

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

ऐसा अटैक किया। पांच किसान जिन्होंने सिर्फ इसलिए मीटिंग को बुलाया कि जमीन जो जोत रहे थे उसका हक मिले, शिक्षा का प्रसार हो और कुरीतियों का त्याग हो। यह जो डाबड़ा कांड हुआ इस डाबड़ा कांड को कुछ इतिहासकार जलियांवाला बाग़ कांड से भी जोड़कर देखते हैं और राजस्थान में इस कांड के सानी दूसरा कोई भी ऐसा कांड मेरी जानकारी में जहां तक मैंने इतिहास देखा है मुझे मिलेगा नहीं। इस कांड में पांच जो किसान शहीद हुए उनका नाम स्व पन्नाराम, स्व. श्री रामूराम, स्व. श्री रुग्गा राम, स्व. श्री चुन्नीलाल जी शर्मा व स्व. श्री नन्दा राम जी मूंड थे।

सभापति महोदय, हर वर्ष 13 मार्च को वहां पर हम शहीदी दिवस मनाते हैं और पिछले बहुत सालों से मैं वहां हाजिर होता हूं लेकिन हालात ये हैं कि सिर्फ सौ-डेढ़ सौ लोग वहां हाजिर होते हैं उनमें से बीस-तीस लोग तो उन शहीदों के परिवारजन होते हैं। 15-20 कुछ वहां की लोकल राजनीति करने वाले लोग और बाकी सिर्फ गांव के लोग। न कोई दूसरे व्यक्ति आते हैं, न बाहर से कोई आते हैं, न कोई सरकार के नुमाइंदे आते हैं। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि न उसके लिए कोई फंड है और न ही उसका कोई प्रचार-प्रसार होता है। ऐसा आजादी के वक्त का आंदोलन जिसको न कोई सरकार फंड दे रही है, न उसका कोई प्रचार कर रही है, न लोगों को उसकी जानकारी है और ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी गयी थी। आज दिन तक सरकार के पेटे से मात्र दस लाख रुपये खर्च हुए, वह भी 2002 में जब उस समय के विधायक जी थे, उन्होंने अपने एमएलए लैड से दस लाख रुपये दिये। उसके अलावा सरकार के पेटे से एक पैसा खर्च नहीं हुआ और उस दस लाख रुपये से जो पांचों शहीद थे उनकी मूर्तियां स्थापति की गयीं। मुख्य मंत्री जी स्वयं 2012 में उस स्थल पर गये। अपने हाथ से वहां पर एक नोट लिखा और आज भी सूबेदार साहब जो उस स्थल की निगरानी रखते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, वह अभी केन्सर पीड़ित हैं, बुजुर्ग हैं अपने कांपते हुए हाथों से जब भी मैं वहां जाता हूं नोट दिखाते हैं कि यह मुख्य मंत्री साहब लिख कर गये थे। मुख्य मंत्री साहब को यह याद दिलाएं कि इस स्थल पर रहमोकरम करें। इस स्थल को सरकार की तरफ से मान्यता दिलाएं और कुछ फंड मिल जाए, इसका कुछ नाम हो जाए तो उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान दे दी किसानों के हितों के लिए लड़ते हुए, उनको याद करने के लिए हर साल लोग इकट्ठे होते हैं।

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार ऐतिहासिक धरोहरें संरक्षित कर रही है, पुनरुद्धार कर रही है तो मेरा सरकार से आग्रह है यह स्थल जो कि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को बयान करता है उसको संरक्षित करें, प्रचारित करें जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की जानकारी मिले। खुद को आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित महसूस करें और उन शहीदों के बलिदान से जिस मकसद के लिए लड़े उस मकसद को आगे बढ़ाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): सभापति महोदय, सिर्फ छोटा सा निवेदन है। मैंने राजनीति यूथ कांग्रेस से शुरू की और उस वक्त मेरे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा अमरिन्दर वडिंग थे जो गीदड़वा से विधायक थे। जब मैं उनसे मिलता तो मुझे बोलते थे चेतन, एक हफ़्ते में पूरे विधान सभा क्षेत्र का चक्कर लगा लेता हूं। जब वह दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे और मैं उनके बीच में गया प्रचार करने तो वहां से जब प्रचार स्टार्ट किया सुबह दो घंटे में पहुंचे कहीं दूर 15 किलोमीटर से कम थे तो जो साथ में लोकल कार्यकर्ता था उसने बोला साहब रुकिये दूसरी विधान सभा का क्षेत्र आ गया। मैंने कहा कि इतना छोटा, तो बोले कि इतना ही विधान सभा क्षेत्र है। ये हालात हैं हमारे यहां के विधान सभा क्षेत्र के और वहां के। हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर में होती है और मैं आपके सामने यह बात सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि हमारे यहां पर एक पटवारी को ढाई सौ खाते हैण्डल करने होते हैं और एवरेज जो अभी मेरे डीडवाना में हालत है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): वहां एक पटवारी के पास में 3800 खाते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो 18 रिक्त पद हैं पटवारी के और दो रिक्त पद हैं आरआई के, उनको भरने की मेहरबानी करें सरकार।

सभापति महोदय, एक मिनट का वक्त और लूंगा। मेरे डीडवाना में अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा आश्चर्यचकित करता है। 20 फरवरी, 1957 को एक व्यक्ति सोहनलाल की मृत्यु हो जाती है और उसका डैथ सर्टिफिकेट मेरे पास है। उस आदमी की 20 फरवरी, 1957 को मृत्यु होने के बाद 2017 में मेरे वहीं का तहसीलदार आदेश देता है कि यह आदमी खतम हो

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

चुका है और इसके कोई वारिसान नहीं हैं। यह आदेश देने के बाद अभी कुछ रोज पहले उसी तहसीलदार ने, उसी दफ्तर में भू-माफिया से मिलकर, और तो और जब हम आईटी की बात करते हैं, जो 1957 में मर गया उस व्यक्ति का आधार कार्ड बना दिया। और तो और, उसके घर पर जाकर सौ रुपये की रसीद जमा कराते हैं कि वह बीमार है इसलिए तहसील में आकर रजिस्ट्री नहीं करवा सकता है, एक एप्लीकेशन लिख कर दे दी कि वह बीमार है, वह एप्लीकेशन भी मेरे पास है। उसके घर पर जाकर रजिस्ट्री करके आते हैं और जो डीड है, जिसको संपादित किया गया था, वह भी मेरे पास है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर रेवेन्यू के 70 साल बाद हम सिस्टम की बात करते हैं कि सब कुछ आनलाइन हो गया है, सब कुछ आईटी से चल रहा है, टैक्नोलोजी आगे बढ़ गई है, अगर ये हालात हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन हालातों को सुधारें, अन्यथा हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 8, 9 व 47 राजस्व, वन और पर्यटन पर बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आभार। माननीय सभापति महोदय, मैं दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से आता हूं और घाटोल मेरा विधान सभा क्षेत्र है। घाटोल विधान सभा क्षेत्र में तीन तहसीलें पड़ती हैं, घाटोल, घंदोड़ा और प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट। इस तरह से तीनों तहसीलों में पटवारियों की बहुत कमी है। 1977-78 में वहां पर पटवार मंडल के भवन बनाये गये थे। आज पीपलखूंट क्षेत्र की 22 पंचायतों में पटवार घरों की हालत है, वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पटवारी लोग रिकार्ड लेकर दूसरे सरकारी भवन या निजी मकानों में बैठकर काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे और सरकार से आग्रह है कि नये भवनों का निर्माण किया जाए। जब 1992 से सैटलमेंट का कार्य किया गया था, उस सैटलमेंट के कार्यों में जमीनों को नाप कर काश्तकारों की जमीनों में हेराफेरी की। किसी का रिकार्ड दूसरे के नाम से कर दिया। मौक़े पर कोई और काश्तकार काबिज है। आज भी तहसील और उप तहसील कार्यालयों में बांसवाड़ा जिले में घाटोल तहसील हो या दूसरी तहसील हो, लोग उस रिकार्ड को शुद्ध कराने के लिये रोजाना तहसीलों में चक्कर काटते हैं। मेरा माननीय

(श्री हरेन्द्र निनामा)

राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि आप एक विशेष कैंप लगाकर जो रिकार्ड में हेराफेरी की गई है, उस रिकार्ड को शुद्ध कराने का आप काम करें।

साथ ही हमारे बांसवाड़ा जिले में वागड़ में पर्यटन की दृष्टि बेणेश्वर धाम हो, गोतमेश्वर धाम हो और बागीदोरा में एक मानगढ़ का किला है, वहां पर वास्तव में पर्यटन के लिये बहुत ही सुंदर जगह है ऐतिहासिक जगह है।

अभी मेरे से पूर्व नागौर के माननीय सदस्य 5 काश्तकारों की घटना बता रहे थे। सभापति महोदय, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में 1947 के पहले कहीं पहला आंदोलन हुआ तो वह मानगढ़ की पहाड़ी थी, वहां पर 1500 आदिवासियों ने जान दी थी। यह इतिहास में गवाह है और जलियांवाला बाग़ में मात्र 400 लोग मारे गये थे। मानगढ़ के विकास के लिये भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने भी करोड़ों रुपये दिये और इसके पहले आपकी सरकार थी, आपने भी करोड़ों रुपये दिये, विकास की कोई कमी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इन तीनों जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आप और पैसा देते रहें ताकि हमारे बांसवाड़ा जिले की शान बनी रहे और पर्यटन के लिये लोग आते रहें। मैं इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पीपलखूंट का क्षेत्र पूरा ही आदिवासी इलाका है। मैंने 12 तारीख को मांग रखी थी कि मेरे क्षेत्र पीपलखूंट में महाविद्यालय खोला जाए। आपने कल ही इसकी घोषणा की, इसलिए मैं सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छी पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया है।

इसके साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि वन विभाग की जमीन में सड़कों की बात होती है, मेरे पीपलखूंट क्षेत्र में एक दो जगह ऐसी हैं जहां सड़क का पूरा मैटेरियल पड़ा हुआ है लेकिन वन विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वीकृति नहीं देने की वजह से वहां पर सड़क अधूरी पड़ी हुई है। एक उदाहरण के तौर पर मेरे घाटोल तहसील में वन विभाग कुआनिया नाका क्षेत्र में 480 बीघा जमीन, जो वन विभाग की जमीन थी, उसको राजस्व में तब्दील कर 2001 में वहां पर कुआनिया गांव के काश्तकार और तेजपुर पंचायत, जो गढ़ी विधान सभा की पंचायत है, वहां के काश्तकार आपस में सीमा विवाद के लिये हमेशा झगड़ते हैं। जब बारिश का समय होता है, वहां आज भी मकान बना रखे हैं, मौके पर जमीन को खेल रहे हैं। 2001 के पहले राजस्व रिकार्ड में कुआनिया ग्राम पंचायत के नाम से वह जमीन दर्ज थी लेकिन क्या पता किस

(श्री हरेन्द्र निनामा)

कारण से अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड को हेराफेरी की गई। इन दोनों गांवों के विवाद में आज लोग वहां बसे हुए हैं। कब कौनसी घटना घट जाए पता ही नहीं लगे, ऐसी स्थिति है।

मेरा आप सभी से निवेदन है कि वृक्षारोपण की बात सबने कही। माननीय सभापति महोदय ने हमको संकल्प की भी बात कही। हम सबको जानने की जरूरत है राजसमंद जिले के पीपलांतरी गांव में जाने की जरूरत है। वहां पर कई साथी तो गये भी होंगे, मैं भी गया था जब मैं प्रधान था तो पूरी टीम को लेकर गया था। उस पीपलांतरी गांव में पर्यटन के लिये वहां के सरपंच और वहां के ग्रामवासियों ने वृक्ष लगाने की जो योजना चलाई है, अगर पिता मरता है तो पिता के नाम से 10 पौधे लगेंगे, एक बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के नाम से 5 पौधे लगेंगे। इस तरह का संकल्प लेकर आज पूरे देश के लोग उस पीपलांतरी को देखने के लिये आते हैं। इस मौके पर लंबी बात नहीं कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर कोशिश करें कि हमारा राजस्थान हरा भरा रहे। हमारे बांसवाड़ा जिले में तो जंगल की भी कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं, पर्यावरण की कमी नहीं, हम तो सब सौभाग्यशाली हैं। वहां राजस्थान के किसी भी जिले से कोई भी अधिकारी बांसवाड़ा में अगर ट्रांसफर होता है तो वह वहां से वापस आने के लिये तैयार नहीं है। बाहर के जिलों के कई अधिकारियों ने वहां पर जमीनें ले लीं, वहां पर मकान बना लिये, वहां पर बच्चों की शादियां करा दीं और वहां के निवासी हो गये। सब तरह से शांत जिला कोई है तो वह राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा जिला है। हम सबको मिलकर जैसे सभापति महोदय ने कहा है कि आप संकल्प लेकर विधायक कोष की राशि से पौधे लगाएं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हम सभी माननीय सदस्यों ने एक प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजा कि हमारे फंड को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाए ताकि उसमें से हम एक-एक करोड़ के पौधे लगा सकें। मैं हिन्दी के एक कवि हरिवंश राय बच्चन की दो लाइन पढ़कर मेरी बात को खतम करूंगा, आपको घंटी बजाने नहीं दूंगा।

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती है दीवारों पर, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मांग संख्या 8, 9 और 47 पर आज सारगर्भित चर्चा सदन में हो रही है, मैं समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष सभी इस चिंता में हैं कि जल, जंगल, पशु, पक्षी को कैसे बचाया जाए? हमारे पुरखों ने कैसे बचाए? हमारे पुरखों ने जल बचाया। बावड़ी, कुंड, कुए और तालाब उस जमाने के बने हुए हैं। अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। पूर्वजों की दी हुई धरोहर है। वहां पर पानी पीने की व्यवस्था, तालाबों में नहाने की व्यवस्था और जैसे-जैसे विकास के काम डवलप हुए सतही जल की व्यवस्था के लिए जल नीतियां बनाई। जल का जो दुरुपयोग हो रहा है, इस पर भी हमें चिंतन करने की जरूरत है। यह प्रकृति से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। वनों की जो हालत है। पहले कोई पेड़पौधे नहीं काटते थे। जैसे-जैसे विकास किया, सड़कें बनीं, पेड़ कटे। खाने आबंटित हुईं, पेड़ कटे। उद्योग स्थापित हुए, पेड़ कटे। हर काम में पेड़ को काटने के अलावा कोई और नहीं। सरकारों ने कानून बनाए कि माइनिंग एरिये में माइनिंग लीज होगी तो माइन्स आनर इतने पौधे लगाएगा, लेकिन कोई पौधे नहीं लगाता। उद्योग वाला इतने पौधे लगाएगा, कोई उद्योग पौधे नहीं लगाता। पर्यावरण की एनओसी जारी हो जाती है, तो इस पर हमें सख्ती करने की जरूरत है। पर्यावरण की एनओसी जब जारी हो तो वह तभी जारी हो जब उसका भौतिक सत्यापन हो। खाली आफिसों में बैठकर जो जारी हो रही है, चाहे इनकी सरकार में हो, चाहे हमारी सरकार में हो। इस पर हमें बड़ी सख्ती की जरूरत है। हम एनओसी तब जारी करें, चाहे उद्योग हो, चाहे माइनिंग हो, कि वहां पर इतने पौधे लगे हैं। पौधे नहीं लगने से वन नहीं बचेंगे। जंगल नहीं बचने से, मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो दुर्दशा हुई, वह भी मैं बता दूं। राजस्थान की हो रही है। वह भी सभी सदस्य बता रहे हैं।

वनों की हालत खराब होने से वनों से जानवर आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं। आबादी क्षेत्र में आने से, मेरे यहां 20.02.18 को कोटगांव में पैंथर आया था और एक आदमी को जख्मी कर दिया। उसको हास्पिटल ले गये, पंजा मारा था। इससे पहले एक जानवर ने पोटड़ा में एक बच्चे को मार दिया। इससे पहले बोराना में मार दिया। पोटला में मगरमच्छों ने, तालाब के किनारे मगरमच्छ थे, नहाने गया, वहां बच्चा मर गया। बच्चे को जानवर ने खा लिया। ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जानवरों के आबादी क्षेत्र में आने की जो नौबत आ रही है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आपके जितने भी फोरेस्ट के

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

जंगल हैं, न तो उनमें पेड़ हैं, न जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है। हमारे बोराना के, भरक के, हमीरगढ़ के, कुरला के जो जंगल हैं, उनमें पैंथर हैं, हिरण हैं, भेड़िए हैं, सूअर हैं, जरख हैं। इतने बढ़िया जानवर हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। उनके लिए सैफ्टी वाल बनें, उनके लिए पीने के पानी के कुंड बनें, बोरवैल लगें, पानी की व्यवस्था हो। जितने भी फारेस्ट के जंगल हैं, उनमे वाच टावर लगे और वाच टावर पर आपका आदमी खड़ा रहे। आदमी चौकसी करे कि हमारे जानवर कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं। कोई चौकीदार नहीं, कुछ नहीं। फोरेस्टर घूमते रहते हैं। राजस्थान के हर जंगल में वाच टावर बने। मेरे क्षेत्र में भी बने।

गहलोत साहब ने अपने पूर्व के कार्यकाल में हमीरगढ़ में ईको टूरिज्म बनाने के लिये पैसा दिया, बना, लेकिन उसमें अब और पैसे की जरूरत है। मैं टूरिज्म मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वहां पर एक जिप्सी, बच्चों के झूले और वहां पर पीने के पानी की ऐसी व्यवस्था करें ताकि वहां पर पर्यटक और ज्यादा बढ़ें।

एक बात यह है कि जंगलों में आग लगती है और आग लगती है तो जंगल के जंगल नष्ट होते हैं। जंगल कटने से भी होते हैं और आग से भी होते हैं। राजस्थान के जितने भी जंगल ऐसे हैं, उसमें मेरा आपसे निवेदन है कि उन जंगलों में फायर की लाइन डालें, ताकि उन जंगलों में जहां आग लगे, उस पाइंट को खोला और उस जगह पर आग को बुझाया जा सके। एक प्रोजेक्ट राजस्थान के लेवल पर बने कि हम अपने जंगलों को बचा सकें और उस पर कामयाब हो सकें।

हमारे यहां पर्यटन के हिसाब से भरक माता जी का मंदिर है। उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। देश-प्रदेश से लोग आते हैं। वह इतना जबर्दस्त पर्यटन स्थल है, उसको विकसित करने के लिए वहां रोप-वे बनें। आप खुद पधारें या अपने अधिकारियों को भेजें। वहां ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि वह पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा सुंदर स्थान बन सकता है। वहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह ऊंची पहाड़ी पर है तो वहां पर वन विभाग की सेफ्टी वाल बने, पार्क बने, झूले लगे, रोप-वे लगे।

आप घुड़ला की तरफ आएं। उदयपुर जो पर्यटन स्थल है, वहां से भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर आते हैं। घुड़ला का एक तालाब आता है, जिस पर नेशनल हाईवे बना है। तालाब में करीब 12 महीने पानी रहता है। वहां पर बोट

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

चले, ताकि पर्यटक आएं। वैसे ही वहां पर लोग गाड़ी खड़ी करके जामफल खाते हैं। वहां अमरूद और आम जैसी सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। वहां बोट्स लग जाएं और वहीं पहाड़ी पर माताजी का मंदिर तो वहां पर भी रोप-वे सिस्टम बने। ऐसे पर्यटन स्थल आप हाईवे के नजदीक डवलप करें ताकि लोग आएं, वहां जाएं और आपका जो भी शुल्क है, वे लें और हम पर्यटन का विकास करे। जंगलों के विकास के लिए सारी चीजों की व्यवस्था हमें फोरेस्ट और टूरिज्म इन सबमें करनी चाहिए।

अभी वनस्पति की बात चल रही थी। हमने जब स्कूल में वनस्पति शास्त्र पढ़ा तो हमारे अध्यापक ने हमें सारी वनस्पतियों के पौधों के पास ले जाकर पढ़ाया। मैं आज दु:ख के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान के विद्यालयों में वनस्पति शास्त्र बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बच्चे को भी वनस्पति नहीं दिखायी जाती है, सिर्फ किताब के पन्नों पर दिखायी जाती है। हर विद्यालय में वे पौधे लगें, जो वनस्पति शास्त्र के कोर्स में हैं। हम चिकित्सा मंत्री से मांग करते हैं, स्वास्थ्य केन्द्र खोलो, चिकित्सा केन्द्र खोलो। राज साहब, आप बताएं कि पुराने जमाने में दो-दो सौ किलोमीटर में एक वैद्यराज थे, जिसके पास पेशेंट आते, चूर्ण बनाता, पट्टी लगाता और पेशेंट ठीक होते थे। आज इतनी बीमारियां बढ़ गयी हैं कि प्रकृति की देन से बीमारियां बढ़ी हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सर, अभी बोला तो है नहीं। पुराने जमाने में मुझे चोट लगी। मेरे दादा जी आये, नीम के पेड़ की छाल उतारी, घिसी, चोपड़ी, ready, no doctor. आज क्या हो रहा है? प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रकृति एवं वनस्पति की जानकारी हमें नहीं है। आयुर्वेद की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ओरिजिनल पेड़-पौधे जो फोरेस्ट के हैं, वे हम लोग लगाएं और रोड के साथ-साथ लगाएं। स्कूलों में लगाएं, पंचायतों में लगाएं, सरकारी कार्यालयों में लगाएं और उनका ज्ञान हम सबको दें। तब जाकर हम इस फोरेस्ट को बचा सकते हैं और फोरेस्ट में जितने पौधे लगाएं। आप मनरेगा से लगा सकते हैं।

मुझे बड़ी खुशी है कि इस बजट में, हम आज सदन में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री बनने के बाद, उनको एन्वायर्नमेंट चेंज हुआ उसकी चिंता थी। चिंता थी तभी हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की कि मैं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय बनाने की घोषणा करता

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

हूं। मेरी मुख्य मंत्री जी से भी इस मामले में एक मांग है कि इस निदेशालय में पर्यावरण, फोरेस्ट, पर्यटन, शिक्षा, सड़क और आपका आयुर्वेद विभाग, इन सबको सम्मिलित करके पौधों को चिह्नित करके कि कौनसे पौधे कहां लगाने हैं, आयुर्वेद इसमें हैड रखना चाहिए ताकि पौधे ऐसे लगें कि जो डुप्लीकेट ज्यूस मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जो रस आ रहे हैं, जो चूर्ण आ रहे हैं, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। हम ओरिजिनल चीजों पर जाएं। प्रकृति की पुरानी जो हमें देन थी, उस देन को पुन: प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। सहयोग करें। श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): धन्यवाद सभापति जी। आज अनुदान की मांग संख्या 8, 9 व 47 पर चर्चा हो रही है। हमारे विद्वान माननीय सदस्यों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं, वन के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर और पर्यटन के ऊपर। मैं सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र के ऊपर ही दो बातें बोलूंगा। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में, कई माननीय सदस्यों की भी यह समस्या थी, पटवारियों और गिरदावरों के। सूरजगढ़ प्रोपर तहसील में तो पिछले दो महीने से तहसीलदार नहीं है और बुहाना तहसील के नायब तहसीलदार को वहां का चार्ज दे रखा है। वहां के छात्र प्रमाण पत्रों के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक-एक पटवारी के पास, गिरदावर तो है ही नहीं, बुहाना में ही दस पद खाली हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो तहसील आती हैं इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एकएक पटवारी के पास तीन-तीन, चार-चार पटवार सर्कल हैं और जब पटवारी को फोन करते हैं तो कहता है कि मैं तो आज फलां पंचायत में हूं, लेकिन उस पंचायत में भी कोई जाता है तो वहां से नदारद मिलते हैं। पटवारियों को पाबंद करें कि वह पटवार सर्कल पर ही रहें।

दूसरा, मेरा आग्रह यह है कि राजस्व न्यायालयों में जो लम्बित मुकदमे हैं, मेरे विचार से मुकदमों का इतना लंबा-चौड़ा अंबार लगा हुआ है कि वर्षों से लोग चक्कर काट रहे हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और कई बार तो मैं खुद भी मानता हूं कि हमारे पिछले शासनकाल में जब मैं प्रधान था तब एक एसडीओ महोदय कभी मीटिंग में आते थे तो हम कहते थे कि एसडीओ साहब मीटिंग तो हो गई या कभी वीसी में आते थे तो हम उनसे आग्रह करते कि मीटिंग तो हो गई, कैसे बैठे हैं आप? बोलते कि चक्कर काट

(श्री सुभाष पूनिया)

रहे होंगे, किसान परेशान करेंगे। रीडर अपने आप तारीख दे देगा। इस तरह के हालात रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं। मैं चाहूंगा, मंत्री जी इन चीजों पर अंकुश लगाकर पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य करें।

तीसरा, मेरा आपसे आग्रह है कि वर्षों से जो प्रचलित रास्ते हैं। सौ-सौ साल से प्रचलित रास्ते हैं ढाणियों को जोड़ने के। उन रास्तों को कटान में लाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो कई ढाणियों में जो रास्ते कटान के हैं, उन पर भी अतिक्रमण हो रहा है। जब भी फोन करते हैं तो पुलिस के जाप्ते के नाम पर लोगों को टरका देते हैं। आज भी वे रास्ते रुके हुए हैं और आपस में लोगों के मुकदमे होते हैं, मारपीट हो जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा मंत्री जी इन कटान के रास्तों को खुलवाया जाए। जो प्रचलित रास्ते हैं, उनको कटान में लाया जाए।

एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में बुहाना पुरानी तहसील है, वहां का भवन इतना जर्जर हो चुका है, पिछले दिनों में दो बार बारिश हुई। अच्छी बारिश हुई तो वहां के लोग सारे के सारे अपने-अपने बस्ते लेकर दूसरे भवन में, पास में ही एक भवन है, उसमें जाकर बैठ गए। मैंने जाकर देखा कि यह क्या हाल है, पूरी की पूरी छतें, पूरा भवन ही बारिश से टपक रहा था। इसलिए मैं चाहूंगा कि बुहाना का तहसील भवन जल्दी बनाया जाए। वहां पर न तो तहसीलदार के लिए क्वार्टर है, न नायब तहसीलदार का क्वार्टर है। जब भी तहसील में कोई जाता है पांच-साढ़े पांच बजे बाद में, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पांच-सात किलोमीटर दूर मिलते हैं।

किसानों की जमीन की नपती जब करते हैं तो उन नपतियों को टालने के लिए वहां तहसीलदार तो आदेश कर देता है और पत्थर गढ़ी के नाम पर जब इनको टालमटोल करनी होती है तो किसान को कहते हैं कि यहां पुलिस जाप्ते की जरूरत है। पुलिस को लिख देते हैं। बारह-बारह महीने, डेढ़-डेढ़ साल तक न तो पत्थर गढ़ी हुई और न ही जमीन की नपती। इन विवादों के चक्कर में पुलिस जाप्ता किसान को तो देती नहीं है और तहसीलदार कह देता है कि हमने तो बोल दिया। इसलिए आपस में इनका भी समन्वय स्थापित करके पुलिस जाप्ता मांगने पर पुलिस जाप्ता मिले ताकि इन विवादों से हमें छुटकारा मिले।

अब मैं मांग संख्या 9 पर सभापति जी, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोशाला की भूमि बीहड़ के रूप में पड़ी है, गोशाला की खातेदारी है। उसमें अगर फोरेस्ट डिपार्टमेंट घास लगा दे तो निश्चित

(श्री सुभाष पूनिया)

रूप से गायों के लिए घास भी काम आएगी और वह भूमि भी सुरक्षित रहेगी। यह भी मेरा आपसे आग्रह है।

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में माननीय, आपके सीकर से लेकर लुहारू तक जो फोर लेन आरएसआरडीसी में बनी है, उसमें लाखों पेड़ कट चुके हैं। वहां पेड़ लगे नहीं हैं इसलिए मेरा वन मंत्री जी से आग्रह है कि दोनों तरफ पेड़ लगाकर ट्री-गार्ड से उनको सुरक्षित करके अगर डवलप किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी सघन वृक्षारोपण करके ट्री-गार्ड सहित उनको लगा दिया जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से काफी फायदा मिलेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में नील गायों का बहुत आतंक है। इसलिए वन विभाग उन नील गायों को पकड़कर ऐसी सुरक्षित जगह पहुंचाएं ताकि किसान को इन रोजड़ों से निजात मिल सके।

अंत में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जब किसान का कोई भी पेड़ सूख कर या आंधी-तूफान से गिर जाता है और उस पेड़ को परिवहन करके किसान जब अपने घर लेकर जाता है तब भी वन विभाग उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देता है, इसलिए किसान को आप इस चीज से निजात दिलाएं, मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): आपकी कृपा हो जाए तो अब मैं सिर्फ एक लाइन और बोलूंगा। रेवेन्यू से संबंधित एक निवेदन और है। आजकल एक नया काम और हो रहा है, कि काश्तकार और सोसाइटी वाले मिलकर कालोनियां काटते हैं और लोगों को भूखण्ड दे देते हैं। फिर आपस में मिलकर, बंटवारे का नाम लेकर या भुगतान नहीं होने की स्थिति में लोगों से मुक़दमे करवाकर भूखण्डधारी से और पैसे ऐंठने का काम करते हैं, इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि रजिस्ट्रेशन भी हो गया, अगले का कब्जा भी हो गया, उसके बावजूद उनके ऊपर मुकदमा लगाकर उनसे बेवजह ही पैसे ऐंठने का काम करते हैं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 8, 9 और 47 पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। महोदय, चूंकि समय कम है, मैं जानता हूं कि आप सबसे पहले मुझे ही बैठने के लिए कहेंगे, इसलिए पहले ही पाइंट पर आ जाता हूं। सर, पुलिस वाला हूं, कानून से चलूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब आप पुलिस वाले नहीं हो, अब आप एक माननीय सदस्य हो। सभापति महोदय, यह एक्सपंज कराओ। इस जगह पर जो आता है वह माननीय सदस्य के नाम से पुकारा जाता है। यह पुलिस का अहंकार लेकर अभी भी, इनके माथे पर डीजी का अहंकार है। एक्सपंज कराओ (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यह कोई असंसदीय थोड़े ही बोले हैं। असंसदीय नहीं है, पहले पुलिस में रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप अलाउ करेंगे क्या ...(व्यवधान) सभापति महोदय, हमारे नियम-प्रक्रियाओं में है।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सर, यह पुलिस में थे, फिर यह आपके सांसद थे, अब हमारे विधायक हैं।

श्री सभापति: नियमों प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा ...(व्यवधान) विराजिए आप लोग। हरीश चन्द्र जी मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे पेंशन मिलती है तो कभी-कभी उस डिपार्टमेंट को याद कर लेता हूं। पुलिस की पेंशन मिल रही है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर टाइगर सैंक्चुअरी उनियारा में लगती है। मैं मानता हूं कि इसके कारण पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला है। उससे अन्याय क्या हुआ है मैं अपनी पीड़ा आपको बताना चाहूंगा। महोदय, जब राजस्थान आजाद नहीं हुआ था और राजाओं का राज था तो न तो फोरेस्ट विभाग था, न फोरेस्ट मंत्री थे,न फोरेस्ट कानून था। उस क्षेत्र में वहां के ग्रामीण थे वह भी आराम से जी रहे थे। उनके और जानवरों के संघर्ष की कहानी कभी नहीं सुनी। जानवर भी बढ़ रहे थे और आदमी भी सुख से रह रहे थे और उनका जीवनयापन चल रहा था। फोरेस्ट डिपार्टमेंट फोरेस्ट को बचाने के लिए बनाया गया है। वन विभाग बनाया गया है जानवरों को बचाने के लिए। मैं बड़े दु:ख के साथ कहता हूं कि जब से यह विभाग बने, फोरेस्ट भी कटते गए और जानवर भी घटते गए, इसका क्या कारण है, यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा।

वहां एक माफिया बन गया, स्थानीय लोगों की जमीन है, वह वहां पर रह रहे हैं, वह तो भूमिहीन हो गये। फोरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए आपने गांवों को बेदखल कर दिया, फोरेस्ट इलाक़े से निकाल दिया। वहां बड़ी-बड़ी

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

माफिया, होटल माफिया, अधिकारी लिप्त हैं, नेता लिप्त हैं, कुछ पूंजीपति लिप्त हैं। इनके सुख के लिए पर्यटक दुःखी हैं, ग्रामीण दुःखी हैं। आज तक किसी होटल वाले का, किसी बड़े ग्रुप का, किसी चीज में, फोरेस्ट एक्ट में चालान नहीं हुआ, लेकिन कोई गांव वाला वहां से निकल गया तो उसको पकड़ लिया, कोई लकड़ी काटने चला गया, अपना मवेशी चराने गया, उसको सबसे पहले पकड़ते हैं। उनकी पुश्तैनी जमीन है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रह रहे हैं और यह व्यापारी लोग हैं। साहब, ऐसा लग रहा है कि फोरेस्ट विभाग, टयूरिज्म विभाग, यह सब होटल मालिकों की सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने राजस्थान प्रदेश की जनता की सेवा करना छोड़ दिया है या शायद इनकी प्राथमिकता में नहीं है।

मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रह रहे हैं उनके कुछ अधिकार हैं। उनके वन अधिकार है। उनके अधिकारों की रक्षा की जाए ताकि वह लोग अपना जीवनयापन कर सकें, क्योंकि वह लोग चारे के लिए, लकड़ी के लिए जंगल पर आश्रित हैं। कुछ लोगों की फोरेस्ट एरिया से लगती हुई जमीन है, तो उनका ध्यान रखा जाए। जो लोग अनावश्यक उनको परेशान करते हैं वह परेशानी उनको नहीं हो।

सभापति महोदय, बीसलपुर का बांध है जिसका पानी जयपुर में भी आता है, अनेक शहरों में जाता है वह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। वहां बीसलपुर बांध बना तो बहुत सारे गांव डूब में आ गए थे, उन लोगों को बाहर बसाया गया। ऐसे पचासों गांव हैं, उनको जमीन का अधिकार नहीं है। फोरेस्ट कहता है कि यह तो फोरेस्ट की जमीन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि हमारी जमीन है, उसके अभाव में उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा। उनके गांव में बिजली नहीं लग रही। सड़क नहीं बन रही, स्कूल नहीं बन रहे, वहां के स्थानीय निवासी हैं। अपने गांव से सरकारी नीतियों के कारण, सरकार ने उनको बेदखल किया, पर सरकार को बसाना तो चाहिए।

मेरा आग्रह है कि ऐसे ग्रामीण जिनकी जमीन बीसलपुर बांध के डूब में चली गई है, चाहे वह फोरेस्ट की जमीन पर बसाएं, चाहे रेवेन्यू की जमीन पर बसाएं, उनको अविलम्ब पट्टे दिए जाएं। सर, आप आवासीय पट्टे तो दें,

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

उनके बच्चे हैं, मूलभूत सुविधा मिलें। यहां तो कैदियों की भी सुविधा है। आप सेन्ट्रल जेल में जाकर देखें, वैसे नहीं कह रहा आपको जाने के लिए, लेकिन देखने के लिए अगर आप जाएं तो देखें कि उनको भी पानी, बिजली, भोजन कितना मिलना चाहिए, किस मात्रा में मिलना चाहिए, उनकी भी डाइट फिक्स है। पर यह जो खुद की जमीन छोड़कर आए हैं उनको भूमिहीन बना दिया है। उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। जो भी उनका हक बनता है वह हक उनको दिया जाए।

अंत में, रेवेन्यू मिनिस्टर मेरे नाम राशि हैं। उम्र में छोटे हैं, कद में बड़े हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारी कृषि भूमि की देखरेख करता है, ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराता है। हिन्दुस्तान में दो स्टेट हैं जहां पटवारी का पद समाप्त कर दिया गया है वह है यूपी और गुजरात। यूपी में पहली बार जब किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री बने, उनको पता लगा कि पटवारियों की क्या उपयोगिता है और क्या इनकी न्यूसेंस वैल्यू है। इतने दुःखी हो गए, स्वयं भुगत भोगी थे, स्वयं किसानों की प्राब्लम समझते थे, उन्होंने पटवारी का पद ही समाप्त कर दिया। आज यूपी में कोई पटवारी नहीं है, पटवारी का पद ही खतम कर दिया। उन्होंने रेवेन्यू रिकार्ड का काम दिया वह ग्राम पंचायतों को दिया।

श्री सभापतिः वहां तो बोलते हैं ऊपर करतार और नीचे पटवार। ऊपर तो करतार और नीचे पटवार है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, इसीलिए मैं हरीश जी से, युवा हैं, इनसे आग्रह करता हूं कि इसमें कुछ नवाचार लाएं। हर गांव का आदमी, पटवारी, कोई व्यक्ति से हमारा कोई झगड़ा नहीं है लेकिन व्यवस्था में कुछ सुधार लाएं ताकि लोगों का काम आसान हो जाए, उनको अनावश्यक परेशानी नहीं हो।

अंत में मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा मेरे टूरिज्म का एक क्षेत्र है हाथीभाटा। उनियारा के पास प्राचीनकाल का है, कौरव-पाण्डवों के इतिहास से जुड़ा हुआ है मैं स्वयं वहां गया हूं। आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया उसको प्रिजर्व करती है, उनका स्टाफ वहां लगा हुआ है। हाथीभाटा उसका स्थान है, प्राचीन इमारतें बनी हुई हैं आपका कोई अधिकारी चला जाए, उसको देख ले कि उसका विकास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वह रणथम्भौर के नजदीक है। अगर वह सर्किट में आ जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का भला होगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 8, 9 व 47 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पीलीबंगा विधान क्षेत्र पीलीबंगा तहसील में, रावतसर में जमीन अलाट हुई थी, टी.सी. के नाम से अलाटमेंट हुई थी। काश्तकार काफी वर्षों से जमीन की जोत कर रहे हैं।

(17.50 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

काश्तकार अपनी जमीन का खातेदारी अधिकार लेने बैठा था परन्तु बीच में एक आदेश आया, सर्वे हुआ और पटवारियों ने उस काश्तकार की जमीन को, जिसको अलाटमेंट थी उसको विशेष सूची में डाल दिया। विशेष सूची का मतलब, वह जमीन सरकारी घोषित कर दी। यदि किसी को अलाट हो तो तीन गुणा-चार गुणा और अधिक देकर वह अलाट करा सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसे जो पीड़ित काश्तकार हैं, जो आज तक उस जमीन पर काबिज हैं और जो सर्वे सूची गलत है, मंत्री महोदय, उसकी छानबीन कराएं और जिनको नाजायज विशेष सूची में डाल दिया है, उस सूची से हटा करके उस गरीब काश्तकार को, जो अरसे से अपनी जमीन का खातेदारी पट्टा लेना चाहता था, ध्यान करके उस सूची में उसका नाम, विशेष सूची निकाल करके उसको खातेदारी अधिकार दें ताकि वह काश्तकार एकमुश्त राशि जमा करके उस जमीन के अपने हक हासिल कर सके।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, वर्ष 2007-08 में एक कमेटी बनी थी, जिसमें मैं टीबी से विधायक था और कासनियां जी पीलीबंगा से विधायक थे। अनुसूचित जाति का होने के नाते मुझे उस कमेटी का जिला मैम्बर बनाया था। अलाटमेंट की तारीख सरकार ने निर्धारित की थी। उसमें 579 या 589 फाइलें, जो पात्र थे, अधिकारियों ने छानबीन करके उनको उस बैठक में लिया था और एक-एक फाइल की गहन छानबीन करके 579 या 589 फाइलें थीं, जिनको पात्र मान लिया था और उनको एकमुश्त राशि से जमा करा के, ब्याज माफी करते हुए सरकार ने आदेश दिये थे, ताकि उनको खातेदारी अधिकार मिलें। परन्तु, आज इस बात का मुझे बड़ा दुःख है कि काफी दिनों के बाद आज भी काफी लोगों को खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस बीच में एक दौर और आया। एक पटवारी था, मैंने उसको बहुत बड़ी अच्छी तरह से देखा भी है, सुना भी है और उसके दर्शन भी किये हैं। जो सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने मेहनत करके कमेटी बनाई, काम करने की कोशिश की, उस पटवारी ने बड़े दिमाग से, परत-पटवार ने अपनी तरफ से नाम लिख करके 2013-14 और 2015-16 में ऐसे काश्तकार, जो वहां रहते ही नहीं थे, उनके नाम से जमाबंदी में नाम डाल करके, परत-पटवार के मार्फत से उनको जमाबंदी में खातेदारी अधिकार दे दिये और उनके नाम से के.सी.सी. भी उठा ली, जिसकी एफ.आई.आर. पीलीबंगा थाने में दर्ज भी है। ऐसे विषय की जांच भी करानी चाहिए, जिसके कारण से, जिन काश्तकारों को 2007-08 में पट्टे मिलने चाहिए थे, उनके रुक गये। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन पीड़ित काश्तकारों की तरफ ध्यान दें, ताकि उनको खातेदारी अधिकार मिल सकें।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान चालू जमाबंदी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने आनलाइन कर दी, मिल जाती है। पर वह आनलाइन, चाहे लोन के काम में ले जाएं, चाहे बैंक में ले जाएं, या किसी और जगह, जब तक पटवारी उसको तस्दीक नहीं करेगा, उसको मानते नहीं हैं। अगर पटवारी तस्दीक करेगा तो उसके चक्कर लगवाएगा। उसको भेंट-पूजा करने के बाद में ही वह जमाबंदी देगा, जिसके कारण से काश्तकार पीड़ित हो जाता है ऐसी एक व्यवस्था बनाइये, ताकि काश्तकार का समय पर काम हो जाए।

इसके साथ-साथ इंतकाल दर्ज का यही मामला है। इंतकाल दर्ज हो जाता है, पंचायत कर देती है तो पटवारी उसको लेकर बैठ जाता है और पटवारी कर देता है तो तहसीलदार ले करके बैठ जाता है। ऐसे इंतकालों में आप समय सीमा निर्धारित करें। ऐसे ही प्रकरण, जो रास्तों के लिये, कोर्ट ने भी निर्णय कर दिये हैं, सरकार ने भी आदेश दे दिये हैं और सम्बन्धित एस.डी.एम. उसको लेकर बैठ जाता है। मैं यह कहता हूं कि उसको अलग-अलग रास्ते न दो। एक जमीन के लिये एक रास्ता तो उसका अधिकार बनता है। चाहे वह पैसे जमा कराकर ले, चाहे जमीन के बदले जमीन दे करके ले पर ऐसे रास्तों के लिये एस.डी.एम्स. को पाबंद करिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 15-20 वर्षों से या 30 वर्षों से काफी लोग कृषि भूमि में आवास

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

कर रहे हैं। आज उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसी भूमि का सर्वे करवा करके, जो 15-20 सालों से वहां आवास कर रहे हैं, लाइट-पानी भी है, उनको पट्टा बनाने का अधिकार दें। सरकार एक आदेश निकाले।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में काफी भूमि की चकबंदी नहीं हुई है। वहां पानी लग रहा है। वह खसरों में हैं जैसे बडोपल बारानी, धनासर बारानी, खोडा बारानी, खेदासरी, मानकथेड़ी बारानी, गन्धेली बारानी, यहां कहीं ट्यूबवैल से पानी लग रहा है तो कहीं ड्रिप सिस्टम से लग रहा है। जिसके कारण से जो खसरों में जमीन है, वहां काश्तकार लड़ते हैं और पटवारी भी बदमाशी करते हैं और किसी को लड़ाने के लिये या किसी को बताने के लिये कि आपको बाद में मिल जाएगी, तो उसको कहता है कि आप उस खसरे में हो, उस खसरे में हो। यदि उस जमीन की चकबंदी हो जाए, किलाबंदी हो जाए और मुरब्बाबंदी हो जाए तो निश्चित ही सरकार का भी फायदा होगा और उन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिलने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक काश्तकार के पास एक मुरब्बा जमीन है, कहीं दो मुरब्बा बीज रहे हैं, तो कहीं बगैर जमीन बैठे हैं। उनके साथ अन्याय नहीं होगा।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोलूवाला स्यागन और गोलूवाला निवादन, दोनों पंचायतें साथ हैं और पूरा क्षेत्र उसके साथ लगता है। वहां उप तहसील भी है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वह पूरा-पूरा एरिया ग्रामीण क्षेत्र है, तो आप वहां उप तहसील को तहसील में कन्वर्ट कराएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड प्लीज।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): करता हूं, सर, करता हूं। एक मिनट बस। गोलूवाला को तहसील का दर्जा दिलाइये।

इसके साथ-साथ मैं लम्बा-चौड़ा न बोलते हुए पर्यटन मंत्री से निवेदन करूंगा कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता हमारे वहां पीलीबंगा में है, विश्व के मानचित्र में है परन्तु राज्य सरकार के मानचित्र में नहीं है। कालीबंगा को देखने के लिये देश-विदेश से लोग आते हैं। वहां म्यूजियम बना हुआ है और

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

हर प्रकार का अध्ययन हो रहा है। मैं पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कालीबंगा में सिंधु सभ्यता का जो म्यूजियम है और कालीबंगा जो सभ्यता है, उसको आप अपने मानचित्र में लें ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो और कालीबंगा पर्यटक स्थल बने, उसको पर्यटक स्थल घोषित करें। सभापतिजी, आपने टाइम दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय खुशवीरसिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपको इस आसन पर देखकर पूरे सदन को बड़ी प्रसन्नता है। आपका अनुभव, आपका संसदीय ज्ञान और आपका बढ़िया दृष्टिकोण, इन सबसे मैं समझता हूं कि आप आसन पर विराजे हुए इस आसन की गरिमा को और बढ़ाएंगे और हमारा संरक्षण करेंगे।

श्री सभापति: Thank you sir. धन्यवाद, बहुत-बहुत। आप जैसे सीनियर, डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, जो मेरे लिये कमेंट कर रहे हैं, I am highly obliged. Thank you.

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): Sir, we also welcome you on this seat. हम भी यह उम्मीद करते हैं कि हम जैसे जो पहली बार विधान सभा में आये हैं, हमारा भी ध्यान रखेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): ऐसे बोलें, जो समझ में आ जाए।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सर, हिन्दी में कहना चाहूंगा। हम भी आपका, जो पहली बार हम विधायक बनकर आये हैं, जिनके नसीब में आखिरी दौर है, हम भी हमारी तरफ से आपका स्वागत करते हैं और हम भी आशा और उम्मीद करते हैं, आप हम जैसे जो पहली बार आये हैं, उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है।

श्री सभापति: पूर्ण समय दूंगा आपको।

एक माननीय सदस्य: सर, इनको 15 मिनट दीजियेगा।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपके आसन पर पधारने के बाद में पहला, मुझ निर्दलीय को अवसर मिला है इसलिये हम सभी निर्दलीय विधायकों की तरफ से मैं बधाई देता हूं।

धन्यवाद, सभापति महोदय, आज इस चर्चा में, मांग संख्या 8, 9 और 47 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले हमारे ओपनिंग बैट्समैन के रूप में प्रतिपक्ष के उप नेता बहुत ही विस्तृत और तैयारी के साथ में और

(श्री खुशवीरसिंह)

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने दिल की भावना प्रकट की है। मैं उनका आभार करता हूं। हकीकत में हम सबको सोचना पड़ेगा। मैं सवेरे से सुन रहा हूं। सभी माननीय सदस्यों के वक्तव्य, सुझाव, क्या हम पर्यावरण और वन बचाने के लिये दृढ़ संकल्पित हैं। हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि हम इसे बचा सकें। यह प्रजातंत्र है। क्या जरूरत है उस टाइगर की, क्या जरूरत है उन जंगली जानवरों की। वह जो आये दिन अख़बार में बड़ी खबर छपती है कि आज पैंथर गांव में घुस गया और हम सभी इस वोटों की राजनीति में अगर हमारे जंगल, पर्यावरण और वन को बचा लेंगे। हम इस वोट को मजबूती के साथ में एक तरफ अलग रखकर सोचेंगे, तभी आज की हमारी चर्चा सार्थक होगी।

(18.00 बजे)

सभापति महोदय, मैंने अभी 295 में एक बात कही थी ओरण के ऊपर। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ओरण पर मैंने 295 में अभी चार रोज पहले, मैंने पढ़कर भी सुनाया था। मैंने उसमें सारा सार दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं ओरण के लिए देश के विभिन्न राज्यों में भी गया और पूरे देश के अंदर ओरण संस्कृति जो हमारी है वह है और अलग-अलग नामों से यह पहचाने जाते हैं। ओरण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, जैविक विविधता के लिए, fauna and flora किस तरह से हम बचा सकें, हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले सोचा था और यह ओरण सिर्फ ओरण ही नहीं है, यह हमारा एक सीड बैंक है। यह धार्मिक भावनाओं के साथ में माननीय सदस्य, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने जगह-जगह पर जमीन को आरक्षित कर दिया और स्थानीय लोक देवताओं के नाम से उस जमीन का नाम रख दिया और वहां के नियम थे। आज हम उन नियमों को भूल गये। मात्र साइन होता था, एक चबूतरा होता था, वह आवरण से नहीं ढका जा सकता था, उसके ऊपर उस समय मना था, बंधन था कि ओरण को हम नहीं वह तो कुदरत का ही आवरण होता है और आज धीरे-धीरे वहां ओरण में भवन बनने लग गये, बड़े-बड़े मंदिर बनने लग गये।

अंग्रेजी बबूल ने, इस बात पर सभी ने जोर देकर बात कही है। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जब तक अंग्रेजी बबूल रहेंगे हमारा जंगल, हमारा वन, पर्यावरण, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।

(श्री खुशवीरसिंह)

मानानीय सभापति महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि वर्ष 1980 के दशक में एक अरावली प्रोजेक्ट आया था जापान गवर्नमेंट की तरफ से। (व्यवधान) माननीय सदस्य, थोड़ी-सी शांति रखें, मैं डिस्टर्ब होता हूं। अरावली प्रोजेक्ट आया और उस अरावली प्रोजेक्ट के अंदर हमारे अधिकारियों ने कहा कि इतनी बड़ी राशि आ रही है, उन्होंने फटाफट अधिकारियों की एक फौज इकट्ठा कर दी, वहां पर भर्ती कर दी। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिये, गाड़ियां खरीद लीं, कम्प्यूटर खरीद लिए, भर्तियां कर दीं और फिर लास्ट में यह हुआ कि सब पैसा तो हमने यहां पर खर्च कर दिया, जिस उद्देश्य के लिए यह जो प्रोजेक्ट बना था वह तो नगण्य ही रह गया, 10 परसेंट ही रह गया।

माननीय सभापति महोदय, तब इन्होंने जंगलों के अंदर अंग्रेजी बबूल के बीजों को ब्राडकास्ट करवा दिया और जगह-जगह पर वह अंग्रेजी बबूल निकल गया और आज सैटेलाइट में जब भी फोटो आती है तो हमारा जंगल इतना बढ़ा हुआ बताते हैं। इस पर्यावरण के लिए इस अंग्रेजी बबूल से ज्यादा घातक कुछ हो नहीं सकता। इससे घास तक नष्ट हो गयी।

पूर्व सभापति महोदय ने एक सुझाव दिया था कि सभी माननीय सदस्यों को संकल्प लेना चाहिए कि हम वृक्षारोपण के लिए हमारे विधायक कोष से देंगे। मेरा उसमें यह सुझाव है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में यह ओरण भूमि है और मैंने सरकार से मांग भी की है कि ओरण विकास बोर्ड का गठन किया जाए। माननीय सभापति महोदय, ओरण हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर रखे हैं। सभी माननीय सदस्यों को, माननीय मुख्य मंत्री महोदय पर मुझे विश्वास है कि पांच करोड़ रुपये विधायक कोष होगा तो हमारे क्षेत्र में जितने भी ओरण हैं उन ओरण को चिह्नित करके स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वहां की स्थानीय वनस्पति किस तरह से हो सके, अंग्रेजी बबूल को निकालकर उसकी चारदीवारी करके हम उसी को वापस पुराने स्वरूप में लेकर आएंगे। इससे बड़ा सार्थक कोई काम नहीं हो सकता और सभी माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा कि अपन संकल्प के साथ इस विधान सभा से आज निकलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अपन प्रदूषण की बात कर रहे हैं। मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा क्योंकि मैं पहला वक्ता हूं आपके आसीन होने के बाद में, इसलिए दोनों पक्ष मुझे इसमें परमिशन देंगे।

(श्री खुशवीरसिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदूषण की बात करता हूं। आज हम प्रदूषण की बात करते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज से करीब 300 वर्ष पुराना दस्तावेज मेरे पास में है, 300 वर्ष पुराना दस्तावेज है हस्तलिखित और वह मैं कोट करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह है विक्रम संवत् 1784 का, यह हस्तलिखित है और इसका हिन्दी में अनुवाद है। मैं महाराज मानसिंह लाइब्रेरी, जोधपुर दुर्ग से लेकर आया हूं। इन्होंने लिखा, एक आदेश जारी किया, विक्रम संवत् 1784 में एक आदेश मारवाड़ के सभी परगनों में ओहदेदारों को भेजा जिसके अनुसार प्रत्येक जल स्रोत से जल छानकर ही भरने दिया जाए एवं कोई भी व्यक्ति जीव हत्या जल स्रोतों के आस-पास नहीं करे, इसका ध्यान सभी परगनों के ओहदेदारों द्वारा रखा जाए। यदि इस आदेश की पालना नहीं की जाती है तो इसके लिए परगने का ओहदेदार को दोषी समझा जाएगा।

अब हमारे ओहदेदार तो दोषी नहीं हैं। ओहदेदारों ने तो अपनी जिम्मेदारी टाल दी। अपनी सुख-सुविधा लेने के लिए तो ओहदेदार आ जाते हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी पड़ती है तो नीचे वाले अधीनस्थ को सस्पैंड, टर्मिनेट कर दिया जाता है।

मैं एक कोट और करना चाहूंगा। इतना सख्त कानून बनाने की अगर हमारी इच्छा शक्ति है तो आज हमारी यह चर्चा सार्थक होगी। माननीय सदस्य, आप थोड़ा-सा मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करें। एक और आदेश है यह विक्रम संवत् 1777, जोधपुर रियासत का है। सिवाना परगने के गांव कुहीट, कुसिक में एक प्रहलाद गिरी नाम के व्यक्ति ने जोधपुर महाराजा को जाकर एक शिकायत दर्ज करवाई कि मेरे यहां पर एक कुंड है, भाकर में रहता हूं पहाड़ में, मेरे यहां कुंड है और वहां कुंड पर स्थानीय जागीरदार अपने कपड़े धुलवाता है, स्थानीय जागीरदार अपने मवेशियों को वहां पर धुलवाते हैं और मेरे पानी और जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं।

जोधपुर से वहां जाकर दफ्तर में सनद लिखवायी और उसके बाद में वह आए लेकिन वह जागीरदार नहीं माने। दुबारा महाराजा ने उस वक्त यह आदेश जारी किया कि जागीरदार को तुरन्त दरबार के अंदर हाजिर किया जाए और जागीरदार ने क्यों नहीं अभी तक प्रदूषण जो फैला रहे हैं, वह रोका? उनके विरुद्ध में कार्यवाही की जाए और जरूरत पड़े तो जागीर भी जब्त कर दी जाए। यह दस्तावेज है, यह उस वक्त सख्त कानून था। मैं आज से तीन सौ,

(श्री खुशवीरसिंह)

साढ़े तीन सौ वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं और आज हमारे पाली के अंदर, उस बांडी नदी के अंदर, आज सभी नदियां सूख गईं लेकिन बांडी नदी आज भी पेरेनिअल है। रोज का हमेशा का ढाई करोड़ लीटर पानी उसमें प्रवाहित हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, उसके लिए मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि एम.बी.आर. टैक्नोलोजी एक व्यक्ति ने एडोप्ट की है, मैंने उनका नाम भी कोट किया था और उनके लिए मैंने कहा था कि उसी टैक्नोलोजी के आधार पर यदि हम पाली के उस प्रदूषण की समस्या, मामूली खर्चा है, 70-80 करोड़ रुपये में शत-प्रतिशत पानी री-यूज हो रहा है और क्रिस्टल क्लीयर पानी मिल रहा है और बाकी सब पानी वहां पर जा रहा है तो वह यह कह रहे हैं कि हम एक लीटर भी पानी जमीन में से नहीं निकालेंगे, सीवरेज का जो पानी आ रहा है, हम वह पूरे का पूरा पानी का सदुपयोग कर लेंगे, 70 करोड़ रुपये में अगर यह होती है तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं वहां पर गया और देखकर आया और जब अख़बार में खबर छपी तो केन्द्रीय मंत्रीजी भी वहां पर देखने के लिए पहुंचे। मेरी बात का जब पता चला, वह बात फैली तो वह भी वहां पर पहुंचे, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि इस बात के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं वन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जंगली जानवरों की गणना होती है, उसमें एक गणना हो ही नहीं रही है। हमारे यहां पर हाथी भी हैं, हाथियों की गणना नहीं हुई यह दु:ख की बात है लेकिन इस दस्तावेज में हाथियों की गणना मेरे पास में है और वह कौनसे हाथी? व्हाइट ऐलिफेंट, सफेद हाथी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, मैं पक्ष और प्रतिपक्ष से संरक्षण चाहूंगा कि मुझे थोड़ा समय दें तो एक बहुत ही, यह सब मंत्रियों के लिए भी बहुत ही सार्थक होगा। माननीय मंत्री महोदय, आप सबके लिए बहुत सार्थक चीज होगी। जो हम कमजोर हैं, आज लोकतंत्र हमारा कमजोर क्यों है? हमारा प्रजातंत्र कमजोर क्यों है? क्यों नहीं हमारी बात सुनी जा रही है? क्यों नौकरशाही इतनी हावी हो रही है? उसके लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा इसलिए मैं यह संरक्षण चाहूंगा कि मुझे कुछ दस मिनट का समय अधिक दें। धन्यवाद।

(श्री खुशवीरसिंह)

सभापति महोदय, आज जो यह पद सृजित किये हैं, उस वक्त 1980 में एक पद था सी.सी.एफ. का और आज वह पद कितने हैं सर, 29. पी.सी.सी.एफ. का जीरो था 1980 में, आज 20 पी.सी.सी.एफ. विराजमान हैं। उस वक्त हमारा जंगल का दायरा कितना बड़ा था, फोरेस्ट की कितनी डेंसिटी थी और आज हमारा फोरेस्ट उसके मुकाबले में 25 प्रतिशत भी नहीं रहा, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। मैं राजस्थान के एक-एक जंगल में घूमा हुआ हूं। मैंने 10 साल में यही परिक्रमा की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आपको निवेदन करूं सी.सी.एफ. के पद उस वक्त 12 थे, आज 19 हैं। डी.एफ.ओ. उस वक्त 56 थे, आज 217 पद हैं। इन्होंने क्या काम किया, ए.सी.एफ. उस टाइम 78 थे और आज 288 ए.सी.एफ. हैं। इन्होंने उलटा पैरामीटर बना दिया। सभापति महोदय, उलटा पैरामीटर बनाकर अपनी रेवड़ियां बांट दीं और नीचे के पद, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर हिटलर जिस तरह से अपनी आर्मी को बैरक्स में रखता था और जो सोल्जर युद्ध में मर जाता, उस सोल्जर को बैड सहित ले-जाकर दफन कर देता था, ताकि पता नहीं चले आस-पास वालों को कि कितने सोल्जर थे यहां, बैड इतने खाली क्यों पड़े हैं। ज्यों-ज्यों नीचे वाले पद रिटायर होते गये, उनको समाप्त करते गये। पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ऊपर के पद हमें सृजित करने हैं, ए.सी. में बैठना है, हमें कम्प्यूटर चलाना है। जंगल वहां से चलेंगे, जंगल फील्ड से नहीं चलेंगे।

सभापति महोदय, उससे आगे बढ़कर इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपनी रेवड़ियां बांटी और अगर लोकतंत्र की हिम्मत है तो इनके विरुद्ध काम करके दिखा दे। लोकतंत्र की हिम्मत है तो करके दिखा दे। यह मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं।

सभापति महोदय, इन्होंने पांच ए.सी.एफ., यह 13.2.1997 को सीनियरिटी लिस्ट को रिकास्ट करने के लिये न्यायालय में गये। सभापति महोदय, न्यायालय में गये, बहुत अच्छी बात है। माननीय न्यायालय ने फैसला दिया और उन्होंने एक शब्द लिखा है कि कन्सर्न ए.सी.एफ., उनको ही यह लाभ दिया जाएगा, लेकिन नहीं जो डायरेक्ट आये, वे मिले और 50-60 जितने भी थे, बड़े महाशय के पास गये और बड़े ओहदेदार उनका नाम व पद मुझे याद नहीं है, मालूम नहीं है, बहुत बड़े हैं, उनके पास गये। उन्होंने कहा आप सब आ जाओ, यह लाभ आप सबको मैं दे दूंगा और सबने लाभ उठा लिया। चलो, कोई बात नहीं, उठाया। जो प्रमोटी हैं, वह वंचित रह गये, हम डायरेक्ट

(श्री खुशवीरसिंह)

आये हैं, हमें लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर एक काम इन्होंने किया, सभापति महोदय, और वह काम इन्होंने यह किया, 22 जून, 1985 को एक आदेश जारी हुआ था, उस आदेश में जो ट्रेनिंग पहले होती थी भर्ती के लिये, उस भर्ती की ट्रेनिंग में, सर्विस का जो पीरियड है, वह ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में ज्वाइन होती है दो साल की, उसके बाद में काउंट होती है, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर, प्रमोटी को फायदा नहीं मिलना चाहिए और उन्होंने मिलकर इस आदेश से पहले 22 जून, 1985 के आदेश से पहले, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारा ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट होना चाहिए, जबकि आदेश निकला 22 जून, 1985 को, लेकिन उन्होंने लाभ ले लिया और लाभ लेकर इस आदेश की अवहेलना हुई। इसको क्या कहेंगे? अफसर माफिया कहेंगे, क्या नाम देंगे इसको हम? जो अपनी रेवड़ियां बांटते, करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। उन्होंने करोड़ों रुपये का एरियर ले लिया है दो साल ट्रेनिंग पीरियड का अपनी मनमर्जी से। उनके विरुद्ध अगर लोकतंत्र के अंदर ताकत है तो मुकदमा दर्ज कराएं और बाहर होने चाहिए वह व्यक्ति, जो इस तरह का आदेश करने वाले, यह फोर्जरी, फोर ट्वेंटी करने वाले लोग हैं।

इससे भी आगे बढ़कर, सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज समय का ध्यान रखते हुए। आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, पांच मिनट ट्यूरिज्म के लिये लूंगा और इस कहानी को मैं पूरी कर दूं।

फिर पी.सी.सी.एफ. ने माना और पी.सी.सी.एफ. ने यह लिखकर भेजा कि गलती हुई है, रिव्यू किया जाए और प्रिंसिपल सैक्रेटरी, अब तो सैक्रेटरी पद बढ़ गया। मैं छोटा-सा था तब से सुन रहा हूं कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, उन्होंने कभी पद नहीं बढ़ाये और ब्यूरोक्रेसी में पद बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं क्या-क्या आ गये, क्या-क्या प्रिंसिपल, पी.सी.सी.एफ., ए.सी.सी.एफ., जो भी आ गये, मैं कोट नहीं करना चाहूंगा। मनमर्जी से, एक्स-कैडर 100 प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। किसी की हिम्मत है, तो रोककर बता दो। एक्स-कैडर में 100 प्रतिशत पद बढ़ा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। लोकतंत्र की ताकत नहीं है कि इनकी मनमर्जी को रोक सके।

(श्री खुशवीरसिंह)

सभापति महोदय, उस समय के प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने चार लोगों को, अधीनस्थ अधिकारियों को बुलाया, कमेटी बना दी और लॉ की ओपिनियन लेने की मंशा नहीं रखी। क्या होता है लॉ, हमारे से ऊपर कौनसा लॉ है, लॉ बनाने वाले हम हैं। यह सेवा ऐसी सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जोकि आने वाले समय में इस देश को रसातल में ले जाएगा। मैं आज आपको कह रहा हूं और उन्होंने मनमर्जी से कर दिया। चलो, मैं इस बात को खतम करता हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारे मंत्री महोदय विराजमान हैं और राठौड़ साहब का जब तक एक दिन की विधान सभा में चर्चा में पचास बार नाम नहीं आये, तो सार्थक ही नहीं रहती है हमारी चर्चा। मैं सुन रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है कोई भी हमारे माननीय सदस्य आपको कोट करके बोलते हैं तो उनके दिल की बात निकल ही जाती है और नहीं तो नहीं निकलती है। आप यहां विराजे रहते हो तो सबका चेहरा एक अलग ही होता है।

सभापति महोदय, हम ट्यूरिज्म की बात करते हैं। हमारा जो ट्यूरिज्म है, आज राजस्थान के अंदर अपार संभावनाएं ट्यूरिज्म को बढ़ाने की हैं और यह एक ऐसा है बिना खर्चा, एक पैसा जेब से लगाने की आपको जरूरत नहीं है। नोन पोल्यूटिंग यह इंडस्ट्री है, कोई पोल्यूशन इस इंडस्ट्री से नहीं होता है और सबसे ज्यादा आय और हजारों लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से मिल रहा है। आज हमारे आर.टी.डी.सी. की हालत, मैं सुझाव देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, लेकिन मंत्री महोदय, अब खुद ही मुझे लग रहा है आपके चेहरे से कि आर.टी.डी.सी. कारपोरेशन का पद नहीं होने से वह अधिकार आपके पास नहीं है। आप भी मेरे जैसे पीड़ित ही हो।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): वह हमारे अधिकारी के पास में पद का अधिकार है। मंत्री उसको अवेल नहीं कर सकता। यह दुर्भाग्य है प्रजातंत्र का, कि आज हमारे निगम हैं, हमारे बोर्ड हैं, अगर पोलिटिकली नियुक्ति नहीं है तो उसका मजा कोई और ही ले रहे हैं, हम तो बेचारे बनकर बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि यह पूरे अधिकार हमारे पर्यटन मंत्री के पास होने चाहिए। इस बात के लिये आप सभी सहमत होंगे। क्यों नौकरशाही के पास में वह अधिकार है, क्यों नहीं हमारे मंत्री के पास हो। लोकतंत्र, हमने

(श्री खुशवीरसिंह)

बहुत लंबा सपना देखा था। सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष करने के बाद में हमें लोकतंत्र मिला है और उसके बाद आज हम गुलाम बनकर बैठे हैं। यह दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिये।

सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है। मैं पहले मेरे क्षेत्र की बात कर दूं नहीं तो आप घंटी बजा देंगे। मेरे यहां एक ऐसा विहंगम दृश्य है। मैं सभी माननीय सदस्यों को इनवाइट करना चाहूंगा। वह दिन मेरे लिये बहुत सौभाग्यशाली दिन होगा। मारवाड़ विधान सभा क्षेत्र में फुलाद रेलवे स्टेशन से कामलीघाट रेलवे स्टेशन करीब 25 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक है मीटरगेज और उसमें मेरे पिताश्री का भी योगदान रहा, इसलिये मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आपको। 1932 में वह लाइन निकली थी, कुछ टनल्स भी हैं, ऐसा विहंगम दृश्य है, कम से कम 150 उसके ऊपर ब्रिज हैं और 100-100 फीट हाइट के ब्रिज हैं। कम से कम 150-160 झरने हैं वहां पर उस छोटे-से 22 किलोमीटर के दायरे में। मैं चाहूंगा कि वहां पर स्टीम इंजन लगाकर, मंत्री महोदय, पधारेंगे आप, सभी माननीय सदस्यों को मैं इनवाइट करूंगा। स्टीम इंजन लगाकर आज भी वह मीटरगेज रेलवे लाइन चल रही है, लेकिन इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में वहां पर है कि वहां आप होटल, कैफेटेरिया, जो चाहो, बना सकते हो। रेलवे की वह बिल्डिंग अबेन्डंड है, वह सारी खाली पड़ी हैं, टूट रही हैं और ऐसा हिल स्टेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा हैरिटेज में आप उसको लें, भारत सरकार से बात करें, स्टीम इंजन मंगवाएं और उसके आस-पास के 100 किलोमीटर के विदेशी ट्यूरिस्ट और इंडियन ट्यूरिस्ट वहां आते हैं तो उसको डवलप करने के लिए आप संकल्प लेंगे और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको मात्र भारत सरकार से मिलकर, यहां हमारे प्रतिपक्ष के विराजमान हैं, साथ चलेंगे और स्टीम इंजन की व्यवस्था करवा देंगे। मैं कहूं आपको वहां जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग वहां आ जाएंगे। एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। राठौड़ साहब ने आपके बारे में बताया, आपका भी बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कनक्लूड। (व्यवधान) कनक्लूड कीजिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): हां। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी हैरिटेज प्रोपर्टीज हैं, हैरिटेज प्रोपर्टीज पर आज कामर्शियल बिजली के बिल की रेट ली जा रही है, सभापति महोदय, कामर्शियल, मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्री की ली जाए, इंडस्ट्री को जो आप दे रहे हो उसी दर पर उनको दिया जाए क्योंकि वो आठ महीने तो बंद रहता है और चार या पांच महीने चलता है। मैं चाहूंगा कि कम से कम पूरा नहीं कर सकें तो सरकार से मेरी विनती है कि छह महीने तक आप इंडस्ट्रियल ले लें और छह महीने तक आप कामर्शियल ले लें तो उससे जो हमारी हैरिटेज होटल्स हैं उन पर बहुत भार पड़ रहा है तो उनको सहायता मिलेगी। सभापति महोदय, एक लास्ट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, this is a request.

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमें फिल्म्स के माध्यम से डाकूमेंट्री बनवानी पड़ेगी, हमें इसका प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा। धोरों की जो बात चली है तो सिर्फ जैसलमेर में ही नहीं है, बीकानेर में भी है, बाड़मेर में भी धोरे, हमारे सैण्डड्यूंस हैं तो यह पूरा उस रूप में लेकर अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आपको जितना धन्यवाद दूं ...

श्री सभापति: समय, समय की सीमा आप क्रोस कर रहे हैं, you're crossing the boundary.

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, अंतिम, अंतिम।

श्री सभापति: I'll give you only one minute.

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सर, अंतिम, मैं पैनोरमा की बात कर रहा हूं। आज पैनोरमा की जो बात चल गई तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी भाषा में उसको फड़ कहते हैं फड़ और फड़ बांचना कहते हैं, यह पश्चिमी राजस्थान के सभी माननीय सदस्य जानते हैं। तो उसमें उस फड़ के बारे में ...

श्री सभापति: श्रीमती मंजु देवी। प्लीज, प्लीज।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मांग संख्या 8-राजस्व, मांग संख्या 9-वन और मांग संख्या 47-पर्यटन

(श्रीमती मंजु देवी)

पर चर्चा हो रही है। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए अपनी विधान सभा की कुछ मांग और सुझाव आपको देना चाहूंगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में कहीं गांव में श्मशान भूमि के पट्टे नहीं हैं और पट्टे नहीं होने की वजह से कब्जे भी कर रखे हैं। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगी। मेरे एक गांव है जिसमें श्मशान भूमि के रास्ते पर जाने के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होने की वजह से बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। एक बार एक परिवार का सदस्य मुझे फोन करता है, उसके परिवार में किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है। जब श्मशान में उसको लेकर जाते हैं और जब देखते हैं कि उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो उसी वक्त उस अर्थी को रोककर मुझे फोन किया, बोले, एम.एल.ए. साहब, हमारे परिवार में किसी आदमी की घटना हो गई है, खतम हो गया है और हमें श्मशान जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। मैंने प्रशासन से बात करके उस वक्त तो उनको रास्ता दिला दिया पर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, मैं आपको इस प्रकार के कई उदाहरण देना चाहूंगी लेकिन आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि जो और व्यक्तियों ने अपनी तरफ से अतिक्रमण और कब्जे की बात आपके समक्ष रखी है, जब आप अपनी बात कहें तो उसमें आप निश्चित तौर पर अपनी तरफ से कोई न कोई सुझाव दें।

पट्टे के लिए भी कहना चाहूंगी, और भी वक्ताओं ने यह बात कही थी कि श्मशान भूमि हो या ओरण हो या गोचर हो उसमें आये दिन कब्जे हो रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस प्रकार से प्रशासन को निश्चित तौर पर अपनी तरफ से व्यवस्था करके उनमें आप सुझाव दें और उनके रख-रखाव के लिए अपनी तरफ से कोई विशेष प्रबंध करें।

साथ में यह भी कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी लम्बे समय से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और एल.डी.सी., यू.डी.सी. के पद खाली पड़े हैं जिसकी वजह से मुझे काफी परेशानी हो रही है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि लम्बे समय से जो पद रिक्त पड़े हैं उनको आप समय रहते हुए भरें ताकि जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और राहत मिल सके।

कटानी की बात चली थी, मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि आप देखिये हर गांव के अन्दर कटानी के रास्ते जो सदियों से चलते आ रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति में वहां पर रास्ता नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर

(श्रीमती मंजु देवी)

जमीन को लेकर, कटानी रास्तों को लेकर आये दिन विवाद होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं और कई बार परिवार में विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि परिवार में आदमी तक खतम हो जाते हैं, तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब आप बात कहें तो इसमें भी अपनी तरफ से निश्चित तौर पर कोई बात कहें।

साथ ही, यहां पर वन मंत्री बैठे हैं, आपसे निवेदन करना चाहूंगी। मैंने एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोटू गांव है जहां पर काफी नील गाय और हिरण भी हैं। आपने मुझे अपने उत्तर के माध्यम से बताया है कि इसके लिए अभयारण्य तैयार हो गया, जमीन भी दे दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी आप जल्दी से वह काम कराएं ताकि किसानों की फसलों को नुकसान नहीं हो।

सबने अपनी तरफ से पेड़ लगाने की बात भी कही थी। मैं भी कहना चाहती हूं कि पेड़ लगाने के लिए सभी जगह चाहे सरकारी कार्यालय हों, चाहे श्मशान भूमि हो, चाहे स्कूल हों, सब लोग जरूर लगाते हैं लेकिन पेड़ लगाने के बाद में उसका रख-रखाव सही तरीके से नहीं होने के कारण वो पेड़ जल्दी से खतम हो जाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि पर्यावरण की बात सब कर रहे हैं, आप और हम सबका दायित्व भी बनता है कि पेड़ लगाने के साथ में जिस प्रकार बच्चे का पालन-पोषण करते हैं उसी प्रकार से अपन उस पेड़ का भी पालन-पोषण करेंगे तो इसमें निश्चित तौर पर सुधार होगा।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी। यहां पर पर्यटन मंत्री बैठे हैं। मेरे यहां पर भी कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, दधिमती माता का मंदिर है, झोरड़ा में हरिराम बाबा का मंदिर है और रोड में दरगाह और बड़ी खाटू में दरगाह है, यह जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें काफी संख्या में लोग आते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि उनको मूलभूत आवश्यकताओं से जोड़ा जाए और इनको पर्यटन में भी लिया जाए।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नीम और खेजड़ी दो ही ऐसे पेड़ हैं जो सक्सेस हैं, बाकी और दूसरे पेड़-पौधे वहां पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कारण है कि वहां पर दीमक लगती है। मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं और आप नागौर के प्रभारी भी हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करके विधान सभा क्षेत्र में पूरे नागौर जिले में जहां पर भी दीमक लगती है

(श्रीमती मंजु देवी)

और पेड़ खतम हुए जा रहे हैं तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आप सुझाव दें कि अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं जिससे यह पेड़ काफी लम्बे समय तक जिंदा रह सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 8, 9 और 47 पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय, राजस्व में खेती ही मुख्य है काश्तकारों के लिए और खेती को बचाना है तो खेती को बचाने के लिए, माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार हमारे मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वो फड़ बांचने वाली बात, तो आपसे निवेदन है उस भाषा में शायद इन्होंने पूरा समझाया नहीं होगा तो जैसे भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात, ऐसा नहीं हो जाए। हम आपसे आग्रह करते हैं, यहां किसी प्रकार की बजट की मांग नहीं करेंगे, कोई लेना-देना नहीं लेकिन नियमों के अन्दर जो सुधार करने का है वो ही आप नोट करें, वो ही हम आपको बताएंगे।

खेती को बचाने के लिए निवेदन है। अंग्रेजी बबूल एक ऐसा अभिशाप है वो खेती का सारा पानी भी चूस जाता है, लम्बे हो जाते हैं तो ऊपर से बिजली को भी नुकसान पहुंचाते हैं अर्थ होकर के और उसको पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं होती, हमेशा हरा भरा रहता है, 200 फीट नीचे से पानी खींच करके और आज पानी की कमी भी इनकी वजह से हो रही है और इससे दुनियाभर की बीमारियां फैल रही हैं। जहां अंग्रेजी बबूल है, इनकी छाया के अन्दर कोई फसल पैदा नहीं हो सकती है। ये वन के अन्दर उपजेंगे तो वन को खतम कर देंगे। वन मंत्री जी भी हैं, आप भी नोट करें। जंगलों के अन्दर भी, अगर कहीं जंगल समाप्त हो रहे हैं तो उसका कारण भी यह अंग्रेजी बबूल हैं। इसलिए जहां पर यह अंग्रेजी बबूल हैं इनको समाप्त करने के लिए कोई न कोई योजना बनानी चाहिए, ऐसा मेरा माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

दूसरा एक निवेदन है कि जितने अपने कोर्ट केस चल रहे हैं, उन कोर्ट केसों के अन्दर ज्यादातर ऐसे मामले आते हैं जो पावर आफ अटार्नी से सम्बन्धित हैं। हमारे यहां ग्राम मालपुरा, ब्यावर तहसील का मैटर है। एक ही परिवार है। एक विधवा, उसका भतीजा महेन्द्र सिंह पुत्र श्री नाथूसिंह, मालपुरा, उसने कहा हमारी जमीन का आपस में बंटवारा करना है। वह बंटवारा करने के लिए तहसीलदार के पास गए। वहां जाने के बाद उसने अपनी चाची से कहा कि आप ऐसा करो। वह अनपढ़ थी। अपने बंटवारे के लिए तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगानी है। उसकी चाची ने कहा, ठीक है बेटा, लगवा दे। उसके पावर आफ अटार्नी पर साइन करवा लिए। पब्लिक नोटेरी से अटैस्टेड करवाकर, स्वयं के नाम पर उसकी रजिस्ट्री करवा ली। आज कोर्ट में केस चल रहे हैं। बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे कोई प्रकरण आपके सामने आएं तो उसकी रजिस्ट्री निरस्त होनी चाहिए और उस विधवा का हक उसको वापस मिलना चाहिए। इसमें यह सुधार करें। ऐसा अगर होगा तो उनको काफी रिलीफ मिलेगी। दूसरा, उसमें सुधार करने की एक और आवश्यकता है कि पावर आफ अटार्नी करने का पब्लिक नोटेरी को अधिकार होता है। पावर आफ अटार्नी के लिए उसमें सुधार करके रजिस्ट्रार को यह पावर दिए जाए। बिना रजिस्ट्रार के पावर आफ अटार्नी नहीं मानी जाए।

एक और केस है, जिसमें उदी बेवा गंगा सिंह, उसकी शादी के बाद में उसका पति मर गया। उसका जोग ऐसा रहा कि 5 जगह पर उसने घर किए, पांचों घर में गई। 5 पतियों के बाद में, पांचों की जमीन उसके नाम पर चढ़ गई। अब वह पांचों पतियों की सारी जमीनें बेच रही है। उन पतियों की तो डैथ हो गई, लेकिन उसके परिवार के लोग रो रहे हैं कि वह तो दूसरे घर में चली गई फिर हमारी जमीन कैसे बेच रही है? ऐसे केस में आप क्या करेंगे? उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आज वह कोर्ट, कचहरी में चक्कर लगा रहे हैं, 5 जगह की जमीन वह अकेली औरत बेच रही है। हकीकत है यह। आप कहो तो मैं नाम बता देता हूं। नाम के साथ में है। मेरी एक भी बात असत्य नहीं निकलेगी। जो भी कहेंगे, वह सही केस आपको बताएंगे।

सभापति महोदय, तीसरा निवेदन है कि जैसे काश्तकार की मृत्यु के बाद, उसके परिवार में लड़का और लड़कियों का, सबका जो नामांतरण होता है। सबके नाम से पटवारी नामांतरण खोल देता है। लड़की की शादी होने के बाद, वह उसके पिता के घर से चली जाएगी। पिता के घर की जमीन और ससुराल

(श्री शंकर सिंह रावत)

की जमीन, दोनों की प्रोपर्टी की मालिक हो जाएगी। जमीन में दोनों जगह पर उसका नाम रहेगा। ऐसे कई केस हैं। जिनमें भाई और बहन के बीच जो रक्षाबंधन का प्रेम होता है, उसके अंदर बहुत विघ्न आ रहा है, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। कई जगह पर तो बेटियां ऐसी होती हैं भाई के साथ में कि, हमारे को तो जमीन लेनी ही नहीं है, उसके लिए लिखकर दे देती हैं तो किसी प्रकार की उसमें उलझन नहीं है। कई परिवार ऐसे देखे हैं, जिसमें भाई और बहन का जो रिश्ता होता है, उसमें एक दूसरे के दुश्मन के रूप में कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अगर इसमें सुधार हो जाता है तो उन केसों में भी कमी आएगी। ऐसा मेरा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि यह जो-जो बातें आपसे निवेदन की जा रही हैं, आप उनको नोट करें और अपने जवाब में कहें कि हम यह सुधार करेंगे।

सभापति महोदय, चौथा और है कि नियमन और अलाटमेंट जमीन का। जिसका अलाटमेंट हो जाता है, वह गैर खातेदारी में दर्ज होती है। नियमन के बाद में वह डायरेक्ट खातेदारी में दर्ज होती है। गैर खातेदारी दर्ज होने के बाद, 3 गिरदावरी के बाद उसको खातेदारी के अधिकार कैंपों में दिए जाते हैं। रायपुर पंचायत समिति का एक मैटर है। उसमें अभयराज उदावत नाम का व्यक्ति ब्यावर में है। वह 2 वर्ष से रायपुर तहसील के चक्कर काट रहा है। तहसीलदार उसको चक्कर कटवा रहा है कि खातेदारी की जमीन आपको बिना लिए-दिए मिलेगी नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। आज 2 साल से चक्कर लगा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे केसों में एक-आध का आप उदाहरण पेश करें। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा आप उदाहरण पेश करो और ऐसे अधिकारियों को सस्पैंड करें। उन्होंने सारे कागज दे दिए, पटवारी से जमाबंदी ली। पटवारी ने पूरी रिपोर्ट बनाकर दे दी कि वर्तमान में इतने सालों की गिरदावरी पेश है। इसके अंदर वर्तमान में रिजका खड़ा है। इसके चारों तरफ चारदीवारी लगी हुई है। उसके बाद में भी उसके चक्कर काट रहे हैं। ऐसे प्रकरण आपके सामने इस सदन में इसलिए रखने पड़ते हैं कि ताकि कार्यवाही हो। विद प्रूफ मैं आपके सामने आया हूं। ऐसे मामलों में आपको सस्पैंड करना चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि सरकार कुछ काम कर रही है।

सभापति महोदय, वनों के अंदर जो सड़कें निकली हुई हैं, उसमें भी

(श्री शंकर सिंह रावत)

निवेदन है कि सड़कें पहले से पक्की हैं और उन सड़कों के डामरीकरण के लिए भी वन विभाग से बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं। वहां पर गांव बसे हुए हैं राजस्व गांव हैं, खेती हो रही है। वहां बसें चल रही हैं, लेकिन उन सड़कों को पक्की नहीं होने देते। रोडवेज की जो बसें चलती हैं वह भी कहते हैं कि आपके यहां तो रोड बहुत टूटी हुई हैं। बसें गिर जाएंगी। टूटफूट का खर्चा बहुत आता है। हम चाहते हुए भी उन सड़कों को पक्की नहीं करवा पाते हैं। ऐसा एक आदेश यहां से जारी कराएं कि जो आलरेडी सड़कें पक्की हैं, उन पर पुन: डामर कराने में कहां दिक्कत आती है? उसमें भी रोक-टोक बंद होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से राजस्व के अंदर सुधार की आवश्यकता है, उसी प्रकार पर्यटन की दृष्टि से हमारे दुधारेश्वर महादेव हैं, नीलकंठ महादेव हैं, मांगड़ जी महाराज का स्थान है। कोटड़ा में बाबा रामदेव जी का है। ब्यावर का तेजा मेला है। ऐसे मेलों को जो बहुत भारी संख्या में भरते हैं। उसमें पर्यटन की दृष्टि से मांगड़ जी महाराज और दुधारेश्वर महादेव जी को लेना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्व में राजावास का एक पटवारघर है। वह बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसके अंदर कोई बैठता भी नहीं है। अगर आपको यह लगे तो करना। बजट के लिए सिर्फ यही बोला है। बजट अगर नहीं दे सकें तो अन्य जो सुझाव सुधार के लिए दिए हैं, उसमें जरूर सुधार करें। ऐसी मैं मंत्री जी से आशा रखता हूं।

आज हमारे सभापति महोदय विराजे हैं। पूर्व कार्यकाल में भी हमारे साथ रहे हैं। आपका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। आपको देखते ही सब प्रसन्न होते थे। आपने हम सबको सुना। मैं पुन: माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप सहयोग करें। राजस्व मंत्री महोदय जी से पुन: निवेदन है कि यह जो प्रकरण आपको दिए हैं, इनके अंदर आप जरूर कार्यवाही करें और जब रिप्लाई दें तो इन तीनों की बात आप बताएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री दानिश अबरार।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 8, 9 और 47 पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आज जब से यह बहस चल रही है। इस बात की तो मुझे खुशी है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में रणथम्भौर है। मैं समझता हूं कि जबजब वन

(श्री दानिश अबरार)

की बात आई, अधिकतर माननीय सदस्यों ने रणथम्भौर की बात कही। रणथम्भौर के बारे में कहा। रणथम्भौर के बारे में चिंता जताई और रणथम्भौर की तारीफ की। मैं इसके लिए सदन के मेरे साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, रणथम्भौर पुराने जमाने में जयपुर के राज परिवार का शिकारगाह माना जाता था। उसके पश्चात् इसको नेशनल प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व 1973 में 8 अदर रिजर्व के साथ बनाया गया। फोरेस्ट डिपार्टमेंट की तारीफ भी हो रही थी। फोरेस्ट डिपार्टमेंट की खिंचाई भी हो रही थी लेकिन आंकड़े तो बोलते हैं। 1980 में यह रणथम्भौर टाइगर रिजर्व 274 स्क्वायर किलोमीटर का नोटिफाई हुआ था। इस सदन के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सभी नेताओं की और डिपार्टमेंट की बदौलत आज यह रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट 1334 स्क्वायर किलोमीटर में फैल चुका है। इसके लिए मैं माननीय पूर्व सदस्यों को, मंत्रियों को, सरकार को, विभाग को, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, फोरेस्ट का बजट 937 करोड़ रुपये है और इस 937 करोड़ रुपये में तकरीबन 36 करोड़ रुपये के आस पास हमारे रणथम्भौर की खुद की टिकट विण्डो से जनरेट होता है। मैंने मेरे बजट के भाषण में भी कहा, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मंत्रीजी से कि जो 36 करोड़ रुपये की आय सवाईमाधोपुर की विण्डो से आ रही उस 36 करोड़ रुपये की विण्डो से कम से कम 20 परसेंट उस अमाउण्ट को आरक्षित करना चाहिए रणथम्भौर तथा सवाईमाधोपुर के विकास के लिए क्योंकि रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट वहां है तो एक बेसिक फण्डामेंटल होता है इकोनोमी का कि इण्डस्ट्रियलाइजेशन होगा तो डवलपमेंट होगा। अब रणथम्भौर नेशनल पार्क हमारे लिए धरोहर है, आज रणथम्भौर की वजह से सवाईमाधोपुर जैसी जगह न सिर्फ राजस्थान में, न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है लेकिन रणथम्भौर धरोहर के साथ-साथ वहां और कोई इण्डस्ट्री डवलप नहीं हो सकती तो कम से कम हमारी जो 36 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसमें से कम से कम 20 परसेंट रेवेन्यू रिजर्व होनी चाहिए रणथम्भौर और सवाईमाधोपुर के विकास के लिए।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रणथम्भौर आज 1334 किलोमीटर तक पहुंचा है जंगल धीरे-धीरे बढ़ता है, गांव उठते हैं, गांव वालों को मुआवजा मिलता है लेकिन जब इसकी बाउण्ड्री बन जाती है तो जितने भी

(श्री दानिश अबरार)

उसके एडजोइनिंग विलेजेज हैं, उनके डवलपमेंट के लिए कम्युनिटी वैलफेयर के लिए भी हमें फाउण्डेशन से कोई न कोई राशि रिजर्व करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज रणथम्भौर की वजह से काफी लोगों को सवाईमाधोपुर में रोजगार मिलता है, कोई होटल में काम करता है उस बहाने मिलता है, किसी को जिप्सी का ड्राइवर होने के नाते मिलता है, किसी को गाइड होने के नाते मिलता है और बारिश में जब जंगल बंद हो जाता है तो ये सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तो हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सरकार में तब नहीं थे, एक आंदोलन किया, संघर्ष किया और जिसके बाद पिछली सरकार ने एक निर्णय लिया था कि बारिश के अंदर कुछ जोन खोले जाएं, उसका हमने स्वागत किया।

माननीय सभापति महोदय, उसी प्रकार से आज की तारीख में हाल में माननीय मंत्रीजी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रणथम्भौर के अंदर 10 जोन, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है वह 1 से 6 में रहता है और 7 से 10 में प्रेशर कम रहता है क्योंकि वे थोड़े दूर हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अगर जोन नम्बर 7 से 10 तक रोस्टर फ्री कर दिया जाए तो उन पर दबाव भी कम हो जाएगा और मैं नामजद कहना चाहूंगा इन तीन जोनों के अंदर 14 टाइगर, जिसमें टी-58, टी-34, टी-61, टी-13, टी-99, टी-42, टी-62, टी-59 और तीन बच्चे मौजूद हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्रीजी सवाईमाधोपुर दौरे पर आए थे। वहां पर एक बात सामने आई जिसका निवेदन मैंने किया कि आप इसको लें। जंगल घूमने के लिए वहां पर जिप्सियां हैं और वहां के लोगों को रोजगार जिप्सी के ड्राइवर के माध्यम से मिला हुआ है, आज जिप्सियों के लिए हमारी पूर्व सरकार ने एक कंडीशन लाद दी कि पांच साल से पुरानी जिप्सियां जंगल में नहीं चलेंगी और उन जिप्सी मालिकों ने जो लोन पर गाड़ियां लेते हैं, पन्द्रह -पन्द्रह साल के टैक्स जमा करा रखे हैं और कानून सबके लिए एक होता है। आज आप न्याय की मूर्ति हैं, आसन पर बैठे हैं, सभापति बन कर बैठे हैं। उसी जंगल में जो जिप्सी वाले जेब से जिप्सी खरीदकर जंगल में चलाते हैं, उनके लिए तो पांच साल का कानून है और उसी जंगल में जो सरकारी गाड़ियां घूमती हैं उनके लिए कोई कानून ही नहीं है। कितनी ही पुरानी हो, चलाओ।

(श्री दानिश अबरार)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वह सरकारी गाड़ियां हों या प्राइवेट गाड़ियां हों, कम से कम उन लोगों को जिन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से पन्द्रह साल का टैक्स दे रखा है उनको तो पांच साल की सीलिंग से हटाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि रणथम्भौर इकलौता पार्क है पूरे देश के अंदर जो डबल डिजिट करोड़ में रेवेन्यू देता है और रणथम्भौर ही इकलौता पार्क है जिसमें पांच साल का कानून लगा रखा है। हमें इसमें रिलेक्सेशन देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, रणथम्भौर में गाइड की फीस वही चल रही है जो आज से दस साल पहले थे। ये प्रपोजल, हमारे माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से एक कमेटी बनी, उस कमेटी के माध्यम से हमने बात रखी है लेकिन मैं मंत्री महोदय के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप गाइड की फीस के बारे में वापस सोचें।

माननीय सभापति महोदय, रणथम्भौर के अंदर बड़ा फेमस है जोगी महल। जब पूर्व प्रधान मंत्रीजी राजीव गांधीजी आए थे तो रणथम्भौर में जोगी महल में ही ठहरे थे। आज मैं समझता हूं कि उस जोगी महल का एक इतिहास है, रणथम्भौर किले का इतिहास है। मैं समझता हूं कि 500 साल पहले तक का इतिहास है। आज फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक कदम उठाया और उस रणथम्भौर के अंदर जोगी महल के रैस्टोरेशन का काम चल रहा है जिसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को और विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम एक धरोहर का रैस्टोरेशन कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आज जब रणथम्भौर की बात करते हैं, सब चिंता जाहिर करते हैं मैं समझता हूं कि यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं, काफी सदस्य रणथम्भौर आ भी चुके हैं। जो एक राष्ट्रीय धरोहर है जो 36 करोड़ रुपये की आय देती है तो माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम उस धरोहर के लिए आप एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एक दरवाजा तो बनाएं ताकि वहां कोई आए, जंगल में जाए तो उसे ऐसा लगे कि हां, किसी राष्ट्रीय धरोहर की तरफ आए हैं और उस राष्ट्रीय धरोहर रणथम्भौर के दरवाजे के लिए कोई न कोई फण्ड एलोकेशन किया जाए।

(श्री दानिश अबरार)

माननीय सभापति महोदय, बिसाइड्स दिस, मैं एक हसबैण्डरी की बात भी करूंगा। सरकार एक 'केरेकल' करके जानवर होता है, जिसे हिन्दी में बोलते हैं, 'शायागोश', या 'मोर मार बघेरा'। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे माध्यम से यहां कही जा रही है कि यह 'केरेकल' पूरे हिन्दुस्तान में सिर्फ राजस्थान और गुजरात में बची है और मैं समझता हूं कि इनकी गिनती 50 से ऊपर नहीं है और इन 50 की भी 90 परसेंट सवाईमाधोपुर रणथम्भौर के अंदर है तो इस 'केरेकल' के लिए हमें कोई न कोई एक स्पेशल फण्ड जनरेट करना चाहिए जिससे हम इसकी ब्रीडिंग कर सकें, कंजर्वेट कर सकें और इस प्रजाति को Extinct होने से बचा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं वन के साथ-साथ पर्यटन की बात भी कहना चाहूंगा। पर्यटन की बात तो यह है कि आज सुबह से मैं चर्चा सुन रहा हूं। हमारे माननीय सदस्य, जो चूरू से आते हैं, राजेन्द्र राठौड़ साहब ने चर्चा की हमारे पर्यटन मंत्रीजी की, सम्माननीय, माननीय महाराजा विश्वेन्द्र सिंहजी की। उधर से माननीय सदस्य, लाहोटी साहब ने भी चर्चा की थी। पर्यटन में आदमी आता है एक कूल माइंड से आता है, घूमने के हिसाब से आता है, पैसा खर्च करने के हिसाब से आता है, चीजें देखता है, अपने साथ चीजें लेकर जाता है। हमें गर्व है इस बात का, माननीय मंत्रीजी यहां मौजूद हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि आज इस सदन में जब पर्यटन की चर्चा शुरू हुई तो हमारे मंत्रीजी की चर्चा चाहे उनके अचकन की हो, चाहे उनकी मूंछों की बात हो, चाहे उनकी शेरवानी की बात हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आज हमारे माननीय मंत्री महोदय, जिनका नाम ही 'विश्वेन्द्र सिंह' है, यह बात छेड़ी गई और यह बात इस तरीके की माननीय मंत्री महोदय के बारे में प्रतिपक्ष ने भी चर्चा की।

माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस होता है, आप मंत्री जरूर हैं लेकिन जो विभाग है पर्यटन वह बिना आरटीडीसी के, मैं समझता हूं कि पर्यटन विभाग का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आज मेरे सवाईमाधोपुर की बात करता हूं। मैं पहली बार आया हूं मैं प्रदेश के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। सवाईमाधोपुर में मैं मंत्री महोदय कहना चाहूंगा कि आरटीडीसी जो पर्यटन में आता है, उसकी दो प्रोपर्टीज हैं, एक का नाम है 'झूमर बावड़ी' और एक का नाम है 'होटल विनायक'। झूमर बावडी, मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक प्रोपर्टी है, एक धरोहर है प्रदेश के लिए, जो कि जंगल के अंदर है

(श्री दानिश अबरार)

और आज की तारीख में चलती है लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप उसके आंकड़े सुनें। 2013-14 में जहां रणथम्भौर में बाहर के लोग, विदेशी लोग आकर होटल बना रहे हैं, देश के लोग आकर होटल बना रहे हैं, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि जितने भी होटल हैं, उनके ग्रुप्स की आडिटेड बैलेंस शीट बनती है, यू कैन चैक आन इंटरनेट कि उस होटल ने कितना कमाया लेकिन हमारी खुद की प्रोपर्टीज हैं, मंत्रीजी, मैं आपको आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। आज झूमर बावड़ी ने वर्ष 2013-14 में कमाया 13 लाख 74 हजार रुपये, वर्ष 2014-15 में 13 लाख से लुढ़क कर आ गए 6 लाख 77 हजार, वर्ष 2015-16 में उससे लुढ़ककर आ गए 6 लाख 23 हजार और 2016-17 में उससे भी नीचे गुड़ककर आ गये 3 लाख 47 हजार पर। मैं समझता हूं कि आने वाले वर्ष में अब हम घाटे की तरफ जा रहे हैं।

उसी प्रकार होटल विनायक ने 2013-14 में कमाया 34 लाख 60 हजार 627 मैं राउंड फिगर में बोलूंगा, क्योंकि मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। 2014-15 में हम 34 लाख से गुड़ककर आये 31 लाख पर। 2015-16 में 31 लाख से गुड़ककर आये 28 लाख पर। 2016-17 में हम 28 लाख से गुड़ककर आये 18 लाख पर और 2017-18 में हम 18 लाख से गुड़ककर आ चुके हैं मात्र 10 लाख पर, जो कि लाख रुपया महीना भी नहीं होता।

सरकार का हिस्सा होने के नाते, चूंकि सरकार पक्ष के हम भी विधायक हैं, मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भले ही आपके पास आरटीडीसी की पावर्स न हों। दो निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि आरटीडीसी की जो पावर्स हैं, वे कम से कम मंत्री महोदय को दी जाएं ताकि मंत्री महोदय, जो ऐसी होटल्स हैं जो हमारे लिए धरोहर हैं, आज तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये कमा रही हैं और घाटे की तरफ जा रही हैं तो क्यों न आप एक पीपीपी माडल लाएं। मत दीजिए लान्ग लीज पर, आप इन्हें आक्शन करके तीस साल के लिये लीज पर दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं, यह जो आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के आंकड़ों पर चल रहे हैं, सरकारी खाते में करोड़ों रुपया आएगा, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय भी बैठे हैं। पर्यटक और वन, ये इंटरलिंक्ड हैं। इस बात को सुनकर वन मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सवाईमाधोपुर में साल का फॉरेन टूरिस्ट आता है तकरीबन 57 हजार।

(श्री दानिश अबरार)

डोमेस्टिक टूरिस्ट आता है 2 लाख 10 हजार। जब से 100 प्रतिशत आनलाइन बुकिंग हुई है जंगल की सफारी की तो यह जो आंकड़ा है टूरिज्म का, यह घटता जा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि जो आपका 100 परसेंट आनलाइन का सिस्टम है, इसे वापस से पुराने सिस्टम पर जाकर 75 परसेंट, 80 परसेंट, 90 परसेंट कर दें, लेकिन कम से कम 10 परसेंट का रिजर्व विंडो पर रहना चाहिए ताकि जो आनलाइन रिजर्व नहीं कर पाएं, वे वहां पर आएं और आकर जंगल घूम सकें। फोरेस्ट डिपार्टमेंट के फैसले की वजह से टूरिज्म का रेवेन्यू कम न हो। यह इंटरलिंक्ड है। मेरा निवेदन रहेगा कि 100 परसेंट आनलाइन को कम करके उसे 80 परसेंट पर लाया जाए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, इसमें कंसेंसस होनी चाहिए।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सवाईमाधोपुर रणथम्भौर के लिये तो फेमस है ही, लेकिन पूरे विश्व में अगर कहीं त्रिनेत्र गणेश जी विराजमान हैं तो सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर के किले में विराजमान हैं। वहां हर गुरुवार को आप अगर देखेंगे तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं और पैदल चलकर किले के ऊपर तक जाते हैं। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि आज जंगल, जिसकी प्रसिद्धि हम मान रहे हैं टाइगर के लिये, हिन्दुस्तान में तो टाइगर खतम हो रहे हैं और रणथम्भौर एक ऐसा जंगल है जो चारों तरफ टाइगर भेज रहा है। हमारे यहां से जा रहे हैं।

ऐसी जगह पर आज हमारे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर विराजमान है। वहां पर जब श्रद्धालु पैदल मंदिर तक ऊपर जाते हैं, यह एक चिंता का विषय है। सर, मैं विश्व के काफी देशों में घूमा हूं और मैं समझता हूं सदन में काफी लोग घूमे हैं तो हमें डवलपमेंट की ओर जाना चाहिए। हमें एक विकसित सोच रखनी चाहिए। वन मंत्री महोदय बैठे हैं और पर्यटन मंत्री महोदय भी बैठे हैं। मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक विकसित देश की पहचान देते हुए हमें वहां एक रोप-वे लान्च करनी चाहिए जो हमारे गणेश धाम से लेकर मंदिर तक का बने ताकि श्रद्धालुओं को जाने में आसानी हो। आज वे पैदल जाते हैं, साढ़े तीन सौ सीढियां चढ़कर जाते हैं। कोई चढ़ पाता है, कोई नहीं चढ़ पाता है। आज अगर मंदिर तक का रोप-वे बनेगा तो हम डवलपमेंट की ओर जाएंगे। बुजुर्ग लोगों को जाने में आसानी होगी और सबसे बड़ी बात जान का खतरा टलता है। सर, मेरा यह एक निवेदन है कि हम एक रोप-वे वहां लान्च करें, जिससे

(श्री दानिश अबरार)

कि श्रद्धालुओं की आस्था का भी ध्यान रहे और साथ में बुजुर्गों के जाने का भी ध्यान रहे। इन सबके साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके लेट फादर ने पहली बार बीस वर्ष पूर्व जब मैं मंत्री था, तब रणथम्भौर का साइट सीन कराया था, गणपति जी के दर्शन कराये थे। मैं अभी भी आभारी हूं उनका।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सर, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे फादर ने आपको वहां घुमाया था और उनका बेटा होने के नाते आज मैं यहां खड़ा हूं और आपको चेयर पर एड्रेस कर रहा हूं। It is a matter of pride and honour for me. Thank You Sir.

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रसिंह जी गुढा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 8, 9 व 47 पर विचार

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, पर्यावरण के बारे में, वन के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में सुबह से बहस सुन रहे हैं और जिस क्षेत्र शेखावाटी से आप आते हैं, वहीं से मैं आता हूं। रणथम्भौर की खूब चर्चा हुई, सरिस्का की चर्चा हुई। हमारे भरत सिंह जी जो कि कुन्दनपुर से आते हैं, ने भी इसके ऊपर बहुत शानदार सुझाव दिये और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जितना बड़ा क्षेत्र रणथम्भौर का है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा क्षेत्र हमारे सरिस्का का है। यदि वहां टाइगर को पूरा संरक्षण दिया जाए तो

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

लगभग सौ से ज्यादा टाइगर वहां हो सकते हैं। सरिस्का दिल्ली के भी नजदीक है, जयपुर के भी नजदीक है और वहां जिस तरह से होटलों में जो गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से कई बार उधर से निकलते हैं, सरिस्का मैं भी गया हूं टाइगर देखने के लिये, रणथम्भौर भी गया हूं और वहां होटलों में जिस तरह की गतिविधियां चलती हैं और जो शिकारी वहां घूमते हैं, अवैध शिकार हो रहा है, जिस तरह से टाइगरों की वहां मौत हुई है, वहां सरिस्का में यदि टाइगर सुरक्षित हों तो इसके लिये सरकार को, हमारे मंत्री महोदय भी विराज रहे हैं, इन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, माननीय गुढा साहब की बात पर गौर करें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): इसके साथ-साथ आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां भी वही भौगोलिक स्थिति है। आपके खेतड़ी में भी लैपर्ड, पैंथर वगैरह हैं और यदि वन विभाग के लोग उनके रख-रखाव की व्यवस्था करें और इसके अंदर हमारे उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में भी काफी अच्छा जंगल है। धार्मिक टूरिज्म के हिसाब से मनसा माता का मंदिर है, शाकम्भरी माता का मंदिर है, लोहागढ़ है, जीण माता हैं। ये सारे के सारे स्थान पहाड़ों के अंदर हैं और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मनसा माता के मंदिर में करोड़ों जो पेड़-पौधे हैं, पिछले 25-30 साल से वहां के लोकल ग्रामीणों के साथ हम मिलकर, आप भी वहां पधारे हैं, आपको जानकारी भी है, वह 10 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें तो सारा जंगल कैसे सुरक्षित है? उसके बाद में कम से कम 20-30 किलोमीटर का एरिया, जो हमारे मनसा माता का एरिया है, उसके अंदर खोह आ जाता है, गुढ़ा आ जाता है, मनसा माता का पहाड़ आ जाता है। उस बैल्ट को छोड़कर आप छापोली की साइड जाएं या फिर आप शाकम्भरी की तरफ जाएं, वहां वनस्पति, वहां जो पेड़ हैं, उन्हें फोरेस्ट के लोग किसी भी लेवल पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि जिस क्षेत्र को लोकल लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें करोड़ों पेड़-पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ भी है, हकीकत बात है कि हमारे वन विभाग के लोगों को तो ये ही नहीं पता है कि वहां आज भी लैपर्ड, पैंथर वगैरह हैं, वे काउंटिंग तक नहीं बता पाते। कई बार हम रात को वहां घूमने के लिये जाते हैं तो वहां इस तरह के जीव मिल जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि उन पेड़ों को सुरक्षित किया

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

जाए, सच बात तो यह है कि फोरेस्ट के जो अधिकारी हैं या नीचे लेवल के लोग हैं, वे या तो वहां विजिट ही नहीं कर पाते।

फोरेस्ट के लोग तो वहां के पेड़-पौधों और वाइल्ड लाइफ को किस तरह खतम किया जाए, इसमें मदद कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जैसा कि कुन्दनपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम रणथम्भौर जैसे 4-5 प्रोजेक्ट हमारे राजस्थान में और खड़े कर सकते हैं, इससे हमारे टूरिज्म की, हमारे पर्यावरण, हमारी वाइल्ड लाइफ की शक्ल ही बदल जाएगी। बाहर से खूब टूरिस्ट आने की स्थिति बन सकती है। हमारे उदयपुरवाटी में शाकम्भरी से लेकर कुछ क्षेत्र खण्डेला का पड़ जाता है महादेव सिंह जी का, कुछ नवलगढ़ का पड़ जाता है, थोड़ा सा राजेन्द्र जी पारीक का पड़ जाता है सीकर का, लेकिन जो ज्यादा मैक्सिमम जंगल है, फोरेस्ट है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है।

(19.00 बजे)

इसको रिजर्व क्षेत्र बनाया भी था और वहां भी लेपर्ड या पैंथर की या दूसरी सैंक्चुअरी हो जाए, उसमें विशेषकर जो जंगली जानवर होते हैं वे मई-जून के महीने में पानी नहीं होने से गांवों में आ जाते हैं तथा गांव के लोग उनको मार भी देते हैं। इसलिए सच बात यह है कि इनको सेफ किया जाए और पेड़-पौधों पर ध्यान दिया जाए। हमारे क्षेत्र के अन्दर बारिश भी अब कम होने लग गई तथा आपके क्षेत्र में, सभापति महोदय, जो आर्मी का रिजर्व क्षेत्र बना दिया उसमें भी थोड़ा रास्ता हो जिसमें वाइल्ड लाइफ अन्दर-बाहर हो सके तो वह भी सुरक्षित क्षेत्र हो गया।

मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा पशुधन है, आवारा सांड हैं ये एक्सीडेंट के मेन कारण हैं और हमारे किसान के लिए बड़ी समस्या बन रहे हैं। इनके लिए यदि वहां पानी की व्यवस्था हो जाए तो वहां बहुत ज्यादा चारा है जिसको वे चरते रहेंगे और प्रकृति का नियम है कि वहां का जो वाइल्ड लाइफ है और वह टाइगर सैंक्चुअरी हो जाए तो आवारा पशु की समस्या से किसान भी मुक्त हो जाएंगे तथा जो हिरण, चीतल और दूसरे जानवर नहीं हैं तो ये जर्सी, होल्स्टीन सांड की व्यवस्था हो सकती है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: फोरेस्ट मिनिस्टर साहब, जो माननीय सदस्य ने कहा उस पर गौर करें आप। सम्माननीय अमीनुद्दीन कागजी।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): सभापति महोदय, मांग संख्या 8, 9 और 47 पर मुझे इस सदन में बोलने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं, मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, उन्हें बधाई देता हूं कि जयपुर वर्ल्ड हैरिटेज सिटी में शामिल हुआ है लेकिन यह खिताब, यह अवार्ड हम कितने दिन तक अपने पास रख पाएंगे, यह एक चुनौती का विषय है।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, इतनी शानदार चर्चा चल रही है, रेवेन्यू मिनिस्टर और पर्यटन मंत्री गम्भीर नहीं हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं। इस पर ध्यान दें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपकी तरफ पीठ करके बैठे हैं संसदीय कार्य मंत्री।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): संसदीय मंत्री जी कोई दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कोई व्यक्तिगत दिशा-निर्देश देने की जगह नहीं है। अगर आपको ऐसे व्यक्तिगत दिशा-निर्देश देने हैं तो अपने चैम्बर में जाइए आप। यह सदन है, यहां जो भी दिशा-निर्देश देने होंगे, सार्वजनिक रूप से ही देने होंगे।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): व्यक्तिगत नहीं हैं, इन मांगों के ही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, नियमों में लिखा है कि आसन की तरफ पीठ करके नहीं बैठेंगे। ये आसन की तरफ से पीठ करके बैठे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चैम्बर में बगैर मेरी इजाजत के कैसे घुस जाएंगे। यहीं बात करने दो आप।

श्री सभापति: कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें। माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने स्थान पर जाएं प्लीज।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): जयपुर एक पर्यटन स्थल के रूप में विश्व में जाना चाहता है। मैं आदरणीय मंत्री जी से आपके माध्यम से

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)
कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जयपुर में पर्यटन इण्डस्ट्री और इस धरोहर को शामिल रखते हुए जो यूनेस्को ने अवार्ड दिया है उसके लिए आगामी समय में एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अभी हम सब लोग बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं और यह खुशी की बात है कि जयपुर को यूनेस्को ने हैरिटेज सिटी में शामिल किया है। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस खिताब को कायम रखने के लिए और हैरिटेज जो हमारा पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस सदन में सभापति जी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर की चारदीवारी के सम्बन्ध में पिछले दिनों जब हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ सैक्रेटरी साहब भी थे और काफी आला अधिकारी थे, इस वर्ल्ड हैरिटेज सिटी जाने के लिए मीटिंग हुई तो मेरे कुछ विशेष बिन्दु मैंने उस मीटिंग में रखे थे कि इस धरोहर को कायम रखने के लिए हमें जल्दी से जल्दी जयपुर में चारदीवारी के अन्दर अनधिकृत, बिना परमिशन के बिल्डिंग बन रही हैं उनसे जो इसका मूल स्वरूप है वह बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। उस मीटिंग में यह निर्णय हुआ था, आप सब लोगों ने अख़बार में पढ़ा होगा कि सबने यूनानिमस यह फैसला लिया था कि इसके अन्दर हम नो-कंस्ट्रक्शन जोन बनाएंगे। आदरणीय शांती धारीवाल जी भी बैठे हैं। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि वह जो डिसीजन हुआ था उसका इम्प्लीमेंट कराएं और नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी कराएं और एक तरीके से जो जयपुर की धरोहर है और शहर में बेतरतीब अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं उन पर लगाम लग सके।

दूसरी बात, आज शहर में ई-रिक्शा इतने बेतरतीब हैं और इतनी संख्या में हैं तो उस मीटिंग में यह भी निर्णय हुआ था कि जयपुर में जितने भी ई-रिक्शा हैं, तकरीबन 24 हजार के आस-पास हैं, उन सबको डिवीजन बनाकर पांच डिवीजनों में बांट दिया जाएगा। जो वर्ल्ड हैरिटेज सिटी के अन्दर, चारदीवारी के अन्दर जो ई-रिक्शा चलेंगे उनका कलर अलग कर दिया जाएगा। जो पिंकसिटी हमारी धरोहर है, जो हमारी तर्ज है, उस कलर को रखा जाएगा।

जो पर्यटक आते हैं, जिनको शहर में घुमाते हैं, हमारे बहुत सारे डेस्टिनेशन ऐसे हैं जिनमें सुबह से शाम तक पर्यटक घूमता है उसके लिए मैं सदन के माध्यम से चाहूंगा कि जैसे चौड़ा रास्ता में हमने टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया है, टूरिस्ट सेंटर बनाया है लेकिन पिछली सरकार ने उसको पी.पी.पी. मोड पर दे दिया और वह चल रहा है। मैंने अभी पिछले हफ्ते विजिट

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

किया तो उसके अन्दर सिर्फ एक कॉफी मशीन रखी हुई थी। बड़े दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी टूरिज्म की और सिर्फ एक कॉफी मशीन और वो भी सीसीडी से रखी गई थी। बाकी उसके अन्दर न कोई रिसेप्शन था, न कोई एम्प्लोई थे, न कोई देखने वाला था कि टूरिस्ट को किस तरह से हम यह बताएं कि जयपुर में कौन-कौनसी जगह देखने की है। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर थोड़ा फोकस करें और उसके अन्दर जो टूरिस्ट आते हैं, वहां से पूरे जयपुर के जितने भी डेस्टिनेशन हैं, वहीं से वे लोगों को लेकर जाएं और पूरी फ्री शटल सर्विस हो, अगर फ्री नहीं कर सकते तो एक अमाउंट लेकर हम पूरा भ्रमण करा दें।

तीसरी बात, मैंने अक्सर देखा है, विदेशों में आप भी बहुत गये हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर आप जाएंगे तो शाम को क्योंकि आदमी रिलैक्स होता है तो शाम को इवेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इवेंट्स हों, फोक डांस हो, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। हमारे यहां जयपुर में जो भी टूरिस्ट आता है उसको शाम को किसी भी एक्टिविटी में जाने का मौका नहीं मिलता और वह 6 बजे बाद बिलकुल कमरे में बन्द होने के लिए बेबस हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर में जितनी भी वर्ल्ड में ऐसी डेस्टिनेशन हैं जहां इवेंट होते हैं, लेट-नाइट इवेंट्स होते हैं वह आप फोकस में लाएं। अल्बर्ट हाल हो या कोई और जगह हो, उसको शाम को टूरिस्ट के लिए डवलप किया जाएं और टूरिस्ट शाम को फ्री होकर वहां जाएं और एंटरटेन करें।

जिस तरीके से धरोहर को हमें संभालकर रखना है उसमें मैं यह चाहता हूं कि चारदीवारी में साफसफाई की बहुत जरूरत है। पूरे शहर में टूरिस्ट घूमता रहता है और जो इसकी सफाई व्यवस्था है उसको हमको प्रिसाइसली, जो हमारा परकोटा है, जहां टूरिस्ट जाते हैं उसमें सफाई की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। उसका क्षेत्राधिकार नगर निगम से हटकर कोई दूसरी व्यवस्था की जाए क्योंकि मैं समझता हूं कि टूरिस्ट प्लेसेज पर नगर निगम तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अमुक जगह मैंने देखा है कि जितने भी अपने टूरिस्ट प्लेसेज हैं जहां टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं वहां टायलेट्स की प्रोब्लम है, शौचालय नहीं हैं। जो आदमी 9 बजे, 10 बजे हमारे आमेर से शुरू होता है और शाम को अल्बर्ट हाल पर खतम होता है तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसको टायलेट्स की कितनी प्रोब्लम होती है।

मेरे सांगोनर में फैक्ट्री है और वहां भी एक तरह से बहुत पर्यटक आते

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

हैं, दिन में करीब तीन-चार सौ पर्यटक आते हैं। आप यह देखिए कि उनका टाइम होता है 12 बजे से 3 बजे तक, हमारे वहां सांगानेर पहुंचते हैं। जितना परेशान टूरिस्ट शहर से लौटकर सांगानेर जाता है। वह देखने का माहौल होता है। सारी बसें, सारे टूरिस्ट सबसे पहले टायलेट जाते हैं और आधा पौना घंटा उनको टायलेट में लग जाता है। उसकी वजह यह महसूस की मैंने कि जितने भी पर्यटक शहर से घूमकर जाते हैं, वे परेशान होते रहते हैं तो, मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेज हैं वहां वर्ल्ड क्लास टायलेट्स बनाए जाएं और वे टायलेट्स खास तौर से पर्यटकों के लिए हों, जयपुर में बेतहाशा लोगों का आना जाना रहता है। ये जो परकोटा है, वह 90 प्रतिशत किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में है।

मुझे इस बात का गर्व है कि कल ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 25 साल से यहां गर्ल्स कालेज नहीं था और क्षेत्र के निवासियों की 25 साल से यह डिमांड थी कि यहां एक कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात को स्वीकारा और मेरे किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में एक गर्ल्स कालेज की इजाजत दी कि वहां जल्दी शुरू हो जाएगा।

आदरणीय सभापति जी, इन दिनों स्मार्ट सिटी का काम पूरे किशनपोल में चल रहा है। मैंने मंत्रीजी से भी निवेदन किया था कि कुछ एरिया ऐसे हैं, जो स्मार्ट सिटी में है और कुछ एरिया ऐसे हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं लेकिन, स्मार्ट सिटी उनको टेक-अप नहीं कर रहा है। क्योंकि, तत्कालीन सरकार ने एरिया बेस्ड डवलपमेंट के हिसाब से सीधा एक स्ट्रेच लेकर पूरा स्ट्रेट अवे एक पर्टिकूलर रास्ते में, पर्टिकूलर जगह डवलपमेंट का प्लान बनाया, तो मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जयपुर स्मार्ट सिटी के तहत पूरी चारदीवारी को डवलप कराया जाए, जो हमारे लिए एक धरोहर है।

मैंने देखा है कि आज की तारीख में जयपुर बहुत बड़ा हो गया है। यहां की आबादी लगभग 2011 की सैन्सस के हिसाब से 66 लाख है और 66 लाख की आबादी में हमारे यहां एक कलेक्ट्रेट है, एक कलेक्टर बैठते हैं। जब जयपुर बसा 1727 में, उस टाइम जयपुर शहर को नौ खण्डों में विभाजित किया गया था और इसमें सरकार के दो राज्य चलते थे और दोनों जगह से इस पूरे जयपुर के नौ खण्डों को संचालित किया जाता था, it is on record. जब 18 नवम्बर,

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

1727 को जयपुर बना, आमेर से आकर। उस वक्त परिकल्पना कि, जयपुर कैसा हो, चाहे वास्तुकला के हिसाब से, पूरा हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े तमाम वास्तुकार, उनसे राय लेकर जयपुर की बसावट कैसी हो, इस पर तत्कालीन महाराजा सवाई सिंह जी ने एक चर्चा की, जयपुर किस तरह से बसाया जाए। इसका एक चित्रण बनाया कि किस तरह से जयपुर बने। 1727 के बाद जो जयपुर बना, उसकी आज हालत यह है कि इसकी कलेक्ट्रेट सीमा अलवर के शाहजहांपुर से शुरू होती है और यह सीधे निवाई से आगे टोंक तक जाती है। ये आपको बताया मैंने साउथ से नोर्थ तक, ईस्ट से देखेंगे आप तो दौसा से नागौर की बोर्डर लगती है जाकर जोबनेर तक, यहां रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या एक कलेक्टर 11 हजार 143 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हैंडल कर सकता है, will it be possible? आप यह बताएं कि इतना बड़ा एरिया एक कलेक्टर हैंडल कर रहे हैं, जिसके अंदर 13 सब डिवीजन हैं, 13 तहसीलें, 66 लाख की आबादी 2011 में थी और 2347 गांव हैं, 15 पंचायतें हैं, 532 ग्राम पंचायतें हैं और 10 नगरपालिकाएं, इतना अत्यधिक भार और इतना बड़ा एरिया, एक कलेक्टर?

मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसके दो डिवीजन किए जाएं। डिवीजन कैसे करने हैं, यह सरकार सोचे, लेकिन आमजन को जो परेशानी है, उसको हमें समझना पड़ेगा और समस्या को मद्देनजर रखते हुए आप यह प्लान करें कि इस जयपुर को दो खण्डों में कैसे डिवाइड किया जाए और लोग ईजीली आपसे काम करा सकें। सरकार के 90 प्रतिशत काम कलेक्ट्रेट में ही होते हैं। चाहे कोई योजना हो, चाहे कोई परियोजना हो, चाहे कोई काम हो, चाहे रेवेन्यू का मैटर हो, सारे काम कलेक्ट्रेट में होते हैं और जब तक इसका भार कम नहीं किया जाएगा, आमजन को आसानी से जिंदगी जीने के लिए हम नहीं कर सकेंगे।

मंत्री महोदय, मैंने बात की रेवेन्यू के मामले में सीमाओं का और जनसंख्या का बताया, इतिहास भी आपके साथ शेयर किया, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके साथ शेयर किया, आज वक्त बदलाव का और हम सरकार में आए। तब हमारे राहुल जी का एक नारा था कि 'वक्त बदलाव का है' और जब बदलाव हुआ है तो बदलाव दिखना चाहिए और बदलाव दिखेगा तो आप लोगों की इज्जत बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और हम लोग सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान, जिसकी लोगों ने उम्मीद की हमसे, उनकी अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरें, आपने बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेश टाक। कृपया समय का ध्यान रखते हुए, अभी 15-20 वक्ता और हैं तो It is kindly requested.

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): कोशिश करूंगा सर, मौका नहीं दूंगा आपको घंटी बजाने का। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मांग संख्या 8, 9 और 47 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं राजस्व पर बोलना चाहूंगा। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी का रिप्लाई था और मेरी पहली मांग थी कि किशनगढ़ के अरांई में उपखण्ड कार्यालय खुले। मैं मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की तरफ से माननीय मुंख्य मंत्रीजी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यह सौगात कल दी। मेरी जनता की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय मंत्री महोदय का भी।

दूसरी बात, जो सब लोग कह रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूं पटवारियों की बहुत बड़ी प्रोब्लम है और मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप ये इतिहास बना दें कि अगली बार जब बजट पर चर्चा हो तो पटवारियों के बारे में कोई बात नहीं करें कि पटवारियों की कमी है। मैं यह चाहूंगा कि आप ऐसा कर सकते हैं और यह करके दिखाएंगे। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं समय भी नहीं लेना चाहूंगा सदन का, बहुत सारे लोगों को बोलना है।

तीसरा विषय था मेरा, सिवायचक और श्मशान भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का। यह बहुत बड़ा विषय है। मेरे गांव ज्यादा हैं मेरी 40-45 ग्राम पंचायतें हैं, मेरा ज्यादा ग्रामीण एरिया है और मैं जब से विधायक बना हूं तब से लगातार यह शिकायत रही है। एक उदाहरण देना चाह रहा हूं छोटा सा। अभी दस दिन पहले की बात है, मैं जब से जीता हूं तब से एक गांव है मोतीपुरा राइका, उस गांव के लोग मेरे पास आये थे। इकट्ठे होकर पूरा गांव आया था और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी श्मशान भूमि तीन बीघा 6 बिस्वा है और उस पर आज तक हमने दाह संस्कार नहीं किया है। अगर हमारे घर में कोई मौत होती है तो हम हमारी खुद की जमीनों पर दाह संस्कार करते हैं। मुझे सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। यह इंतहा हो गई मानवता की कि लोग श्मशान को भी नहीं छोड़ते हैं अतिक्रमण करने के लिए। मैंने इसका संकल्प लिया था और कलेक्टर महोदय से बात की। मुझे खुशी है इस बात की कि दस दिन पहले अभी पिछले बुधवार को ही पूरी टीम बनकर वहां पर गयी और उस अतिक्रमण को पैंतीस साल बाद आज पहली बार खाली कराया और गांव वाले इतने खुश हैं इस बात से कि हमारा श्मशान मुक्त हो गया और अब हम इस पर हम दाह संस्कार कर पाएंगे तो, मेरा कहना है माननीय मंत्री महोदय

(श्री सुरेश टाक)

से कि अभी जो स्थिति है सबसे ज्यादा अगर सूनापन किसी गांव वाले को लगता है या स्टेटस लगता है तो अतिक्रमण करने का लगता है और वह जगह है सबसे पहले श्मशान भूमि फिर चरागाह भूमि और उसके बाद स्कूल का खेल का मैदान जिस पर सबसे ज्यादा नजर होती है और उसका कोई धणीधोरी होता नहीं है और आदमी उस पर जाकर बाड़े बना लेता है और बाड़े बनाते-बनाते घर बना लेता है और घर बनाते-बनाते वह पता नहीं कहां तक पहुंच जाता है कि हमारे पशुओं के चरने की जगह नहीं है, श्मशान में अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं है और खेल के मैदानों में बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। बड़ी चिन्ता का विषय है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा इस बात पर। मंत्री महोदय।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, कृपया ध्यान दें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, बहुत ज्वलंत विषय है और इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। भले ही छोटा विषय है पर इतना ज्वलंत है और यह करना इतना जरूरी है कि अगर हमारी ये तीनों चीजें नहीं बचेंगी तो हम जवाब क्या देंगे आगे। कहां तो पशुओं को चराएंगे, कहां हमारे बच्चे खेलेंगे और कहां हमारे दाह संस्कार होंगे। आखिर सबको वहीं जाना है। अगर वो ही जगह नहीं मिली तो हम जाएंगे कहां पर तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे में बहुत गहनता से विचार करें और एसडीएम लेवल पर या कलेक्टर लेवल पर एक ऐसी टीम बने या ऐसी टास्क फोर्स बने या ऐसी कार्य योजना बने कि इन चीजों की शिकायत आते ही इन पर कार्यवाही हो और ये जमीनें हर हाल में बचें। मेरा आपसे यह आग्रह है कि अभी नरेगा में कई काम ऐसे हो रहे हैं जिनकी कोई सार्थकता नहीं है। क्यों नहीं पटवारियों को, क्यों नहीं पूरी टीम को लगाकर इन चरागाहों का सीमाज्ञान कराया जाए। यह एक योजना के अन्तर्गत काम हो और हर हाल में हो। नियम के साथ हो कि इन चरागाहों का सीमा ज्ञान हो। सीमा ज्ञान होने के बाद नरेगा के अन्तर्गत जो काम हो रहे हैं उनमें यहां पर अगर हम मेड़बंदी करें, अगर उसको खोदकर मेड़बंदी करके पाल करके उसका पूरा एरिया सुरक्षित कर लें और नरेगा में ही एक प्रावधान है शायद, चूंकि मैं सदस्य हूं पंचायती राज में इसमें मैंबर हूं और वहां पर अभी बात हुई थी कि नरेगा में ऐसे कर्मचारी दे सकते हैं जो पेड़-पौधों को पानी पिला सकते हैं चार साल तक तो क्यों नहीं वहां पर दस-दस फुट, पांच-पांच फुट के पेड़ लगाये जाएं और पेड़

(श्री सुरेश टाक)

लगाकर वहां पर चार साल तक अगर उन पेड़ों की सुरक्षा करने की व्यवस्था हो गयी तो हमारे चरागाह सुरक्षित हो जाएंगे और पेड़-पौधे भी बढ़ जाएंगे तो मेरा यह आपसे निवेदन है कि मेरे इस सुझाव पर विचार करें, ताकि हम हमारे चरागाहों को बचा सकें और पेड़ भी कम से कम 7-8 फुट की ऊंचाई वाले लगें ताकि वो डवलप हो जाएं और जानवर उनको नहीं खाएं। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ ऐसा हो। ग्राम पंचायतों को चरागाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी हुई है, लेकिन अमूमन यह देखने में आया है कि सरपंच इसमें इंट्रेस्ट नहीं लेते वो कतई इसमें इंट्रेस्ट नहीं लेते कि चरागाह का अतिक्रमण हट जाए, क्योंकि सब वोटों की राजनीति करते हैं। उनका कोई लेना-देना नहीं है चरागाह बचे या नहीं बचे पर हम सबका कर्तव्य है इस सदन का कर्तव्य है कि हमारे चरागाह हमारी जो सिवायचक भूमियां हैं, बिलानाम जमीन हैं, हमारे खेल के मैदान हैं ये सुरक्षित रहें।

मैं यही कहना चाहूंगा आपको राजस्व पर और एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरे यहां पर वैसे मैंने आपको निवेदन कर दिया और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी से नियुक्ति हो जाएगी। शायद विधान सभा चल रही है इसलिए नहीं हुआ। मैं नहीं बोलूंगा। आप समझ गये इस बात को। तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों जगह नहीं हैं। रिटायर हो गये हैं तो कृपया मेरा विधान सभा क्षेत्र बड़ा है और बहुत सारे काम अटके हुए हैं लोगों के तो यह आप करवा दें। आपकी मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, वन मंत्री विराज रहे हैं यहां पर, मैं माननीय वन मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि तीन प्रस्ताव मेरे वहां से आये हुए हैं, आपके विभाग में अभी चल रहे हैं वो और उनमें मेरा आपको सुझाव है कि जितनी भी वन भूमियां हैं उनमें पक्के एनीकट और नाड़ी बनाने की कार्य योजना बनाएं जिससे पानी भी वहां वर्षा का सुरक्षित हो जाए और वहां जो जानवर जंगल में हैं उनको भी पीने का पानी मिल जाए और जितने पेड़-पौधे वन विभाग लगाना चाह रहा है उनको भी पानी उपलब्ध हो जाए तो मैं यह चाहूंगा कि यह योजना बनाई हुई है। आपके विभाग में यह लैटर आया हुआ है वहां से मैंने भेजा हुआ है और एक हमारे वहां सबसे बड़ा स्थान है पिताम्बर की गाल और उदयपुर का बन्धा जो वन भूमि में आता है। पिताम्बर की गाल पुष्टिमार्ग का बहुत बड़ा स्थान है जब मुगल शासकों का आक्रमण हुआ था और तब वहां से श्रीनाथ जी जब इधर मेवाड़ में पधारे थे तब 14 दिन वहां विराजे थे। वह जगह इतनी जबरदस्त है अगर आप वहां जाएंगे तो आपको

(श्री सुरेश टाक)

खुद को एहसास होगा कि यहां किसी बड़े देवता का वास है। इतनी शांति है। इतनी अच्छी जगह है। वहां 14 दिन विराजे थे श्रीनाथ जी और 14 ही कदम्ब के पेड़ वहां लगे हुए हैं। इतनी मनोरम जगह है। इतनी बढ़िया जगह है तो क्यों नहीं उसको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से चूंकि वन भूमि है इसलिए आप ही को उसको डवलप करना है तो एक कार्ययोजना वहां की आयी हुई है आपके पास उसके सौन्दर्यीकरण और उसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए दोनों बन्धा और पिताम्बर की गाल में आप एक बार ध्यान दें। एक बार अगर आप पधारें अजमेर तो मैं चाहूंगा आप वहां चलकर देखें एक बार कितनी अच्छी जगह है वह और उसको सुन्दरतम बनाने के लिए आप प्रयास करें।

एक लेपर्ड प्रोजेक्ट के लिए सामरिया हाड़ा वन खण्ड है वहां पर। वहां पर लेपर्ड प्रोजेक्ट की स्वीकृति हेतु आपके पास प्रस्ताव भेजा हुआ है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस प्रस्ताव की स्वीकृति दें, ताकि यह लेपर्ड प्रोजेक्ट वहां पर बन सके और इसका टूरिस्ट के लिए भी फायदा हो और वन विभाग की जमीन भी काम में आये।

एक डियर पार्क का प्रस्ताव आपके यहां आया हुआ है यह हमारी बावड़ी नर्सरी के पीछे सामरिया हाड़ा वन खण्ड है उसी पर बना हुआ है।

मेरा एक निवेदन और है कि रेंज में 10 वन रक्षक और 10 वृक्ष पालकों की अति आवश्यकता है। रेंज का क्षेत्रफल 10,473 हैक्टेयर है, लेकिन यहां पर 120 किलोमीटर की लम्बाई में फैला हुआ वन क्षेत्र है और इतनी दूरी में होने के बाद भी साधन नहीं हैं। अगर अधिकारियों के पास साधन नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि वन भूमि हम बचा पाएंगे या वन्य जीवों की सुरक्षा कर पाएंगे या पेड़-पौधों की सुरक्षा कर पाएंगे तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से कि वहां पर एक चौपहिया वाहन विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि वनों की सुरक्षा हो सके, वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके और पेड़-पौधों की सुरक्षा हो सके।

तीसरा विषय पर्यटन का है माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं। किशनगढ़ अपने आपमें एक बहुत अलग जगह है। विश्व की सबसे बड़ी मार्बल नगरी है और वहां पर दो टैक्सटाइल पार्क भी हैं। पावरलूम का बहुत बड़ा व्यवसाय है। संत नागरीदास की नगरी है और बणी-ठणी वहां की कलाकृति है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है आपको अच्छी तरह से पता होगा। आप महाराजा हैं आपको मालूम है कि बणी-ठणी कहां की है और वहां के कलाकारों ने बनाई है उसको। मैं संत नागरीदास की नगरी किशनगढ़ जिसे विश्व भर में कला,

(श्री सुरेश टाक)

संस्कृति का पर्याय माना जाता है जहां विश्व प्रसिद्ध कृति जो राधा जी का स्वरूप है। वह आज भी कला के क्षेत्र में विश्व पटल पर है। किशनगढ़ अपने गौरवपूर्ण इतिहास से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शार्ट में प्लीज।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक मिनट सर, लास्ट बोल रहा हूं मैं। साथ ही अपनी विलक्षण कलाकृतियों की सौम्यता, सौन्दर्यता, आध्यात्मिकता से अपने आपको समृद्ध बनाते हुए कला प्रेमियों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र है। मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। पर्यटन के क्षेत्र में किशनगढ़ भारत के नागरिकों को नहीं अपितु विश्व भर के आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करता है।

हमारे वहां पर एक गोंदोलाव झील है जो हमारे शहर के बिलकुल बीच में है। हृदय पटल है वह और उसकी दुर्दशा इतनी ज्यादा है कि वो आंसू बहा रही है। उसमें गंदे पानी के नाले आ रहे हैं उसकी पाल सुरक्षित नहीं है। उसमें इतनी ज्यादा गंदगी आ रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है जबकि उस गोंदोलाव झील के आस-पास इतनी मनोरम जगह है, इतने मंदिर हैं कि आप उसको बहुत बड़ा पर्यटक स्थल विकसित कर सकते हैं। कालिका माता का मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध नवग्रह का मंदिर है, भैरव घाट है, एक बहुत अच्छी तलाई है जिससे लोग वहां पर नाव भी चला रहे हैं और सुख सागर है जिस पर बहुत बड़ा गार्डन विकसित किया जा सकता है। बहुत बड़ी जगह है, कुंड है। स्विमिंग पूल उसमें बने हुए हैं। इतनी सारी जगह होने के बाद भी वहां पर कुछ नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि आप उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराएं या इन मंदिरों के विकास के लिए कहीं न कहीं एक फंड दें, ताकि हम इनका जीर्णोद्धार करवा सकें, इनको सुन्दर बना सकें और किशनगढ़ को पर्यटन नगर के रूप में एक अलग पहचान दे सकें। इस गोंदोलाव झील के आस-पास बहुत सारी जगह ऐसी है जहां चौपाटी बनाई जा सकती है और उस चौपाटी पर पूरे शहर को एक जगह मिल जाएगी पूरे शहर की जितनी भी महिलाएं हैं बच्चे हैं उन सबको आने के लिए जिस तरह स्मार्ट सिटी में ...(व्यवधान) बनाई गई उसी तरह इसको बनाया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें। समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): पास में ही निम्बार्क पीठ है सलेमाबाद में बहुत बड़ा खोड़ा गणेश जी का मंदिर है। किशनगढ़ अपने आपमें एक अलग

(श्री सुरेश टाक)

पहचान रखता है। मेरा आपसे निवेदन है किशनगढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, आपकी नजर उस पर पड़े, हम किशनगढ़वासियों पर बहुत बड़ी कृपा होगी। आज मेरे यही सुझाव हैं और मेरे इन सुझावों पर अमल करके मुझे उम्मीद है कि आप किशनगढ़ को जरूर कुछ न कुछ देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गोपी चन्द जी जहाजपुर।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 8-राजस्व, मांग संख्या 9-वन, मांग संख्या 47-पर्यटन पर मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पटवारियों के रिक्त पद होने से किसानों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमारे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में लंबे समय से रिक्त पटवारियों के पद भरे जाएं। पंडेल उप तहसील, उप तहसील खजूरी में नायब तहसीलदार का रिक्त पद भरा जाए। कोटड़ी उप खण्ड मुख्यालय व तहसील स्तर पर करीब 500 से ज्यादा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र पैंडिंग हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं। अत: निवेदन है कि जाति प्रमाण पत्रों में जो संबंधित अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कर निस्तारण कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों व राजस्व गांवों में जो ग्राम पंचायतों द्वारा संपर्क सड़कें बनाई गई हैं या पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई हैं, इन सड़कों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर सम्पूर्ण प्रदेश की आम जनता को राहत प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, कृषि भूमि पर बने मकान, सरकारी, चरागाह भूमि में बने मकान जो लंबे समय से बने हुए हैं उन मकानों को पट्टा दिलाया जाए। आबादी विस्तार के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कराएं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सरकारी जगहों में मकान बना लिये गये हैं उनको पट्टा दिलाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों में खेल मैदान व राजकीय विद्यालय के लिये आबंटित भूमि से अतिक्रमण हटाये जाएं ताकि हमारे बच्चों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने उल्लेख किया कि प्रदेश की सबसे गम्भीर समस्या गोचर चरागाह भूमि से सिवायचक भूमि पर जो अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावशाली लोग हैं, जो अपने क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव रखते हैं, वह 100-200 बीघा जमीन

(श्री गोपी चन्द मीणा)

पर कब्जा कर लेते हैं और राजनीतिक प्रभाव के कारण उनका अतिक्रमण नहीं हटता। अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार एक ऐसी टीम बनाए जिससे सम्पूर्ण अतिक्रमण हटाये जा सकें।

मैं सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौ शालाओं हेतु जमीन आबंटन किया जाए।

सभापति महोदय, मेरे अरवासी व धोड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उप तहसील कार्यालय खोला जाए। पटवार भवनों की मरम्मत कर या नया भवन निर्माण कराया जाए।

सभापति महोदय, वन भूमि में बसे हुए आदिवासी परिवारों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर पट्टा दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, कोटड़ी उप खण्ड न्यायालय में +++ लोक अभियोजक, भीलवाड़ा को एसीबी के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। न्यायालय उप खण्ड कोटड़ी की मूल पत्रावली जिसमें फैसला कराने बाबत रिश्वत ले रहा था, उस पत्रावली को भी एसीबी ने जब्त किया लेकिन एसडीएम के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है क्योंकि एसडीएम के विरुद्ध बार एसोशिएशन, कोटड़ी ने कई बार शिकायतें कीं और विधि मंत्रालय, राजस्थान सरकार ने जिला कलेक्टर को जांच के लिए लिखा, लेकिन जिला कलेक्टर ने एसडीएम समकक्ष अधिकारी से ही जांच कराने हेतु अधिकारी नियुक्त किया। उप खण्ड न्यायालय, कोटड़ी की कई पत्रावलियां न्यायालय से गायब हैं। अत: मैं उच्चस्तरीय जांच करने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, वन और पर्यावरण के बारे में मैं मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50-60 किलोमीटर अरावली की श्रेणियां हैं। यहां वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, इसकी रोकथाम करने के लिये नरेगा में या अन्य योजना में चारदीवारी कर इन पहाड़ों को बचाया जा सकता है ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहाड़ों में बबूल उगे हुए हैं, इनको हटाकर धोखड़ा का बीज छांटा जाए ताकि हमारी वनस्पति को हम बचा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुलाबपुरा से उनियारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148 से सड़क निर्माण में जितने पेड़ पौधे हटाये गये हैं, उन पेड़ पौधों को पुन: स्थापित किया जाए ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित हो सके।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

माननीय सभापति महोदय, उप खण्ड स्तर पर एसडीएम द्वारा पत्थरगढ़ी आदेश दिया जाता है, उस पत्थरगढ़ी आदेश के लिये कर्मचारियों द्वारा, पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर के द्वारा किसानों को बार-बार चक्कर लगवाये जाते हैं और तीन से चार साल की अवधि तक निस्तारण नहीं कर पाते हैं। अत: माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोषी कर्मचारी, पटवारी, गिरदावर को समय सीमा तय कर उनको दंडित किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, समय पर किसानों की फसल का सर्वे नहीं होने से लाभ नहीं मिल पाता है, अत: समय सीमा निर्धारित होनी चाहिये। सभापति महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में कोटड़ी श्याम चारभुजा नाथ का मंदिर है, मेवाड़ का प्रसिद्ध मंदिर है, हर पूर्णिमा को मेला लगता है, 10 से 15 हजार यहां दर्शनार्थी आते हैं। अत: इस मंदिर को और जो यहां सार्वजनिक तालाब है, इसको विकसित कर पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। इसी तरह शक्तिपीठ घाटारानी माताजी का स्थान है जो पहाड़ के ऊपर है, लंबी पहाड़ी है। इस शक्तिपीठ को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। जहाजपुर में बड़ा खेड़ा मांगड देव मंदिर बना हुआ है, धोखड़ा एक बहुत बड़ा लंबा पहाड़ है। इस पहाड़ पर चारदीवारी कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटा पुष्कर धोड़ महादेव का स्थान है, जहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थान को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें प्लीज।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 8, 9 और 47 पर बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं शुक्रिया अदा करता हूं। सभापति महोदय जयपुर एक विश्व की धरोहर है। पर्यटन क्षेत्र और वन संपदा से भरपूर मेरा क्षेत्र आदर्श नगर, जहां जयपुर का पूर्वी द्वार खुलता है। जयपुर को आगरा से जोड़ने वाला यह मार्ग पूरा मनमोहक छतरियों से जिसमें सड़क के दोनों ओर मनमोहक छतरियां विद्याधर का बाग़, रूपनिवास का बाग़, सिसोदिया रानी का गार्डन और अनेक रमणीक स्थल वहां मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों में इनकी

(श्री रफीक खान)

बड़ी अनदेखी हुई और इनके ऊपर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। पूरे इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए यह छतरियां इतिहास में हमारी धरोहर हैं। मैं बधाई देता हूं हमारी सरकार को जिन्होंने जयपुर को एक हैरिटेज सिटी घोषित करने में एक पहल की और जयपुर की स्मार्ट सिटी बनने की घोषणा हुई। आगरा रोड से आते वक्त हमारे पिछली सरकार के कार्यकाल में जो एक अति आवश्यक ट्रैफिक जाम की वजह से वहां एनक्रोचमेंट की वजह से जो प्रोब्लम थी, उसके लिए टनल का निर्माण किया गया और उससे काफी सुविधाएं उपलब्ध हुईं। एक बहुत बड़े वन क्षेत्र को काटकर वहां पर टनल बनायी गयी। सभापति महोदय, मैं वन मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां पर टनल तो बन गयी। एक बहुत अच्छे विकास का काम हुआ, सुगम रास्ता बना, लेकिन पहाड़ गंजे हो गये। जब वहां से आदमी जयपुर में घुसता है तो वहां पर वीरान पहाड़ नजर आते हैं। मेरी इनसे गुंजाइश है कि वहां पर सघन प्लांटेशन किया जाए। जैसा कि प्रतिपक्ष के चूरू से आने वाले नेता ने कहा। इन्होंने कई वृक्षों के बारे में बताया कि किस तरह के वृक्ष अपने पहाड़ों पर लगाये जा सकते हैं। पेड़ों के बारे में सबने बात की। एक शेर से मैं बात करता हूं।

ख्वाहिश नहीं कि ताड़ के शजर-सा ऊँचा हो जाऊं,
कोशिश है बरगद दरख़्त सा हर राही के काम आऊं
अब इनके सब्र के बांध भी टूटने लगे हैं
अब तो पेड़ भी सूखने लगे हैं।
पेड़ आज भी गद्दार नहीं, खूब काटा इन्हें,
पर इन्हें तो फल-फूल देने से इनकार नहीं।

मेरी वन मंत्री से गुजारिश है कि इस रास्ते में सघन प्लांटेशन किया जाए। जिस तरीके से टनल बनने के बाद यहां प्लांटेशन, यहां मिट्टी के रूप में तब्दील हो गयी है। जैसे ही हम शहर के अंदर घुसते हैं और टनल में घुसते हैं तो वहां का हिस्सा हम देखते हैं। वहां से हरियाली नदारद है, वहां से हरियाली गायब है। जैसे ही हम टनल को क्रोस करते हैं तो टनल क्रोस करते ही दोनों साइड एनक्रोचमेंट है और उसी तरह का ही पहाड़ मौजूद है। मेरी वन मंत्री से गुजारिश है और यह पर्यटन मंत्री से भी रिलेटेड सवाल है कि यहां पर सघन प्लांटेशन किया जाए। जो फोरेस्ट की हदबंदी है, वहां पर एक वाल बनायी जाए।

(श्री रफीक खान)

मेरा क्षेत्र आदर्श नगर है। आदर्श नगर कांस्टीट्यूएंसी में जब हम टनल से अंदर आ जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में एक बस्ती बसी हुई है, पूरी बस्ती फोरेस्ट लैंड पर है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि पूर्व सरकार के दो बार के मंत्री रहे, इनके दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। पूरे जयपुर शहर में अगर सबसे ज्यादा फोरेस्ट लैंड में एनक्रोचमेंट था तो इसी कांस्टीट्यूएंसी में था और उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। करीब एक लाख आदमी, चाहे वह जवाहर नगर कच्ची बस्ती का मसला हो, चाहे वह आमागढ़ का मसला हो, चाहे वह नागतलाई का मसला हो। एक लाख आदमी इन कच्ची बस्तियों में रहते हैं और वे सारी फोरेस्ट लैंड हैं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि फोरेस्ट में रहने वाले लोगों को तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। उनका कोई रेजीडेंशियल टाइटल नहीं है। मेरी सदन से गुजारिश है और मैं उन एक लाख लोगों के लिए पुरजोर पैरवी करता हूं, जो फोरेस्ट लैण्ड पर बसे हुए हैं। कुछ ऐसा काम किया जाए कि फोरेस्ट की वह लैंड डी-नोटिफाई की जाए और वह स्वायत्त शासन विभाग को दी जाए। बदले में इनको दूसरी लैंड दी जाए जिससे उन एक लाख लोगों का भला हो सके और वे सरवाइवल हो सकें। उनको रहने के लिए मकान दिया जा सके, उनके बारे में सोचा जा सके। उनकी प्लानिंग की जा सके।

मेरी कांस्टीट्यूएंसी में गलता पीठ है, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में चूलगिरी का मंदिर है। ये दोनों रमणीक स्थान हैं। यहां पर गलता वैली के नाम से एक स्कीम डवलप की गयी, एक वैली डवलप की गयी और उसमें करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया। मैं सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि वहां इन्होंने कितना पैसा खर्च किया? इन्होंने पांच साल में क्या काम किया? वह क्यों नहीं डवलप हुआ? उसमें पहले से परमिशन क्यों नहीं ली गयी? गलता एक बहुत इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल है और वहां एक बहुत बड़ा काम किया जा सकता था जो पिछली सरकार वहां पर नहीं कर पायी और वहां करोड़ों रुपये खर्च किये। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 110 हैक्टेयर का पार्क, जो हमारी पूर्व सरकार थी उन्होंने सिल्वन पार्क के नाम से पार्क सैंक्शन किया। 110 हैक्टेयर का मतलब होता है, 440 बीघा। यानी सेंट्रल पार्क से भी बड़ा पार्क फारेस्ट लैंड पर है।

मैं सदन के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि उस पार्क का पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ। यहां वन मंत्री मौजूद हैं, मेरी गुजारिश है कि उसको जल्दी से जल्दी डवलप किया जाए। मैंने एक प्रपोजल बनाकर दिया है। जयपुर में बहुत-सी मैराथन दौड़ होती हैं। लोग वाक के लिये जाते हैं। लंबी

(श्री रफीक खान)

वाक के लिए जाते हैं। वहां 16 किलोमीटर का मैराथन कोर बन सकता है। मेरी गुजारिश है कि उस पार्क को जल्दी से जल्दी डवलप किया जाए। यह बहुत बड़ी असैट जयपुर में हम पूरे शहर की जनता को दे पाएंगे।

फिल्म सिटी की योजना आदर्श नगर कांस्टीट्यूएंसी के सुमेल क्षेत्र में हमारी पूर्व सरकार आदरणीय गहलोत साहब के फर्स्ट टेन्योर में लेकर आयी थी। फिर किसी न किसी कारण से वह योजना डवलप होने से रह गयी। वहां पर एक बहुत बड़ी जमीन का भाग वहां पर पड़ा हुआ है। मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है कि अगर वहां पर वह योजना फिर से डवलप की जाए तो पर्यटन क्षेत्र को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

रेवेन्यू के मामले में मैं एक बात सदन को बता देना चाहता हूं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जयपुर शहर, जयपुर तहसील के अंदर जमीनों के बारे में फर्स्ट सैटलमेंट 1956 में हुआ। संवत् 2011 में रेवेन्यू का सैटलमेंट हुआ। उसके बाद से लेकर आज तक कोई सैटलमेंट नहीं हुआ। जब हम आगरा रोड पर उतर जाते हैं, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में जामडोली का एक बहुत बड़ा एरिया आता है, फिर एक विजयपुरा पंचायत आती है, एक सुमेल आती है, एक बगराना आती है और यहां पर हजारों बीघा सरकारी जमीन है। पिछले कुछ नेताओं के राजनीतिक संरक्षण की वजह से लोगों ने वहां पर कब्जे कर लिये। प्राइवेट लोगों ने कालोनियां काट दीं। सरकारी भूमि का हनन हो गया, कब्जा हो गया और बहुत जबर्दस्त दुरुपयोग उन जमीनों का हुआ। मैं सदन के माध्यम से डिमांड करना चाहता हूं कि एक ऐसा प्लान बने जो आज की एग्जेक्ट पोजीशन को देखते हुए, जयपुर जैसे शहर में जहां जयपुर के आसपास की जमीन बहुत बेशकीमती जमीन है। बेशकीमती जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया और उनका मिसयूज चारों तरफ हुआ तो मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है कि उन जमीनों के ऊपर एक प्रोपर प्लान बनकर, पूरी प्लानिंग करके दुबारा से एक सैटलमेंट प्लान बनाया जाए ताकि उसका एक्चुअल यूज हो जो यूज 1956 के फर्स्ट सैटलमेंट था और आज जिस तरीके से वह काम आ रहा है, उस पर एक ब्राड वर्किंग करने की बहुत जबर्दस्त जरूरत है। मैं सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन संवेदनशील मुद्दे पर मुझे समय दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 8, 9, 47 क्रमश: राजस्व, वन और पर्यटन के संबंध में बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी समय-सीमा में रहते हुए संक्षिप्त में मेरी कांस्टीट्यूएंसी से संबंधित जो मामले हैं, उन पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे पहले मैं राजस्व विभाग से संबंधित बस्सी विधान सभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हर 20 साल में सैटलमेंट होता है और सैटलमेंट में नये नक्शे तैयार किये जाते हैं और लगान का निर्धारण होता है, लेकिन पिछले 20 साल से कोई सैटलमेंट नहीं हुआ और परिणामस्वरूप बहुत सारे गांवों के नक्शे ही खतम हो गये हैं। नक्शे खतम होने की वजह से काश्तकारों को बड़ी जबर्दस्त समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हम सबको विदित है कि काश्तकारों का, खेती जिनका पेशा है, वह उनकी सम्पत्ति है, राजस्व महकमा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्व अधिकारी उनके रिकार्ड्स आफ राइट्स के बारे में सारा विवरण अपने पास रखते हैं। समय-समय पर तय करते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो कानोता, टहटड़ा और बड़वा जो बहुत बड़े गांव हैं, उनके नक्शे ही नहीं हैं। काश्तकार को अगर जरूरत पड़ती है कि उसको लोन लेना है, उसको अपनी जमीन की जानकारी करनी है तो पटवारी, तहसीलदार उसको नकल प्रदान नहीं कर पाता है। जो नक्शे बनाए गए हैं, वह नक्शे भी त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि उन नक्शों को उन पटवारियों ने बनाया है जो नक्शे बनाने के लिए ट्रेंड ही नहीं है। उनको इस तरीके का प्रशिक्षण उनकी ट्रेनिंग के दौरान दिया ही नहीं जाता है। इससे गांवों में जमीन से संबंधित बहुत ज्यादा लिटिगेशन बढ़ गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो यह नक्शे बनाने का काम है, किसी ट्रेंड एजेंसी को दिया जाएं और सही नक्शे बनाए जाएं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व अदालतों में बहुत भारी संख्या में रेवेन्यू से संबंधित मामले लम्बित है। बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल से केसेज पड़े हुए हैं। उनमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। ईवन छोटे-छोटे जो मामले होते हैं, जैसे शुद्धिकरण वगैरह के, उनमें भी केसेज दर्ज कराए जाते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो छोटे मैटर्स होते हैं, जैसे शुद्धिकरण वगैरह है, उनके अधिकार है, आईएलआर नायब-तहसीलदार, तहसीलदार को दिया जाए ताकि केसेज की संख्या को रिड्यूस किया जा सके।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के बारे में बताया कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, आम रास्तों पर अतिक्रमण, श्मशान की जमीनों पर अतिक्रमण यह बहुत भारी समस्या है। इसकी वजह से काफी लिटिगेशन गांवों में हैं और इसी वजह से लड़ाई-झगड़े होते हैं, मर्डर होते हैं, गांव में आपस में तनाव रहता है। हमको इस बारे में भी कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।

पूर्व में कांग्रेस सरकार ने टीनेंसी एक्ट में धारा 251ए जोड़ा था कि उसमें डीएलसी रेट जमा करवाकर कोई भी अपना रास्ता ले सकता था लेकिन इसमें भी भारी समस्याएं आ रही हैं। इसमें समस्या यह आ रही है कि जिस काश्तकार को रास्ता लेना है, डीएलसी रेट जमा करा दी। डीएलसी रेट जमा कराने के बाद में दूसरी पार्टी जो उससे खुश नहीं है, वह आरएए में जाती है। आरएए के फैसले पर रेवेन्यू बोर्ड में जाते हैं तो इसमें कोई ऐसा समाधान निकाला जाए कि एक ही कोर्ट में उसका अंतिम निस्तारण हो जाए।

माननीय सभापति महादेय, एक बहुत बड़ी समस्या पटवारियों की है। संख्या कम होगी, कोई नहीं, अगर दो पटवार सर्कल का भी वह काम देखता है तो भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। इनकी समस्या यह है कि ये अपने हैडक्वार्टर पर नहीं रहते हैं। पंचायत की जो मीटिंग होती है, उसके अंदर ये नहीं जाते हैं। नामान्तरण समय पर नहीं भरते हैं और जो इनके उच्चाधिकारी हैं, ये उनके भी पूरे कंट्रोल में नहीं हैं। मेरा इस संबंध में आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि इन पटवारियों को अपने हैडक्वार्टर पर रुकने के लिए पाबंद करें, उनको संसाधन दिए जाएं। इनके जो पटवार भवन टूटे हुए हैं, बहुत खस्ता हालत में हैं, उनको राजीव गांधी आई.टी. सेन्टर के पास में ही बनाए जाएं ताकि वे पंचायत आदि में जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं वन विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी यहां विराजमान हैं। बस्सी, चाकसू, लालसोट, दौसा एरिया से इतनी जबरदस्त पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ काटकर दूसरे राज्य में बेचे जा रहे हैं। करीब-करीब 50 ट्रक रोज राजस्थान से बाहर लकड़ियां जाती हैं। इतने हम वन लगा रहे हैं, जितने पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ बड़े हो रहे हैं, उससे ज्यादा संख्या में पेड़ कट रहे हैं। इससे हमारा तीन प्रकार का नुकसान हो रहा है। फोरेस्ट खतम हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। इसके अलावा जो राजस्व यहां प्राप्त होना चाहिए क्योंकि वह लकड़ियां वहां काम

(श्री लक्ष्मण मीणा)

आती हैं, फर्नीचर बनाया जाता है। अगर उनको प्रोसेस करके यहां से भेजें तो जो आय होती है, उसका नुकसान हो रहा है। अभी सभी ने बताया कि पेड़ वही लगाया जाए जो वातावरण के अनुकूल हो, जहां अच्छी उनकी बढ़त हो सके। हम ऐसे पौधे लगा रहे हैं फोरेस्ट में जैसे जूलीफ्लोरा का। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जूलीफ्लोरा बहुत ही खराब पेड़ है। इससे दमे की बीमारी होती है। जहां जूलीफ्लोरा है, वहां सारे वनों को, पेड़ों को जो यहां के एन्वायर्नमेंट के अनुसार है, जैसे चाहे पीपल हो, बड़ हो, नीम हो उनको नष्ट कर देता है और जमीन में खारापन पैदा करता है, पानी खतम करता है। इस तरीके के पेड़ न लगाकर जामुन, नीम, आम, जो यहां के क्लाइमेट को और जो परम्परागत रूप से आते हैं, उन्हीं पेड़ों को लगाया जाए। फोरेस्ट की रक्षा तभी हो सकती है, उनको तभी बचाया जा सकता है, जब वहां के आस पास के गांव वालों का सहयोग लें, उनकी मदद लें, उनकी जो वाजिब बात है, वह की जाए। केवल यह नहीं हो कि वहां के गांव वालों की बात नहीं सुनें और केवल मात्र फोरेस्ट की रक्षा के नाम पर वहां के लोगों का हेरेसमेंट किया जाए। उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट पर्यटन के बारे में भी बोलना चाहूंगा। बस्सी विधान सभा क्षेत्र में यहां से करीबन 40-45 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छा जंगल का एरिया है। उसमें नई नाथ शिवजी का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। हर महीने मेला लगता है। बहुत दूरदूर से वहां यात्री आते हैं। नेशनल हाईवे जो जयपुर से आगरा जाता है, उससे मात्र तीन किलोमीटर दूर है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस एरिये को विकसित किया जाए और विकास में केवल मात्र इतना ही है कि वहां जो सड़क है, दो-तीन-चार, उनको अगर ठीक करा दें तो बाहर के टूरिस्ट भी आएंगे और वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उस एरिये का विकास भी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गिर्राज सिंह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 8, 9 व 47 पर विचार

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी काफी लोगों के सुझाव आए हैं। सभी अलग-अलग तरीके से, कोई किसी अंदाज में तो कोई किसी अंदाज में बात कर रहा है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री जी अभी हमारे चले गए थे, जो पहली सरकार में हमारी कुछ तहसील सैंक्शन हुई उप तहसील वह बिल्डिंग अभी अधूरी पड़ी है। हमारे जो सामने वाले बैठै हैं, कटारिया जी बड़ी अच्छी-अच्छी बाते करते हैं। जब उनके ऊपर कोई बात आती है, उनकी सरकार के ऊपर तो वह भूल जाते हैं कि हमने क्या किया पांच साल और अब क्या बात है? इसको वह भूल जाते हैं। मैं कटारिया जी का सम्मान करता हूं। बड़े तरीके से सुनता हूं कटारिया जी को। कटारिया जी एकदम बदल जाते हैं उस पीरियड में। हमारे सम्माननीय हैं, हमारे नेता हैं, बुजुर्ग हैं, इस बात को हम सभी सदन के लोग मानते हैं। हमारे सदन के उप नेता हैं राजेन्द्र राठौड़ जी, वह भी बढ़िया बात करते हैं। जब उनकी सरकार की कोई बात आती है तो फिर वह कुर्सी पर से जल्दी-जल्दी उठकर काम्पीटीशन ऐसे करते हैं कि पिछली बातों को भूल जाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बसई नवाब में एक उप तहसील सैंक्शन हुई थी 2012-13 में। उसको कभी कौराली ले जाने का प्रयास करते रहे, कभी उसको बसई नवाब ले जाते हैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो कार्य हो रहे थे, पहले गहलोत सरकार कार्य करके गई उन कार्यों को पांच साल तक रोका। उप तहसील का आज तक एक पत्थर नहीं लगने दिया।

(20.00 बजे)

सभापति महोदय, अब अपनी सरकार आई है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उप तहसील के काम को जल्दी चालू कराएं। क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी होती है, उनका बसई नवाब आना जाना होता है,

(श्री गिर्राज सिंह)

काफी दूरी पड़ती है, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। एक तहसील है, अगर एक उप तहसील में काम हो जाए और वह बिल्डिंग बन जाए तो अपना काम चालू हो जाएगा।

सभापति महोदय, हमारे कुछ गांव हैं जो रेवेन्यू गांव होने चाहिए। मंत्री जी, आपके ही डिपार्टमेंट का काम है। उन गांवों को आप रेवेन्यू विलेज घोषित करें, जैसे कासगंज गांव, बडीनगरिया, फतेहसिंह का अड्डा, ठाकुरदास का नंगला, चंदू का नगला, ढकरीपुरा, पाटीन का पुरा, हरनाथ का नंगला, डोडेकापुरा, गुर्जराखुर्द, नीमखेड़ा काफी ऐसे गांव हैं जो राजस्व गांव होने चाहिए। पिछली सरकार में हम लोगों ने काफी मांग रखी थी उसके बावजूद भी, मेरे कहने से या क्षेत्र की समस्या को देखते हुए, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में यह गांव रह गए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन गांवों को राजस्व किया जाए। तहसील का काम है उसमें गति दें। सभापति महोदय, बाड़ी में एसडीएम कार्यालय है, उसमें कोई बिल्डिंग नहीं है। वह ही तहसील कार्यालय, वह ही एसडीएम कार्यालय है तो इनकी बिल्डिंग भी बनाई जाए।

सभापति महोदय, हमारे पर्यटन मंत्री महाराज साहब बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा निवेदन कर रहा हूं। वह भी धौलपुर के प्रभारी मंत्री हैं। वैसे भी धौलपुर व भरतपुर एक ही था। अभी थोड़े दिन पहले ही हम अलग हुए हैं। छोटे भाई-बड़े भाई हैं, वैसे भी यह हमारे महाराज साहब हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि धौलपुर में दमोह एरिया पड़ता है वह पर्यटन के हिसाब से काफी अच्छी जगह है, बरसात के अंदर बाहर से भी काफी लोग आते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अपन कोई ऐसी व्यवस्था करें कि बरसात में झरना चलता है, पानी की व्यवस्था इस तरह से करें कि 12 महीने इसमें पानी चले। आने जाने के लिए रोड बन जाए। उसमें सीढ़ियों की जरूरत है। नीचे, ऊपर चढ़ने व उतरने में लोगों को काफी दिक्कत आती है, वहां बहुत बड़े भाटे पड़े हैं। बड़े-बूढ़े लोग हैं, वह चले जाएं तो उसमें चढ़ ही नहीं पाएंगे। नीचे तो जा सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आ सकते, वहां पर सुविधा करें, वहां पर सीढ़ियों की व्यवस्था करें।

अपना तालाबशाही है, मचकुंड है। आपसे मैं निवेदन करता हूं पहले राज में क्या हुआ कि पैसा तो मचकुंड में लगा, पिछले पांच साल बीजेपी रही है, उससे पिछला वाला राज जो बीजेपी का था, आप दिखवा लो कि मचकुंड में

(श्री गिर्राज सिंह)

कितना पैसा लगा है। हकीकत में मचकुंड में पैसा नहीं लगा। मचकुंड के नाम से टेन्डर हुए हैं। काम पर्सनल जगहों पर हुए। आप भी जानते हैं कौन क्या हो सकते हैं धौलपुर में, ठीक है न। सदन वालों को सब कुछ पता है। मैं बताऊंगा तो मुझे बोलने नहीं देंगे, हल्ला मचाने लग जाएंगे हो-हो, फिर हल्ला मचेगा। सबसे पहले राठौड़ साहब बांहों को ऊपर करते हुए चालू हो जाएंगे। अगर यह हल्ला नहीं मचाएंगे तो इनके नम्बर कम हो जाएंगे। मैं बीच में बलि का बकरा बन जाऊंगा। मैं जो बोलना चाहता हूं वह भी नहीं बोल पाऊंगा। इनके पास यही काम है, कैसे इनको नम्बर बढ़ाने हैं। इनकी भी जांच कराएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इनको नम्बर बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): नहीं, है। है साहब, अगर नम्बर नहीं बढ़ेंगे तो काम कैसे होगा। इनको नम्बर बढ़ाने पड़ेंगे। (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपके डिपार्टमेंट में कितने टेंडर हुए और कितना घोटाला हुआ है आप जरा अवलोकन करवाएं और दिखवाएं। तालाबशाही का काम है, उसमें थोड़ी सुविधा की जाए, लोगों को आने जाने के लिए सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, वन की बात है। हकीकत तो यह है कि वन विभाग के कर्मचारी हैं वह 100-200 रुपये में बिक रहे हैं। वे ही सबसे ज्यादा चोरी करवा रहे हैं। हमने रखवाली के लिए रखे हैं कि यह वन विभाग की रक्षा करें, सबसे ज्यादा चोरी वही कराते हैं। वे ही लोग ट्रैक्टर में भरवाकर, लकड़ी के ट्रैक्टर हैं, वह उनको 100-200 रुपये देते हैं और रूपये लेने के बाद ट्रैक्टर को कह देते हैं कि आप आराम से निकलकर चले जाओ। पूरे जंगल का सफ़ाया कराया है तो आपके वन विभाग वालों ने ही कराया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी मंत्री महोदय धौलपुर गए थे, वहां वन विभाग की मीटिंग ली थी, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि हमने पहले 94 हजार पौधे लगाए हैं। मैंने कहा आपने 94 हजार लगाए हैं, जाकर कहीं 94 गिना दो कि हमने यह लगाए हैं। कहीं लगाए ही नहीं है। सिर्फ काग़ज़ों में पौधे लगा देते हैं। हजार, दो हजार, पांच हजार लगा देते हैं, उनकी बढ़िया-बढ़िया फोटो कराकर अधिकारियों के यहां भिजवा देते हैं और बड़े आराम से उनका पेमेंट हो जाता है। यहां के लोग कुछ देखते नहीं हैं, यह लोग तो एसी में बैठे रहते हैं। लोकल वालों को किसी

(श्री गिर्राज सिंह)

को साथ लें या लोकल वालों को किसी को पता हो तो उनकी सारी पोल हम खोले। हम लोगों को तो क्षेत्र की मालूम है, हकीकत मालूम है कि कहां पौधा लगा है, कहां नहीं लगा है। सिर्फ काग़ज़ों में पौधे लग जाते हैं। वन मंत्री महोदय अच्छे तरीके से, अभी वह आपके सामने ही बता रहे हैं कि अबकी बार 1 लाख 3 हजार के आस पास पौधे लगाएंगे। आप यह पौधे लगाना बंद कर दो, फालतू पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दो साल जंगल में कटाई बंद कर दो, इतना जंगल हो जाएगा कि आपको पौधे लगाने की जरूरत नहीं है। जंगल में कमी कहां है, जंगल में कोई कमी नहीं है, कोई पौधा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर की सफाई मत करो, आप अपने खेत की जुताई मत करो, आप दो साल में ही देखोगे कि आपके घर में, खेत में कितना जंगल हो जाएगा। पौधे लगाने की जरूरत है ही नहीं। जिसका खेत दो साल नहीं जुतेगा उसके खेत में देखो कितने बबूल के पेड़ हो जाएंगे। यही स्थिति है, जंगल लगाने की जरूरत नहीं है, रखवाने की जरूरत है। जो मोनीटरिंग कर रहे हैं, आपके कर्मचारी लगे हुए हैं, वह लोग जंगल कटवा रहे हैं।

मैंने आपके सामने बताया था कि लोग बाउण्ड्री के नाम से पैसा उठा रहे हैं और वहां पर बाउण्ड्री हुई ही नहीं। उस अधिकारी ने क्या काम किया, जब बाउण्ड्री ही नहीं और मैंने मंत्री जी के सामने मीटिंग में बात रखी कि वहां पर बाउण्ड्री नहीं हुई और पेमेंट उठा लिया तो वही अधिकारी बाउण्ड्री कराने के लिए आगे से तैयार हुए।

मंत्री जी, मैंने आपसे कहा कि 30 तारीख को वह अधिकारी रिटायर हो रहा है। जिस रेंजर ने पेमेंट नहीं किया उसको 24 तारीख को सस्पैंड कर दिया और 26 तारीख को बिल पास करा लिए, कमीशन बनता है वह लेकर 30 तारीख को रिटायरमेंट लेकर अपने घर चला गया। मैंने आपको फरमाया। अपन अगर ऐसी ही लूट कबड्डी होने देंगे, कि बाउण्ड्री तो हो नहीं रही है और फर्जी पेमेंट उठ रहा है तो फिर इसकी रखवाली कौन करेगा, यह तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा।

मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वन विभाग के अधिकारियों ने पहले जो घोटाला किया है, आप जरा उसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद में वह दोषी अधिकारी, जो आपके सवाई माधोपुर रेंज में बैठता है, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, जो हमारे धौलपुर की जो रेंज है, जो आपने सवाई माधोपुर में लगा रखी है, सवाई माधोपुर से कोई अधिकारी मोनिटरिंग तो कर नहीं पाता है। तीन-तीन जिले हो गये, करौली अलग हो गया, सवाई माधोपुर अलग हो गया, धौलपुर अलग हो गया। मैं जानता हूं, कोटा भी इसी रेंज में है। सवाई माधोपुर में तीन-तीन, चार-चार जिले अगर एक डी.एफ.ओ. के अंडर में देंगे तो वह कैसे काम कर पाएगा। कोई भी काम पड़ता है तो हमारे लोगों के लिये सवाई माधोपुर आने-जाने की तीन सौ किलोमीटर की दूरी पड़ती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस रेंज को धौलपुर में करें। धौलपुर के लोग 2-2, 3-3 जिले पार करके, करौली में जाएं, फिर जाकर सवाई माधोपुर में जाएं। सवाई माधोपुर में आपके डी.एफ.ओ. साहब मिलें कि नहीं मिलें, फिर हम वापस लौट कर अपने घर आए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सवाई माधोपुर की बजाय इस रेंज को धौलपुर करें और धौलपुर में भी आपका जो वन क्षेत्र है, आपके जैसे सोनेकोजाय है, आपके सेवर पाली है। इस बैल्ट में काफी जंगल है। इस बैल्ट में आप काफी ध्यान दें। आपके पूरे वन में अवैध खनन हो रहा है।

सभापति महोदय, मैंने आपको पहले भी बताया कि धौलपुर जिले में जितने पत्थर का अवैध खनन हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो रोजाना के करीब चालीस-पचास ट्रक और सौ-दो सौ ट्रैक्टर रोजाना के आपके अवैध खनन हो रहा है और फोरेस्ट वाले कतई ध्यान नहीं देते हैं। आप कभी भी रोड पर खड़े हो जाओ। जितने आपको ट्रक-ट्रैक्टर, और यह भी नहीं है कि उनको कोई भय हो। वे आपके कलेक्टर और एस.पी. के चैम्बर के आगे से मेन रोड से निकलकर जाते हैं, यह भी नहीं कि वे कहीं जंगल से निकलते हों। यह नहीं कि वे अभी चालू हुए हों। ये शुरू से चले आ रहे हैं। चाहे वह राज बीजे.पी. का हो, चाहे वह कांग्रेस का राज हो। अपन लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया है।

सभापति महोदय, जितना भी क्षेत्र में खनन हो रहा है, वह वन क्षेत्र में खनन हो रहा है। माइन्स विभाग के कहीं पट्टे नहीं हैं, सिर्फ नाम के पट्टे हैं। उनकी अगर आप वन की जांच कराएं कि हमारे एरिये कौन-कौन से हैं, आप पटवारी को ले जाकर नाप कराएं, नाप कराने के अलावा, फिर आप अपने एरिये को चिह्नित करें कि यह अवैध खनन हो रहा है वह फोरेस्ट में हो रहा है कि माइन्स विभाग में हो रहा है। टोटल मैं आपको बता दूं कि 98 प्रतिशत आपके, माइन्स तो कोई रही नहीं है, कोई 40-50 साल पुराने पट्टे चले आ रहे

(श्री गिर्राज सिंह)

हैं। उनमें से पूरा पत्थर निकल चुका है। उनमें पत्थर बचा ही नहीं है। अब उन्होंने उस आड़ में, पट्टा तो कहीं का ले रखा है और खनन उसके पडौस में, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर दूर कर रहे हैं। रवन्ना मिल ही रहा है, एक नम्बर में। तब उसकी आड़ में वे काम कर रहे हैं। आप जरा इसको गम्भीरता से लें।

मंत्री महोदय, आपके राजस्व में पटवारियों की बहुत कमी है, तहसीलदारों की बहुत कमी है। आपने एक-एक पटवारी को, चार-चार, पांच-पांच चार्ज दे रखे हैं। वे पटवारी किसी की सुनते ही नहीं हैं। उनको मालूम है कि हमारी जरूरत है। ये अपने आप, हमको यहां से हटा देंगे तो कल दूसरी जगह लगा देंगे। उनको तो दो-तीन-चार-पांच अच्छे-अच्छे हलके मिल जाते हैं। वे अपने हिसाब से आराम से काम करते रहते हैं। उनकी जैसे इच्छा, करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप और कुछ करें या नहीं करें, तहसीलदार और पटवारियों की आप भर्ती करें। जिससे जो लोग परेशान हो रहे हैं, एक-एक नकल के लिये, चक्कर लगाते हैं, उनको राहत मिले। जिसके मन में आती है, वह देता है, जिसके मन में आती है वह नहीं देता है। काफी लोगों के संग यह दिक्कत है। किसान आदमी है, वह गांव का आदमी है, वह जानता ही नहीं है। पढ़ा-लिखा है ही नहीं। अब बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि कम्प्यूटर से नकल निकलेगी। अब कम्प्यूटर के पास जाएं तो वह पटवारी जाकर कह देगा कि यह तो कच्ची नकल है, जब पक्की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, माननीय।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वह पटवारी क्या कहेगा। अब वह पटवारी उससे कहेगा कि कम्प्यूटर की यह नकल मान्य नहीं है। उसे मालूम है कि कम्प्यूटर में दस रुपये में काम हो रहा है तो वह कम्प्यूटर की नकल को वह पटवारी बता देगा कि मेरी मोहर लगी होगी तब ही आपकी रजिस्ट्री होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मंत्रीजी, कि आप सबसे पहले पटवारियों की भर्ती निकालें, जो पटवारियों की समस्या है, आप इसका समाधान करें। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती इन्द्रा। समय कम है। कृपया, मेरा आग्रह है आपसे, समय बहुत ज्यादा हो गया, पांच-पांच मिनट में अपनी बात कहें। बोलिये आप।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सभापति महोदय, मैं वैसे ही कम बोलती हूं। आपको बहुतबहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मांग संख्या 8 और 9 पर मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी इलाके में आता है। 40 प्रतिशत गांव पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। सारे इलाके में, सारे पहाड़ी क्षेत्र में जो गांव हैं, उनमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अभी गांव में दौरे के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि अगर इन गांवों के अन्दर एनीकट निर्माण करवा दिया जाये तो पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

एनीकट निर्माण वन विभाग द्वारा ही सम्भव होंगे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि पहाड़ी इलाके के जो गांव हैं, उनमें प्रपोजल बनवाकर एनीकट्स का निर्माण करवाया जाये ताकि उन क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान हो सके।

ऐसे क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो एनीकट मेरे वहां बनेगा वह बामनवास ब्लाक में ककराला गांव है, उसमें अगर एनीकट बनता है तो नीचे के गांवों में, कई सारे गांव उससे प्रभावित होंगे। वे गांव आज डार्क घोषित हो चुके हैं। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और सिर्फ एक एनीकट के माध्यम से उनमें जल स्तर बढ़ सकता है।

दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो मैं अपने क्षेत्र में चाहती हूं, बौंली में गुप्तेश्वर महादेव का मन्दिर है, पहाड़ पर, उसके नीचे अगर एनीकट बन जाये तो बौंली में भी पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

एक आत्री क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है वह पूरा पहाड़ी इलाका है। उसमें कई सारे गांव हैं, अमावरा, भांवरा, सुकार, रिवाली, इन गांवों में अगर एनीकट बनते हैं तो वहां भी पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

सभापति महोदय, मांग संख्या-8 में मैं बताना चाहूंगी कि विधान सभा क्षेत्र में, जैसा कि सुबह से हम सुनते आ रहे थे, सभी लोगों ने मांग रखी है और हमारी भी पटवारियों की, गिरदावरों की, नायब तहसीलदारों की मांग है। विधान सभा क्षेत्र में आधे पटवारी भी नहीं हैं। एक-एक पटवारी को दो-दो, तीन-तीन जगह का चार्ज दे रखा है। वे अपनी मनमानी करते हैं और सही तरीके से जनता के हित में काम नहीं हो पा रहा।

(श्रीमती इन्द्रा)

नायब तहसीलदारों के पांच पद हैं, पांचों के पांचों काफी लम्बे समय से खाली हैं। हमारी सरकार आई है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद सीटें भर जाएंगी। जो खाली जगहें हैं, वह भर दी जाएंगी।

पटवारियों की संख्या इतनी कम है कि हम चाहते हैं कि ये सारे हैड-क्वार्टर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं लेकिन कभी कौन से गांव का नाम ले देते हैं, कभी कौन से गांव का ले देते हैं, लेकिन वे कहीं नहीं रहते, अपने घर पर रहते हैं। क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ इस तरह की हैं कि उनकी कमी की वजह से बहाना बनाने में आज वह सफलता हासिल कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र में जो सैटलमेंट हुआ संवत् 2063 में, उसमें इतना गड़बड़ अमीनों ने किया कि गांव के गांव की एक दूसरे से लड़ाइयां बढ़ी हैं। पूरे गांव में एक दूसरे की जमीन एक दूसरे के पास चली गयी हैं तो पूरा गांव का ऐसा माहौल कई बार हो जाता है, गांव के लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। कई सारे गांवों में लोग किसान वर्ग से हैं और यह किसान वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है कि आज किसान अपनी जमीन का शुद्धिकरण करवाने के लिए दर-दर भटकता है। कभी वह एस.डी.एम. कोर्ट जाता है, कभी तहसील में जाता है, कभी थाने में जाता है लेकिन फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। कोर्ट में उसकी समस्या चलती रहती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ऐसे जो जमीन के विवाद होते हैं। अमीन जानबूझकर ऐसा करते हैं। हो सकता है कि वह किसी कारण से इस तरीके से करते हों, उनके शुद्धिकरण के लिए वह किसान अपनी जमीन का पूरा मोल चुका देता है, जब भी वह उस जमीन को फ्री नहीं करवा पाता, जब भी उसका संशोधन नहीं हो पाता है।

माननीय सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि मुख्य मंत्रीजी इस मैटर को सीरियसली लेकर कोई कमेटी बनाएं। मैं समझती हूं, जहां तक मुझे नालेज है शायद पूरे राजस्थान में कहीं न कहीं यह समस्या हर गांव में मिल जाएगी और मेरे उधर जो मैं देखती हूं कि किसानों की इतनी बुरी हालत है, बच्चे की फीस जमा करवाना चाहते हैं लेकिन कोर्ट की फीस, वकील की फीस भी भरना उनको बहुत जरूरी होता है और थाने के माध्यम से थोड़ा-बहुत कुछ होता है। सिर्फ थाने के माध्यम से, कई सारे उदाहरण ऐसे मेरे पास हैं, कई सालों से मैं समाज सेवा के अंदर काम कर रही

(श्रीमती इन्द्रा)

हूं। मैं यह महसूस कर पा रही हूं कि उनको क्या दुख है। जिस प्रकार से वह इधर-उधर भटकते रहते हैं, पांच-पांच साल, दस-दस साल उनको शुद्धिकरण कराने में लगते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक किसान की मैं आपको बताऊं कि उसका शुद्धिकरण होने के बाद जब मैंने उसकी थोड़ी मदद की तो पता चला। उसकी मदद की तो एक बार प्रशासन जाकर उसकी जमीन को फ्री करवा आता है लेकिन आज गांवों में हम देखते हैं कि किसान के एक बार फ्री करवाने के बाद बाहुबली लोग दुबारा से उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वह बार-बार उसी तरह परेशान होते हैं क्योंकि गांवों के अंदर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दम पर कुछ नहीं कर पाते हैं। उन किसानों की पूरी लाइफ उसी में चली जाती है तो यह सबसे गम्भीर मुद्दा किसानों का है। यह बहुत बड़ी बीमारी आज गांवों में हमको देखने को मिलती है तो इसका समाधान कोई कमेटी बनाकर करवाया जाए, शुद्धिकरण करवाया जाए, यह हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जो रिक्त पद हैं उनको भी हम भरने की उम्मीद करते हैं। आपने हमें बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री कान्ति प्रसाद।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-8, 9 एवं 47 में चर्चा करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे थानागाजी में प्रतापगढ़ एक बहुत बड़ा कस्बा है और इस प्रतापगढ़ कस्बे के आस-पास तीन गिरदावर सर्कल हैं। प्रतापगढ़ है, समरा है और आगर है और इस क्षेत्र में 60 परसेंट आबादी एस.टी. और एस.सी. की है। इस सर्कल के अंदर 12 पटवार सर्कल हैं। मैं आदरणीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रतापगढ़ को उप तहसील का दर्जा दे दें तो इस क्षेत्र के लोगों का भला हो सकता है क्योंकि थानागाजी तक पहुंचते-पहुंचते चालीस, पचास और साठ किलोमीटर की दूरी पड़ती है। उन लोगों को छोटा-मोटा जो भी काम करवाना पड़ता है, वह थानागाजी पहुंचते हैं तो उन लोगों को सुविधा देने के लिए प्रतापगढ़ को उप तहसील बनाना जरूरी है, यह मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है।

(श्री कान्ति प्रसाद)

दूसरा, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में बहुत से गांव और ढाणी ऐसे हैं जो रेवेन्यू विलेज नहीं हैं। आप सरकार को या कलेक्टर को किसी को भी निर्देश दें जिससे कि वह गांव मेरे रेवेन्यू विलेज बन सकें, जिसमें बिचूनी है, कलसीकालां है, आगर के अंदर दूधीका की ढाणी है, ऐसे पांच-सात गांव हैं अगर वह रेवेन्यू विलेज बन जाएं तो उन लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी।

तीसरा, मेरे क्षेत्र के अंदर गैर खातेदार लोग चले आ रहे हैं। सैटलमेंट से पहले के हैं। वह सैटलमेंट के गैर खातेदार बिना एस.डी.एम. के यहां दावा किए बिना खातेदार हो नहीं सकते इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप उन लोगों को निर्देशित करें कि वह गैर-खातेदारों के दावे करके जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण करें ताकि उनको खातेदारी मिल सके।

चौथा, मेरा निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र थानागाजी में ऐसे गांव और ढाणियां हैं जो पहले से बसी हुई आबाद हैं। एक गांव तो नरहट गांव है जिसके अंदर एक हजार तो वोट हैं जबकि वहां पर नल की सुविधा भी है, बिजली भी लग रही है, रोड भी बन रही है पर रिकार्ड के अंदर वह आज भी वन विभाग की जमीन बोलती है इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि ऐसे गांव थानागाजी में बहुत हैं जो आज वन विभाग में बोल रहे हैं, पहले वह सिवायचक में थे, इनको वापस दुरुस्त करके आबादी में कन्वर्ट किए जाए क्योंकि उस नरहट गांव के अंदर कम से कम 300 लोग सरकारी कर्मचारी हैं। उनका यह कहना है कि अगर आबादी में हमारा गांव हो जाता है तो हम पट्टे लेकर लोन ले सकते हैं इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इन गांवों को दुरुस्त करवाएं और वापस सिवायचक या आबादी के अंदर उनको करवाएं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

पांचवां, मेरे क्षेत्र में इन गांवों में, ढाणियों में जाने के रास्ते हैं वह रिकार्ड में अमल नहीं है और रिकार्ड में अमल नहीं होने की वजह से न उनमें नरेगा से काम हो सकता है और न कोई योजना से काम हो सकता है इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन ढाणियों को और इन रास्तों को रिकार्ड में अमल किया जाए ताकि वहां के रहने वाले बाशिंदों को उसका फायदा मिल सके, यह मेरा आपसे निवेदन है।

(श्री कान्ति प्रसाद)

(20.28 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

छठा, मांग संख्या-9 के बारे में निवेदन है। माननीय मंत्रीजी, यहां पर बैठे हैं। वन मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सरिस्का को बहुत नजदीक से देख रहा हूं क्योंकि मेरा थानागाजी गांव है। आप लोग सरिस्का के लिए जो चिंता कर रहे हो इसके लिए दोषी हमारे फोरेस्ट विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं।

माननीय मंत्रीजी, एक जमाना था कि जब उस सरिस्का जंगल के अंदर पशुओं को चराने के लिए पास बनाए जाते थे। सूखी लकड़ी लाने के लिए पास बनाए जाते थे। यह व्यवस्था जब से खतम हुई है, आपका जंगल भी जब से कम होता जा रहा है और आपके जानवर भी कम होते जा रहे हैं इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप गांवों को जो विस्थापित करने की बात कर रहे हो, आप इन गांवों को विस्थापित तो कर दोगे लेकिन बाहर के लोग आकर जो शिकारी हैं, वह घुसेंगे और शिकार ज्यादा करेंगे। आप इनको विस्थापित करना चाहते हो, विस्थापित करने की बात करते हुए कई वर्ष हो गये लेकिन उनको मुआवजा बहुत कम दे रहे हो इसलिए लोग वहां से जाना नहीं चाहते। मेरी उन लोगों से यह चर्चा हुई है। अगर आप उनको विस्थापित करना चाहते हो तो एक-एक आदमी को, एक-एक राशन कार्ड पर 30-30 लाख रुपये दिये जाएं ताकि वह और कहीं जाकर बस सके और 30-30 लाख रुपये नहीं दे सकते हो तो उनको बदले में जमीन दो। जिनकी जमीनें वहां पर हैं, उस जमीन के बदले में जमीन दो और मकान का पैसा दो ताकि वह कहीं जाकर विस्थापित हो सकते हैं अन्यथा वह लोग वहीं पर रहेंगे, आप कभी भी उनको विस्थापित नहीं कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय कम है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा और पुनः राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उप तहसील उसको करवाई जाए। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मुरारी लालजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, उधर से चार हो गये, इधर से भी नाम पुकारें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आप इस आसन पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अच्छे लग रहे हो, सदैव यहीं पर विराजते रहो, आप इसी आसन को सुशोभित करते रहो। पर आपको विराजते ही अब इधर से नाम पुकारना चाहिए था।

श्री सभापति: नैक्स्ट में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-8, 9 और 47 में सम्मिलित होते हुए मैं विशेषकर मांग संख्या-8 की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

मंत्री महोदय, मेरा आपसे एक ऐसा सुझाव है, जिससे मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता भी लाभान्वित होगी और इस सदन में हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं, वह भी उससे सहमत होंगे। सभापति महोदय, अपन देखते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें ग्राम पंचायत मुख्यालय अलग, उसका क्षेत्रफल अलग, पटवार सर्कल अलग, उसका क्षेत्रफल अलग, तहसील मुख्यालय अलग, उसका क्षेत्रफल अलग, पंचायत समिति मुख्यालय अलग, उसका क्षेत्रफल अलग, एस.डी.एम. मुख्यालय अलग, उसका क्षेत्रफल अलग, यह इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हुई पड़ी हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक काम के लिये उस कोने में जाएगा, दूसरे काम के लिये दूसरे कोने में जाएगा, उसी काम के लिये फिर इस कोने में आएगा। मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय, यदि इस काम को आप पूरे प्रदेश में कर देते हैं और मैं समझता हूं कि सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं सब इस बात से सहमत होंगे। इस बात से सब सहमत होंगे कि पटवार सर्कल का क्षेत्रफल और पंचायत मुख्यालय का क्षेत्रफल एक हो, उनके मुख्यालय एक हों। पंचायत समिति मुख्यालय और तहसील मुख्यालय का क्षेत्रफल एक हो, उनके मुख्यालय एक हों। एस.डी.ओ. आफिस का क्षेत्रफल, उसका मुख्यालय, पुलिस उप-अधीक्षक का क्षेत्रफल, उसका मुख्यालय एक हो जाएं तो मैं समझता हूं कि दिन भर जो जनता इधर से उधर भटकती रहती है, उनको बहुत जबरदस्त सुविधा हो जाएगी और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई हमारा ज्यादा खर्चा आता हो। जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, हमारे चार तो थाने हैं और चार ही तहसील हैं और एस.डी.ओ. आफिस भी है, लेकिन थाना इधर, उसका क्षेत्रफल इधर, एस.डी.ओ. आफिस उधर, उसका क्षेत्रफल इधर, बात वही है, केवल व्यवस्था की बात है। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में यदि आप इसको लागू कर देते हैं, थोड़ी विल पावर से करें। हो सकता है पांच-दस

(श्री मुरारी लाल)

परसेंट कोई लोग-बाग़ विरोध करें, लेकिन आम जनता को हमेशा-हमेशा के लिये इतना फायदा हो जाएगा। उसमें उप-तहसीलों को तहसील बना दो।

अभी पंचायत समितियों का पुनर्गठन चल रहा है, उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। जितने भी तहसील मुख्यालय हैं, सब पर पंचायत समिति बना दो। सब पर ही बना दो तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता को इस चीज का बहुत जबरदस्त फायदा हो जाएगा और आम जनता भी हमेशा-हमेशा के लिये आपका एहसानमंद रहेगी और हम लोगों को भी सुविधा हो जाएगी। सब लोग चिल्ला रहे थे। पटवारियों के लिये सारे लोग बोल रहे थे, उनके लिये तो अभी आपने जैसा हम अखबारों के माध्यम से बजट में उस दिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि काफी भर्ती कर रहे हैं, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

दूसरा, मेरा एक निवेदन और है जिलों के मामले में, जिलों में भी ऐसी स्थिति हो रही है, पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। जैसे अभी थानागाजी के माननीय सदस्य बोल रहे थे, थानागाजी अलवर जिले की चार ग्राम पंचायत ऐसी हैं, जो हमारे दौसा जिले से मात्र 15 किलोमीटर दूर हैं। पहले जब सैंक्चुअरी नहीं थी, सरिस्का जब बंद नहीं था तो वह लोग सीधे अलवर चले जाते थे। जैसे ही वहां से आना-जाना बंद हुआ है, उन चार ग्राम पंचायतों को अंदर जाने के लिये गोला का बास है, जिसमें चार ग्राम पंचायतें हैं, मैं आपको उनके नाम बताऊं- गोला का बास है, सालोता है, बलदेवगढ़ है और धीरोडा है, यह बिलकुल पास है, मात्र 15-20 किलोमीटर पर है और पहले तो सरिस्का में होकर सीधे निकल जाते थे, अब इनको अलवर जाने के लिये या तो थानागाजी होकर जाओ या फिर राजगढ़ होकर जाओ। इनको सवा सौ, डेढ़ सौ किलोमीटर चलना पड़ता है और दौसा मात्र 20 किलोमीटर ही है। वहां के एम एल ए साहब भी सहमत होंगे, उनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है। हम तो अभी जब लोक सभा का चुनाव हुआ था, हम प्रचार करने गये तो सब गांव कह रहे हैं हमको कहां 125-150 किलोमीटर घूमना पड़ता है, हमें दौसा में मिला दो। महवा में भी ऐसे गांव हैं हमारे दो-तीन, जो आठ-दस किलोमीटर चारों तरफ अलवर जिले का क्षेत्र पड़ता है और गांव बीच में आकर दौसा का हो गया। जिले में भी मैं समझता हूं कि आप थोड़ा-सा परिसीमन पर यदि ध्यान दे दें तो लोगों की काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वहां के लोग चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पुनर्गठन कर दें।

(श्री मुरारी लाल)

दूसरा, एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है, मान्यवर, कई गांव ऐसे हैं, यह बात सही है कि कोर्ट के आदेश हैं, सैकड़ों साल से वह चरागाह जमीन पर बसे हुए हैं और चरागाह जमीनों में जैसे अभी यहां रघु जी बैठे हैं मंत्री महोदय, आपके चुनाव के टाइम पर मैं बिचून गया था और बिचून गांव बताओ कम से कम 200-300 साल पुराना गांव है। वह पूरा गांव चरागाह में बसा हुआ है और उस समय वोट भी आपको इसलिए दे दिये थे कि इन्होंने उन सबको नोटिस दे दिये। मैं आपका प्रचार करने उस गांव में गया तो गांव वालों ने कहा कि हमारा गांव तो 200 साल पुराना है, चरागाह में है, तोड़ने के नोटिस आ गये। हमने कहा कि हम इसका समाधान करेंगे, तुम वोट दे दो रघु जी को। मेरा निवेदन यह है, और हमारे यहां दौसा में भी दौसा खुर्द है शायद दो-तीन सौ साल पुराना है। वह आज भी चरागाह में बसा हुआ है। वहां पर कहीं जमीन नहीं है सिवाय चक की, तो इसका कोई न कोई ऐसा समाधान निकालें और यह समस्या हर जगह की है। लोग परेशान होते हैं, उनको लोन नहीं मिलता। जैसा थानागाजी से आने वाले माननीय विधायक कांति जी भी बता रहे थे। इस मामले में मैं समझता हूं कि आप कोई न कोई इसका ऐसा रास्ता निकालें।

इसके अलावा, मेरा आपसे एक निवेदन और है। वैसे तो सम्माननीय राहुल गांधीजी ने जो भूमि अधिग्रहण एक्ट लागू किया था, उसमें डी एल सी रेट काफी बढ़ा दी गयी थी। अभी हाल ही में हमारे दौसा होकर दिल्ली से बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे निकाल रही है सरकार और मंत्री महोदय, हमारे दिल्ली से लेकर बड़ौदा तक एक एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है और उसमें 86 किलोमीटर दौसा जिले से होकर गुजर रहा है। ज्यादातर क्या होता था वहां पर, अपने एक्ट में लिखा कि मार्केट रेट से कम मुआवजा नहीं देंगे। उसमें क्या हुआ कि पहले डी एल सी रेट बढ़ी नहीं, दो-ढाई लाख रुपये डी एल सी रेट है और मार्केट रेट वहां की 15 लाख से 20 लाख रुपये पर बीघा है और उसका ढाई गुना मुआवजा मिल रहा है तो 6-7 लाख रुपये उनको मुआवजा मिल रहा है, जबकि मार्केट रेट वहां पर 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच में है। मेरा आपसे निवेदन है, आप तो हमारे प्रभारी मंत्री महोदय भी हो, दौसा कलेक्टर महोदय से बात करें। मैं समझता हूं कि सम्माननीय परसादी लाल जी मंत्रीजी बैठे हैं, इनके पास में किसान आये होंगे। हमारे सब दौसा जिले के विधायकों के पास किसान आये और किसान बड़े अग्रेसिव हैं। कइयों का तो ऐसा हुआ

(श्री मुरारी लाल)

कि चार बीघा जमीन है, तो चार बीघा ही हाईवे में चली गयी। हम भी कलेक्टर महोदय से मिले थे और आप उसमें बात करेंगे तो हो सकता है कि हमारे किसान भाइयों को कुछ न कुछ फायदा हो जाये।

इसके अलावा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक सैंथल उप तहसील है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस उपतहसील को तहसील और एक कुंडल कस्बा है, उसको उप-तहसील और साथ-साथ में अभी, जैसा सभी की मांग है, एक-एक गांव की आबादी 15-15 हजार, 20-20 हजार है और उस गांव के अंदर, मूल गांव में तो 5 हजार आदमी रहते हैं, बाकी सब लोग ढाणियों में बसे हुए हैं। मैं समझता हूं कि यदि वह ढाणियां राजस्व विलेज बन जाएं तो अभी इन पंचायतों में ही हमको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता।

मेरे दो-तीन गांव ऐसे हैं, जैसे एक हमारे भांडारेज की 18 हजार आबादी है, मेरे लवाण है, उसकी भी आबादी 17-18 हजार की आबादी है। मैक्सिमम लोग ढाणियों में रहते हैं। राजस्व विलेज नहीं होने से वहां पर पंचायत मुख्यालय हम नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए अब तो खैर जो भी हुआ जो हुआ। आने वाले टाइम में आप एक पूरा जनरल आदेश निकालकर आपके ढाणियों के जो भी नोर्म्स हैं, 250 की आबादी या 300 की आबादी के, उससे अधिक की जो भी हमारी ऐसी ढाणियां हैं, उनको राजस्व विलेज बनाने का कष्ट करें। इसमें मेरे विशेषकर लवाण में नसिया है, बांदोलाव है, फाटक्या की ढाणी है, नहर की ढाणी है, रामसागर है, रोहडा है, खडका है, यह सारे गांव हैं जो राजस्व विलेज बन सकते हैं।

तीसरा मेरा निवेदन पर्यटन के मामले में है। पर्यटन मंत्री महोदय, आप जानते हो कि दौसा हाईवे पर पड़ता है और जितने भी पर्यटक अपने जयपुर से लेकर आगरा जाते हैं, वह दौसा होकर गुजरते हैं। यह जो सामने बैठे हैं इनकी मेहरबानी से वहां पर एक मिड-वे था, वह इन्होंने बंद कर दिया। दूसरा हमारे यहां आभानेरी में एक बावड़ी है, वहां पर भी फोरेन कंट्री के काफी पर्यटक आते रहते हैं। वह मिड-वे बंद करने से काफी नुकसान हो रहा है। वह तीन-चार बीघा जमीन पर बना हुआ है। वहां पर केवल एक चौकीदार है। उसकी हालत बिलकुल खराब है। मंत्री महोदय, उसको किसी भी माध्यम से, चाहे पीपीपी मोड पर, जैसा लोग बता रहे थे, या अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से और किसी न किसी तरह से उसको चालू करवाएं तो मैं समझता हूं कि हमारे पर्यटकों को सुविधा होगी और अपन भी जो रास्ते में आते-जाते हैं तो उन लोगों को भी इसका फायदा होगा।

(श्री मुरारी लाल)

जो मैंने पहले बोला था, मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा विधायक और ऐसा मंत्री नहीं होगा, जो मेरी पहली वाली बात से सहमत नहीं हो कि हमारा जो क्षेत्र है ग्राम पंचायतों का, पंचायत समितियों का, एस डी ओ आफिस का और पुलिस अधीक्षक का और थानों का, वह यदि कामन हो जाए तो इसमें मेरा पुन: आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है, मैं समझता हूं कि यदि आप इस काम को कर देंगे तो आने वाले बहुत दिनों तक लोग आपको याद करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाशजी।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आसन हमेशा से गरिमापूर्ण रहा है और आपके विराजने से एक बार पुन: इस आसन पर चार चांद लग गये हैं। हम सुबह जब 9.30 बजे घर से निकलते हैं तो पहले यही सोचते हैं कि पर्ची लगाएंगे तो अपना नंबर आ जाएगा बोलने के लिये, उसके बाद स्थगन में, उसके बाद ध्यानाकर्षण में और फिर पार्टी हमें जो मौका देती है, उसके हिसाब से सदन में अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को रखने के लिये आपने मुझे मांग संख्या 8, 9 और 47, राजस्व, वन और पर्यटन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं पार्टी और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करके मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण की राजस्व की कुछ प्रमुख मांगें आपके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं मैं उनका भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे जैतारण क्षेत्र में आनन्दपुर-कालू और रास दो सबसे बड़े रेवेन्यू विलेज हैं उनको अगर उप-तहसील में स्वीकृति प्रदान कर दें तो जो लगभग 40 किलोमीटर दूर उपखण्ड मुख्यालय जैतारण है, वहां लोगों को आने-जाने में परेशानी नहीं रहेगी। जैतारण तहसील का जो बहुत पुराना भवन है वो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसका भी पुनर्निर्माण करें और जीर्णोद्धार करें।

पूर्व में जैतारण में अतिरिक्त सहायक कलेक्टर का आफिस स्वीकृत हो रखा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैतारण उपखण्ड मुख्यालय पर वर्ष 2013 में फास्ट ट्रैक राजस्व न्यायालय की स्थापना की गई मगर आज तक अतिरिक्त सहायक कलेक्टर अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अतिरिक्त सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक अधिकारी की नियुक्ति जैतारण उपखण्ड मुख्यालय पर कराएं।

(श्री अविनाश)

जैतारण एवं रायपुर उपखण्ड मुख्यालय के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट में लम्बित समस्त राजस्व प्रकरण, अपीलें, रिविजन व समस्त न्यायिक कार्य व मुकदमों की सुनवाई जैतारण मुख्यालय पर करने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली को दस दिन का कैम्प कोर्ट जैतारण मुख्यालय पर किया जाकर समस्त मुकदमों की सुनवाई जैतारण उपखण्ड मुख्यालय पर की जाए, ऐसी व्यवस्था कराने के आदेश फर्माएं।

राजस्व के मामले में जैतारण विधान सभा की 56 ग्राम पंचायतों का बहुत लम्बा-चौड़ा एरिया लगता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रमुख समस्या है, चरागाह और श्मशान की जमीनों पर जो अतिक्रमण का मामला है, मेरे विधान सभा क्षेत्र की चरागाह की जितनी भी जमीन है और श्मशान है उनके ऊपर अगर किसी अतिक्रमी ने अतिक्रमण किया है तो उसको भी अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश फरमाएं।

जैतारण में राजस्व के मामले में नायब तहसीलदार जी का पद बहुत समय से रिक्त है। मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में रायपुर तहसीलदार जी, जिनकी कार्यशैली के बारे में काफी समय से बहुत शिकायतें आ रही हैं और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान, जो शिकायतों के आधार पर गये लेकिन आम आदमी की भावनाओं को नजर अंदाज करते हुए उनसे गाली गलौज की, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया और इसके अलावा जितने भी अतिक्रमण के मामले उनके सामने लाये जाते हैं उन पर उनका पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है।

अभी जो ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य शंकर सिंह जी रावत साहब एक मामला, प्रकरण आपकी संज्ञान में लाये थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत सबलपुरा, विधान सभा क्षेत्र सबलपुरा है उसमें अभय राज पुत्र रामपाल पदावत, अजमेरी गेट, ब्यावर का एक भूमि खातेदारी में दर्ज करने के उपरोक्त आदेश, जिसकी पालना माननीय उपखण्ड अधिकारी के द्वारा तहसीलदार जी को दी गई है लेकिन बहुत वर्षों के बाद भी आज तक उस आदेश की पालना नहीं हो पायी है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें। नियमानुसार जो वाजिब मांगें होती हैं, एस.डी.एम. साहब का आदेश अगर तहसीलदार जी नहीं मानते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है।

(श्री अविनाश)

मेरे जैतारण क्षेत्र में मगरा और मारवाड़ा दोनों मिलाकर वन क्षेत्र भी बहुत आया हुआ है। मैं माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जैतारण मुख्यालय पर अभी तक जो एक मात्र रेंज कार्यालय सेंदड़ा में है वह बहुत दूर पड़ता है और अगर जैतारण मुख्यालय पर रेंज कार्यालय खोल दिया जाएगा तो और भी आसानी रहेगी। नर्सरी पौधशाला है वो एक मात्र सेंदड़ा में स्थापित है। सेंदड़ा के अलावा भी जैतारण में अन्य जगहों पर नर्सरी स्थापित करें।

मेरे जैतारण क्षेत्र में रेलवे लाइन भी आई हुई है और इन रेलवे लाइन में बहुत से जंगली जानवर कटकर मर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सेंदड़ा रेंज के चांग व बोरवाड़ में सुरक्षा बनवाकर जंगली जानवरों की सुरक्षा की जा सकती है। जैतारण क्षेत्र में जानवरों के पीने के पानी के लिए जहां प्राकृतिक स्रोत नहीं हैं वहां पर सीमेंट की खेलियां और होद बनाकर निर्माण कर जंगली जानवरों को पीने के पानी की सुविधा दी जा सकती है।

मेरे मगरा क्षेत्र के इलाके में कालब, पचानपुरा, कोट किराणा, कलालिया के आसपास की ग्राम पंचायतों में एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाए जहां बारिश के टाइम में बहुत ही सुहावना और रमणीक स्थल यह मगरा क्षेत्र बन जाता है।

विशेष रूप से मैं माननीय वन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो वन क्षेत्र हैं वहां पर पूर्व में सड़कें बन चुकी हैं लेकिन अभी कुछ वर्षों पहले एन.एच., राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 458 जो नीमली जोधा डेगाना से लेकर जस्साखेड़ा तक स्वीकृत हुआ था उसका कार्य मेरे विधान सभा क्षेत्र के रायपुर तक तो हो चुका है लेकिन रायपुर से लेकर जस्साखेड़ा तक सड़क का निर्माण वन विभाग की एन.ओ.सी. नहीं देने के कारण रुका हुआ है इसलिए मेरा माननीय वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सड़क की एन.ओ.सी. दिलाएं ताकि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो सके।

बस्सी, आनन्दपुर-कालू से प्रतापपुरा नया गांव तक भी एक जोड़ बनता है जिसमें दस-ग्यारह किलोमीटर का रोड है, उसको भी स्वीकृत कराने, एन.ओ.सी. दिलाने की कृपा करें।

इसके साथ में, वन क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर दो मिनट का समय लूंगा। लगभग 45 वर्षों पूर्व अंग्रेजी बबूल को लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। मैं मानता हूं कि अंग्रेजी बबूल से जलाने

(श्री अविनाश)

की लकड़ी तो मिली परन्तु पर्यावरण और पेड़-पौधों को काफी नुकसान हुआ, भूमि की नमी व ऊर्जा शक्ति समाप्त हुई पेड़ों की कटाई एवं पर्यावरण जैसे-जैसे नष्ट हुआ वैसे ही वर्षा कम होने लगी, आज जंगली बबूल हिन्दुस्तान की लाखों बीघा जमीन में फैल चुका है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, हालांकि आज वे इस दुनिया में नहीं हैं, राजसमन्द के पूर्व सांसद आदरणीय हरिओम सिंह जी साहब ने अपने पिछले लोक सभा के सेशन में लोक सभा के अन्दर एक मुद्दा उठाया था कि इन अंग्रेजी बबूल को काटना नहीं, जड़ से उखाड़ने का एक मुद्दा लोक सभा के अन्दर उठाया था लेकिन वह कानून बन नहीं पाया लेकिन मैं राजस्थान विधान सभा में सरकार से मेरी ओर से मांग करता हूं कि एक ऐसा कानून पास करे, अंग्रेजी बबूल को समूल जड़ से उखाड़ने का कानून पास करें ताकि पूरे राजस्थान में अपनी उपजाऊ जमीन को जो नुकसान हो रहा है, उससे फायदा मिल सके।

अंतिम मेरी मांग है पर्यटन के क्षेत्र में। माननीय सभापति महोदय, मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र के उन प्रमुख पांच धार्मिक पर्यटन स्थल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुड़की में ब्रज शिरोमणी मीरा बाई की धर्म स्थली है। वहां अगर मीरा फोर्ट को विकसित और जीर्णोद्धार कराया जायेगा तो आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही सुन्दर तरीके से उसका निर्माण भी करवा सकते हैं।

निमाज ग्राम में ऐतिहासिक मगरमण्डी माताजी का प्राचीन मंदिर जो दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में बना हुआ है, मुगल शासकों, अफगान शासकों के आक्रमण की वजह से आज उसकी प्रत्येक मूर्ति जो मंदिर के अन्दर लगी हुई, जो मंदिर की खुदाई के अन्दर निकली है वो सारी खंडित अवस्था में है और वहां पर निमाज से दो किलोमीटर का फासला है उस मंदिर में जाने के लिए, उस दो किलोमीटर के रास्ते को अगर बना दिया जाए तो उसमें पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

मेरे ही जैतारण विधान सभा क्षेत्र में गिरी-सुमेल की ऐतिहासिक रणस्थली बनी हुई है। मैं बताना चाहूंगा, मारवाड़ा के राजा मालदेव और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच में 1544 की उस ऐतिहासिक घटना की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जैतारण के गिरी और सुमेल के बीच में जब बंगाल और मालवा को जीतने के बाद में मुगल शासक, अफगान शासक शेरशाह सूरी ने मारवाड़ा को जीतने के लिए इस ओर अपना

(श्री अविनाश)

रुख किया था तो उस समय मारवाड़ के शासक राजा मालदेव और शेरशाह सूरी की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और जब मारवाड़ की सेना को देखकर शेरशाह सूरी एक बार पीछे सरक गया था लेकिन मालदेव के सेनापति जैता और कुम्पा ने, उनकी साहस, वीरता और शौर्य को देखकर शेरशाह की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया था इसलिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि, 'बोलिया सूरी बेन सूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी, खो देतो हिन्दवाण,' यह उस शेरशाह सूरी की जबान से निकले हुए शब्द थे जिन्होंने कहा था कि मैं एक मारवाड़ की धरती को जीतने के लिए पूरे हिन्दुस्तान की सल्तनत को खो बैठता। वह धर्म नगरी है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): मेरे ही क्षेत्र में दीपावास रायपुर बांध है, बहुत बड़ा बांध है, वहां बारह महीने पानी भरा रहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उसको विकसित किया जाए, अगर बांध को बोटिंग के माध्यम से विकसित किया जाए, वहां हजारों की संख्या में देसी पर्यटक आते हैं और अगर उसमें बोटिंग का सिस्टम भी विकसित कर देंगें तो निश्चित रूप से वहां विदेशी पर्यटक भी आते-जाते रहेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): इसलिए इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहते हुए, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो सारे काम पूरे किये जा सकते हैं। जो पूर्व के माननीय सदस्यों ने कहा है कि विधायक कोटे की राशि पांच करोड़ रुपये बढ़ा दी जाए, मैं भी उसमें सम्मिलित हूं।

अंतिम दो लाइनें कहकर मेरी बात को खतम करूंगा कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वह कार्य पूरे कर सकती है क्योंकि,

'अपने ईमान की हिफाजत खुद से ही है मुकम्मल,
रूह के मुआयने के लिए किसी आईने की जरूरत नहीं होती है',

माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश जी घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत बधाई, इस सीट पर सुशोभित हो रहे हैं, वागड़ का गौरव।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 8, 9 और 47 के बारे में बताना चाहूंगा। विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में बड़े-बड़े गांव बसे हुए हैं, ढाणियां हैं।

(श्री गणेश घोघरा)

आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद भी वहां पर राजस्व गांव घोषित नहीं किए गए हैं जिससे पंचायत पुनर्गठन में अभी काफी समस्या आ रही है। एक वार्ड में कम से कम 4 सौ वोटर हैं। एक वार्ड में कम से कम डेढ़ से 2 हजार जनसंख्या टीएसपी एरिये में है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वहां पर राजस्व गांव बनाने की योजनाएं बनाएं। राजस्व गांव घोषित किए जाएं जिससे कि पंचायत पुनर्गठन में दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। इससे पंचायतें कुछ ज्यादा बढ़ सकेंगी।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पटवारियों के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे किसानों को, युवाओं को काफी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। एक-एक पटवारी को 3-3 या 4-4 पंचायतें दे रखी हैं। जब किसान उस पटवारी के पास जाता है तो पटवारी कहता है कि मैं इस पंचायत में हूं। जब उस पंचायत वाला किसान पूछता है कि आप कहां हो, तो वह कहता है कि मैं इस पंचायत में हूं। इस तरह से पटवारी लोगों को गुमराह करते हैं। समय पर किसान अपनी भूमि की खातेदारी, बंटवारे का सीमांकन नहीं करवा सकता है जिससे परेशानी होती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द पटवारियों की भर्ती की जाए, जिससे आम किसान को सुविधा मिल सके। मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जन नायक ने हमारे पटवारियों की बहुत जल्दी भर्ती करने की घोषणा की है। उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हमारे आदिवासी लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उस नाते वे पहाड़ों पर बसे हुए हैं। बिला नाम भूमि पर बसे हुए हैं। चरागाह भूमि पर बसे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि विशेष शिविर लगाया जाए और उनको उनकी खातेदारी का हक दिलाया जाए। वे वहां 3-3, 4-4 पीढ़ियों से बैठे हुए हैं। पटवारियों ने मौका पर्चा बनाया नहीं। जब सरकार ने आदेश किए कि चरागाह के लिए भूमि आरक्षित करो तो उन्होंने खाली नक़्शे में देखा, कि नक़्शे में खाली जगह कहां है, उन्होंने बिना देखे ही रिपोर्ट कर दी कि यह चरागाह भूमि है, लेकिन वहां बरसों से लोग बिला नाम भूमि पर, चरागाह भूमि पर बैठे हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि शिविर लगाकर उनको उनका हक दिलाया जाए।

(श्री गणेश घोघरा)

सभापति महोदय, पिछले 5 साल भाजपा की सरकार थी इन्होंने एक भी राजस्व शिविर नहीं लगाया। किसी को एक भी जमीन अलाट नहीं की लेकिन इससे पहले हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री, जन-जन के लाडले अशोक जी गहलोत ने 2-2 बार राजस्व शिविर लगाए थे, आदिवासियों को उनका हक दिलाया। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आभार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं उसी के साथ यह कहना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पहले पटवार घर किसी के मकान में चलते थे या खंडहर हो चुके मकानों में चलते थे। कई नक़्शे फटे-पुराने, जो कपड़े के नक़्शे हैं, वह चूहे खा गए। ऐसी स्थिति में सही सीमांकन नहीं हो पा रहा है। कई नक़्शे गुम गए हैं। पटवारियों के पास रिकार्ड नहीं है। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि एक सर्वे कराया जाए और वापस जो व्यक्ति, जो भी किसान वास्तव में जहां बैठा हुआ है, उसको उसकी जमीन का हक दिया जाए। दूसरा नया नक़्शा सर्वे करके बनाया जाए।

सभापति महोदय, कई किसानों के खेत, घर बीच में होते हैं। किसी किसान का, किसी व्यक्ति का आगे खाता होता है जमीन में, तो वह रास्ता देता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को रास्ते के लिए भी कहीं न कहीं योजना बनाई जाए जिससे कि उसको आने-जाने में तकलीफ नहीं हो।

सभापति महोदय, उसके बाद मैं मांग संख्या 9 के बारे में बताना चाहूंगा कि वर्षों से वनों में रहे वनवासी, आदिवासी जिन्होंने कई बरसों से संगठनों के माध्यम से, एक महीने तक डूंगरपुर कलेक्ट्री पर धरना दिया था। उसके बाद भी उनको आज तक वनाधिकार पट्टे नहीं मिले हैं। जैसे मेवाड़ा, भीरपुर, सरम, खोड़ियागोन, जालुकुआ, मालमाथा, गेड ऐसे कई गांव है, ऐसी कई पंचायतें हैं, जहां आज भी लोगों को 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो गई हैं, वन में बसते हैं और उनके पास 2-3 बीघा जमीन है। उनकी जमीन आज भी खातेदारी नहीं हुई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष राजस्व शिविर लगाए जाएं और उनको वनाधिकार पट्टे दिलाए जाएं।

आज सदन में वनों के बारे में चर्चा हुई। यह गम्भीर समस्या है। पहले जंगल थे तो बारिश भी आती थी। आज जंगल नहीं हैं तो बारिश भी खतम हो गई। जल नहीं है। नरेगा के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री,

(श्री गणेश घोघरा)

लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोत जी हर पंचायत में पेड़, पौधे लगाने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। आप कलेक्टर, बीडीओ को पाबंद करें, हर पंचायत में 1-1 हजार पौधे लग जाएं और बाड़ लग जाए। खाली पौधे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। हर साल पौधे लगाते हैं। करोड़ों रुपये खर्च करते हैं लेकिन वहां कोई चौकीदार नहीं है। चारदीवारी नहीं है, तारबंदी नहीं है। वह पेड़, पौधे ऐसे रह नहीं सकते हैं। उसके लिए कोई चौकीदार की भी व्यवस्था हो। उसकी रखवाली की व्यवस्था हो तो पेड़, पौधे बढ़ सकते हैं। पेड़, पौधों से हमें आक्सीजन मिलती है। इसी कमी की वजह से ही बारिश नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, लास्ट, मुझे समय भी कम दिया है। मांग संख्या 47, विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजा डूंगर बरंडा भील का एक इतिहास है। देश आजाद होने से पहले डूंगरपुर नगर की स्थापना उस डूंगरिया भील के नाम से हुई लेकिन किताबों, इतिहास में कहीं उसको छिपा दिया गया। क्यों छिपा दिया गया? उसको पर्यटन स्थल आज तक घोषित क्यों नहीं किया गया? डूंगरपुर के बीच में राजा डूंगर बरंडा भील की छत्री बरसों से बनी हुई है। वह एक पर्यटक स्थल है। आज वहां रोड नहीं है। लाइट नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां श्रद्धालु आदिवासी लोग वर्ष में 2, 3 बार भजन करते हैं। कोई त्यौहार होता है तो जाते हैं। सिरा पूजते हैं लेकिन आज तक उसको पर्यटक स्थल क्यों नहीं घोषित किया गया?

मैं आपको कहना चाहूंगा कि धनूकी माता और कालकी माता, जिन्होंने जौहर किया। वह लड़ते हुए शहीद हुई। फिर भी उनका नाम किताबों में नहीं है। चित्तौड़ की रानी पदमिनी के पहले वहां जौहर हुआ था, लेकिन आदिवासियों का इतिहास किसी किताब के पन्ने में नहीं है। आदिवासियों का पूरा इतिहास छिपा दिया गया। पूरा हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया?

प्राचीन काल में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। उस समय उन्होंने अंगूठा क्यों मांगा? अगर उस समय एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगते तो आज इतिहास में अर्जुन धनुर्धर नहीं होता। अर्जुन से आगे एकलव्य भील का नाम पूजा जाता। हम उसके वंशज हैं। आज भी हम तीर चलाते हैं तो अंगूठा पकड़कर नहीं चलाते हैं। दो उंगलियों से हम तीर चलाते हैं। आज उस एकलव्य भील का इतिहास छिपा दिया गया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि डूंगरिया भील जो पहाड़ी है

(श्री गणेश घोघरा)

उसको पर्यटन स्थल बनाया जाए। जो धनूकी माता और कालकी माता, जो राजा डूंगर बरंडा भील की रानियां थीं, वह भी पर्यटन स्थल बनाया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 8, 9 व 47 पर विचार

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या-47 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(21.00 बजे)

सभापति महोदय, प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान का सबसे ऊंचा जाखम बांध है। यहां आज से 10 साल पहले जिस प्रकार से इसका डवलपमेंट था, पास में छोटी-छोटी क्यारियों में पौधे भी लगे हुए थे। अरावली के मध्य भाग में दोनों पहाड़ों के बीच में सौन्दर्य बिखेरते हुए जो दिख रहा था। आज कई लोग वहां पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। निश्चित रूप से यह राजस्थान का बहुत ही सुन्दर स्थान है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस बांध की जो सुन्दरता दस साल पहले थी उसे पुन: स्थापित कराएं, वहां जाने की सड़क को सही व्यवस्थित कराएं और उसका जो अधूरा काम पड़ा है उसको पूरा कराएं। इस बांध की वजह से ही सारा प्रतापगढ़ पानी पी रहा है, धरियावद की जमीन में

(श्री रामलाल मीणा)

सिंचाई के लिए पानी जा रहा है। प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र और बड़ी सादड़ी की 18 पंचायतों में पानी की व्यवस्था के लिए भी यहां से प्रपोजल सैंक्शन हो चुका है लेकिन बांध की हाइट पर अभी गेट नहीं लगाए हैं इस वजह से हजारों एमसीएफटी पानी बहकर चला जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी सुन्दरता इस बांध की होनी चाहिए, आस पास के क्षेत्र में पहले थी वह पुन: कराई जाए। वहां थाना था, थाना हटा दिया गया तो पुन: वहां चौकी व्यवस्थित तरीके से चालू कराई जाए। वहां क्षेत्रीय वन विभाग का कार्यालय था उसको भी हटाकर दूसरी जगह कर दिया गया, उसको भी वापस कराया जाए और इसको पर्यटन स्थल में शामिल कराया जाए जिससे विदेशी सैलानियों के साथ पूरे देश और राजस्थान के लोगों को फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, योगेश्वर महादेव और रिसड़ी महादेव, प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के इतने बढ़िया स्थान हैं, जो दो पहाड़ों के बीच में गुफाओं में स्थित हैं। अगर बढ़िया तरीके से उनका विकास पर्यटन विभाग करता है तो निश्चित रूप से राजस्थान और देश के गिने चुने स्थानों में यह गिनती में आएगा।

माननीय सभापति महोदय, गौतमेश्वर, जिसको आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। आदिवासी समाज में यह परम्परा है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे देश से हरिद्वार में लेकर जाते हैं लेकिन हमारे आदिवासी क्षेत्र में हड्डियां विसर्जित करने के लिए गौतमेश्वर के मंदाकिनी कुण्ड में लाया जाता है। वहां एक परम्परा है कि भगवान गौतम ऋषि की तप स्थली, उसमें गौतम ऋषि ने यह कहा था कि यहां इस कुण्ड में मंदाकिनी में जो आएगा वह पवित्र होकर जाएगा। जिसने जो भी पाप किया है, उसके उस पाप का नाश यहां होगा।

उसके बाद गौतमेश्वर के नाम पर एक और बात है कि जब महमूद गजनवी भारत के हिन्दुओं के मंदिर तोड़ते-तोड़ते गौतमेश्वर आया तो सबसे पहले वार जब उसने किया तो शिव लिंग से दूध निकला, दूसरी बार वार उसने किया तो दही निकला, तीसरी बार वार किया तो भगवान शिव ने नाराज होकर, क्रोधित होकर वहां मधुमक्खियों के छत्तों से उस पर वार किया, मधुमक्खियां महमूद गजनवी की पूरी सेना पर हावी हो गईं और महमूद गजनवी को वहां से भागना पड़ा। इस गौतमेश्वर का, आज तक विभिन्न

(श्री रामलाल मीणा)

सरकारें आईं लेकिन विकास अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से देवस्थान विभाग और पर्यटन विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गौतमेश्वर, भगवान गौतम ऋषि की तप स्थली का विकास अब होना चाहिए। वहां एक और देव स्थान आता है, जहां गौतमेश्वर है उसके नीचे का जो एरिया है वह वन विभाग में पड़ता है। उसकी जमीन को बिला नाम से परिवर्तन करने की बात भी चली, उसको व्यवस्थित करके स्पेशल बजट आबंटित करके इस स्थान को सुविकसित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और वहां चल रही है कि इस मंदिर में कई किलो चांदी चढ़ावे के रूप में आई थी जो आज मठ और पुजारियों के बीच लड़ाई चल रही है। मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कहता है कि इस मंदिर की आधी चांदी थाने में पड़ी है, कोर्ट में पड़ी है, कोई कहता है कि पुजारियों के पास पड़ी है। मठ और पुजारियों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो चुकी है। बीच में एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी गया था, लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी चांदी जो इधर-उधर और गायब पड़ी है उसको भी निकाला जाए। जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है मठाधीश और पुजारियों की उसको खतम किया जाए। पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस स्थान को विकसित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर जानागढ़ माताजी हैं। जानागढ़ माताजी मगरे के ऊपर हैं और इतना बढ़िया स्थान है, आस पास के लोगों की श्रद्धा है। वहीं बगलामुखी माताजी हैं। वहां के पुजारी जुबान में त्रिशूल डालकर न्याय करते हैं। ऐसे-ऐसे दर्शनीय स्थान, जानागढ़ माताजी को दूर से देखते हैं तो लगता है कि वहां की व्यवस्था कैसे होती होगी लेकिन उस मगरे पर तालाब बना हुआ है, बारहों महीने वहां पर पानी रहता है, ऐसे चमत्कारिक माताजी और बगलामुखी माताजी को भी पर्यटन स्थल में लेकर उनका विकास किया जाए।

वहां पर एक और माताजी हैं, दिवामाताजी, जिनके दर्शन करने आदिवासी और सभी तरह के लोग वहां हमेशा आते हैं। रविवार को तो वहां मेला सा लगता है और हजारों लोग वहां पर दर्शन करने आते हैं। सड़क भी वहां पर चौड़ी नहीं है, टूटी हुई सड़क है। उसकी भी अगर पर्यटन और देवस्थान विभाग व्यवस्था करता है तो निश्चित रूप से यह स्थान भी बहुत ही बढ़िया तरीके से विकसित हो सकता है।

(श्री रामलाल मीणा)

मानननीय सभापति महोदय, प्रतापगढ़ जिले में देवगढ़ का किला है, महाराजा क्षेमकर्ण और उनके रिश्तेदार चित्तौड़ से आकर देवलिया में रुके थे और वहां से जब महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई चल रही थी उस समय वहां से सेना भेजकर युद्ध में पूरा सहयोग किया। धमोतर, खेरोड़ आदि क्षेत्रों से सेनाएं गईं, लड़ाई लड़ी और इतना बढ़िया वहां पर बीजमाता का स्थान है, जैनियों के मंदिर हैं, सभी धर्मों के मंदिर और मस्जिद हैं, तालाब हैं, बावड़ियां हैं और पुरानी छतरियां हैं लेकिन आज तक उनका विकास नहीं हो पाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें।

माननीय सभापति महोदय, वहां एक और स्थान है, सीतामाता का मंदिर। उड़न गिलहरी एरिया में दो जगह ही रहती हैं, उसमें एक स्थान है सीतामाता अभयारण्य और आयुर्वेद की जितनी जड़ी-बूटियां हैं वे सभी सीतामाता अभयारण्य के अंदर हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस अभयारण्य का भी पूरी तरह से विकास हो क्योंकि आज यहां शेर, चीते, उड़न गिलहरी, जंगली मुर्गे, ऐसे सारे जीव जन्तु वहां पर हैं और सारी जड़ी-बूटियां वहां पर विद्यमान है, लेकिन आज तक न तो आयुर्वेद विभाग का ध्यान उस तरफ गया, न पर्यटन विभाग का उस तरफ ध्यान गया, विदेशी सैलानी भी वहां पर आते हैं। वन विभाग के माननीय मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सीतामाता अभयारण्य के अंदर पाल गांव पूरा बसा हुआ है, उसके बाद में देवपुरा गांव का जामोला बसा हुआ है, ग्यासपुर का कर्माखेड़ा, अनोपुरा बसा हुआ है, और भी कई सारे गांव छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के और बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, वनाधिकार के अंतर्गत पिछली मनमोहन सिंहजी की केन्द्र सरकार ने 10 लाख पट्टे देश में दिए थे लेकिन मोदीजी ने आते ही उन 10 लाख पट्टों की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की तो खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने छोटी सादड़ी के अंदर आदिवासियों के जो सदियों से निवास कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के एक सरपंच के कहने पर उन मकानों को तोड़ दिया गया। जब मैं और माननीय मंत्री, श्री अंजना उदयलाल के भाई को साथ में लेकर वहां गया। वहां आदिवासी आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, माताएं-बहनें और बच्चे, आज तक उनकी पैरवी किसी ने नहीं

(श्री रामलाल मीणा)

की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि उन सभी लोगों को पुन: वनाधिकार पट्टे दें क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री महोदयजी ने यह देखा कि केन्द्र में सरकार चली गयी, उसके बाद भाजपा की सरकार केन्द्र और राज्य में थी। पांच साल में एक भी वनाधिकार पट्टा नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही आदिवासियों और गरीबों के हितैषी अशोक जी गहलोत पुन: राजस्थान के मुख्य मंत्री बने और बनते ही सौ दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत उन्होंने यह निर्णय लिया कि आदिवासी क्षेत्रों में जो सदियों से निवास कर रहे हैं, उन गरीबों को वनाधिकार पट्टे तुरन्त प्रभाव से वापस दिये जाएं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीता माता अभयारण्य के पाल और आस पास के सारे एरिये जहां अभी भी वनाधिकार पट्टे में अधिकारी रोड़े अटका रहे हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं, केन्द्र सरकार और भाजपा की सरकार भले ही आदिवासियों की विरोधी रही हो, लेकिन कांग्रेस जब-जब सत्ता में आयी, आदिवासियों के कल्याण के लिये कई सारी योजनाएं लेकर आयी है, जिसमें वनाधिकार का अधिनियम भी एक महत्वपूर्ण अभियान था, लेकिन मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से, वहां के विधायक और हमारे लाडले मंत्री माननीय उदयलाल जी आंजना साहब से निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन है कि जिन आदिवासियों के मकान उस समय टूटे हैं, उन्हें वापस वहीं मकान बनाकर दिये जाएं। जहां से उन्हें बेदखल किया है, वहां वनाधिकार पट्टे उन्हें दिये जाएं और उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए जिन्हें पेसा एक्ट और पांचवीं अनुसूची का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वह क्षेत्र भी टीएसपी क्षेत्र में आता है।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के कल्याण की बात करती है और जिस प्रकार से पांच साल पहले वनाधिकार के पट्टे कांग्रेस सरकार में मिले थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों को जड़मूल से नष्ट करना चाहती है, क्योंकि कई एकड़ जमीन इन्होंने फैक्ट्रियों को दे दी और उसके बाद बची हुई जमीनों पर ये कब्जा करना चाहते हैं और गरीब आदिवासियों को बेदखल करना चाहते हैं।

मैं वन मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, सीता माता अभयारण्य इतना बढ़िया स्थान है देश का, क्योंकि उसमें मां सीता ने वनवास झेला था, वहां वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है और वहां एक कुंड है, जिसमें एक तरफ से गर्म

(श्री रामलाल मीणा)

पानी निकलता है और दूसरी तरफ से ठंडा पानी निकलता है। उसी कुंड से एक नदी भी प्रवाहित होती है। उस नदी में बारिश और सर्दी में पानी कम-कम बहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, नदी उफान पर आ जाती है, यह प्रकृति की लीला है, भगवान की लीला है। ऐसे स्थान को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी और वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कैसे भी करके इसका उत्थान करें। मैं माननीय वन विभाग के मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आप कुछ भी करें, जो कुछ भी करें, लेकिन वहां बसे आदिवासी जामुवेला, भूतिया, खड़े, खलेड़, रणा, पाल, मांडकला, इन सभी को वहीं व्यवस्थित करें, उन्हें कोई खरोंच नहीं आये। आज देश आजाद हुए 76 साल हो गये, लेकिन उन आदिवासियों के पास न तो जाने के लिये सड़क है, न पीने के लिये सही तरीके से पानी की सुविधा है। आज भी लाइटों की सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो पायी है।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि उस सीता माता अभयारण्य के दो ब्लाक बनाये जाएं। उसमें दोनों तरफ जहां से अनुपुरा से सीता माता की तरफ जाते हैं, वहां से बड़ी सादड़ी की तरफ निकलते हैं। एक तरफ इधर का ब्लाक बनाया जाए, एक तरफ इधर का बनाया जाए। बीच में जो आदिवासी हैं, उन्हें वहीं सुरक्षित तरीके से रखा जाए और उनके लिये सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था करायी जाए ताकि वे भी आम लोगों की तरह जीवन यापन कर सकें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, कुछ समय और दीजिए महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने के लिये।

श्री सभापति: समाप्त करें अब।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज वहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि वहां पीएचसी की व्यवस्था भी करायी जाए क्योंकि वहां आस पास के क्षेत्र में इसकी सुविधा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया जाए और जो स्थान मैंने बताये हैं, निश्चित रूप से देश के मानचित्र में अगर आपकी मन:स्थिति पूरी तरह से सही है तो अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल जी।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 8, 9 और 47 पर आज सदन में चर्चा करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जी सामने विराजमान हैं, उस राजस्व विभाग महकमे की कला आप भी जानते हैं। पटवारी क्या करता है, आर.आई. क्या करता है, तहसीलदार की क्या कला है और एसडीओ कैसे नचा रहा है, यह पूरे राजस्थान का सदन जानता है। आज की तारीख में अगर राजस्थान की जनता परेशान है, गांवों की जनता अगर परेशान है तो वह पटवारी से है। महीना भर, दो महीना, छह महीना, साल भर तक चक्कर कटाने के बाद नकल नहीं देते हैं जमीन की, ये सब जानते हैं। स्वयं हमारे मंत्रीजी भी जानते हैं, वे भी भयंकर दु:खी हैं, वे धरती पुत्र हैं, जमीन के गुण सब जानते हैं। पालिये जानते हैं। जमीन ऊबड़-खाबड़ है, उसे सीधा करना भी आप जानते हैं।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं, मेवाड़ से आते हैं, आप मैदानी क्षेत्र से आते हैं, रेतीले क्षेत्र से आते हैं, हम पहाड़ों को लांघते हुए आते हैं, हमारे सभापति महोदय भी वहीं से आते हैं, नदियां बहुत हैं, लेकिन पहाड़ बहुत ज्यादा हैं। परिवहन मंत्री जी को भी मालूम होगा, मुझे इस सदन में अगर सबसे अच्छे मंत्री कोई लगते हैं तो वह हैं परिवहन मंत्री जी। सभापति जी, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उदयपुर के कोने में बुहाना एक ग्राम पंचायत है जहां 12 हजार मतदाता हैं और 25 हजार से ज्यादा जनसंख्या, राजस्व ग्राम एक ही है, आप सारे इस सदन में विराजमान मंत्री, संतरी, एमएलए, विधायक सब हैं, इन सभी की पीड़ा आज यही है कि राजस्व ग्राम नहीं हुए। आप एक विशेष अभियान चलाकर पूरे राजस्थान को राजस्व ग्राम घोषित कराने का प्रण कर लें आज सदन में।

दूसरा, निठारा जो एक बहुत बड़ी ट्राइबल पाल है, जिसमें पांच-सात पंचायतें बनायी जाएं तो भी बन सकती है, लेकिन राजस्व ग्राम नहीं होने की वजह से नहीं बन सकती हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। गामडापाल, निठारापाल है, बलुआपाल है। हमारे यहां ढाणियां कहते हैं, माननीय पर्यटन मंत्री जी महोदय, लेकिन हमारे वहां पाले कहते हैं, उन पालों को राजस्व ग्राम घोषित करना बहुत जरूरी है।

सबसे बड़ी समस्या पटवारियों की है। पटवारी गांव से शहर की ओर भागता है। आज तक जितने भी विधान सभा क्षेत्र हुए हैं, उनमें 25 परसेंट से ज्यादा पटवारी नहीं है। जो भी पटवारी आया वह शहर की तरफ जयपुर

(श्री अमृतलाल मीणा)

आएगा, सवाईमाधोपुर जाएगा, उदयपुर जाएगा, डूंगरपुर जाएगा, बांसवाड़ा जाएगा।

(21.19 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

इन पटवारियों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी आये हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आज मैं बिलकुल रंग में हूं। मैं कवि भी हूं और कलर भी काला है, लेकिन हमारे राजस्व मंत्री से मेरा निवेदन है पटवारी जो शहर से गांव की ओर भागते हैं, उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। सत्य बात कह रहा हूं इस राजस्थान के सबसे बड़े हाउस में, सारे पटवार मण्डल खाली हैं और एक पटवारी को 5-5, 7-7 पटवार मण्डल दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया प्लीज। अब वाइंड-अप करें। हो गया प्लीज। मंत्री जी, तैयारी करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): पत्थरगढ़ी का तहसील, एसडीएम में जो मुकदमे चल रहे हैं उनको भी आप करें।

अब आया विषय वनों के राजा वन मंत्री जी का। आप जहां से आते हैं वहां तो वन हैं भी नहीं। सांचौर से आते हैं वहां वन क्षेत्र नहीं है, भीनमाल में जरूर हैं। हमारे एरिया में वन हैं। फुलवारी की नाल, वन्य जीव अभयारण्य, जयसमन्द, सीतामाता का एरिया, वहां डलवपमेंट करने की जरूरत है। मेरे 30 पंचायतें ऐसी हैं जो वन क्षेत्र में निवास करती हैं और आज तक पट्टा नहीं मिला है इसलिए उसको कानूनी तौर पर करके अवश्य हल करें, यही मेरा निवेदन है। नहीं तो परिवहन मंत्री जी को वन दे दो और वन मंत्री जी को यह दे दो, यह हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): इसके अलावा जितने भी वन्य जीव हैं, प्रतिदिन घटना घटती है, कभी बालक को ले जा रहे हैं, कभी बकरी को उठा रहे हैं, कहीं ग्वाले को ले जाते हैं वहां शेर, चीते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वहीं से आ रहे हैं, वनों के बारे में आप भी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब हो गया। प्लीज। हो गया, धन्यवाद। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सर, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, धन्यवाद। इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 8, 9 व 47 पर चर्चा हो रही है। इन मांगों पर आपने मुझे चर्चा में शामिल होने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पावटा जो नई तहसील 2018 के बजट में क्रिएट हुई, पिछली सरकार की उदासीनता के कारण वह तहसील क्रिएट नहीं हो पाई। न तो वहां पर तहसीलदार लग पाया और न उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन जारी हो पाई। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्व मंत्री जी को कि उन्होंने राजस्थान में सबसे पहले नई तहसील को अगर क्रिएट किया तो हमारी पावटा तहसील को किया। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से मांग करता हूं कि तहसीलदार का पद वहां शीघ्र भरा जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिले।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में दो तहसील आती हैं, पावटा और विराटनगर। हमारे वहां विराटनगर में सबसे ज्यादा पटवारियों की पोस्ट वेकेंट हैं इसलिए मैं राजस्व मंत्री जी से डिमाण्ड करूंगा कि वो इन पटवारियों की पोस्ट को जल्दी से जल्दी भरने की कृपा करें ताकि लोगों को सहूलियत मिले।

अध्यक्ष महोदय, राजस्व के मामले में गांवों में सबसे ज्यादा समस्या यह है कि मेरे विराटनगर क्षेत्र में जंगल का क्षेत्र ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा भूमि वन क्षेत्र है और काफी पुराने गांव हैं जो उस क्षेत्र में बसे हुए हैं। अतिक्रमण के नाम पर हर साल उनको परेशान किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। मैं राजस्व मत्री जी से मांग करता हूं कि जो पुराने गांव बसे हुए हैं 100-100, 200-200 सालों से जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों को राजस्व रिकार्ड में आबादी में कन्वर्ट करके उन गांवों को राहत दिलाने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र में है, काफी सालों से मन्दिर माफी के नाम पर काश्तकारों की जमीन रिकार्ड में दर्ज है। काफी जगह ऐसी स्थिति है कि जहां रिकार्ड में मन्दिर माफी के नाम है और उस मन्दिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस काश्तकार को न तो उसमें बिजली का कनेक्शन मिल पाता है, न वह अपना कोई काम कर पाता है, न उसमें लोन ले पाता है, न उसमें मकान बना सकता है, न उसमें पट्टा जारी करवा सकता है। मैं राजस्व मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस समस्या पर ध्यान दें क्योंकि हर काश्तकार की यह समस्या है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो 2-3 मिनट ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन मंत्री जी से भी एक मांग करता हूं कि आपके पड़ोसी क्षेत्र के हम रहने वाले हैं। विराटनगर महाभारतकालीन सभ्यता का क्षेत्र है और पर्यटन की बहुत ज्यादा सम्भावनाएं विराटनगर में हैं। हमारे प्रसिद्ध गणेश जी का मन्दिर विराटनगर में है, बीजक पहाड़ी है, बौद्ध स्तूप हैं, मुगल गेट है, भीम गट्टे हैं और विश्व की 52वीं शक्तिपीठ हमारे विराटनगर में है। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मांग करता हूं कि पर्यटन के नक्शे पर विराटनगर को लाने का काम करें क्योंकि दिल्ली से जयपुर के बीच में अच्छी जगह है। सरिस्का के बिलकुल 10-15 किलोमीटर का नजदीकी क्षेत्र है इसलिए आप अगर इसको विकसित करने का काम करेंगे तो पर्यटन के मामले में विराटनगर में रोजगार की सम्भावना बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 8, 9 और 47 राजस्व, वन और पर्यटन पर चर्चा हो रही है। आज दिन भर माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्यों में कहा लेकिन मुझे ध्यान है कि मेरी सारी बातों को रखने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए मैं मेरे क्षेत्र की ही बात करने जाऊं और जो विधान सभा क्षेत्र की जो जेनुअन समस्याएं हैं वो आज सदन में रखना चाहूंगा।

विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पूरा रेवदर पंचायत समिति क्षेत्र तरमीम में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा कि आप इनका पूरा सैटलमेंट करवाकर तरमीम कराएं ताकि किसानों की इस समस्या का समाधान हो।

इसी तरह से एक मेरा सुझाव यह है कि सरकार की ओर से गौशालाएं खोली जा रही हैं लेकिन जहां गांवों के अन्दर भामाशाहों द्वारा, गांव के समाज सेवियों द्वारा गौशाला खोली जाती है उसके अन्दर अनुदान देकर जो गौशाला खोलते हैं उनको सरकार की ओर से स्थायी की जाए नहीं तो समय-समय पर विभाग के अधिकारी लोग इनको बेदखल कर देते हैं इसलिए स्थायीकरण हो जाए ताकि गौ माता की रक्षा की जा सके।

इसी तरह से हमारे विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों वाली जो बात आ

(श्री जगसी राम)

रही है तो मैं समझता हूं कि आज पूरे राजस्थान में पटवारियों की समस्या है और 4-4 पटवार सर्कल आ रहे हैं इसलिए सरकार की ओर से पटवारियों की भर्ती की जाए ताकि इसका समाधान हो जाए। हम पटवारियों की किरकिरी करेंगे लेकिन उसका औचित्य कुछ नहीं निकलना और उसका समाधान तभी होगा जब सरकार कोई कदम आगे उठायेगी।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करने जाऊं कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजस्व कार्यालय, एसडीएम कार्यालय में लम्बे समय से काफी फाइलों का निस्तारण आज तक नहीं हो रहा है। मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा कि वहां तहसीलदार का पद लम्बे समय से रिक्त है इसलिए वो भरा जाए ताकि वहां की समस्या का समाधान हो सके।

इसी तरह से मैं मेरी बात को कहते हुए वन क्षेत्र की कहना चाहूंगा कि वन्य जीवों के लिए जिस प्रकार से माउंट आबू पूरा पहाड़ है और पूरी दुनिया जानती है, वहां पर वन्य जीवों के पेयजल की व्यवस्था करवाई जाए क्योंकि वे गांवों में आ जाते हैं। सर, दो मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा। साथ ही यह भी मैं कहना चाहूंगा कि गर्मियों के अन्दर वहां पर जंगल में आग लग जाती है इसलिए उसके लिए भी सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन में कहना चाहूंगा कि आज माउंट आबू को देश और दुनिया, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। माउंट आबू में जो पर्यटक आते हैं उनके लिए मैं चाहूंगा कि व्यवस्था हो। नक्की झील को हम अच्छी तरह से जानते हैं और सरकार की ओर से अभी जो बजट जारी किया है उसके अन्दर उसका कुछ प्रावधान नहीं दिया है। सनसैट पाइंट के लिए मैं पर्यटन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां पर टूरिस्ट जो जाते हैं उनके लिए 55 रुपये टोल वसूला जाता है प्रत्येक टूरिस्ट से इसलिए उनके लिए छूट दी जाए....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जगसी राम (रेवदर): ताकि आने वाले समय में माउंट आबू का अच्छी तरह से विकास हो। पिछली बार 2017 के अन्दर माउंट आबू में जब 15-20 दिन अतिवृष्टि हुई तो सारी सड़कें प्रभावित हुई थीं। मैं चाहता हूं कि अनादरा के पास में भैंरू तारक धाम है वहां से वन विभाग की छूट दे दी जाए,

(श्री जगसी राम)

वहां पहले से सर्वे किया हुआ है, वो सड़क बन जाए तो, पावापुरी है, जीरावला जैन तीर्थ है, उससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज। प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अमर सिंह।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 47 पर्यटन व मांग संख्या 8 पर बोलने की अनुमति दी, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने वर्तमान बजट में हर वर्ग को संतुष्ट रखने का प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम यहां पर्यटन चर्चा के लिए खड़े हैं, राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से देश ही नहीं, विदेश में भी अपनी पहचान रखता है। राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बयाना पर्यटन की दृष्टि से प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व रखता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास कस्बे से प्रमुख पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां पर पर्यटकों के आने की अपार संभावनाएं हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जल्दी बोलें। प्लीज खतम करें।

श्री अमर सिंह (बयाना): रूपवास से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर भी प्रमुख पर्यटन स्थल खानवा है, जो इतिहास में अपनी अलग पहचान रखता है। यहां पर महाराणा सांगा का स्मारक भी है। रूपवास कस्बे में स्थित शाही तालाब अपने सौन्दर्य की अलग ही पहचान रखता है। मैं सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूं इस तालाब की सौन्दर्यता को पर्यटन के उद्देश्य से यहां पर बोटिंग व फव्वारा लगाने हेतु घोषणा करें। साथ ही मैं यहां पर स्थित दाऊजी मंदिर, जो इस क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन स्थल है, यहां पर आधारभूत सुविधाओं की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया समाप्त करें, प्लीज हो गया। धन्यवाद माननीय सदस्य।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय, बयाना में पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए अकबर का मकबरा, जहांगीर गेट, को कालेखां, हिमालय कुण्ड पुरातत्व की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जहां आने वाले पर्यटकों के लिए सीढ़ियां बनवाये जाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सब बातें माननीय मंत्रीजी को लिखकर दे देना। ठीक, धन्यवाद बैठो आप।

श्री अमर सिंह (बयाना): सर, एक मिनट, उप तहसील को तहसील बनाया जाए रूदावल को। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। माननीय राजस्व मंत्री जी, उनकी बात पर ध्यान दें। माननीय मंत्री जी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मांग संख्या 8 राजस्व के अंदर इन्होंने अपनी बात रखी। सदन के अंदर मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी प्रस्तावों का जवाब मैं जल्दी से जल्दी सदस्यों को भिजवा दूंगा।

(21.33 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

181 कटौती के प्रस्ताव आए हैं। सभापति महोदय, समय बहुत हो गया है। इस सदन के अंदर सम्मानित सदस्यों ने ज्ञान की बात की, अनुभव की बात की, वेदों की बात की, उपनिषदों की बात की, इतिहास की बात की, राजाओं की बात की, उद्योगपतियों की बात की। मेरा तो यही निवेदन है सदन से कि इन सब बातों के बीच में, आज जो देश के अंदर और राजस्थान के अंदर किसानों की स्थिति है सामूहिक तौर पर उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी समस्याओं का क्या हल हो सकता है, यह दायित्व हम सब लोगों का है।

मैं आज व्यक्तिगत तौर पर यहां खड़ा हूं तो एकमात्र फैसला राजस्थान की विधान सभा ने किया, वह फैसला टीनेंसी एक्ट था। सभापति महोदय, सिर्फ टीनेंसी एक्ट के माध्यम से राजस्थान के लाखों मजदूर परिवार थे, उन मजदूर परिवार को खातेदारी का अधिकार मिला और आज हम लोग अपने आपको गर्व से किसान कह सकते हैं। ये इस सदन की देन है, उसके

(श्री हरीश चौधरी)

पीछे किन-किन लोगों का योगदान था, किन-किन लोगों का बलिदान था। सम्मानित सदस्यों ने डाबडा काण्ड की चर्चाएं यहां कीं। ऐसे कई काण्ड राजस्थान की इस धरती पर हुए, पर आखिर के अंदर मजदूरों को न्याय भी इस विधान सभा से मिला। यह अलग बात है कि उस समय कोई कल्पना ही नहीं करता था। इतिहास में कहीं उल्लेख भी नहीं था, एकमात्र उल्लेख संत राजाराम जी की वाणी में था कि एक समय ऐसा आएगा, जब इस धरती के ऊपर मजदूरी करने वालों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। उसके अलावा इतिहास में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था। राजस्थान की इस पवित्र विधान सभा ने वह हक और अधिकार देकर उस मजदूर को किसान बनाया। वह अलग बात है कि राजस्थान की इस पवित्र विधान सभा के अंदर कई सम्माननीय सदस्यों ने उससे असहमति जताई, पर बहुमत और लोकतंत्र की देन है कि आज उस टिनेंसी एक्ट के माध्यम से हम लोगों का सफर शुरू हुआ।

डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर कम्प्यूटराइजेशन सुनने को तो बहुत मिलता था, किसान इंतजार कर रहा था कि कब डिजिटल इंडिया, कम्प्यूटराइजेशन, उसके घर तक आएगा, कब उसको राहत मिलेगी, कब उसको सहूलियत मिलेगी। केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2008 के अंदर योजना बनाई और राजस्थान का किसान इंतजार कर रहा था, राजस्व महकमे के माध्यम से, सभापति महोदय जो कम्प्यूटराइजेशन लैण्ड रिकार्ड का होकर आनलाइन की व्यवस्था हुई, उससे राजस्थान के किसानों को कुछ न कुछ राहत मिली।

सभापति महोदय, राजस्थान के किसान मेहनती बहुत हैं, पर ये बातों के, शब्दों के, भावनाओं के और वातावरण से राजस्थान के जो किसान हैं, उनको कई हक और अधिकार मिलने चाहिए थे। हमारी कानून प्रक्रिया के अंदर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ, वह शब्दों का खेल, राजस्थान के आम किसानों को, कई लोगों को उनका अर्थ भी नहीं पता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो आनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई उसके अंदर राजस्थान के किसान जब पढ़ते हैं कि अपव्ययित खाते, कई किसानों को पता नहीं है कि अपव्ययित खाते होते क्या हैं। सरल भाषा के अंदर उनको कोई समझाए कि जमाबंदी में विरासत, विभाजन, रजिस्ट्री आदि के चलते सहखाताधारकों के हिस्से बदलते रहते हैं।

(श्री हरीश चौधरी)

हिस्से खोलने की त्रुटिवश समस्त हिस्सों का योगपूर्ण न होना, वापस से जैसे योगपूर्ण करने की प्रक्रिया को अपव्ययित खाते कहते हैं।

हम किसानों को नामांतरण के अंदर, अमलदरामद ऐसी क्लिष्ट भाषा शायद इस सदन के अंदर भी कई ऐसे सदस्य बैठे हैं कि उनको इसका अर्थ नहीं पता। आपको पता है, आप ज्ञानी हो, अनुभवी हो, मेरे जैसे जो नये सदस्य हैं, उन लोगों को नहीं पता है। मैं सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करता हूं कि मुझे तो नहीं पता था। आप जैसे किसान, जागरूक किसान राजस्थान के अंदर बहुत कम हैं। मैं आम किसान की बात कर रहा हूं और यह सच्चाई आपको भी पता है, सिर्फ बोलने के लिए आप बोल रहे हो, यह आपको भी पता है। हम लोगों को यहां ज्ञान, अनुभव, किसानों को देने की आवश्यकता नहीं है। उनको हक अधिकार जो उन किसानों के लिए, जो आत्मा से, मन से बात, मेवाड़ से आने वाले हमारे सम्माननीय सदस्य ने कही है, वह उनकी पीड़ा है। आनलाइन प्रक्रिया से, सदन के प्रतिपक्ष के नेता ने कल कई बातें कहीं। कल उन्होंने ये भी हम लोगों को बताया कि कुछ नीचे भी अपने पैरों की तरफ देखो।

मैं यह नहीं बोलना चाहता हूं इस बजट के माध्यम से आज के हमारे प्रधान मंत्रीजी जिस समय मुख्य मंत्रीजी थे गुजरात के, उस समय वे क्या भाषा और क्या सोच इस देश के अंदर जाहिर करते थे। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं कि उस समय वे यह बात करते थे जो ये संसाधन है उसका हक सरकारों का नहीं है, उसका हक नागरिकों का है। जब मैंने नीचे देखा अपने पैरों की ओर तो ये पुरानी बातें कि, ये हक, संसाधन किसका है। आज हम सरकार में बैठे हैं, ये पैसा हमारा नहीं है, हमारे पास सिर्फ यह अधिकार है कि उस पैसे को किस प्राथमिकता से खर्च करें। मैं सम्माननीय सदस्यों को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बजट होते किनके लिये हैं, बजट नागरिकों के लिए होते हैं। हमारी जनता के लिए होते हैं। यह केन्द्र सरकार का भी फर्ज बनता है, राज्य सरकार का भी फर्ज बनता है कि हमारे नागरिकों को हम ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे पहुंचा सकें। हम लोग इसका श्रेय लेने के लिए, हम लोग टेबलें थपथपाने के लिए नहीं, जो समाज में जरूरतमंद लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं उनको प्राथमिकता से कैसे हम लोग उन तक सहूलियत पहुंचा सकते हैं यह हमारा कर्तव्य है। दोषारोपण करना बहुत आसान है। आज इस सदन में जो कुछ भी राजस्व विभाग के लिये बोला गया है मैं

(श्री हरीश चौधरी)

सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करता हूं कि जो कुछ भी गलत हुआ है सही हुआ है राजस्व विभाग की तरफ से उसकी जिम्मेदारी राजस्व विभाग के मंत्री के तौर पर मेरी है। पटवारियों के लिए क्या-क्या बातें नहीं की गई।

माननीय सभापति महोदय, उन्हीं पटवारियों ने बहुत अच्छा काम भी किया होगा। उन्हीं पटवारियों ने सैटलमेंट के वक्त क्या स्थितियां हुआ करती थीं। आज जब वापस यह स्थिति हुई, आनलाइन की बात कर रहा हूं। मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं। मैं यह श्रेय लेने के लिए आंकड़ा नहीं बताना चाह रहा हूं पर जो आंकड़े की बातें हैं इस सदन के अन्दर वो आंकड़े वापस मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं। नक्शों में जो लम्बित तरमीमों का निस्तारण था 14 लाख 49 हजार 914 पिछली सरकार, पिछली सरकार भी हमारी थी और यह सरकार भी राजस्थान की सभी जनता की है, 1 लाख 78 हजार 332 निस्तारण हुए इन 6 महीनों के अन्दर जिसमें 90 दिन हम लोगों की आचार संहिता की बाधा थी। उसके बावजूद इन्हीं पटवारियों ने, इन्हीं राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने जो कार्य किया उससे 9 लाख 21 हजार 752 लम्बित तरमीमें कीं। ये तरमीमें क्या हैं, इस तरमीम के नहीं होने से आम किसानों को कितनी तकलीफें होती हैं कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना जूझना पड़ता है वह तरमीम नहीं होने वाले किसान को उसकी पीड़ा पता है। बातों के अन्दर वह तरमीम बहुत छोटा शब्द है पर तरमीम नहीं होने के कारण कितना विवाद होता है वह हम लोगों से किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज सिर्फ शेष जो लम्बित प्रकरण हैं वो 3 लाख 49 हजार 830 लम्बित नामांतरकरणों का अमल-दरामद 3 लाख 87 हजार 756 थे। पिछली सम्मानित सरकार के अन्दर 1 लाख 33 हजार 434 हुये थे। इस वक्त 6 महीनों के अन्दर 2 लाख 5 हजार 338 अमल दरामद हुए। अब सिर्फ शेष 49 हजार 94 रहे हैं। खातों का निस्तारण जो कुल बकाया था 1 लाख 31 हजार 977 थे। पिछली सम्मानित सरकार के वक्त 87 हजार 597 थे, वर्तमान में 38 हजार 373 हुए। अब सिर्फ लम्बित जो प्रकरण बचे हुए हैं वो 8 हजार 27 हैं।

सभापति महोदय, आनलाइन जो हम लोगों को प्रतिलिपि मिलती थी, हमें पीड़ा पता है कि सत्यापित प्रतिलिपि लेने के लिए एक आम किसान को कितने जतन करने पड़ते थे। कितना मानव श्रम, मानव संसाधन उसके लिए लगता था। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक जो नियम था उसके अन्दर संशोधन किया और कानूनन तौर के ऊपर जो

(श्री हरीश चौधरी)

ई-साइन हैं, ई-साइन जो इस कम्प्यूटर के माध्यम से डिजिटल साइन हैं उसको ई-साइन कहते हैं। उस नियम के अन्दर संशोधन किया है और आज कोई भी बोले चाहे कोई पटवारी बोले, चाहे कोई अफसर बोले, कानूनन तौर पर ई-साइन से जो सत्यापित प्रति मिल रही है वह कानूनन तौर पर राजस्व महकमे में और न्यायालय के अन्दर पूरी की पूरी तरह से वैधता रखती है, 31 मार्च तक ये तमाम जो तहसीलें हैं जो आनलाइन हो चुकी हैं उनके अन्दर कोई भी व्यक्ति देश और दुनिया के अन्दर आनलाइन खाते की प्रति ले सकता है। यह व्यवस्था, यह फैसला इस सरकार ने किया है जिसकी शुरूआत भी हो चुकी है। आनलाइन गिरदावरी जो गिरदावरी के लिए प्रक्रिया हुआ करती थी, गिरदावरी की मार्फत से जो फैसले हुआ करते थे वो आनलाइन गिरदावरी की भी शुरूआत, सभापति महोदय, यह सरकार कर चुकी है। म्युटेशन की बात की तो म्युटेशन के लिए हम लोगों को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था वह म्युटेशन कराने वाले किसान को पता है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन को और राजस्थान के तमाम किसानों को बताना चाहता हूं कि आनलाइन म्युटेशन की भी व्यवस्था शुरू हो चुकी है राजस्थान के अन्दर। जयपुर जिले की चौमूं तहसील से यह आटोमैटिक आनलाइन म्युटेशन की व्यवस्था हो गयी है और आने वाले सितम्बर, 2019 के अन्दर जो आनलाइन तहसीलें हैं उन तमाम आनलाइन तहसीलों से हम लोग म्युटेशन कराने की व्यवस्था भी कर देंगे। बैंक रहन के लिए किसान किस पीड़ा से गुजरता था, किस प्रक्रिया से गुजरता था, वह सदन के अन्दर बैठे हुए सब किसानों को अच्छी तरह से पता है। बैंक के अन्दर रहन के लिए किसान को अपनी कृषि भूमि पर ऋण हेतु तहसील कार्यालय, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, पटवारी, गिरदावरी से रहन दर्ज कराने के लिए आवश्यक औपचारिकता के लिए कितना समय लगता था यह रहन रखने वाले तमाम सदस्यों को अच्छी तरह से पता है। दो से तीन महीने सिर्फ उस प्रक्रिया से गुजरने में हम लोगों को समय लगता था। यह फैसला राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 26 जून, 2019 से झुंझुनूं जिले से शुरू किया जिससे आनलाइन यह पूरी की पूरी व्यवस्था हो गयी। अब किसान को तहसील के अन्दर भटकना नहीं पड़ेगा। सब रजिस्ट्रार के पास भटकना नहीं पड़ेगा। उसकी जो ये बैंक में रहन करने की व्यवस्था है वह अपने-आप ही होगी। मैं यह मेजें थपथपाने और वाहवाही लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं खुद

(श्री हरीश चौधरी)

किसान हूं और उस किसान की पीड़ा जानता हूं। मेरे हिसाब से आप सभी उसकी पीड़ा जानते होंगे। कई लोगों ने यह बात की कि क्या हुआ, क्या होना बाकी है। बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ होना बाकी है। वह बाकी जो बहुत कुछ होने के लिए है वह इस सदन का दायित्व बनता है सामूहिक तौर पर बहुत कुछ बाकी जो बचा हुआ है उसको कैसे हासिल करें।

माननीय सभापति महोदय, माडर्न रिकार्ड रूम की भी व्यवस्था राजस्थान में तमाम तहसीलों में हुई है। जो सैटलमेंट की व्यवस्था हुई थी उस व्यवस्था से हम लोगों को जो टीनेन्सी एक्ट के माध्यम से खातेदारी का अधिकार मिला उस सैटलमेंट के माध्यम से आम किसान को जो राहत मिली, आम किसान को जो अधिकार मिला है वो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं पर उस सैटलमेंट में जो प्रक्रिया अपनायी गयी थी और आज की जो स्थितियां हैं उनमें बहुत अन्तर है। जो जमाबंदी है, नक्शा है और मौके पर जो अन्तर है वो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इन तीनों के अन्तर के कारण राजस्थान के किसान के जेब से सैकड़ों करोड़ रुपये हर साल जब कभी भी आज हम लोग पूरा सदन बारिश का इंतजार कर रहा है पूरे राजस्थान के लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं जब कभी भी बारिश होती है उनके बीच में विवाद होते हैं। जब उनकी जेब से वह पैसे की ताकत विवादों के तौर पर निकलकर आ जाती है वह सदन के अन्दर प्रत्येक सदस्य को अच्छी तरह से पता है। सर्वे री-सर्वे के माध्यम से आज जो सबसे न्यूनतम टैक्नोलोजी है हाई रेज्योल्यूशन सैटेलाइट इमेजेज उसके माध्यम से हम लोग वापस सर्वे री-सर्वे करवाकर और यह व्यवस्था करेंगे और तमाम किसानों के खातों को जो किसान के आधार कार्ड के बारे में दुनिया बात करती थी। दुनिया बात करती है इस सदी को अगर किसी फैसले से माना जायेगा तो आधार कार्ड का फैसला है। कई लोगों ने उसका विरोध भी किया और बाद में अपने-आप ही उसका समर्थन भी किया। उस आधार कार्ड से जो एक पहचान दी हुई है हम लोगों को इस आधार कार्ड के माध्यम से तमाम राजस्थान के जो किसान हैं उनकी खातेदारी को जोड़ा जायेगा। राजस्थान के 12 जिलों में यह काम शुरू हो चुका है आने वाले समय में प्रत्येक किसान के घर पर जाकर राजस्व विभाग जो इन तीनों की स्थितियां हैं वो अवगत कराएगा और प्रत्येक राजस्व गांव के अन्दर कैम्प लगाकर उनको सैटलमेंट के लिए सर्वे री-सर्वे के माध्यम से वापस

(श्री हरीश चौधरी)

जितना उस राजस्व गांव के अन्दर खसरा उस खसरे के अन्दर जो स्थिति है उसके हिसाब से वह व्यवस्था करेंगे। हर खेत को जियो रेफरेंस के माध्यम से longitude and latitude का उसमें उल्लेख किया जाएगा। आज सबसे ज्यादा विवाद होते किसलिये हैं, आज विवाद होते हैं सीमा ज्ञान से। राजस्थान का कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति अगर यह री-सर्वे का काम पूरा हो जायेगा किसी भी खेत में या किसी भी जमीन पर जाकर खड़ा होगा तो मोबाइल के माध्यम से उसकी जो आज की स्थिति है और उससे पहले उस खाते की क्या स्थिति है, वह उसको पता चल जाएगी। मोबाइल में जो जीपीएस की व्यवस्था है, उसके माध्यम से उसकी सीमा का ज्ञान क्या है, वह अपने खेत के चारों तरफ घूमकर उसकी सीमा क्या है, उसमें पता लगा सकेगा, अगर यह सर्वे, री-सर्वे का कार्य पूरा हो जाएगा तो। आज राजस्व कोर्ट में जो प्रकरणों की बात है माननीय सभापति महोदय, अगर यह व्यवस्था हो जाएगी तो उनमें भारी कमी आएगी, यह मैं आपको सदन के माध्यम से राजस्थान की पूरी जनता को बताना चाहता हूं। कई और फैसले, जैसे सब रजिस्ट्रार आफिसों में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य भी हुआ है। जो कुछ प्रक्रिया उसमें डिजिटलाइज की गई है, उसमें तमाम प्रक्रिया को कैसे लेकर आएंगे, वह भी व्यवस्था करेंगे।

सभापति महोदय, पिछले दिनों में राजस्थान सरकार में रिक्त पदों के बारे में सभी लोगों ने चिंता जाहिर की है, मैं भी उनकी इस चिंता से सहमत हूं। अगर कर्मचारी ही नहीं होंगे तो हम लोग जो फैसले कर रहे हैं, हम लोग जो गवर्नेंस दे रहे हैं, वह समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ, जिसको जरूरत है उसको हम कैसे पहुंचा सकते हैं। आज पटवारी के पदों के बारे में सबकी चिंता थी और वह जायज चिंता है। आज राजस्थान में पटवारियों के 12252 पद हैं जिसमें 3537 पद रिक्त हैं। सभापति महोदय, 2000 पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की जा चुकी है, मैं सदन को बताना चाहता हूं। इस बजट में ही 1835 अतिरिक्त पदों की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, मैं राजस्थान के तमाम गांवों में रहने वाले लोगों की तरफ से भी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तहसीलदारों के संदर्भ में भी इस सदन में चिंता जाहिर की गई है। तहसीलदारों के 663 पद हैं, उनमें से 338 पद रिक्त हैं। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं कि किसके कारण हुए, किस सरकार के कारण हुए। हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि

(श्री हरीश चौधरी)

तहसीलदारों के जो रिक्त पद हैं वह आने वाले समय में कैसे भरे जाएं और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी। मेरे विभाग की तरफ से जहां कहीं भी पैरोकारी करनी पड़ेगी, इन रिक्त पदों के लिये मैं, मेरा विभाग पैरोकारी करेगा। यह मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। इससे भी बदतर स्थिति नायब तहसीलदार की है, 960 पदों में से 780 पद रिक्त हैं। आज इन पदों की रिक्तता के कारण ही आप सब लोगों ने चिंता जाहिर की। पटवारियों के वरिष्ठता और पदोन्नति से आरआई के भी फैसले किये गये और कई फैसले किये गये। सभापति महोदय, काफी लंबी चर्चा हो गई, इसलिए मैं उन सब फैसलों की बारीकियों में नहीं जाना चाहता हूं। राजस्थान सरकार की तरफ से एक फैसला किसानों की कृषि भूमि रहननामे का नामांतरणकरण, पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त करने से भी किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। एक और फैसला जिससे कोई भी किसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट अपने खेत में या अपने खेत के पास लगाना चाहता है, उसको कन्वर्जन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, ऐसा फैसला भी राजस्थान की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, मैंने सभी सम्माननीय सदस्यों की बातों को सुना। चाहे मैं यहां रहा, चाहे मैं हां पक्ष की लॉबी में रहा, चाहे मेरे कक्ष में रहा, उन सभी का जवाब देने जितना भी वक्त नहीं है। यह सब चेहरे बता रहे हैं कि वह वक्त इस सदन के पास नहीं है वरना मैं जो तमाम सदस्यों ने बातें की हैं, जो तमाम कटमोशन लेकर आये हैं, उन तमाम सदस्यों की बातों का जवाब देता। वेदों और पुराणों से बात शुरू हुई। राजेन्द्र जी, मैं न तो ज्ञानी हूं और न ही अनुभवी हूं। हमारे पूर्वजों ने बहुत छोटीमोटी चीजें हमको सिखाई हैं धर्म के नाम पर, वेद पुराण में तो बी.डी. कल्ला जी और आपके पास ज्ञान है, हमारी तो अभी शुरूआत भी नहीं हुई है। हमारे पूर्वजों ने तो यही सिखाया है कि एक परमात्मा है, उस परमात्मा तक जाने के लिये एक मात्र जो माध्यम है वह अपनी आत्मा है। उन्होंने यही सिखाया है, यही आपका धर्म है। हमारे पूर्वजों ने हमको यह धर्म सिखाया है, मेरे दादा जी जब खाना खाते थे, खाना खाने के बाद उस थाली में हाथ धोते थे, वह अन्न का दाना और उस पूरे के पूरे पानी का उपयोग करना, वह कहते थे यह धर्म है और उस अन्न और पानी का दुरुपयोग करना अधर्म है। हम लोगों को यह धर्म सिखाया गया है कि अपने कर्म अच्छे करो और अपने विचार अच्छे रखो। इसके अलावा धर्म की मुझे

(श्री हरीश चौधरी)

ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर आपके पास वक्त है तो कभी मैं आपके पास आकर, छात्र जीवन से सफर शुरू हुआ और वेदों पुराणों तक सफर गया है ... (व्यवधान) क्योंकि हम लोगों के भी मन में, किसानों के मन में भी धर्म की ओर जाने का है। हम लोगों की जो परिस्थितियां हैं, वह परिस्थितियां अपने जीवनयापन के संघर्ष के लिये है, किसको अच्छा नहीं लगता है धर्म में अच्छी चीजों से जुड़ना। उन लोगों की परिस्थितियां क्या हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है। हमारे परिवार का एक सदस्य पानी के लिये पूरा जीवन दे देता था। कई कोस दूर पानी था, उसका जीवन सिर्फ पानी लाने में, पानी पहुंचाने में रहता था। उसके पास धर्म समझने के लिये, दुनियादारी समझने के लिये उसके पास समय नहीं था। वह बहुत चाहता था लेकिन उसकी मजबूरी थी। आज राम जी राज़ी हैं, आज सब कुछ ठीक है, आपके भी ठीक है, मेरा भी ठीक है तो हम भी आज किसान परिवार वाले कुछ न कुछ धर्म भी यहां आपके मार्फत कर लेते हैं।

मेवाराम जैन साहब ने एक बड़ी गम्भीर बात इस सदन में रखी, वह धारा 91 के लिये थी। सभापति महोदय, धारा 91 पनिशमेंट के लिये बनाई गई, पर जो आज यह व्यवस्था का खेल है, उसी धारा 91 में हम लोग ने पनिशमेंट की जगह रिवार्ड का उपयोग करने लगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की तीनों मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 8, 9 व 47 पर विचार

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अमीन खां साहब ने वन विभाग की जमीन के संदर्भ में बात की। मैं आज सदन के मार्फत आश्वासन देना चाहता

(श्री हरीश चौधरी)

हूं वन विभाग की जमीन में राजस्व विभाग की तरफ से जो कोई भी त्रुटि है, गलती है, उसमें राजस्व विभाग सुधार करेगा।

संयम लोढ़ा जी ने बात की कन्वर्जन के लिये। संयम लोढ़ा जी, जो आपने सिरोही के प्रकरण के लिये बात की, आज राजस्थान में किसान को जो अधिकार और हक मिल रहा है वह हक और अधिकार अपने रसूख से और कोई ताकतें लेकर जाए तो शायद इससे बड़ा अन्याय किसानों के साथ कुछ नहीं होगा। आपके सिरोही और सिरोही जैसे और कोई भी प्रकरण राजस्थान में कन्वर्जन के माध्यम से किसानों की हड्डी पर कबड्डी खेलने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिये जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आएगा, उसकी हम जरूर जांच करेंगे। सिरोही के लिये भी जांच कर रहे हैं, वह जांच प्रक्रिया चल रही है।

एक बात आपने बीकानेर के केस के बारे में की। बीकानेर केस की क्या पृष्ठभूमि है, शायद पूरा राजस्थान और दुनिया अच्छी तरह से जानती है। वह किस मकसद से किया गया, वह भी हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। कानूनी तौर पर उसकी क्या स्थिति है, प्रशासनिक तौर पर क्या स्थिति है, हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। पर आज यह दौर चल रहा है, इस दौर में किसी और के ऊपर सही- गलत आरोप लगाकर कैसे हम लोग भ्रमित कर रहे हैं, इस दौर में यह सब चीजें हो रही हैं।

(22.00 बजे)

आने वाले समय में अपने आप पूरी दुनिया को पता चल जायेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? अब्दुल रहमान केस के बारे में आपने बोला, ज्ञानी राम प्रताप जी ने भी बड़ी बातें की हैं। राम प्रताप जी कामरेड ने मन से और दिल से, इनके पास ज्ञान नहीं है। इनके पास जमीन से जुड़ी हुई किसान और मजदूर की पीड़ा है, वह अपनी बात से इन्होंने जाहिर की है। विनोद जी ने भी यह बात की। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजेन्द्र राठौड़ जी ने तो हनुमानगढ़ की कोई बात नहीं की। राजेन्द्र राठौड़ जी के गृह जिले से, हनुमानगढ़, गंगानगर में राजस्व कैम्प लगाकर। मैं और हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी रेवेन्यू और तमाम राजस्व के अधिकारी गंगानगर और हनुमानगढ़ में आने वाले समय जाकर, जो कोई भी तकलीफ वहां पर उन किसानों के साथ हो रही हैं, जो प्रक्रिया के अंदर कमियां रह रही हैं, उनको वहां जाकर हम पूरी करेंगे।

(श्री हरीश चौधरी)

आज सदन के मार्फत से कहना चाहता हूं कि हम हनुमानगढ़ और गंगानगर से यह सफर शुरू करेंगे और समय ही बताएगा कि यह सफर कहां तक चलेगा। मदन प्रजापत जी ने भी कई बातें की हैं। मदन प्रजापत जी ने बालोतरा को जिला बनाने की बात की। जो जिला बनाने के लिए कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी की रिपोर्ट अधूरी आयी हुई है। सभापति महोदय, उसके ऊपर सिर्फ चेयरमैन के दस्तखत हैं। जितनी मेरी जानकारी है कि जो कमेटी होती है उसमें तमाम सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कमेटी की अगर पूरी रिपोर्ट आएगी तो इस कमेटी के मार्फत से आने वाले समय में इसको करेंगे।

उन्होंने एक और चिंता जाहिर की कि खनन माफियाओं के द्वारा राजस्थान की सरकारी जमीन के ऊपर जो चीजें हो रही हैं। मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि राजस्व विभाग की तरफ से जो कोई भी सरकारी जमीन है, जो भी राजस्थान की जमीन है, उसका हम कैसे सही तरह से उपयोग करें और कानून के अंदर रहते हुए उसका प्रयोग कैसे कर सकें, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। कोई भी ऐसा प्रकरण अगर किसी के भी संज्ञान में आता है तो वह राजस्व विभाग को बताएं, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

नागौर से आने वाले सम्माननीय सदस्य मोहन जी ने भी म्यूटेशन की बात की कि बहुत मुकदमे हो रहे हैं। वह म्यूटेशन की प्रक्रिया भी मैंने पहले बता दी। बलवान पूनियां जी ने 1936 के अंदर किसान सभा की जो बात की। आज उन लोगों के कारण ही हम लोग यहां हैं। हम लोगों को यह चीज भूलनी नहीं चाहिए कि उन लोगों की जो सोच थी, उन लोगों का जो योगदान था, जिसके कारण आज हम लोग यहां पर आये हैं। विशेषकर किसान परिवार से जो लोग आये हैं, उनके लिये। चकबंदी की बात की, जोहड़ पायतन की बात की, अवैध खनन की बात की। बिहारी विश्नोई जी ने भी जो बात की है कि किस्म परिवर्तन। जो आबादी भूमि है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हम लोग, हमारा विभाग इस प्रक्रिया में है कि ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी राहत उन छोटे लोगों को, वे छोटे लोग चाहे अज्ञानता से मजबूरीवश ऐसी भूमि पर बसे हैं। इस सदन में शायद कोई ऐसा नहीं होगा, समाज के अंदर जो ऊपर वाला वर्ग है। उनमें से किसी ने मकान उस किस्म की जमीन के अंदर नहीं बनाए। जो समाज में पीछे रहे हुए लोग

(श्री हरीश चौधरी)

हैं, चाहे अज्ञानता से, चाहे विवशता से, उस जमीन के ऊपर उन्होंने छोटा-मोटा मकान बनाया हुआ है। मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में उनको राहत भी पहुचाएंगे। लंबी-चौड़ी लिस्ट है। जो सवाल और कट मोशन थे, उनको मैं आप सब लोगों को जवाबों के माध्यम से बता दूंगा। स्पेशल अलाटमेंट की अधिसूचना भी जारी हो गयी है। मंदिर माफी की भूमि लिए भी जो प्रक्रिया है, वह विचारणीय है। आने वाले समय में उसका भी फैसला करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से तमाम लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्व विभाग, राजस्थान की जमीन के संदर्भ में, राजस्थान में जमीनों के मालिकों के संदर्भ में, किस्म कई हैं। राजस्थान में जमीन के मालिक राजस्थान के नागरिक हैं, चाहे गोचर हो, चाहे ओरण हो, चाहे सरकारी भूमि हो। उन तमाम जमीनों की हम लोग देखभाल करेंगे और किसी भी भू-माफिया द्वारा अगर उसके ऊपर अतिक्रमण किया गया है, रास्ते के संदर्भ में भी जो व्यवस्था होनी है, वह व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांग संख्या-8 है, उसको आप पारित करें। आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम।

श्री सभापति: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री अमीन खां (शिव): भूमिहीन काश्तकारों के नियमन का क्या हुआ?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अमीन खां साहब का भी था।

श्री सभापति: आप बुलाकर उनके साथ चर्चा कर लेना।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, भूमिहीन काश्तकारों के नियमन के लिये भी आने वाले समय के अंदर कैम्प लगाकर भूमिहीन काश्तकारों को भी हम लोग आबंटन करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, तीनों मांगों पर करीब 9 घंटे तक 43 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दिये, मार्गदर्शन किया। उन सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। कुल 64 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आने वाले दो-तीन दिनों में प्रस्ताव के जवाब तैयार करके भिजवा दिये जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आज महती जरूरत है, वन एवं पर्यावरण की।

(श्री सुखराम विश्नोई)

छाया करते सब के सर पर, स्वयं बैठकर कड़क धूप में,

फल भी देते हम सबको, सज्जन जैसे हैं वृक्ष

सरवर तरवर सन्त जन, चौथा बरसे मेह

परमारथ के कारने, चारों धारी देह

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, वह बहुत विषम है। एक तरफ कम वर्षा होती है। वर्षा भी निश्चित नहीं है। मरूस्थलीय भू-भाग है। इसी वजह से वन संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। विद्यमान एवं वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण या जो वृक्ष जीवित रखे जा रहे हैं, वे अपन सभी के सामने एक चुनौती है।

वन न केवल आदिवासियों के लिए, अपितु पीढ़ियों से पशुपालकों के लिए चारे, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं विभिन्न लघु वन उत्पादों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्भर रहते आये हैं। प्रदेश में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जन-सहभागिता से वन प्रबंधन के परिणामस्वरूप वृक्षारोपण के आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.59 प्रतिशत भू-भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.70 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति, 2010 के तहत 20 प्रतिशत भाग को वृक्षों से हरा-भरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे, साथ-साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सम्भव हो सके। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु वन विभाग द्वारा वन विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 16 हजार 248 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 8 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य किया जा रहा है। वृक्षारोपण कार्य में स्थानीय प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है। विलायती बबूल की काफी चर्चा चली। सभी माननीय सदस्यों ने एक राय होकर बात कही कि यह जो विलायती बबूल है, इसको हटाया जाए। उसके नीचे जो हमारी घास है, हमारे जो औषधीय पौधे हैं, वे नष्ट हो रहे हैं। इस बात को लेकर हमने 15.04.2019 को सर्कुलर जारी किया। इसके तहत तमाम तरह के जो विलायती बबूल हैं, चाहे फोरेस्ट में हैं, चाहे सैंक्चुअरी में हैं, चाहे कन्जर्वेशन में हैं, वे जगह चिह्नित की जाकर उन्हें हटाने का कार्यक्रम तय किया गया है,

(श्री सुखराम विश्नोई)

ताकि सैंक्चुअरी के अंदर, हमारे जो फोरेस्ट हैं, उनमें जो हमारी घास है और जो हमारी वन संपदा है और जो हमारे बहुमूल्य पौधे हैं उन्हें बचाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, हरित राजस्थान की भावना के अनुरूप किसानों को, जन सामान्य, स्कूलों, पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदानित दर पर पौधे उपलब्ध कराने के लिए 2019-20 में 85 लाख से अधिक पौधों का वितरण किया जाना है। आगामी वर्ष में वितरण हेतु इस वर्ष 45 लाख पौधे तैयार किये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-दो में राज्य की महत्वपूर्ण वन विकास योजना है। इसके तहत वर्ष 2017-18 तक कुल 83663 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है। राशि 815 करोड़ रुपये से अधिक व्यय की जा चुकी है। इस परियोजना में वर्ष 2019-20 में रुपये 48 करोड़ से अधिक का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

राज्य के अनेक क्षेत्रों में बहुत वर्षों पूर्व विलायती बबूल का रोपण हुआ था। इससे राज्य की जलाऊ लकड़ी की समस्या का कुछ हद तक समाधान हुआ। पहले विलायती बबूल की जरूरत थी क्योंकि गांव में ईंधन की समस्या थी। इसलिए उस वक्त जरूरत थी परन्तु आज गैस आ जाने की वजह से इस चीज की जरूरत नहीं रही है विशेषकर इस अभियान को चलाने के लिए, विलायती बबूल को नष्ट करने के लिए, ताकि हमारी जो इंसानी प्रजाति है, बची रहे। इस हिसाब से पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाकर मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले सालों में इस विलायती बबूल को हमारे जो फोरेस्ट हैं, तमाम जो सैंक्चुअरी हैं, कंजर्वेशन हैं, हटाया जाएगा और जहां पंचायतों के अंदर गोचर जमीन में खड़े हैं, उनमें भी हटाने का प्रयास किया जाएगा।

इसके साथ-साथ हमारे जो वन्य जीव संरक्षण हैं। जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश-विदेश के लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण को अवलोकन हेतु प्रति वर्ष आते हैं। राजस्थान में तीन राष्ट्रीय उद्यान रणभम्भौर, केवलादेव, मुकुन्दरा हिल्स, 27 अभयारण्य हैं और 13 कंजर्वेशन रिजर्व हैं।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से 9 सितम्बर, 1972 को पूरे भारत में लागू किया गया। इससे पूर्व अलग-अलग राज्यों द्वारा वन्य जीव

(श्री सुखराम विश्नोई)

प्रबन्धन हेतु अलग-अलग अधिनियम लागू हुआ करते थे। राज्य में तीन बाघ परियोजनाएं हैं, जिनकी राज्य के पर्यटन में प्रमुख भूमिका है। इन बाघ परियोजनाओं में प्रबंधन को और सुदृढ़ करते हुए लोगों की सहमति व अपनी इच्छा से विस्थापन की प्रक्रिया जो पहले बंद हो गई थी, सरकार बनते ही पुन: चालू की गई। अब तक सरिस्का बाघ परियोजना में 29 एवं रणथम्भौर बाघ परियोजना में 3 परिवारों को बाहर बसाया जा चुका है। मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में भी 15 परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही प्रगतिरत है।

बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल बनाये जाने का प्रावधान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। सरिस्का बाघ परियोजना में इस बल के लिए भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के लिए भी इस बल के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से प्राप्त हो गई है। रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघ अधिक हो जाने से मानव और बाघ के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। अत: इनको अन्यत्र विस्थापित करने के लिए माह मई, 2019 में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून एवं अन्य सेवानिवृत्त वन्य जीव विशेषज्ञ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। इसमें बाघ परियोजना में और अधिक बाघ समायोजित करने हेतु स्वैच्छिक विस्थापन, पर्यावरण सुधार एवं अन्य उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही रामगढ़ विषधारी, शेरगढ़, कुम्भलगढ़, रावली, टाटगढ़, धौलपुर जिले का झिरी, झुंझुनूं का खेतड़ी, बांसीयाल, बूंदी का सुल्तानपुर एवं बारां के शाहबाद वन क्षेत्र में बाघ स्थापित करने की उपयुक्तता पर मनन किया गया। इन क्षेत्रों में सम्पर्क हेतु कोरिडोर बनाने पर भी चर्चा की गई।

माननीय सभापति महोदय, एक कोरिडोर से एक नर बाघ स्वत: ही चलकर मुकुन्दरा के मशालपुरा क्षेत्र में स्वत: ही पहुंच गया। रणथम्भौर बाघ परियोजना से एक बाघिन भी इस क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ी गई। इस प्रकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मंशानुसार मुकन्दरा में एक बाघ व एक बाघिन स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। रणथम्भौर बाघ परियोजना में लाये गये एक अन्य बाघ एवं बाघिन मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बनाये गये 80 हैक्टेयर के बाड़े में रखे गये हैं।

(श्री सुखराम विश्नोई)

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रयोग विशेषकर झालाना लेपर्ड सफारी है, वह इलेक्ट्रिकल गाड़ियां इस सफारी में प्रारम्भ की गयीं। इससे इस क्षेत्र में ध्वनि व वायु प्रदूषण में कमी आएगी। राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में रणथम्भौर बाघ परियोजना विश्व प्रसिद्ध है। पर्यटन में वर्ष 2018-19 में रणथम्भौर बाघ परियोजना से राज्य सरकार को 27.73 करोड़ एवं सरिस्का बाघ परियोजना से इसी अवधि में 1.42 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। सवाईमाधोपुर शहर एवं इसके आस पास लगभग 120 होटल संचालित हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार व आय प्राप्त हो रही है। हमारे माननीय विधायक जो सवाईमाधोपुर से आते हैं, उनकी मन की इच्छा थी, मैं जब रणथम्भौर गया कि रणथम्भौर एंट्री पर इस तरह का भव्य गेट बने ताकि आने वाला पर्यटक महसूस करे कि ऐसा भव्य गेट है तो अंदर की स्थिति क्या होगी? उनकी मंशा को पूरी करते हुए आने वाले साल भर में एक भव्य गेट वहां बनाएंगे ताकि सभी लोग देख पाएं।

सरिस्का, मुकुन्दरा एवं कुम्भलगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नये रूट बनाये जाएंगे। पर्यटन एवं विकास हेतु विशेष प्रयास किये जाएंगे। वन्य जीव क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु एक वन्य जीव सर्किट नामक पर्यटन योजना, पर्यटन विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई है। झालाना लेपर्ड सफारी में जूलीफ्लोरा का उन्मूलन कर अधिक से अधिक क्षेत्र में घास तथा स्थानीय प्रजातियों के पौधे उगाये जाएंगे। करीब 7-8 हैक्टेयर में जूलीफ्लोरा हटाकर इसी वर्ष पौधे लगाये गए हैं। जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को वन्य जीव मंडल, उदयपुर क्योंकि जवाई का जो क्षेत्र पाली में आता है परन्तु यह वाइल्ड लाइफ में उदयपुर में दिया गया है, उसे पुन: पाली के अंडर किया जाएगा ताकि उसकी व्यवस्था सही तरीके से चले।

राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 5 फरवरी, 2019 को संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में तीनों बाघ परियोजनाओं के लिए स्थानीय सलाहकार समिति गठित की गई है। तीनों समितियों की बैठक आहूत हो चुकी है। उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही की जा रही है। यह पर्यटन व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव वन्य जीव प्रभाग को उपलब्ध कराएंगे। पर्यटन विकास हेतु राज्य में सज्जनगढ़ (उदयपुर), माचिया (जोधपुर), नाहरगढ़, (जयपुर) में बायोलोजिकल पार्क विकसित किये गये हैं। अभेड़ा (कोटा), मरुधरा (बीकानेर) में विकसित किये जा रहे हैं। इनको पर्यटन हेतु अधिक आकर्षक

(श्री सुखराम विश्नोई)

बनाने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। जैसे जूनागढ़ से शेरनी नाहरगढ़ लाई गई है। अन्य जन्तुआलयों में हिप्पो आदि वन्य जीव को डालने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

माननीय सभापति जी, राज्य पक्षी गोडावण की विश्व संख्या लगभग 150 रह गई है। इसमें 128 राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। ऐसी विकट परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार व भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ किये गये एक त्रिपक्षीय करार के तहत रामदेवरा क्षेत्र में एक गोडावण अंड एकत्रीकरण, इन्क्यूबेशन एवं हैचिंग सेंटर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। सम क्षेत्र में अस्थायी फैसिलिटी बनाकर 6 अंडों को एकत्रित कर उनको सेने (इंक्यूबेशन) की कार्यवाही की जा रही है, इसमें दो चूजे भी प्राप्त हुए हैं। केन्द्र सरकार से 4 अतिरिक्त अंडे एकत्रित करने के लिए स्वीकृति उपलब्ध हुई है। बारां जिले में गोडावण एवं खरमोर प्रजनन केन्द्र बनाने के लिए 6.76 हैक्टेयर वन भूमि चिह्नित की जा चुकी है। इस कार्य हेतु 3.43 हैक्टेयर राजस्व भूमि भी है, जिसको राजस्व विभाग को हस्तांतरण किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

माननीय सभापति महोदय, सदन के उप नेता माननीय राठौड़ साहब ने पूरी बात वन पर रखी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सदन के उप नेता नहीं हैं। प्रतिपक्ष के उप नेता हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): प्रतिपक्ष के उप नेता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, मैं 70 साल का हूं। दोबारा जीतकर आया हूं। मैंने पहली बार राठौड़ साहब का निष्पक्ष भाषण सुना। हर बात में कुछ न कुछ तंज होता है, कुछ न कुछ इशारा होता है परन्तु पहली बार वन व पर्यावरण पर बिलकुल निष्पक्षता से उन्होंने बात रखी। मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: वनों से इनका सीधा सम्पर्क है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): इन्होंने पीपल, नीम, बरगद, इन चीजों की बात की। मैं माननीय सदस्य कहना चाहूंगा कि हमने इस वर्ष 72424 बरगद के पेड़, पीपल के 70940, खेजड़ी के 40700 पेड़ नर्सरी में

(श्री सुखराम विश्नोई)

तैयार किये हैं, लगाएंगे। साथ ही जो विधायक कोटे की बात की है, विधायक कोटे में एक हजार पौधे एक रुपये में देने के लिए तमाम संस्थाओं को उपलब्ध करवाए हैं। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही बढ़िया बात आज तय हुई है। अगर विधायक मद में से हम पौधों को लगाने की परम्परा चालू करेंगे, सड़क के दोनों तरफ जहां हम चाहते हैं, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां देखेंगी।

साथ ही विलायती बबूल की बात की गई। मैं चूरू गया था, नेचर पार्क तैयार किया है वह वाकई में देखने काबिल है। इन्होंने कहा उसमें राशि बची है। राशि बची नहीं है, राशि बची है उससे हम ट्री हाउस तैयार करेंगे। उसके अलावा नेशनल पार्क का संधारण है उसके लिए कार्य करेंगे। (व्यवधान)

(22.20 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

आप तो यह बता दो कि कैर बीज से लगता है कि डाली से लगता है, आप बता दो।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं तो कैर के पौध देने की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय मंत्री जी, समय का ध्यान रखें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, 43 माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, चाहे अवैध लकड़ी कटाई का मामला हो, चाहे अवैध खनन का मामला हो, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अवैध खनन की गतिविधियां रोकी जाएंगी, अवैध लकड़ी कटाई रोकी जाएगी, वनों को सुरक्षित रखा जाएगा, वन्य जीव को सुरक्षित रखा जाएगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: विश्वेन्द्र सिंह जी, पर्यटन मंत्री।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 9 पारण के लिए सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय पर्यटन मंत्री जी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, घूम

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

फिरकर बात राठौड़ साहब पर आ जाती है। यह कुछ तो है। आपने आज अपने 58 मिनट के भाषण में तीन चीज़ें बताई जिनके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि लोगों में बदलाव। आपकी सरकार ने, ''जाने कब क्या दिख जाए,'' यह लोगो रखा था जिसके लिए एक पर्टिकुलर फर्म को 9 करोड़ रुपये का खर्च व्यय करना पड़ा। ''पधारो म्हारो देश'' से पारम्परिक राजस्थानी आतिथ्य सत्कार की भावना जुड़ी होने की वजह से, लोकप्रिय होने के कारण इस लोगो को पुन: प्रयोग में लाया जा रहा है। नई पर्यटन नीति भी लाएंगे।

दूसरी बात, आपने कहा कि पिछली साल से अब की साल बजट कम दिया गया है। मैं आपको इसमें स्पष्टीकरण देना चाहूंगा 2018-19 में कुल 118 करोड़ का बजट था अब 130 करोड़ का बजट है। मैं यह आपसे क्लेरिफाई करना चाहता था।

दूसरी बात, संयम लोढ़ा साहब, वैसे तो मैं पूरे सदन का एहसानमंद हूं कि आज आपने इतने वैल्युएबल सजेशन दिए। संयम लोढ़ा साहब ने एक बात कही कि खासाकोठी से दो कालीन गायब हुए थे। जिस अफसर ने उसको प्रमाणित किया, पांच साल पिछली सरकार में, अब तो वह रिटायर हो गए, खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से वह कालीन खासाकोठी वापस आएंगे।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान विश्व पर्यटन मानचित्र एवं देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है एवं पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि राजस्थान देशी विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बना रहे तभी प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय और अधिक फलेगा-फूलेगा तथा पर्यटन द्वारा आय व रोजगार में निरन्तर वृद्धि हो सकेगी।

नम्बर दो, माननीय सदस्यों को यह ज्ञात ही है कि UNESCO ने हाल ही में Jaipur Walled City को World Heritage Site की सूची में सम्मिलित किया है जो कि अत्यन्त महत्पूर्ण व गौरवमयी उपलब्धि है। साथ-साथ यह भी जानकारी देना चाहूंगा, शायद बहुत से सदस्यों को मालूम नहीं हो कि कैवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर भी यूनेस्को की World Heritage में, तो राजस्थान में यूनेस्को की दो वर्ल्ड हैरिटेज साइट है, इससे निश्चित ही राज्य

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

के पर्यटन व्यवसाय को और अधिक गति प्राप्त होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी Walled City में Vehicle Free Heritage Walk प्रारम्भ करने की घोषणा की है, जिसका दूरगामी प्रभाव होगा। न केवल पर्यटकों का जयपुर की विरासत के प्रति रूझान बढ़ेगा बल्कि प्रदेश के अन्य हैरिटेज स्थलों की तरफ भी आकर्षण बढ़ेगा।

राज्य में हमारी सरकार के दिसम्बर 2018 में आने के पश्चात् पर्यटकों के आगमन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 2018 से मई 2019 तक दो करोड़ पैंतालीस लाख देशी-विदेशी पर्यटक भ्रमण हेतु राजस्थान आए जो कि समान अवधि में गत वर्ष के 1.56 करोड़ पर्यटकों से 57.05 प्रतिशत अधिक है।

राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए जन घोषणा पत्र में चौदह Action Points निर्धारित किए हैं। इसमें राज्य की नवीन पर्यटन नीति को शीघ्र बनाकर जारी करना प्रमुख है। इसके लिए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है और इसमें हम पर्यटन से जुड़े सभी Verticals जैसे Infrastructure, Heritage, Skill Development, Marketing, New Tourism products, Tourist Safety, Ease in Administrative Procedure आदि बिन्दुओं का समावेश करने का प्रयास कर रहे हैं।

इन 14 बिन्दुओं में अन्य प्रमुख बिन्दु पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विकास, साफ सफाई, नये पर्यटन स्थलों को चिह्नित कर उनका विकास करना, प्रदेश में प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटक पुलिस तैनात करना, धार्मिक पर्यटन स्थलों पर आवश्यक ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना, पर्यटन स्थलों के माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को अधिक से अधिक प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ना व मेला विकास प्राधिकरण को सुदृढ़ कर इसका पुनर्गठन करना इत्यादि है।

मैं सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सभी मुख्य लक्ष्यों पर हम प्रभावी कार्य योजना बनाकर अपेक्षित कार्यवाही करेंगे। इसकी शुरूआत कर दी गई है और पर्यटक स्थलों पर ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई स्थलों पर कार्य चल रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था को और चाक-चौबंद करने के लिए जिला स्तरीय पर्यटन विकास समितियों के माध्यम के साथ-साथ राज्य स्तर

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

पर वन विभाग, पुरातत्व व संग्रहालय विभाग, स्थानीय निकाय विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से विचार-विमर्श करते हुए प्रभावी कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके साथ-साथ 129 नये पर्यटन स्थलों को चिह्नित कर विकास की योजना बनाकर बजट संसाधन उपलब्धता तथा प्राथमिकता के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय लिया जाएगा।

धार्मिक पर्यटक स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलबध कराने के लिए वर्तमान में राज्य योजना के अंतर्गत लगभग 37 धार्मिक स्थलों के साथ-साथ केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत भी राज्य में आध्यात्मिक सर्किट, कृष्णा सर्किट एवं पुष्कर-अजमेर का समग्र विकास कार्य प्रगति पर है।

पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु नये गाइडों के लिए क्षेत्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकरण करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। राज्य में पर्यटन व्यवसाय के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सवाई माधोपुर, धौलपुर और झालावाड़ में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान तथा बारां में फूड क्राफ्ट संस्थान के प्रगतिरत कार्यों का निर्माण आगामी वर्षों में पूर्ण कर क्रियाशील किया जाएगा।

इस बजट में पर्यटन विभाग के लिए मांग संख्या 47, 30 व 51 में कुल राशि 130 करोड़ 05 लाख का प्रावधान किया गया है, जिससे पर्यटन की सभी गतिविधियां सुचारु रूप से क्रियान्वित की जा सकेगी। विभाग में मुख्य रूप से दो प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। सर्वप्रथम, विभिन्न चिह्नित पर्यटक स्थलों पर बजट उपलब्धता अनुसार पर्यटन विकास कार्य करवाये जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से यात्री विश्राम गृह, टायलेट, लैंडस्केपिंग, पुनरूद्धार व संरक्षण कार्य, पार्किंग इत्यादि सम्मिलित हैं। चालू वित्त वर्ष में पर्यटन विकास कार्यों हेतु लगभग 60 करोड़ 44 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है जिसमें वर्तमान में चालू विकास कार्य एवं नवीन विकास कार्य दोनों ही सम्मिलित है।

पर्यटन प्रचार-प्रसार मद में विभाग की अन्य मुख्य गतिविधियां, मेले-त्यौहारों का आयोजन करना, विज्ञापन व प्रचार-प्रसार सामग्री बनवाना है, जिससे कि पर्यटकों को अधिकाधिक संख्या में राज्य की ओर आकर्षित किया जा सके। चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये इक्यावन करोड़ प्रावधित है, जिसके कुशल उपयोग से इन ध्येयों को प्राप्त करेंगे।

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

इस वर्ष हमारा यह प्रयास होगा कि प्रदेश में उपलब्ध बहुल पर्यटन सम्पदा का संवर्धन कर सभी जिलों व क्षेत्रों का समग्र विकास करें। इसे दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि समस्त 33 जिलों में जिला कलक्टर्स के माध्यम से पर्यटन विकास कार्य कराये जाएंगे ताकि जिलों के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर पर्यटन दृष्टिकोण से तात्कालिक आवश्यक कार्य बिना विलम्ब के हो सकें।

भरतपुर सम्भाग में ब्रज सर्किट विकसित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत भगवान कृष्ण से सम्बन्धित विभिन्न स्थानों पर आधारभूत सुविधाएं व पर्यटन सम्बन्धी कार्य करवाये जाएंगे। इसके साथ ही लोहागढ़ दुर्ग में एक आधुनिक तकनीक के आधार पर लाइट एंड साउंड शो निर्मित करवाया जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध फ्रेस्कोस पेंटिंग्स व अन्य हैरिटेज सम्पदा के संरक्षण के लिये शेखावाटी सर्किट विकसित करना भी हमारी एक प्राथमिकता रहेगी।

लक्ष्मणगढ़ कस्बा विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर एवं शेखावाटी क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों का प्रवेश द्वार है। यहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। इन पर्यटकों की सुविधा के लिये पर्यटक सुविधा केन्द्र एवं नेचर पार्क के विकास की मांग को ध्यान में रखते हुए 15 करोड़ रुपये की लागत से नेचर पार्क का विकास किया जायेगा। इस कार्य हेतु वर्ष 2019-20 में रुपये दो करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसी कड़ी में यूनेस्को की सहभागिता से पश्चिमी राजस्थान की लोक कलाओं का संवर्धन व प्रचार-प्रसार करने के लिये भी एक कोलोबरेटिव प्रोजेक्ट पर कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, राजेन्द्र सिंहजी कह रहे हैं कि समय कितना है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): जी, हुकुम?

श्री अध्यक्ष: कितना समय है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): पांच मिनट। आपने 58 मिनट लिये थे।

श्री अध्यक्ष: क्या, आप उनको याद दिला रहे हैं, आपके ए.डी.सी. के रूप में? अब समाप्त करें आप।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): नौ बजे का टाइम था, लेकिन अब टाइम निकल गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आमेर आइकोनिक प्रोजेक्ट, ट्राइबल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, इको एडवेंचर सर्किट को विकसित करने का भी प्रयत्न रहेगा। आमेर आइकोनिक प्रोजेक्ट में विश्व प्रसिद्ध आमेर किला जो कि विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है, के महल के अंदर व आस-पास विभिन्न विकास कार्यों की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि इसका टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ किया जा सके। ट्राइबल सर्किट के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों के जनजाति बहुल क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों को चिह्नित कर आवश्यक आधारभूत पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार डेजर्ट सर्किट के अंतर्गत मरुस्थलीय क्षेत्रों जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इत्यादि के पर्यटक विकास कार्य चिह्नित करेंगे और राज्य की आकर्षक वाइल्ड लाइफ को पर्यटन की दृष्टि से नया आयाम देने के उद्देश्य से वाइल्ड लाइफ सर्किट एवं इको एडवेंचर सर्किट बनाकर भी विभिन्न पर्यटन विकास कार्य करवाये जाएंगे।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही पूरे वर्ष भर बनी रहे, विशेषकर युवा वर्ग में इसका आकर्षण और बढ़े। इसके लिये व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना बनाकर चालू वित्त वर्ष में इक्यावन करोड़ रुपये के प्रावधित बजट के माध्यम से मार्केटिंग कैम्पेन व सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार-प्रसार अधिक गतिशील एवं आकर्षक किया जाएगा।

विभाग द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म, जैसे फेसबुक, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर प्रभावी रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म की असीमित पहुंच व युवाओं में विशेष आकर्षण व प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए भावी मीडिया कैम्पेन्स में इस ओर विशेष जोर दिया जायेगा। वर्तमान में यू-ट्यूब व इंस्टाग्राम में हम फालोअर्स की गणना के अनुसार देश में द्वितीय स्थान पर हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी प्रजेंस और अधिक व्यापक बने व हम अग्रणी पर्यटन राज्यों में प्रथम स्थान को प्राप्त करें।

इसी मंशा के अनुरूप हमने जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 की अवधि के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न टी.वी. चैनलों, प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं, विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म, एफ.एम. रेडियो व आउटडोर मीडिया के माध्यम

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

से राजस्थान पर्यटन के 'पधारो म्हारे देस' के नये लोगो के साथ राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया, जिसके परिणाम भी उत्साहजनक रहे। यह मीडिया कैम्पेन शुरू होने से पूर्व यह अनुमान था कि ढाई करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच होगी, जबकि मीडिया कैम्पेन खतम होने के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि इस कैम्पेन की पहुंच लगभग पांच करोड़ लोगों तक पहुंच गई। स्फ्ष्ट है कि राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान पर्यटन का सतत आकर्षण है एवं पर्यटन जगत में प्रभाव बढ़ रहा है। अब हमारा प्रयास होगा कि आगामी मीडिया कैम्पेन्स में नवाचार करते हुए अधिकाधिक देशी-विदेशी पर्यटकों तक पहुंचें और उन्हें राजस्थान आने के लिये सतत प्रेरित करें, जिससे कि राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय में निरन्तर आशातीत वृद्धि सम्भव हो सके।

दो पेज और हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: मान लिया, मान लिया, विराजें। (व्यवधान) माननीय खुशवीर सिंहजी, विराजिए। माननीय सदस्य, बैठिये। आप, बोलिये।

लिखित वक्तव्य

(माननीय पयर्टन मंत्री के शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-47, पर्यटन को पारित किया जाए।

मांग संख्या 8-राजस्व का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 08-राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 08,36,54,04,000/- (आठ अरब छत्तीस करोड़ चौवन लाख चार हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 9-वन का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 09-वन के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 08,59,31,34,000/- (आठ अरब उनसठ करोड़ इकतीस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,51,38,000/- (चौरासी करोड़ इक्यावन लाख अड़तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 22.39 बजे गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्रों की विकास की कार्ययोजना

183. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग को प्रतिवर्ष कितनी राशि आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विभाग में कुल कितने विभाग सम्मिलित है?

(3) प्रत्येक विभाग को कितना बजट क्षेत्रीय विकास के लिए मिलता है?

(4) वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से विभाग को कितना-कितना बजट मिला और कहां-कहां व्यय किया गया विभाग वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विभाग द्वारा विकास के कौन-कौनसे कार्य कराये जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) विभाग में कौन-कौनसे जिले, तहसीलें पं.स., ग्राम पंचायतें, गांव आते हैं? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(7) विभाग के कितने बालक-बालिकाओं के छात्रावास कहां-कहां हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति विभाग को वर्ष 2017-18 में संशोधित बजट अनुमान अनुसार 50281.72 लाख रु. एवं वर्ष 2018-19 में संशोधित बजट अनुमान अनुसार 55106.02 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में अन्य कोई विभाग सम्मिलित नहीं है।

(3) समस्त राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को प्राप्त होती है।

(4) वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार और भारत सरकार से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को संशोधित बजट अनुमान अनुसार आबंटित बजट एवं व्यय की सूचना निम्नानुसार है-

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(राशि लाखों में)

मद	**संशोधित बजट अनुमान**	**व्यय**
(अ) राज्य सरकार		
वर्ष 2017-18	26751.30	26229.36
वर्ष 2018-19	30058.86	29264.21
(ब) केन्द्र सरकार		
वर्ष 2017-18	23530.42	23395.26
वर्ष 2018-19	25047.16	24529.58

राज्य सरकार व भारत सरकार से प्राप्त राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(5) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान की धारा 275 (1), जनजाति कल्याण निधि एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद अन्तर्गत आबंटित राशि अनुसार विकास कार्य बजट की उपलब्धता एवं कार्यों की उपादेयता अनुसार करवाए जाते हैं। विभिन्न मदों में करवाए जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(6) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में राजस्थान के समस्त जिले आते हैं। क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है। जो ग्राम अनुसूचित क्षेत्र, माडा व माडा क्लस्टर क्षेत्र, सहरिया क्षेत्र अन्तर्गत नहीं आते हैं उन्हें विभाग द्वारा संचालित बिखरी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाता है अर्थात् शेष ग्राम बिखरी योजनान्तर्गत आते हैं।

(7) विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2018-19 में संचालित 393 छात्रावास संचालित किये गये, जिनकी स्थानवार, तहसील व जिलेवार सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा के टाडा में सम्मिलित गांव

191. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कौन-कौनसे गांव जनजाति क्षेत्र (टाडा) में आते हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(2) क्या यह सही है कि तहसील शाहपुरा, बनेड़ा व फुलिया कलां में जनजाति बहुल गांवों को जनजाति क्षेत्र में जोड़ने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस गांव एवं पंचायत के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शाहपुरा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कोई गांव अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं।

(2) जी नहीं। तीनों तहसील शाहपुरा, बनेड़ा व फुलिया कलां में जनजाति बहुल गांवों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदडों की पूर्ति नहीं करने के कारण भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भिजवाये गये हैं।

(3) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रमिक कल्याण योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन

193. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रमिक कार्ड द्वारा बून्दी जिले में 01.04.2018 से 15.05.2019 तक कितने आशार्थियों को लड़की की शादी के लिए राशि स्वीकृत हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रमिक कार्ड के तहत श्रमिक कल्याण योजनाओं के कितने प्रकरण लम्बित हैं? योजना के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में 01.04.2018 से 15.05.2019 तक 204 लाभान्वितों को शुभशक्ति योजना के अन्तर्गत 11220000 की राशि स्वीकृत की गयी। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बून्दी जिले में 1962 आवेदन लम्बित हैं। योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन व योजनाओं के आवेदनों में अत्यधिक वृद्धि होने तथा बून्दी जिले में दो श्रम निरीक्षकों के पद रिक्त रहने व कार्यरत श्रम कल्याण अधिकारी के परिवीक्षा काल में होने की वजह से पेंडेन्सी का निस्तारण चरणबद्ध आधार पर करने का निर्णय लिया जाकर सर्वप्रथम सिलिकोसिस सहायता योजना, मृत्यु योजना, शिक्षा सहायता योजना आदि का निस्तारण ''पहले आओ पहले पाओ'' (फीफो) पद्धति से आनालाइन किया जा रहा है। प्रासांगिक है कि पेन्डेन्सी निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर पर विशेष कन्ट्रोल रूम स्थापित कर निस्तारण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अम्बेडकर छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की कार्ययोजना

196. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में अम्बेडकर छात्रावासों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) जिला हनुमानगढ़ में कितने छात्रावास हैं व उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त में गत पांच वर्षों में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम के अनुसार पात्रता पाये जाने पर बजट की उपलब्धता अनुसार छात्रावास की स्वीकृति जारी की जा सकती है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) हनुमानगढ़ जिले में 12 राजकीय एवं एक अनुदानित, कुल 13 छात्रावास संचालित हैं, जिनकी स्वीकृत क्षमता 710 छात्र-छात्राओं की है। सभी 12 राजकीय छात्रावास राजकीय भवन में एवं एक अनुदानित छात्रावास संस्थागत भवन में संचालित है। गत पांच वर्षों में उक्त छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुल्फी-आइसक्रीम विक्रेताओं के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता

197. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कुल्फी एवं आइसक्रीम उत्पादन करने वालो के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुल्फी व आइसक्रीम की फुटकर बिक्री भी की जाती है? यदि हां, तो उक्त विक्रेता उक्त पदार्थ निर्धारित मानदण्डों पर विक्रय करें इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लाइसेंस की अनिवार्यता पूर्व से लागू है। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम 2011 और खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योग्यता) विनियम 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार कुल्फी एवं आइसक्रीम उत्पादनकर्ताओं एवं सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम 2011 और खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योग्यता) विनियम 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कुल्फी एवं आइसक्रीम रिटेलर (फुटकर), खाद्य कारोबारी फर्म/संस्थाओं का भौतिक निरीक्षण किया जाकर संबंधित द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम 2011 और खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योग्यता) विनियम 2011 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों पर खाद्य पदार्थो का विक्रय किये जाने हेतु लाइसेन्स जारी किया जाता है।

निर्धारित मानदण्डों पर विक्रय हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाकर कुल्फी एवं आइसक्रीम के उत्पादनकर्ताओं/रिटेलर (फुटकर) खाद्य कारोबारी संस्थाओं का निरीक्षण कर, खाद्य नमूना लिया जाता है एवं उनके द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्धारित मानदण्डों पर विक्रय नहीं किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धाराओं के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फसली ऋण माफ किये जाने की कार्ययोजना

198. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश के किसानों का फसली ऋण माफ किये जाने की स्वीकृति जारी की है? यदि हां, तो कितनी राशि तक का कर्जा माफ किये जाने का प्रावधान है और इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने प्रदेश के किसानों का माह अक्टूबर, 2018 के पश्चात

(श्री नारायण सिंह देवल)

से 10 जून, 2019 तक किस-किस जिले में कितने किसानों का, कितनी-कितनी राशि का कर्जा माफ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कर्जमाफी से वंचित रहे शेष सभी किसानों का कर्जा माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित अल्पकालीन फसली ऋण जो किसानों की ओर दिनांक 30.11.2018 को बकाया था, सम्पूर्ण राशि माफी हेतु पात्र है। कर्जा माफी हेतु निर्धारित मापदण्ड, पात्रता एवं अन्य शर्तें योजना में उल्लेखित हैं। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2019 तक ऋण माफी पोर्टल पर प्रदर्शित सूचनानुसार 1960739 कृषकों का आधार आधारित अभिप्रमाणन पूर्ण होकर 7549.46 करोड़ की माफी प्रदत्त की जा चुकी है। जिलेवार ब्यौरा परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण (एन पी ए) माफ किये जाने के संबंध में बैंकों से परामर्श कर ओ.टी.एस. (एक मुश्त समझौता योजना) लाए जाने हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक की कार्ययोजना

199. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वनों की रक्षा के लिए एवं अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में भीम, खेजड़ा, पीपल, सागवान, शीशम व अन्य पेड़ों की अवैध रूप से कटाई होती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(3) क्या सरकार अवैध रूप से पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वन क्षेत्रों में पेड़ों का अवैध कटान करने वालों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 व संशोधित अधिनियम, 2012 तथा 2014 की धारा 26, धारा 32 व धारा 33 अंतर्गत कार्यवाही का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में अवैध कटान करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 29 के अन्तर्गत प्रावधान है।

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 व संशोधित अधिनियम, 2012 तथा 2014 की आंशिक प्रति संलग्न परिशिष्ट-ए एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की आंशिक प्रति संलग्न परिशिष्ट-बी अनुसार है।

(2) जी हां। प्रदेश में वन क्षेत्र की भूमि पर सभी प्रजातियों के पेड़ों का कटान प्रतिबंधित है।

विगत पांच वर्षों में वन क्षेत्र की भूमि पर पेड़ों का अवैध कटान करने वालों के विरुद्ध दर्ज वन अपराध प्रकरण एवं वसूल एवजाना राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**अवैध कटान के दर्ज प्रकरण**	**वसूल एवजाना राशि (लाख रुपये में)**
2014-15	6024	163.99
2015-16	5780	200.54
2016-17	4417	188.19
2017-18	4085	179.80
2018-19	3767	163.54

(3) राज्य के वन क्षेत्रों में पेड़ों के अवैध कटान की रोकथाम हेतु राजस्थान वन अधिनियम 1953 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 सरकार द्वारा लागू है। राजस्थान वन (संशोधित) अधिनियम, 2012 द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 में वन अपराध प्रकरणों

(राज्य मंत्री, वन)

में प्रयुक्त, जब्तशुदा (Seized) वाहन को अधिहरित (Confiscate) किये जाने का प्रावधान किये गये हैं।

उक्त अधिनियमों में अवैध कटान प्रकरणों के विरुद्ध उचित कार्यवाही के मौजूद प्रावधानों के मद्देनजर इस सम्बन्ध में और नई नीति बनाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गांवों में खेलों को प्रोत्साहन की योजना

200. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा गांवों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्ष में जिला श्रीगंगानगर में इस तरह की कितनी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गांवों से प्रतिभाओं को खोजने के लिए तहसील स्तर पर खेलकूद कैम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट का आबंटन किया जाता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षो में सरकार द्वारा श्रीगंगानगर जिले में खेलों हेतु कितने बजट का आबंटन किया गया व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर जिले में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना राजीव गांधी खेल योजना के अन्तर्गत ब्लाक एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। खेलो इंडिया योजनान्तर्गत अण्डर 14 एवं 17 आयु वर्ग के जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है-

श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक ब्लाक एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता पर 11,51,360/ रु. खर्च किये गये। इस पर व्यय होने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। तहसील स्तर पर खेलकूद कैम्प लगाने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(3) जी हां। सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को बजट आबंटन किया जाता है। जिलेवार बजट आबंटन नहीं किया जाता है मांग/आवश्यकतानुसार राशि जिलों को आबंटित की जाती है। पिछले पांच वर्षों में श्रीगंगानगर को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय विवरण निम्नानुसार है-

- बालक एथलेटिक्स अकादमी श्रीगंगानगर हेतु वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के संचालन एवं संधारण में राशि रु. 70,80,417/- खर्च किये गये। विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।
- प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजन हेतु श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक राशि रु. 2,00,000/- खर्च की गई। इसका विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

  वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक राज्य सरकार द्वारा श्रीगंगानगर जिले में खेलों हेतु राशि रु. 29,93,000/- आबंटित की गई, जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में श्रमिकों के कल्याण की कार्ययोजना

201. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रमिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं से गत पांच वर्षों में कितने लोगों को राहत दी गई? विधान सभावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा विगत 9 माह से श्रमिक कल्याण हेतु बनाई गई विभिन्न योजनाओं में बजट जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? बाड़मेर जिले में ऐसे कितने प्रकरण विभिन्न श्रेणियों में लम्बित हैं? उक्त लम्बित प्रकरणों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा? विधान सभावार लम्बित प्रकरणों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के सभी ब्लाकों में विकास अधिकारी को अधिकार दे रखे हैं, जिसके कारण बजट होते हुए भी आवेदकों को समय पर राहत नहीं मिल रही है? यदि हां, तो शीघ्र ही श्रमिक वर्ग को समय पर लाभ मिल सके, इस हेतु क्या-क्या प्रावधान किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) असंगठित क्षेत्र के ''भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित'' अथवा ''निर्माण श्रमिकों'' हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत 5 वर्षों में मण्डल की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वितों का विधान सभावार विवरण निम्नानुसार है:-

1. बाड़मेर- 3799
2. बायतू- 7630
3. चौहटन- 3535
4. गुढामालानी- 4338
5. पचपदरा- 5116
6. शिव- 2240
7. सिवाना- 5457

योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु जिलों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाता है। बजट की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले से उपयोगिता प्रमाण-पत्र व मांग प्राप्त होने पर बजट आरटीजीएस के मार्फत तत्काल हस्तांतरित कर दिया जाता है। बाड़मेर जिले को 2.52 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। (परिशिष्ट-3)

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन व योजनाओं के आवेदनों में अत्यधिक वृद्धि होने, अराजपत्रित व राजपत्रित अधिकारियों के 151 पद रिक्त होने तथा 115 अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों के परिवीक्षा काल में होने की वजह से

(राज्य मंत्री, श्रम)

पैंडेन्सी का निस्तारण चरणबद्ध आधार पर करने का निर्णय लिया जाकर सर्वप्रथम सिलिकोसिस सहायता योजना, मृत्यु योजना, शिक्षा सहायता योजना आदि का निस्तारण पहले आओ पहले पाओ (फीफो) पद्धति से आनलाइन किया जा रहा है। बाड़मेर जिले में लम्बित प्रकरणों की विधान सभावार सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) बाड़मेर जिले में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निस्तारण जिला श्रम कार्यालय द्वारा ही किया जा रहा है। पेन्डेन्सी निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर पर विशेष कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें 126503 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पोलीटैक्निक कालेज, जोधपुर में माइनिंग इंजीनियरिंग की नई शाखा खोलने की कार्ययोजना

202. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजकीय पोलीटैक्निक कालेज, जोधपुर में माइनिंग इंजीनियरिंग की नई शाखा खोलने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा के अनुरूप नई शाखा खोलने के लिए जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक उक्त नई शाखा नहीं खोली गयी है? यदि हां, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय की गयी तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अब उक्त नवीन माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच को राजकीय पोलीटैक्निक कालेज जोधपुर में कब तक प्रारम्भ कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय, जोधपुर में माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच प्रारम्भ करने बाबत जारी प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-। पर संलग्न है। इस संबंध में वित्तीय स्वीकृति जारी होना शेष है क्योंकि नवीन अतिरिक्त शाखा को प्रारम्भ किये जाने हेतु अखिल भारतीय

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)
तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के मापदण्डानुसार NBA Accreditation प्राप्त किये जाने की बाध्यता है।

NBA Accreditation प्राप्त करने हेतु निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। बिन्दु संख्या 01 में वर्णित उपरोक्तानुसार।

(3) राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय, जोधपुर में संचालित एक शाखा को NBA Accreditation प्राप्त होने के पश्चात ही माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच प्रारम्भ किये जाने बाबत कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सांभर झील में अवैध ट्यूबवैलों पर कार्यवाही

207. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सांभर झील का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है? यदि हां, तो सांभर झील के क्षेत्रफल की 10 वर्ष की स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सांभर झील में अवैध ट्यूबवैल आदि की वजह से पैदा होने वाले नमक की मात्रा गत दस वर्षों में लगातार कम हुई है? यदि हां, तो विगत दस वर्षों में नमक के उत्पादन का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व ग्रुप-1 विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.11.2016 एवं 10.05.2017 के अनुसार सांभर झील के अनसैटल्ड क्षेत्र के सर्वेक्षण पश्चात् दो नये राजस्व ग्राम सांभर झील नावां क्षेत्रफल 11013 हैक्टेयर एवं सांभर झील फुलेरा क्षेत्रफल 8539 हैक्टेयर मिलाकर कुल क्षेत्रफल 19552 हैक्टेयर है। इससे पूर्व सांभर झील क्षेत्र का सैटलमेंट सर्वे इस रूप में नहीं हुआ था अतः क्षेत्रफल का दशकवार विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) सांभर झील मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड को 99 वर्षों के लिए लीज पर दी गयी है। मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा गत दस वर्षों में किए गये नमक उत्पादन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	उत्पादित नमक की मात्रा
2009-10	201127.214 मै. टन
2010-11	80583.497 मैं. टन
2011-12	151682.933 मैं. टन
2012-13	168648.713 मैं. टन
2013-14	180459.215 मैं. टन
2014-15	185022.672 मैं. टन
2015-16	206955.165 मैं. टन

(उद्योग मंत्री)

वर्ष	उत्पादित नमक की मात्रा
2016-17	262458.196 मै. टन
2017-18	265313.213 मै. टन
2018-19	251478.984 मै. टन

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा

208. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डीएमआईसी (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर) के अंतर्गत प्रदेश में भूमि अवाप्त की गयी है? यदि हां, तो कहां-कहां, किस-किसकी, कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गयी है तथा अवाप्त की गयी भूमि का किस-किसको, कितना-कितना किस दर से मुआवजा दिया गया है? खातेदार के नाम सहित जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कोरिडोर के अंतर्गत प्रदेश में क्या-क्या निर्माण कार्य किस-किस विभाग द्वारा किया जा चुका है व कितना कार्य शेष है व शेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अवाप्त की गयी भूमि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

अवाप्त की गयी भूमि के मुआवजा भुगतान की राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) डीएमआईसी कोरिडोर के अन्तर्गत प्रथम चरण में 2 नोड-खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाना है। आज दिनांक तक डीएमआईसी विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मिट्टी के बर्तन एवं ईंट-भट्टों के लिए नवीन उद्योग नीति

209. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में कुम्हार समाज के परम्परागत व्यवसाय मिट्टी के बर्तन एवं ईंट-भट्टों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नई उद्योग नीति बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अधिसूचना कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

संबल ग्राम विकास योजना का संचालन

210. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में विकास हेतु संबल ग्राम विकास योजना का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो योजना की पात्रता एवं शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में विगत 5 वर्षों में किन-किन गांवों में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये व कितने गांवों में कार्य स्वीकृत करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में विकास हेतु सम्बल ग्राम विकास योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना की पात्रता एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिश-निर्देश परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त योजना में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में विगत 5 वर्षो में स्वीकृत कार्यों एवं गांव सहित विवरण ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियां सम्मिलित करने की पात्रता

211. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) किसी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़ने के लिए राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या प्रक्रिया अपनाता है? क्या सरकार द्वारा उस जाति की पात्रता जांचने के लिए राज्य स्तर पर सर्वे करवाने का प्रावधान है? क्या सरकार द्वारा दिनांक 18-09-2013 को एक अधिसूचना जारी कर कुछ जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया था? यदि हां, तो अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिसूचना में सम्मिलित सभी जातियों की पात्रता की जांच हेतु राज्य स्तरीय सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो इनमें से कई जातियां ऐसी भी हैं जिन्हें बिना सर्वे ही सम्मिलित कर लिया गया था? यदि हां, तो कौन कौनसी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस संबध में तथ्य यह है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2017 से पूर्व इन्द्रा साहनी के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा मण्डल आयोग के सर्वे की प्रक्रिया को सही ठहराया No objection can be, nor is taken, to the validity and relevancy of the criteria adopted by the Mandal Commission साथ ही यह भी निर्धारित किया कि किसी वर्ग का सामाजिक पिछड़ापन तय करते समय जाति को आधार माना जा सकता है और यदि सम्पूर्ण जाति सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई पाई जाती है तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाना उचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार प्रत्येक सामाजिक वर्ग की स्थिति अलग-अलग होने के कारण उनकी पहचान के लिए सभी पर एक समान लागू होने वाले आधार तय नहीं किये जा सकते और ऐसे वर्गों की पहचान का कार्य जाति के आधार पर, जो विशेष रूप से पहचाने जाने वाला सामाजिक वर्ग है, शुरू किया जा सकता है। सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान हेतु नियुक्त प्राधिकारी जाति को आधार मानकर उस पर पिछड़ेपन के जो आधार बताये हैं, उन्हें लागू कर यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि वह जाति सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है या नहीं। पिछड़ेपन की पहचान का तरीका अलग-अलग राज्यों में व एक राज्य के किसी क्षेत्र में अलग-अलग स्थितियां

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

होने के कारण अलग-अलग हो सकता है। अतः उस पहचान करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर करता है कि वह ऐसी प्रक्रिया व आधार तय करे जो वह उचित समझे। जब तक ऐसे आधार उचित व पर्याप्त हो तो न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

इस प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पालना में उपरोक्त अधिनियम के द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। जिसकी धारा 9 इस प्रकार है-

आयोग के कृत्य

1. आयोग, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देशों के निबंधनों के अनुसार, नागरिकों के किसी वर्ग को संबंधित पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग में सम्मिलित करने के लिए अनुरोधों का परीक्षण करेगा और पिछड़े वर्ग के किसी भी प्रवर्ग में अधिक सम्मिलित किये जाने या कम सम्मिलित किये जाने की शिकायतें सुनेगा और उस पर राज्य सरकार को सिफारिशें करेगा।

2. उप-धारा (1) के अधीन आयोग की सिफारिशें सामान्यतः आबद्धकर होंगी किन्तु राज्य सरकार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, सिफारिशों को खारिज कर सकेगी या उन्हें आयोग को अपनी सिफारिशों के समर्थन में और अध्ययन करने के लिए वापस निर्दिष्ट कर सकेगी। इस अधिनियम की धारा 8 इस प्रकार है -

आयोग द्वारा प्रक्रिया का विनियमित किया जाना -

1. आयोग की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर होगी जो अध्यक्ष ठीक समझे।
2. आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।
3. आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जाएंगे।

उपरोक्त विधिक परिस्थिति में प्रत्येक वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाए, वह आयोग स्वयं विनियमित करता है तथा प्रत्येक मामले में उपरोक्त वर्णित न्याय निर्णय के अनुसार एक जैसी प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती परन्तु जो प्रक्रिया आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है वह उचित एवं पर्याप्त होनी आवश्यक है और

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

यदि ऐसी प्रक्रिया उचित एवं पर्याप्त नहीं है तो न्यायालय को इसमें ऐसे मामले में हस्तक्षेप का अधिकार होगा। धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन भी राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वह लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से आयोग की सिफारिशों को खारिज करती है या उन्हें आयोग को अपने स्वार्थों के संबंध में और अध्ययन करने के लिये वापस निर्दिष्ट कर सकेगी। प्रत्येक मामले में जाति की पात्रता जांचने के लिये राज्य स्तरीय सर्वे करवाने का प्रावधान नहीं है। दिनांक 18.09.2013 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा कुल 13 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया था जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) इस संबंध में यह है कि इस अधिसूचना में सम्मिलित किसी भी जाति की पात्रता की जांच हेतु राज्यस्तरीय सर्वे नहीं कराया गया था। ये जातियां दिनांक 18.09.2013 की अधिसूचना में सम्मिलित सभी जातियां हैं। इन जातियों/वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के अलग-अलग प्रक्रिया तत्कालीन आयोग द्वारा अपनायी गयी व अपनी अभिाशंसा की गयी। उपरोक्त अधिसूचित 13 जातियों के संबंध में आयोग द्वारा जो प्रक्रिया अपनाकर अपनी अभिशंसा की थी, वे आयोग के बारहवें, तेरहवें व चौदहवें प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं। परिशिष्ट ख

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगानगर जिले में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन के आवेदन

212. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वृद्धावस्था व विधवा महिलाओं को पेंशन स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त पेंशन के लिए श्रीगंगानगर जिले में कितनें लोगों ने आवेदन किया और कितने लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई? वर्षवार, तहसीलवार व वर्गवार आवेदकों व लाभार्थियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दिये जाने के लिये वर्तमान में प्रभावी नियम, पात्रता की शर्तें (मानदण्ड) एवं प्रक्रिया संबंधी आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 से 3 पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में वृद्धावस्था, विधवा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं उनमें से स्वीकृत/वितरित लाभार्थियों का वर्षवार, तहसीलवार एवं वर्गवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय आर.आर.सी. में स्पीच थैरेपी के संविदा पर लगे चिकित्सकों का नियमितीकरण

213. श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में आर.आर.सी. में स्पीच थैरेपी चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त पदों पर कौन-कौन चिकित्सक कब से कार्यरत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में आर.आर.सी. के स्पीच थैरेपी संविदा पर लगे चिकित्सकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में आर.आर.सी. में स्पीच थैरेपी चिकित्सक का कोई पद सृजित नहीं है।

(2) चूंकि स्पीच थैरेपी चिकित्सक का कोई पद सृजित ही नहीं है, तदनुसार आर.आर.सी. में कोई भी स्पीच थैरेपी चिकित्सक कार्यरत नहीं है।

(3) उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

निजी चिकित्सालयों में रोगी मित्रों की नियुक्ति

214. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के निजी चिकित्सालयों

(श्रीमती इन्द्रा)

में रोगी मित्र नियुक्त करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किन-किन चिकित्सा संस्थानों में रोगी मित्रों की नियुक्ति की गई? चिकित्सालयवार व उनमें नियुक्त रोगी मित्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रोगी मित्रों के सहयोग से कौन-कौनसे चिकित्सा संस्थानों में निम्न आय वर्ग के मरीजों का फ्री इलाज करवाया गया? चिकित्सालयों व उनमें नियुक्त रोगी मित्र द्वारा नि:शुल्क इलाज करवाने वाले मरीजों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन रोगी मित्रों ने अब तक एक भी मरीजों का नि:शुल्क इलाज नहीं करवाया, सरकार उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रियायती दरों पर आबंटित भूमि पर स्थित जयपुर के 25 निजी चिकित्सालयों में बीपीएल (निम्न आय वर्ग) मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में सहयोग हेतु उन्हीं चिकित्सालयों के कार्मिकों को रोगी मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। रोगी मित्रों की चिकित्सालयवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त रोगी मित्रों के सहयोग से बीपीएल मरीजों का नि:शुल्क इलाज कराने वाले निजी चिकित्सालयों का लाभान्वित मरीजों की संख्या सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) पांच निजी चिकित्सालय जिनमें नियुक्त रोगी मित्रों के माध्यम से बीपीएल मरीजों का नि:शुल्क उपचार नहीं हुआ है, को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पी.पी.पी. मोड पर संचालित चिकित्सालयों में प्रदत्त सुविधाएं

215. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पी.पी.पी. मोड पर कितने सरकारी चिकित्सा संस्थान किस–किस कंपनी व संस्था के माध्यम से संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में पी.पी.पी. मोड पर चिकित्सा संस्थानों के संचालन का मुख्य प्रयोजन आमजन को अपने नजदीक के निजी चिकित्सालय जो पी.पी.पी. मोड पर संचालित हैं, में सभी सरकारी योजनाएं उपलब्ध कराना है? यदि हां, तो पी.पी.पी. मोड पर संचालित चिकित्सालयों में किन–किन सरकारी योजनाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर स्थित मैट्रो मास चिकित्सालय भी सरकार की पी.पी.पी. मोड श्रेणी चिकित्सालय में सम्मिलित है? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में क्या–क्या राजकीय सुविधाएं एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? विगत पांच वर्षो में उक्त चिकित्सालय में कितनी महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना, मुख्य मंत्री राजश्री योजना इत्यादि योजनाओं का लाभ दिया गया है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पी.पी.पी. मोड पर संचालन करने वाली कंपनी या संस्था को सरकार द्वारा अब तक कितना भुगतान किया गया एवं इसके लिए क्या–क्या मानदंड व नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन पीपीपी मोड पर 82 चिकित्सा संस्थान संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पीपीपी मोड पर 34 संचालित हैं जिनकी संस्थावार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मानस आरोग्य सदन, मानसरोवर जयपुर मैसर्स मैट्रो मास हास्पिटल प्रा. लि. के माध्यम से संचालित है।

(2) जी हां। प्रदेश में पीपीपी मोड पर चिकित्सा संस्थानों के संचालन का प्रयोजन आमजन को उक्त संस्था पर निर्धारित गाइडलाइन अनुसार दी जाने वाली सभी चिकित्सा सेवाएं/सरकारी योजना को उपलब्ध कराना है। लेकिन पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थानों के संचालन के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त होने के कारण विभाग द्वारा पीपीपी मोड पर दी गयी चिकित्सा संस्थानों पर दी जाने वाली चिकित्सा सेवाएं/सरकारी योजना के संबंध में पुन: समीक्षा की जा रही है।

पीपीपी मोड पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

गाइडलाइन के अनुसार उपलब्ध करवाये जाने वाली चिकित्सा सेवा/सरकारी योजना, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

प्राथमिक स्वास्थ्य केयर यथा- आउटडोर, इन्डोर, संस्थागत प्रसव, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजनाएं इत्यादि।

मानस आरोग्य सदन, मानसरोवर जयपुर (मै. मैट्रो मास हास्पिटल प्रा. लि.) के संचालन का प्रयोजन आमजन को उच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधा बाजार की अपेक्षा कम दर पर तथा बीपीएल, राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स को नि:शुल्क उपलब्ध कराना है।

(3) जी हां। मैट्रो मास चिकित्सालय में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं बीपीएल मरीजों को नि:शुल्क इलाज सरकारी योजना के तहत दिया जा रहा है तथा उक्त अस्पताल में जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

(4) पीपीपी मोड पर संचालित ग्रामीण पीएचसी का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	राशि
1	2016-17	664.64 लाख रुपये
2	2017-18	1352.13 लाख रुपये
3	2018-19	1760.53 लाख रुपये
4	2019-20	208.33 लाख रुपये
	कुल	3985.63 लाख रुपये

उक्त पीएचसी को पीपीपी मोड पर संचालित करने हेतु नियम एवं शर्तें ईनिविदा आरएफपी में अंकित है, जो परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पीपीपी मोड पर संचालन करने वाली संस्थाओं को अब तक संबंधित जिले द्वारा किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है एवं नियम मापदण्ड का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राशि रु. 18,73,000/- का

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

भुगतान मैट्रो मास चिकित्सालय को कन्सेशन एग्रीमेंट जो कि प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय और मैट्रो मास हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के तहत किया गया है। मानदण्ड का विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली के चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पद

216. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मावली के चिकित्सालयों में चिकित्सक, नर्सिंग, परिचारक व मंत्रालयिक वर्ग के स्वीकृत पदों में से कितने पद किन-किन स्थानों पर रिक्त हैं व सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मावली विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों के 36 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 पद रिक्त हैं। स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी/पीजी पूर्ण कर आने वाले चिकित्सकों से प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जाएंगे। इसके साथ ही चिकित्सकों के रिक्त पदों को स्थानान्तरण एवं आगामी भर्ती प्रक्रिया से भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

नर्सिंग संवर्ग के 174 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 11 पद रिक्त हैं। स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

चिकित्सा विभाग में नर्सिंग संवर्ग में रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों को प्राथमिकता के साथ भरे जाने का प्रयास किया जायेगा। विभाग में पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

मंत्रालयिक संवर्ग के 5 पद स्वीकृत हैं, इनमें से कोई पद रिक्त नहीं है। चिकित्सा विभाग में परिचारक के नाम से कोई पद नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर में चिकित्सकों के रिक्त पद

217. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के चिकित्सालयों में वर्तमान में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारियों के 39 पद एवं अराजपत्रित संवर्ग के कर्मचारियों के 292 पद स्वीकृत हैं, जिनका विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) चिकित्सकों के पदोन्नति के पदों को पदोन्नति एवं डीएसीपी/पीजी पूर्ण कर आने वाले चिकित्सकों से प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती एवं स्थानान्तरण के द्वारा भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त प्राथमिकता के साथ भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

सीधी भर्ती के पदों को भर्ती उपरान्त भरने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नसबंदी आपरेशन असफल होने पर मुआवजा

218. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षो में कितने नसबंदी के आपरेशन हुए

(श्री वासुदेव देवनानी)

तथा कितने नसबंदी केस असफल हुए तथा कितनी महिलाओं एवं पुरुषों की मृत्यु हुई? वर्षवार व जिलेवार महिला व पुरुषों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान नसबंदी असफल व मृत्यु होने पर कितनी राशि का मुआवजा कितने लोगों को वितरित किया गया? वर्षवार व जिलेवार महिला, पुरुषों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में नसबंदी के कुल 13,81,815 आपरेशन हुए जिनका वर्षवार व जिलेवार महिला व पुरुषों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इनमें कुल 11641 (11470 महिला एवं 171 पुरुष) केस असफल हुए तथा किसी पुरुष की मृत्यु नहीं हुई, कुल 35 महिलाओं की मृत्यु हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान नसबंदी असफल होने पर कुल 7483 लोगों को कुल राशि 22,44,90,000/- रुपये (अक्षरे रु. बाईस करोड़ चवालीस लाख नब्बे हजार मात्र) एवं कुल 35 मृत्यु केसेज में राशि 62,50,000/- रुपये (अक्षरे रु. बासठ लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान किया गया है। वर्षवार व जिलेवार महिला व पुरुषों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लघु सीमान्त कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन

219. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि लघु सीमान्त किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने हेतु नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त पेंशन किस तिथि से लागू की गयी है? राजसमंद विधान सभा क्षेत्र एवं जिले में कितने किसानों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान में लघु एवं सीमान्त वृद्ध किसानो को भी वृद्धजन पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने के क्रम में राज्य सरकार ने राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त पेंशन नियम 2019 जारी किये गये हैं। उक्त पेंशन योजना दिनांक 01.03.2019 से प्रभावी है।

राजसमंद विधान सभा क्षेत्र एवं जिले में कुल 119238 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिसमें से 2819 किसान उक्त योजना में लाभ ले रहे हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियां

220. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहकारी समितियों द्वारा किसानों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं व इनमें क्या-क्या लाभ हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किसानों को ऋण देने के लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 27 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। यथा:- अल्पकालीन फसली ऋण, खाद व बीज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुएं तथा मिनी बैंक की सेवाएं।

इससे किसानों को समय पर साख सुविधा, खाद बीज व अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित दर पर उपलब्ध करवाई जाकर लाभान्वित किया जाता है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) किसानों को ऋण लेने के लिए निम्न शर्तें निर्धारित की गयी हैं।

यथा:- कृषक कृषि भूमि धारक हो, उसी क्षेत्र का निवासी हो, ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य हो।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं

221. श्री अमीन खां (शिव): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत सात वर्ष पूर्व सरकार ने प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में आवासीय स्कूलें स्वीकृत की थीं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा निरस्त की गई स्कूलों को पुन: खोलने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) वर्ष 2013-14 में स्वीकृत उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय हेतु बजट में टोकन राशि 1000/- रुपये का प्रावधान किया गया है।

(3) विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समाज के शैक्षिक उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मैरिट कम मीन्स, छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं एवं अनुप्रति योजना, शिक्षा ऋण, नि:शुल्क छात्रावास, मदरसा शिक्षा तथा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य व कौशल विकास के आधारभूत संरचना के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं।

जैतारण के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

222. श्री अविनाश (जैतारण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों में कितनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहयोगिनी कार्यरत हैं तथा

(श्री अविनाश)

कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र रहित स्थानों पर नये आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं? क्या सरकार भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कुल 348 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त केन्द्रों में 341 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं तथा 7 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त हैं एवं आशा सहयोगिनी के 16 पद रिक्त हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड सभा द्वारा चयन किया जाता है। जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र रहित स्थानों पर वर्तमान में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने पर भारत सरकार द्वारा रोक है।

(3) विधान सभा जैतारण में दो परियोजना क्रमश: जैतारण एवं रायपुर संचालित है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 348 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। किराये के भवनों में संचालन की स्थिति निम्नानुसार है-

परियोजना का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र
जैतारण	224	53
रायपुर	124	04
कुल	348	57

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की बढ़ोतरी का भुगतान

223. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना मानदेय दिया जाता है और उक्त मानदेय में विगत पांच वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी वृद्धि की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मानदेय में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्यकर्मियों के समान दर्जा देकर अन्य सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या गत वर्ष में की गई मानदेय में बढ़ोतरी का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय एवं विगत 5 वर्षों में की गई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार मानदेय वृद्धि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मानदेयकर्मी हैं। राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 एवं संशोधित नियम 2009 एवं 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारियों के समान दर्जा देने का प्रावधान नहीं है अपितु पर्यवेक्षक संवर्ग में 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये आरक्षित हैं जिसमें लिखित परीक्षा द्वारा विशेष सीधी भर्ती के माध्यम से उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है, जो स्नातक उत्तीर्ण हो एवं जिन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यानुभव हो।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(4) गत वर्ष आदेश क्रमांक 50710-51360 दिनांक 03-04-18 द्वारा दिनांक 01-04-18 से मानदेय की दरों में वृद्धि की गई थी। वर्तमान में उक्त दरों से ही मानदेय कार्मिकों को मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टाडा-माडा योजनान्तर्गत संचालित छात्रावास

224. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में टाडा-माडा आदि योजनाओं में कितने छात्रावास संचालित एवं स्वीकृत हैं? कितने छात्रावासों हेतु भवन स्वीकृत एवं उपलब्ध हैं तथा कितने छात्रावास हेतु भवन नहीं हैं? योजनावार पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में से कितने छात्रावास शिक्षण संस्थान से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं तथा छात्रावास में निवासरत छात्र/ छात्राओं को शिक्षण संस्था तक लाने ले जाने सम्बन्धी क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या छात्रावास भवनों अथवा किराये पर संचालित छात्रावास भवनों के लिए समीपस्थ स्थित शिक्षण संस्था से अधिकतम दूरी बाबत निर्देश/परिपत्र जारी किए हुए हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? अब कब तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या घटिया निर्माण एंव अव्यवस्थाओं के कारण छात्रावास भवनों के निर्धारित समय पूर्व ही जीर्ण-शीर्ण होने की भी समस्या है? यदि हां, तो इसके सुधार हेतु क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सत्र 2018-19 में माडा योजनान्तर्गत 59, बिखरी योजनान्तर्गत 22, अनुसूचित क्षेत्र में 283 और सहरिया क्षेत्र में 29 कुल 393 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। 393 छात्रावासों के लिए भवन की सुविधा उपलब्ध है। आश्रम छात्रावास की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा टाडा, माडा योजना में छात्रावास संचालित नहीं किये जाते हैं परन्तु विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु 719 राजकीय एवं 85 अनुदानित कुल 804 छात्रावास स्वीकृत है जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। जिन छात्रावासों हेतु भवन स्वीकृत एवं उपलब्ध है तथा जिन छात्रावासों हेतु भवन उपलब्ध एवं स्वीकृत नहीं हैं, का योजनावार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(2) योजनान्तर्गत अधिकतर आश्रम छात्रावास शिक्षण संस्थान के नजदीक पर स्थित है। 46 छात्रावास शिक्षण संस्थान से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। उक्त छात्रावासों में से 15 छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं हेतु साइकिल जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवा रखी है। शिक्षण संस्थान से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित छात्रावास की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 804 छात्रावासों में से 233 राजकीय छात्रावास ऐसे हैं जो विद्यालयों एवं कन्या महाविद्यालयों से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 146 में घोषणा की गयी है कि जो राजकीय छात्रावास विद्यालयों एवं कन्या महाविद्यालयों से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हैं, ऐसे 233 राजकीय छात्रावासों के विद्यार्थियों हेतु साइकिल क्रय कर छात्रावास द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी, जिसकी पालना में विभाग द्वारा साइकिल क्रय किये जाने हेतु ई-निविदा जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) छात्रावास भवनों अथवा किराये पर संचालित छात्रावास भवनों के लिए समीपस्थ स्थित शिक्षण संस्था से अधिकतम दूरी बाबत कोई निर्देश/परिपत्र जारी नहीं किए हुए हैं। विभागीय छात्रावासों के भूमि का चयन विद्यालयों के निकटतम करने हेतु विभाग द्वारा यथासंभव प्रयास किये जाते हैं। वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित कोई भी छात्रावास किराये के भवन में संचालित नहीं है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 4 में छात्रावास ऐसे तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

हो तथा ऐसी ग्राम पंचायत जिसके आस-पास कम से कम 5 माध्यमिक स्तर के विद्यालय हों, पर छात्रावास का आवश्यकतानुसार खोले जाने का प्रावधान किया गया है। विवरण परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(4) घटिया निर्माण एवं अव्यवस्थाओं के कारण छात्रावास भवनों के निर्धारित समय पूर्व ही जीर्ण/शीर्ण होने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। छात्रावासों में मरम्मत एवं जीर्णोद्वार की आवश्यकता होने पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर मरम्मत कार्य करवाये जाते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास भवनों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग/आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा किया जाता है। छात्रावासों के निर्माणाधीन होने/पूर्ण होने के बाद भी मुख्यालय के अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता व जिला स्तरीय अधिकारीगण से सामूहिक निरीक्षण करवाया जाता है। घटिया निर्माण व जीर्ण/शीर्ण भवन के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जाकर निराकरण करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को प्रदत्त अधिकार

225. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) संविधान में पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को क्या-क्या अधिकार दिये गये हैं? सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान हेतु एवं उनके शोषण को रोकने हेतु क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आदिवासियों के कल्याण हेतु कौन-कौनसी अधिसूचनाएं एवं नियम जारी किये गये हैं? क्या इनसे आदिवासी समाज को वास्तविक लाभ मिल पाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की ठेका पद्धति एवं टोल-टैक्स लगाना उचित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) · संविधान की पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियत्रंण के संबंध में प्रावधान है।

पांचवीं अनुसूची में आदिवासियों को अधिकार नहीं दिये गये हैं, बल्कि आदिवासियों के कल्याण एवं हितों के संबंध में प्रावधान एवं राज्यपाल महोदय की शक्तियों का उल्लेख है।

· राज्य में जनजातियों के उत्थान एवं उनके शोषण को रोकने हेतु किये गये प्रावधान निम्नानुसार हैं-

1. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में राज्य की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजकीय कर्मचारियों का ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 बनाये गये हैं"।
2. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में कृषि भूमि के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 में निम्न प्रावधान किये गये हैं-

(1) यदि कोई विक्रय, दान या वसीयत किसी अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को की जाती है, जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, या

(2) यदि कोई विक्रय, दान या वसीयत किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को की जाती है, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

उक्त प्रकार के संव्यवहार शून्य है।

3. Rajasthan Minor Mineral Concession Rules-2017 के नियम 16 में माइनिंग लीज आबंटन से संबंधित प्रावधान है।

नियम-16(7) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में -

(i) For mineral masonary stone, one third of total delineated plots shall be belonging to domicile schedule tribe category.

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(ii) For mineral bajri (river sand), priority shall be given to the registered society of domicile schedule tribe.

4. राजस्थान पंचायती राज (उपलब्धों का अनुसूचित क्षेत्र में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011 के नियम-27 के अनुसार किसी गौण खनिज के संबंध में किसी खनिज रियायत की मंजूरी के लिए सिफारिश संबंधित ग्राम सभा की स्वीकृति पश्चात् ही दी जा सकेगी, का प्रावधान किया गया है।
5. राज्य सरकार ने वन वहन नियमों में संशोधन कर अधिसूचना क्रमांक एफ.15(33)फोरेस्ट/98 जयपुर दिनांक 14.09.2015 को जारी कर अनुसूचित क्षेत्र से वन उपज को टी.पी. से मुक्त कर दिया गया है जिससे अनुसूचित क्षेत्र के निवासी अपनी वन संग्रहण उपज को सीधे ही खुले बाजार में विक्रय कर पा रहे हैं।
6. राजस्थान राज्य में राजस्थान पंचायती राज (उपलब्धों का अनुसूचित क्षेत्र में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 एवं नियम, 2011 लागू किये गये हैं जिनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(2) पांचवी अनुसूची के तहत प्रदत्त शक्तियों में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा निम्न अधिसूचना जारी की गई हैं-

- माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 से अनुसूचित क्षेत्र में राजकीय सेवाओं (राज्य सेवाओं को छोड़कर) में अनुसूचित जनजाति को 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति को 5 प्रतिशत तथा शेष 50 प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है।
- माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 से अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवा के अतिरिक्त अन्य पदोन्नति वाले राजकीय पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्मिकों को 45 प्रतिशत पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया है।
- माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.08.2012 से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

अधिनियम, 2009 में प्रावधान किया गया कि धारा 23 की उप धारा (1) अनुसूचित क्षेत्रों पर इस उपान्तरण के साथ लागू होगी कि उस क्षेत्र का अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि उसने उस धारा के अधीन अधिकथित अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त किये हैं।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की राज्य में पूर्ण पालना की जा रही है। जिसका लाभ निश्चित रूप से अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को प्राप्त हो रहा है।

(3) राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में अंग्रेजी मदिरा दुकानों का आबंटन एक निर्धारित लाइसेंस फीस पर किया जाता है जनजाति क्षेत्र के लिए मदिरा दुकानों के आबंटन पृथक् से किये जाने हेतु अलग कोई ठेका/आबंटन की पद्धति नहीं हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी विशेष क्षेत्र यथा जनजाति क्षेत्र आदि के लिए टोल शुल्क मुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार द्वारा स्टेट हाईवे पर दिनांक 01.04.2018 से निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्रदान कर दी गई। अत: आदिवासी क्षेत्रों में भी स्टेट हाइवे पर क्षेत्र के रहवासियों को भी निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्रदान की गई है। राजपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में वन विकास हेतु आबंटित राशि

226. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

अलवर जिले में वन क्षेत्रों के विकास हेतु गत वित्त वर्ष में किन-किन कार्यों के लिये कितनी राशि आबंटित की गयी? उक्त राशि से कौन-कौनसे कार्य पूर्ण किये गये व कौन-कौनसे अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अलवर जिले में कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर तथा उप वन संरक्षक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर को गत वित्तीय वर्ष में आबंटित राशि का कार्यवार एवं कार्यों की पूर्णता संबंधित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट ए एवं बी अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले के वन विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

227. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग के सिरोही जिले से कितने कार्मिकों का गत दस वर्ष में जिले से बाहर स्थानान्तरण किया गया? सूची मय तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विभाग में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त जिले में भर्ती हुए कार्मिकों को पुन: उक्त जिले में लगाने का विचार रखती है?

(3) प्रदेश के किन-किन जिलों में विभाग में स्वीकृत पदों से भी अधिक कार्मिक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विभाग में किसी भी स्तर के पद स्वीकृति के क्या मानदंड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वन विभाग के कार्यालय उप वन संरक्षक, सिरोही, कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, माउंट आबू तथा कार्यालय उप वन संरक्षक (परियोजना), आबूरोड से विगत दस वर्षों में अन्य जिलों में स्थानांतरित किये गये कार्मिकों की सूची क्रमश: संलग्न परिशिष्ट ए, बी, एवं सी अनुसार है।

(2) सिरोही जिले में वन विभाग के कार्यालय उप वन संरक्षक, सिरोही, कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, माउंट आबू तथा कार्यालय उप वन संरक्षक (परियोजना), आबूरोड में रिक्त पदों की सूची संलग्न परिशिष्ट डी अनुसार है।

वन विभाग के सिरोही जिले में कार्य की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए कार्मिकों को पुन कभी भी लगाया जा सकता है।

(3) विभाग के किसी भी जिले में स्वीकृत पदों से ज्यादा कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है।

(4) शासन उप सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 24.07.91 द्वारा फील्ड स्टाफ के पद स्वीकृत करने के संबंध में मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जिनकी छाया प्रति संलग्न परिशिष्ट-ई अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विजय क्लब मैदान, आसीन्द को आधुनिक स्टेडियम बनाने की योजना

228. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसींद): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में शहर के बीचों-बीच विजय क्लब (स्पोर्ट्स) के नाम से वालीबाल मैदान बना हुआ है, जिसमें से सैकड़ों प्रतिभाएं निकल कर राज्य व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर वालीबाल खेल चुके हैं? क्या सरकार उक्त क्लब मैदान को आधुनिक स्टेडियम के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में शहर में विजय क्लब (स्पोर्ट्स) वालीबाल मैदान का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा नहीं करवाया गया है।

समन्वित स्टेडियम (खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के तहत तहसील/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एथलेटिक्स, बास्केटबाल, वालीबाल, खो-खो/कबड्डी के मैदान सहित स्टेडियम निर्माण का प्रावधान किया गया है। चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है।

तहसील/उपखण्ड स्तर पर पी.पी.पी. मोड पर आई.टी.आई. खोलने की योजना

229. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2010 में प्रदेश में जिन तहसील/उपखण्ड मुख्यालयों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) नहीं है, उन स्थानों पर पी.पी.पी. योजना अन्तर्गत आई.टी.आई. खोले जाने के प्रस्ताव निजी संस्थानों से मांगे गये थे? यदि हां, तो इसकी विज्ञप्ति कब एवं किसके द्वारा जारी की गई तथा कितने आवेदन प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया था? यदि हां, तो कब एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील व उपखण्ड मुख्यालय स्थानों पर पीपीपी मोड योजना अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किये गये थे। वर्ष 2010 में प्रदेश में जिन पंचायत समिति स्तर पर आईटीआई नहीं थी उन स्थानों पर पीपीपी मोड योजना अन्तर्गत आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव निजी संस्थाओं से मांगे गये थे। इसकी विज्ञप्ति राज्य सरकार से अनुमोदन उपरान्त विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2010 के तहत जारी की गई। (परिशिष्ट-1)

उक्त योजना में 217 आवेदन प्राप्त हुए। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ए.एस.आई. कम्पनी, रामगंजमण्डी के विरुद्ध श्रमिक अधिनियम के तहत जांच

230. श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रामगंजमंडी में कार्यरत ए.एस.आई. कम्पनी के संस्थान/खानों पर लागू श्रम अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार विभाग के सक्षम अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण व जांच कब-कब की गयी है? गत पांच वर्षों में किये गये निरीक्षण/जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निरीक्षण व जांच रिपोर्टों में पाये गए श्रमिक अधिनियमों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है? यदि हां, तो कानूनी कार्यवाही करने हेतु सक्षम न्यायालय को उपलब्ध करवाये गये सभी दस्तावेजों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है सक्षम विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार तय सीमा में निरीक्षण व जांच की गयी है? यदि हां, तो श्रम अधिनियमों के तहत जांच/निरीक्षण के सम्बन्ध में क्या-क्या प्रावधान हैं? ऐसे सभी प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खदानों पर लागू श्रम अधिनियमों की पालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर तथा सहयक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) स्टेशन रोड़, कोटा की है।

मै. ए.एस.आई. इण्डस्ट्रीज लि., रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामगंजमंडी, संस्थान का दिनांक 11.9.2018 को निरीक्षण किया गया और बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत ग्राम न्यायालय खेराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा में श्रम निरीक्षक द्वारा इस्तगासा प्रस्तुत किया जा चुका है। निरीक्षण रिपोर्ट की सत्यप्रति परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(2) जी हां। बोनस भुगतान अधिनियम के तहत उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गयी है। संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा के पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(3) जी हां। श्रम अधिनियमों के तहत निरीक्षण लेबर डिपार्टमेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम (LDMS) पर सेन्ट्रल इन्स्पेक्शन सिस्टम (सीआईएस) के अनुसार विभागीय परिपत्र दिनांक 27.5.2016 के अनुसार ही किये जाते हैं। परिपत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रमिकों को लाभ हेतु नियमों में संशोधन

231. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में श्रमिकों को लाभ दिये जाने हेतु नियमों में संशोधन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में श्रमिकों को श्रम कार्यालय में आवेदन करते समय नये ठेकेदार से नये फोरमेट में घोषणा-पत्र लिया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार का आधार कार्ड, सील तथा जीएसटी, टिन नंबर आदि सम्मिलित हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि नये फोरमेट में कई ठेकेदार अपने श्रमिक को आधार कार्ड नहीं देने के कारण संबंधित श्रमिक को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है?

(श्री शंकर सिंह रावत)

(4) क्या सरकार श्रमिकों को लाभ देने हेतु पूर्व के घोषणा-पत्र को ही लागू रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु नियमों में संशोधन नहीं किया गया है। योजनाओं में पूर्ववर्ती शर्तों के आधार पर ही लाभ देय है।

(2) सामाजिक अंकेक्षणों तथा भौतिक सत्यापन में काफी संख्या में अपात्र निर्माण श्रमिकों के आवेदन पाये जाने के कारण प्रक्रियात्मक एकरूपता लाने व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से नियोजक के प्रमाण-पत्र में आधार/भामाशाह/मोबाइल नं./बीओसीडब्ल्यू पंजीयन संख्या/जी.एस.टी. नम्बर/टिन नम्बर/पेन नम्बर में से जो भी सुलभ रूप से उपलब्ध हों, अंकित करने का प्रावधान रखा गया है।

(3) ठेकेदार के अलावा उक्त प्रमाण-पत्र रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन/श्रम निरीक्षक/नियोजक जिसमें ग्राम सेवक भी सम्मिलित हैं द्वारा भी नियोजक प्रमाण-पत्र जारी किये जा सकते हैं। यह कहना सही नहीं है कि ठेकेदार आधार कार्ड का कोई पहचान पत्र नहीं दे रहे हैं क्योंकि विभागीय जानकारी के अनुसार आधार/भामाशाह/मोबाइल/बीओसीडब्ल्यू पंजीयन संख्या/जी.एस.टी. नम्बर/टिन नम्बर/पेन नम्बर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 3 माह में 116000 से अधिक नियोजकों द्वारा उक्त विवरण सहित प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिये गए हैं।

(4) पूर्व घोषणा पत्र में पारदर्शिता के अभाव के कारण अपात्र श्रमिकों के पंजीयन तथा योजनाओं में लाभ लेने की घटनाओं तथा आशंका के मद्देनजर वर्तमान प्रणाली उचित प्रकार से लागू की गई है।

बूंदी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

232. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बून्दी जिला मुख्यालय पर संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला मुख्यालय बून्दी पर वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, बून्दी संचालित है। राजकीय संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने संबंधी मापदण्डों के अनुसार वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में छात्र संख्या 30 से 40 होनी चाहिये, किन्तु राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, बून्दी की कक्षा-12 में वर्ष 2018-19 में छात्र संख्या 14 है। इस प्रकार उक्त विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करता है।

निर्धारित मापदण्ड में वर्णित प्रावधान को पूरा करने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव है।

सलूम्बर में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना

233. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार टी.एस.पी. क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज खोलना चाहती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में टी.एस.पी. क्षेत्र में राज्य सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में पूर्व से ही अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा एवं निजी क्षेत्र में अन्य 18 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में टी.एस.पी. क्षेत्र में राज्य सरकार के स्वायत्तशासी सस्थान के रूप में पूर्व से ही अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा सहित कुल 19 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं।

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सिरोही बस स्टैण्ड पर व्याप्त अनियमितताएं

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सिरोही बस स्टैंड पर भारी अव्यवस्था एवं असुविधाएं हैं। बस स्टैंड परिसर में गड्ढे पड़े हुए हैं। सड़क का नामोनिशान नहीं है। आए दिन लोग गिरते हैं। शौचालय इत्यादि गंदे पड़े रहते हैं। सिरोही आगार द्वारा नागरिक सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। बसों की संख्या कम कर दी गई है। आगार द्वारा बसें कम किलोमीटर चलाई जा रही हैं। पद स्वीकृत नहीं होने के बावजूद कई कर्मचारी/अधिकारी बिना पद के तनख्वाह उठा रहे हैं। कार्यशाला के हाल खराब हैं। कर्मचारी नहीं के बराबर हैं। कुल मिलाकर सिरोही का रोडवेज डिपो नागरिक अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि सक्षम अधिकारी को भेजकर आवश्यक कार्यवाही करें।

संयम लोढ़ा

(सिरोही)

नागौर में सैटेलाइट अस्पताल व महिला चिकित्सालय की स्थापना

महोदयजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर के आस-पास 150 किमी. की परिधि में कोई भी बड़ा राजकीय चिकित्सालय अथवा मेडिकल कालेज नहीं होने से आकस्मिक दुर्घटना व गम्भीर रोगियों के इलाज हेतु जोधपुर, बीकानेर व अजमेर रैफर करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु नागौर शहर में एक ट्रोमा सेन्टर बनाया गया है जिसमें नया स्टाफ लगाकर चालू किया जाना था, परन्तु इस नागौर शहर के जिला चिकित्सालय को ट्रोमा सेन्टर में स्थानांतरित कर चालू कर दिया गया है। नागौर शहर की जनसंख्या एक लाख तीस हजार से अधिक की है। शहर के अंदर कोई भी बड़ा राजकीय चिकित्सालय नहीं है। नागौर शहर से इस ट्रोमा सेन्टर की दूरी करीब 8 किमी. है। रात्रि को इतनी दूरी पर कोई भी यातायात का साधन उपलब्ध नहीं होता

है। नागौर शहर से ट्रोमा सेन्टर (जिला चिकित्सालय) के बीच में एक रेलवे फाटक भी है, जो अधिकांश समय बंद रहता है। आम आदमी के पास अपना निजी वाहन नहीं होता है, जिससे रात्रि में गम्भीर मरीज अथवा प्रसव वाली महिला को इतनी दूर ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय का व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर शहर में एक सैटेलाइट अस्पताल व महिला प्रसव चिकित्सालय स्वीकृत करवाने का श्रम कराएं। नागौर शहर में पूर्व जिला चिकित्सालय का भवन खाली पड़ा है। सरकार को इसके लिए अतिरिक्त भवन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

मोहन राम चौधरी

(नागौर)

सलूम्बर में अपूर्ण सड़कों का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों के लिए 250 की जनसंख्या के प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें स्वीकृत की गई थीं जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की भी कई सड़कें स्वीकृत हुई उसमें से बहुत सारी सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया मगर कुछ सड़कें वन क्षेत्र में आ रही थीं जो बन नहीं पायीं, जैसे:-

1. नठारा बड़ा चौराहा से घोटा पानी लंबाई 10.50 किमी.,
2. मण्डास से कलाल लंबाई 5 किमी,
3. मण्डास से रालाखेत 5 किमी.,
4. जावर माइन्स से तालाब फला तक 5 किमी.,
5. श्यामपुरा से जाम्बुडा वाया जोतिला कि.मी,
6. चावण्ड-प्रसाद से भूआलिया काकरवली, 2. कि.मी,
7. बलुआ से हरघाटा, 5 कि.मी.,
8. ढलाई से बजाल, । कि.मी.,
9. घोड़ासरा से भणातफला 1 कि.मी.,
10. खरबर तालाबफला से बिलख, 2 कि.मी.,
11. चणावदा से बलदर, 2 कि.मी. आदि।

अतः उक्त सड़कें 2013-14 2014-15 की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें स्वीकृतशुदा पड़ी हुई हैं। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही से इन सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है।

अतः मेरा निवेदन है कि वन विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग से नियमानुसार उचित कार्यवाही कराकर स्वीकृत शुदा सड़कों का कार्य प्रारम्भ करवाने तथा क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

धन्यवाद।

अमृतलाल मीणा

(सलूम्बर)

सिवाना में सड़कों की मरम्मत व निर्माण

बाड़मेर जिले के विधान सभा क्षेत्र सिवाना की स्थिति के आधार पर इसकी लम्बाई 180 किलोमीटर एवं चौड़ाई लगभग 90 किलोमीटर है जिसमें 2 उपखण्ड, 3 तहसीलें एवं 3 पं. समितियां हैं जिसमें 69 ग्राम पंचायतें आती हैं एवं लगभग 435 राजस्व गांव आते हैं। इसमें 1226 किलोमीटर सड़कें बनी हुई हैं।

यातायात के साधनों का बड़ा महत्व है, साधनों के लिए सड़कें अति आवश्यक हैं। सिवाना क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं। जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं जिसके कारण वहां के निवासियों को काफी समस्याएं होती हैं।

क्षेत्र में कई देवस्थान ऐसे है जिनको लोगों की आस्था के मध्यनजर पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा जाना आवश्यक है।

क्षेत्र में निर्मित सड़क मार्ग जो अभी चलन योग्य नहीं है उनमें मिठौड़ा-पादरू-बावतरा जालोर सीमा, गोरमी प्याऊ, अन्नपूर्णा-पादरू मार्ग, पादरू -दाखा मार्ग सहित ऐसे मार्ग हैं जो अभी चलने लायक भी नहीं हैं।

क्षेत्र में स्वीकृत सड़के चाहें राज्य मद से हो या DMFT से सभी कार्य रोके जा चुके हैं जो आधे-अधूरे पड़े हैं, उन्हें शीघ्र प्रारम्भ करवाकर आम जन को राहत प्रदान कराएं।

क्षेत्र में मिसिंग लिंक योजना से लगभग 30 ऐसे स्थान हैं, जिनमें 1/2 किमी से 3 किमी के टुकड़ों से जोड़ा जाए तो जनता को राहत मिलेगी।

क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं सड़क मार्गों की लम्बाई के आधार पर PMGSY एवं सामान्य सड़क के सुपरवीजन के लिए सिवाना मुख्यालय पर अधिशाषी

अभियन्ता कार्यालय, सहायक अभियन्ता सिवाना, सिणधरी एवं समदड़ी को सम्मिलित करके खोला जाए।

क्षेत्र की मुख्य सड़क मोकलसर-खण्डप-भाद्राजून, सिवाना-मिठौड़ा-सिणधरी, मिठौड़ा-पादरू-बावतरा को मेगा हाईवे से जोड़ा जाना आवश्यक है।

विधान सभा क्षेत्र में नये राजस्व गांव, ढाणियां, देवस्थान, मरम्मत योग्य सड़कें, नवीनीकरण, PMGSY सड़कें, कार्यालय, विस्तारीकरण सहित सम्पूर्ण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करवाकर लाभान्वित कराएं।

सधन्यवाद

हमीरसिंह भायल

(सिवाना)

अलवर नगर परिषद् के सीमांकन क्षेत्र में वृद्धि

मेरा आग्रह है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत अलवर जिले की एक अहम समस्या की ओर मैं राजस्थान सरकार एवं नगरीय विकास विभाग मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर में नगर परिषद्, अलवर के क्षेत्र का सीमांकन काफी वर्षों पूर्व हुआ था। वर्तमान में नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा विकसित की गई अनेक आवासीय कालोनियां नगर परिषद् क्षेत्र में नहीं आती हैं जिनका सम्बन्ध आज भी शहर के नजदीक होने के बावजूद ग्राम पंचायतों से है। उक्त कालोनियों के निवासियों को अपने कार्यों के लिए नगर विकास न्यास व अन्य कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं राशन कार्ड, विद्युत कनेक्शन, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सहित विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों में जाना पड़ता है।

श्रीमान् जिन क्षेत्रों को नगर परिषद् क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना वर्तमान में अतिआवश्यक है। वह कालोनियां निम्नलिखित हैं- विज्ञान नगर, सूर्य नगर, वैशाली नगर, अम्बेड़कर नगर आदि नगर विकास न्यास के द्वारा विकसित कालोनियां हैं। वहीं अपनाघर शालीमार नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा स्वीकृत कालोनी है। इन सभी कालोनियों के अतिरिक्त ग्राम पं. बैलाका, ग्राम पं. दिवाकरी, ग्राम पं. भूगोर को नगर परिषद् क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर अधिसूचित करवाया जाए, जिससे उक्त क्षेत्रों के नागरिकों को राहत मिल सके।

मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना लोकतंत्र में सरकार का प्रथम दायित्व है। मेरी आपसे मांग है कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में नगर परिषद् अलवर के सीमांकन क्षेत्र को बढ़ाया जाकर अधिसूचित करवाया जाए।

धन्यवाद।

संजय शर्मा

(अलवर)

बानसूर में ए.सी.जे.एम. न्यायालय की स्थापना

महोदय,

बानसूर कस्बे में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय व प्रथम वर्ग न्यायालय पूर्व से ही संचालित है। इन दोनों न्यायालयों के बीच की कड़ी ए.सी.जे.एम. न्यायालय के लिए बानसूर से बहरोड़ 50 कि.मी. दूर यहां की जनता को जाना पड़ता है। प्रथम वर्ग न्यायालय में वर्तमान समय में लगभग 2800 मुकदमे एवं बानसूर क्षेत्र के लोगों के करीब 1500 मुकदमे बहरोड़ स्थित ए.सी.जे.एम. न्यायालय में विचाराधीन हैं। सभी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए माननीय H.C. न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2017 को एक पत्र राजस्थान सरकार को भी लिखा जा चुका है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इसी बजट सत्र में कस्बा बानसूर में ए.सी.जे.एम. न्यायालय खुलवाने की कृपा करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत

(बानसूर)

आसीन्द में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश

महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आसीन्द व आसपास के इलाके में आए दिन चौरी. हत्याएं, डकैती आदि के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिनमें कुछ मामले मय तारीख के बताना चाह रहा हूं-

1 दि. 27.8.17 को दौलतगढ़ में मौखमसिंह पिता फतेह लाल बडोला की लूट के बाद हत्या कर दी गई। जिसका मुकदमा नं. 221/17 है।

2. ग्राम पंचायत रूपपुरा के महावीर जाट की हत्या दि. 20.2.18 को कर दी गई। मुकदमा नं. 40/18 में दर्ज है।

3. आसीन्द शहर के वार्ड नं. 19 में श्रीमती सीता देवी कामड़ की दिनांक 8.1.19 को दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई। मुकदमा नं. 09/19 पर दर्ज है।

4. आसीन्द से 10 किमी दूर भीम रोड पर कटार चौराहे पर दि. 26.6.19 को एक युवती की लावारिस लाश बरामद की। मुकदमा नं. 188/19 पर दर्ज है।

5. आसीन्द से 4 किमी दूर ग्राम दूदिया में दि 72.19 को रात्रि में कुछ डकैत डकैती की नीयत में स्कार्पियो गाड़ी में आए। जाग हो जाने पर गांव वालों पर बंदूक से फायर कर दिया और भाग निकले जिसमें बंदूक के छर्रे व खोल भी पुलिस ने मौके से बरामद की। मुकदमा नं. 40/19 पर दर्ज है।

6. आसीन्द शहर के मध्य मेरे स्वयं के बाड़े से मेरी स्वयं की पिकअप गाड़ी दि. 18.6.19 को रात्रि में चोरी कर ले गए जिसकी 10 सीसीटीवी फुटेज मैंने स्वयं ने पुलिस को लेकर जाकर दी।

7 आसीन्द शहर के मध्य वार्ड नं. 18 में मनोहर सिंह चौहान के घर पर दि 21.6.19 को दिन-दहाड़े ताले तोड़कर लगभग 30 लाख रु. का माल चोर ले गए। जिसका मुकदमा नं. 183/19 पर दर्ज है एवं ऐसे कई छोटे -मोटे मामले पुलिस थाने में दर्ज हैं परन्तु पुलिस आज तक एक भी मुकदमे का खुलासा नहीं कर पाई। इससे आमजन में असंतोष की भावना व्याप्त है।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि उक्त क्षेत्र की इस गम्भीर समस्या का यथाशीघ्र निवारण किया जाए।

जब्बर सिंह सांखला

(आसीन्द)

डीडवाना में निजी भूमि पर बस स्टैण्ड का निर्माण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि डीडवाना में निजी भूमि पर परिवहन विभाग की मिलीभगत से नया बस स्टैण्ड बनाया गया है। आज के वक्त में कुछ लोग सरकारी उपक्रमों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के नाम से व्यावसयिक फायदा लेने की योजना बनाते हैं और उसी के तहत

डीडवाना में निजी जमीन पर सरकारी बस स्टैण्ड बना दिया गया जबकि डीडवाना नगरपालिका ने अपने मास्टर प्लान (IDSMT) रात्र 1997-2000 में इसका स्थान सिंधी तालाब के पास तय किया था और नगरपालिका ने यह भी सरकार को लिखित में दिया कि इसका पूरा खर्च नगरपालिका स्वयं वहन करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस स्टैण्ड के लिए जमीन नगरपालिका दे रही है, पैसा नगरपालिका दे रही है फिर क्यों बस स्टैण्ड पीपीपी मोड पर बना दिया गया, वो भी आवासीय क्षेत्र में जहां पर 5 कुएं थे जिनमें से तीन को ध्वस्त कर दिया गया जबकि सरकार पारम्परिक जल स्रोतों को बचाने की जरूरत समझती है और आवासीय क्षेत्र में बस स्टैण्ड होने से दुर्घटना की भी संभावना अधिक रहती है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बस आगार होने तथा विभिन्न सड़क मार्गों के मध्य में अवस्थित होने के कारण डीडवाना शहर में रोडवेज बस स्टैण्ड की अति आवश्यकता है जिसका मैंने माननीय मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है। इस बस स्टैण्ड के निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर कहना चाहूंगा कि मास्टर प्लान में बस स्टैण्ड के लिए पूर्व में निर्धारित किये गये स्थान पर बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य शुरू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार द्वारा नगरपालिका डीडवाना के मास्टर प्लान में निजी व्यक्तियों को लाभ देने हेतु छेड़छाड़ की गई है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराएं ताकि भविष्य में सरकारी सम्पत्तियों व उपक्रमों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो।

चेतन सिंह चौधरी

(डीडवाना)

पचपदरा के राजकीय चिकित्सालय नाहटा में चिकित्सकों के रिक्त पद

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के नाहटा राजकीय उप जिला चिकित्सालय, बालोतरा एवं आसपास के 4 उपखण्ड के 400 से अधिक गांवों और 70-80 की त्रिज्या के भू-भाग में

विभिन्न 100 से ज्यादा चिकित्सा संस्थानों से आने वाले मरीजों के लिए एक तरह से रैफरल और बड़ा 150 बैड का चिकित्सालय है। यहां रिफाइनरी, वस्त्र कारखाने, दो हाईवे होने से प्रायः हादसे होते रहते हैं परन्तु संसाधनों एवं सुविधाओं के अभाव में ज्यादातर मरीजों को जोधपुर के लिए रैफर किया जाता है। इससे आमजन को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूरी और समय पर उपचार नहीं मिलने से जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए इस चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर, ब्लड बैंक, सघन चिकित्सा इकाई, डायलिसिस उपकरण के साथ ही चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही अन्य पद भी आधे से ज्यादा रिक्त हैं। यहां न ब्लड बैंक का लाइसेन्स विगत 4 माह से लगातार पत्र व्यवहार करने से प्राप्त हुआ है और न ही स्टोरेज के लाइसेंस का नवीनीकरण हो पाया है। वर्तमान में रक्त नहीं है। ये मरीजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से विनम्र आग्रह है कि आप द्वारा तीन चिकित्सकों का हाल ही पदस्थापन किया गया है उसके लिए धन्यवाद। साथ ही उक्त रिक्त पदों को भरते हुए सभी सुविधाएं प्राथमिकता से प्रदान करते हुए इस बजट में स्वीकृत कराने का श्रम कर स्थानीय जनता को राहत प्रदान कर अनुग्रहीत कराएं।

मदन प्रजापत

(पचपदरा)

कठूमर व खेड़ली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद

महोदय, कठूमर विधान सभा क्षेत्र में डाक्टरों व कम्पाउंडरों के 20 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं तथा जो लगे हुए हैं वो अपने घरों के पास डेपुटेशन करवाकर काम कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र कठूमर में डाक्टरों के आठ पद स्वीकृत हैं तथा एक डाक्टर काम कर रहा है। वो भी काम के लोड के कारण अपना स्थानान्तरण चाहते हैं। अस्पताल खेड़ली में 8 पद स्वीकृत हैं तथा चार डाक्टर काम कर रहे हैं। स्पेशल सब्जैक्ट का एक भी डाक्टर नहीं है। x-ray मशीन व अन्य उपकरण बन्द पड़े हैं या स्टाफ नहीं है। ग्रामों के सब्जैक्ट Aid Post खाली पड़े हैं। मेरे कई बार निवेदन करने के बाद भी कोई नहीं सुन रहा है। ग्राम रोनीजाथान, जटवाड़ा, बहतूकला, धारा का बास, मसारी, कालबाड़ी आदि गांवों में डाक्टर भी नहीं हैं। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है।

कृपया अविलंब कठूमर व खेड़ली में डाक्टरों के रिक्त पड़े पदों पर डाक्टर लगाने की कृपा करें।

बाबूलाल

(कठूमर)

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण

महोदय,

उचित मूल्य में मिलने वाला गरीब का राशन वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में निजी दुकानदारों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण किया जाता है। उचित मूल्य के राशन वितरण की वर्तमान व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों की हालत भी खस्ता ही है। दुकानदारों व खाद्य विभाग की मिलीभगत के कारण कालाबाजारी इस समूची वितरण व्यवस्था को खोखली कर चुकी है। चोरी पकड़े जाने पर भी विभाग गंभीरता से कार्यवाही नहीं करता है। 'पोस मशीन' से होने वाला वितरण भी पारदर्शी नहीं है व भ्रष्टाचार हो ही रहा हैं। साइबर क्राइम आम आदमी व विभाग को धोखा देने का नया माध्यम हो गया हैं। इस समूची व्यवस्था में सुधार लाने व काला बाजारी पर नियंत्रण व पारदर्शी बनाने के लिए यह समूचा कार्य यदि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाया जाए तो सुधार होगा। ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी व राशन रखने के गोदाम भी हैं। पंचायतों का निरीक्षण व जवाबदेही तय करना भी सहज है। इसका सबसे अधिक लाभ उस गरीब को होगा जिसे वर्तमान में कालाबाजारी का शिकार होना पड़ता है। इस व्यवस्था से राशन की चोरी पर नियंत्रण होगा व कार्य को पारदर्शी बनाना भी सहज होगा। इस सम्बन्ध में मैंने पंचायत समिति सांगोद की साधारण बैठक में जनप्रतिनिधि व अधिकारियों से उनकी राय माँगी थी व उन्होंने इस सुझाव को सकारात्मक माना था। सरकार यह व्यवस्था जितना जल्दी लागू करती है उतना ही बेहतर होगा।

भरत सिंह कुन्दनपुर

(सांगोद)

जायल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्रमोन्नति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र जायल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में वार्षिक ओपीडी भार लगभग 70 हजार, आईपीडी भार 4 से 5 हजार तथा वार्षिक प्रसव भार 500 से 600 तक रहता है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त 50 किलोमीटर के दायरे में कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड बैंक स्टोरेज भी बना हुआ है, लेकिन ब्लड बैंक स्टोरेज के लिए स्टाफ की व्यवस्था नहीं है।

उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैडों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 करवाई जाए व अन्य चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी आदेश प्रदान करें।

मंजु देवी

(जायल)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 08-राजस्व पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-08 मुख्य शीर्षक **राजस्व** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में काश्तकारों की भूमि को गजट से निकालकर काश्तकारों को आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में (T.C.) अस्थायी काश्तकार आबंटियों को भूमि की खातेदारी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सरकारी भूमि पर काबिज किसानों को लगभग 15-20 वर्ष के बाद भी भूमि नियमितीकरण का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में मुरब्बा एवं किला बंदी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पुख्ता आबंटन की किस्त जमा कराने के बाद भी खातेदारी जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

6. प्रदेश के बारां जिले में पटवारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में हरनावदा शाहजी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर):

8. विधान सभा क्षेत्र नागौर के ग्राम अलाय में उप तहसील कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र नागौर के मूण्डवा शहर में उपखण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

10. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के कस्बा प्रतापगढ़ को उप तहसील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के गांव बीसूणी, गुवाडा, नीमाला गुवाडा राडी किशोरी, सेवा का गुवाडा-आगर, दूदी की ढाणी आगर ढाणी कलसी काला-झीरी व छाले का समरा को राजस्व गांव घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की वर्षों से आबाद घनी आबादी वाले गांव ढाणियों के आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की तहसील थानागाजी व राजगढ़ तहसील क्षेत्र में नायब तहसीलदार, पटवारी, राजस्व भू-अभिलेख निरीक्षक के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के राजस्व गांवों में निर्धारित मानदण्डानुसार सुविधाएं एवं विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

15. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजस्व कार्यालयों, एसडीओ कार्यालयों, तहसील-उप तहसील कार्यालयों में लम्बित राजस्व प्रकरणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. एस.डी.ओ. रेवदर द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्तों पर स्टे जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजस्व गांवों में तय मापदण्डानुसार सुविधाएं एवं विकास के कार्य नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र रेवदर भू-राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में तहसीलदार का पद लम्बे समय से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

20. प्रदेश में नये बने राजस्व गांवों की खतौनी, जमाबंदी, नक्शा अलग करना एवं विकास विभाग को गांवों की सूची शीघ्र नहीं सौंपे जाने से विकास कार्य अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. प्रदेश में नये बने पटवार सर्कल पर भवन/आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाकर पटवारियों का ठहराव सुनिश्चित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. बालोतरा उपखण्ड मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. पंचायत के अनुसार पटवार मण्डल सृजित होने तथा पुनर्गठन होने पर पटवार सर्कल एवं आर.आई. सर्कल बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पद पर राजस्व मण्डल द्वारा शीघ्र भर्ती किया जाना सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

25. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में स्थित जर्जर पटवार घरों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड टोडारायसिंह में जीर्ण-शीर्ण/जर्जर अवस्था में पड़े तहसील कार्यालय के लिये नवीन भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड कार्यालय मालपुरा में नवीन भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह राजस्व क्षेत्र के विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा में नक्शा ट्रेसों का नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा उत्तर):

30. किसानों का राजस्व रिकार्ड, नक्शे आदि आनलाइन न होने के कारण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. प्रदेश में राजस्व विभाग के विभिन्न पद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारियों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

32. रजिस्ट्री होने के बाद इन्तकाल की समय सीमा तय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
33. बकानी तहसील क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
34. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बकानी में तहसीलदार का पद व सारोला कलां में नायब तहसील का पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
35. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पटवारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
36. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विभाग द्वारा सभी गांवों में चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों से शीघ्र मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

37. विधान सभा क्षेत्र आहोर में उप तहसील भाद्राजून को तहसील में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

38. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सीमा ज्ञान व पत्थर गढ़ी के शेष प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
39. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में भू-रूपान्तरण के शेष प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
40. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्राम पंचायत और तहसील स्तर पर लम्बित नामान्तरण के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
41. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में गोचर भूमि पर लोगों के अतिक्रमण शीघ्र हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
42. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्तों पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

43. प्रदेश मे गोचर जमीनों को जन सहयोग से चल रही गौशालाओं के नाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. बानसूर में आबादी क्षेत्र में पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. अलवर जिले की तहसील बानसूर, बहरोड़, तिजारा, कोटकासिम आदि की भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 92 के तहत प्रतिबन्धित भूमियों को राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

46. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में सीमेन्ट फैक्ट्रियों हेतु की जा रही भू-अवाप्ति में किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

47. डी.एल.सी. दरों में की गई वृद्धि को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

48. श्रीडूंगरगढ़ तहसील में पटवारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. श्रीडूंगरगढ़ तहसील में जीर्ण-शीर्ण पटवार घरों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. श्रीडूंगरगढ़ उपखण्ड कार्यालय में उपखण्ड अधिकारी के रिक्त पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. श्रीडूंगरगढ़ तहसील में गिरदावरों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. श्रीडूंगरगढ़ तहसील में पटवार सर्कलों पर पटवार घर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

53. राज्य में लगातार पटवारियों के रिक्त पद रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. जिला बाड़मेर की तहसील गडरारोड के ग्राम हरसाली मगरा-खुडानी-देतानी, साररगासर में सैकड़ों बीघा गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

55. राजस्व प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं होने के कारण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

56. प्रदेश में पटवार मण्डलों में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने एवं पटवार मुख्यालय पर ठहराव सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. प्रदेश में डोली एवं मंदिर माफी की जमीन पर वर्षों से निवासरत पुजारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमर सिंह (बयाना):

58. रूदावल में नया तहसील भवन बनकर तैयार होने के उपरान्त अब उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

59. भाद्राजून ग्रामवासियों को रिहायशी प्लाट का आबंटन खसरा नम्बर 592 में 06 हैक्टेयर तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. प्रदेश में स्थापित आवासीय घर जो गैर आबादी क्षेत्र में है उसे आबादी में रूपान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

61. जैतारण में उपखण्ड मुख्यालय पर सब-रजिस्ट्रार पद की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. जैतारण क्षेत्र में उपखण्ड मुख्यालय स्तर पर पूर्व में स्वीकृत अतिरिक्त सहायक कलेक्टर (ACM) की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. जैतारण क्षेत्र के आनन्दपुर कालू तथा रास ग्राम में उप तहसील की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. जैतारण मुख्यालय पर तहसील भवन का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

65. अलवर जिले की पांच एवं जयपुर जिले की दो ग्राम पंचायतों को जिला दौसा में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

66. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के समस्त गांवों में खेल मैदान के लिये भूमि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. आबूरोड़ में ईको सेंसिटिव जोन परिधि में गलत तरीके से किए गए भूमि रूपान्तरण के संबंध में चर्चा के लिये।

68. सिरोही जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज के लिये 15 हैक्टेयर भूमि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. सिरोही जिला मुख्यालय पर स्टेडियम के लिये भूमि आबंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

70. पिण्डवाड़ा तहसील में माधव विश्वविद्यालय द्वारा राजस्व भूमि पर किए गए कब्जे व अवैध निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

71. भीलवाड़ा शहर में कई क्षेत्रों में D.L.C. की दरों में 100% बढ़ोतरी को 20% करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

72. जिला पाली में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में रोहट तहसील के लम्बित एवं निर्णीत प्रकरणों में से कई प्रकरणों को अभी तक निष्पादित नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. जिला पाली की रोहट तहसील के कई गांवों में श्मशान भूमि आबंटन के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. पाली जिले की रोहट तहसील के अनेक किसानों को अभी तक खरीद वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अनुदान राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

75. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में काश्तकारों को खेत के रास्तों के संबंध में हो रही समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

76. जिला बाड़मेर की तहसील गडरारोड-शिव-रामसर-फतेहगढ़ तथा जिला जैसलमेर की गोचर जमीनों पर से अवैध कब्जे हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

77. जिला जयपुर को दो जिले में विभाजित कर जनता को राहत पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

78. केशवरायपाटन व रामगंजमण्डी में राजस्व विभाग द्वारा किये गये सैटलमेंट में कृषि भूमियों के स्थानों में हुई हेरफेर को शुद्धीकरण कर पुन: पुराने अपने स्थानों पर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन की इन्द्रगढ़, केशवरायपाटन एवं नैनवां तहसील में सिवाय चक जमीनों पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. केशवरायपाटन व रामगंजमण्डी में वर्ष 1980 के पूर्व अलाटमेन्ट भूमियों पर लाभार्थी को भूमियों पर कब्जे दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. केशवरायपाटन व रामगंजमण्डी में सिवाय चक भूमियों पर गरीब जनता के कब्जों को नियमित करने हेतु कैम्प लगाकर खातेदारी अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. केशवरायपाटन व रामगंजमण्डी सहित कोटा सम्भाग के सभी क्षेत्रों में राजस्व विभाग में कानूनगो, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर) (जहाजपुर):

83. पन्डेर व खजूरी उप तहसील में पटवारियों एवं अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

84. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर, सराड़ा तथा सेमारी में रिक्त पड़े पटवारियों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत आने वाली सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, उप तहसील झल्लारा जयसमन्द, गिगला में राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की उप तहसीलों जयसमन्द, गिगला तथा झल्लारा को तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गिगला उप तहसील का भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. तहसील सेमारी में उपखण्ड कार्यालय खोले जाने एवं नवीन ग्राम पंचायतों में नवीन पटवार मण्डल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

89. जिला बाड़मेर की तहसील गडरा रोड के देतानी की गोचर भूमि से लगते खेतों की नाप कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

90. नामान्तरण के मामलों को जल्द से जल्द निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

91. निजी संस्थानों को सरकारी भूमि- बिलानाम/चरागाह भूमि के आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. बिलानाम भूमियों पर लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे के आधार पर भू-आबंटन की कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

93. बालोतरा को जिला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. पटवारियों सहित अन्य रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के दूदवा को उप तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. उप तहसील कल्याणपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगोनर):

97. सांगानेर कस्बे की पुरानी तहसील एवं एक अन्य स्थान पर किराये पर चल रहे सब रजिस्ट्रार के दोनों कार्यालय को प्रस्तावित नये तहसील कार्यालय के साथ स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. सांगानेर तहसील कार्यालय को शहर से स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. उपखण्ड कार्यालय सांगानेर के सामने खसरा नम्बर 157 ग्राम रामसिंहपुरा की खाली पड़ी भूमि को पंचायती राज या अन्य ब्लाक स्तरीय सरकारी कार्यालय या पेयजल/बिजली कार्यालयों को एक ही कैम्पस में बनाकर Government Complex हेतु रिजर्व करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

100. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की उप तहसील छोटी खाटू को तहसील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. तहसीलदार डीडवाना द्वारा वर्ष 1957 में मृत कृषक खातेदार को जीवित बताकर खसरा नम्बर 854 रकबा खसरा नम्बर 896, 11 बीघा 14 बिस्वा की रजिस्ट्री भू-माफिया के नाम किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में भू राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों के स्वीकृतशुदा पदों के रिक्त पड़े होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

103. विधान सभा क्षेत्र जायल में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के अधिकांश रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र जायल के अधिकांश गांवों में स्थित श्मशान भूमि की किस्म गोचर होने के कारण पट्टे नहीं बन पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

105. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की अरांई में उपखण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में राजस्व विभाग में पटवारियों सहित विभिन्न पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की सिवाय चक तथा श्मशान भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ की चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

109. दीर्घकाल से लम्बित राजस्व मुकदमों का समयबद्ध शीघ्र निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में पटवारियों के नक्शे अस्पष्ट एवं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होने के कारण नये नक्शे तैयार करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में पटवारियों का मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने, जानबूझकर नामान्तरण खोलने में देरी करने एवं ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में राजस्व रिकार्ड में दर्ज आम रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में चरागाह एवं सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण/पक्के निर्माण हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

114. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नये राजस्व ग्राम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पटवारियों/गिरदावरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजस्व नक्शों में आई गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

117. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नए राजस्व ग्राम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पटवारियों/गिरदावरों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजस्व नक्शों को दुरुस्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ की ग्राम पंचायत धौला को उप तहसील बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की उप तहसील आंधी को तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

122. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में आबादी एवं भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से नवीन राजस्व गांव बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुंदा):

123. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की सायरा (उदयपुर) में नायब तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. जिला उदयपुर में नये राजस्व गांव बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. नायब तहसील मेरपुर (उदयपुर) में स्थाई नायब तहसीलदार की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्राम बांदरवाड़ा, ग्राम पंचायत भदार, तहसील बड़गांव को तहसील गोगुंदा में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

127. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा के शाहपुरा नगर के बाईपास निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में ग्राम पंचायत स्तर पर पटवार भवन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के उपखण्ड शाहपुरा, बनेड़ा, फुलिया कलां में लम्बे समय से चल रहे प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. उपखण्ड फुलियां कलां जिला भीलवाड़ा में उपखण्ड स्तर के सभी कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर एवं पटवारी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

132. उप तहसील भनोकर (कठूमर) में नायब तहसीलदार का पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. कठूमर (अलवर) में गिरदावर द्वारा गलत रिपोर्ट देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. नगरपालिका क्षेत्र खेरली (कठूमर) में उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

135. विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजस्व गांव साठिका में गोचर भूमि में वर्षों से बसे परिवारों के 80 से ज्यादा घर जिसमें अधिकांश दलित परिवार के हैं, पूर्व में तोड़ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र नोखा के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को गिरदावर (RI) सर्किल बनाने व प्रत्येक गांव में पटवार केन्द्र बनाने की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र नोखा में केशुपुरा, ग्राम पंचायत रोडा; भोम ढाणी, ग्राम पंचायत जागलु; खीचड़ों की ढाणी, ग्राम पंचायत बधांला; नाईयों की ढाणी, ग्राम पंचायत ढींगसरी; हनुमान नगर, ग्राम पंचायत सारूण्डा; लोहियों की ढाणी, ग्राम पंचायत कक्कू; खेतारों की ढाणी, रोड़ा, सियाणों की ढाणी, ग्राम पंचायत जांगलू; गोदारों की ढाणी, देसलसर, मेघवालों की ढाणी अमलाव तालाब, ग्राम पंचायत पिथरासर; भाटिया मेघवालों की ढाणी, ग्राम पंचायत मैनसर में नये राजस्व ग्राम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र नोखा की पांचू पंचायत समिति पर उप तहसील/ तहसील कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजस्व गांवों में आबादी भूमि के विस्तार के लिये अन्यत्र उपलब्ध अराजीराज व सिवायचक भूमि को गोचर/औरण की क्षतिपूर्ति में सेट-अपार्ट के जरिये भू-रूपान्तरण कर आबादी भूमि का विस्तार करने तथा वर्तमान में अराजीराज व सिवायचक भूमि पर बसे परिवारों को पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

140. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत करड़ा में उप तहसील कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर):

141. जिला अलवर में राजस्व मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिये संभागीय न्यायालय स्तर पर लगने वाले कैम्पों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में राजस्व ग्राम पंचायत भूगोर, बेलाका एवं दिवाकरी को अलवर नगर परिषद् शहरी क्षेत्र में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. जिला अलवर में गैर खातेदार किसानों को राजस्व कैम्प लगाकर खातेदारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के जिला मुख्यालय पर राजस्व प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

145. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की नवसृजित पावटा तहसील में तहसीलदार व अन्य स्टाफ पदस्थापित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नई तहसील/उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. मन्दिर माफी की भूमि पर काबिज काश्तकारों को मालिकाना हक न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. उपखण्ड अधिकारियों को स्वीकृत निजी सहायक/शीघ्रलिपिक के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े होने के कारण राजस्व मामलों के निस्तारण में हो रहे विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

150. बालोतरा में ACM कोर्ट की स्वीकृति अथवा कैम्प रखने की अनुमति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

151. राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा के लिये भूमि आबंटित करवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत दांता, दुगावा व लांछीवाड, तहसील सांचौर के लिये पटवार कार्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

153. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में उप तहसील सुहागपुरा व दलोट के कार्यालयों में कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के मजरा गांवों को राजस्व गांव घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में पटवारियों के और पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में उपखण्ड अरनोड में दलोट तहसील व उपखण्ड पिपलुखूंट में सुहागपुर तहसील मुख्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ में कुछ तहसीलों के आनलाइन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

158. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में स्थित ढाणियों एवं फले को राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पटवारियों के रिक्त पद नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में बिलानाम भूमि पर वर्षों से आदिवासी

लोग बैठे हुए है, उनको खातेदारी हक दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कई ग्राम पंचायतों का नक्शा नहीं है या जीर्ण-शीर्ण हैं, इनका सर्वे करवाया जाने और सही नक्शा बनाया जाने तथा भूमि का सीमांकन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में किसानों को आने-जाने के लिये रास्ते के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

163. राजस्व विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पटवारियों का पद समाप्त कर राजस्व अभिलेख ग्राम पंचायतों के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. पटवारी व तहसीलदारों के खिलाफ प्राप्त भ्रष्टाचार एवं पक्षपात आदि की शिकायतों के लिये एक अलग जांच समिति का गठन कर उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

165. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की उप तहसील 2KLD (365 हैड) के कार्य को विभाजित कर रावला से पृथक् करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी व अन्य रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के प्रचलित रास्तों से लगते हुए कटान के रास्तों में हुए अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

169. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ग्राम पंचायतों में पटवार भवन के निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं में तहसीलदार नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी एवं अन्य रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के प्रचलित रास्तों से लगते हुए रास्तों, कटान के रास्तों में हुए अतिक्रमणों को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ के बुहाना तहसील के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

174. विधान सभा क्षेत्र बाली में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र बाली में स्थित उप तहसील बेड़ा व नाणा के कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. बाली-देसूरी में राजस्व रिकार्ड के किए गए डिजिटाइजेशन में उत्पन्न हो रही बाधा के संबंध में चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र बाली में पटवारियों के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. बाली मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

179. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर में उप तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में महाजन उप तहसील कार्यालय पर स्टाफ एवं तहसीलदार (नायब) के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के तहसील कार्यालय लूणकरणसर को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने अथवा नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

182. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में मार्ग निर्धारण के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

183. मण्डावर में वंचित गांवों को राजस्व गांव घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. ACJM कोर्ट मुण्डावर में स्टाफ की पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर उपखण्ड मुख्यालय पर उप तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराणा में सिविल कोर्ट व न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. मुण्डावर उपखण्ड मुख्यालय पर नायब तहसीलदार के स्वीकृत पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

188. बहरोड़ व नीमराणा में नामान्तरण खोलने में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 9-वन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-09 मुख्य शीर्षक **वन** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 5 वर्षो से अवैध रूप से हो रही पेड़ों की कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

2. बारां जिले में वन भूमि पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

3. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के वन क्षेत्रों में अधूरे पड़े मार्गो के निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के वन क्षेत्रों में विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं में कराये गये कार्यो में अनियमितता, भ्रष्टाचार, गुणवत्ताहीनता पर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के वन क्षेत्रों में विगत पांच वर्षों के दौरान वन उत्पाद का वर्षवार रिकार्ड संधारण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के वन क्षेत्रों में बसे राजस्व गांववासियों के अन्यत्र विस्थापन पर उचित मुआवजा राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. थानागाजी विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्रों में खनन माफियाओं द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों की मिलीभगत से किये जा रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

8. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के वन क्षेत्रों में कराये गये विकास कार्य गुणवत्ताहीन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के वन क्षेत्रों में वन्य जीवों के खाने-दाने एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

10. मरूस्थलीय क्षेत्र में वनों के विकास हेतु सेवण घास एवं धामण घास के चरागाह विकसित करने हेतु किसानों को बीज वितरण कराये जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. वन क्षेत्र में पनप रहे विलायती बबूल के कारण उपयोगी वनस्पति के नष्ट होने एवं नये पेड़-पौधे नहीं पनपने तथा विलायती बबूल को वन क्षेत्र से समूल नष्ट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. सिवाना क्षेत्र में वन विभाग के तहत कैम्पा फण्ड योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
13. वन क्षेत्र में बांध, चैकडेम, एनीकट विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत करवाकर बनाना जिसमें वन क्षेत्र भी विकसित हो सके तथा पशु पक्षियों का संरक्षण हो सके, इसमें वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

14. विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायत रख्यावल की वन भूमि पर वन विकसित कराये जाने की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायत जावड में विशेष वनौषधि उद्यान विकसित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद):

16. प्रदेश के वन्य क्षेत्र में विकास कार्य एवं शेष रहे वनाधिकार पट्टे जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

17. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के चरागाह भूमियों पर वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. बीसलपुर बांध क्षेत्र में वनों को बढ़ावा देने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में स्थित चांदसेन ग्राम पहाड़ी क्षेत्रों में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा उत्तर):

20. कोटा के अनन्तपुरा क्षेत्र में वन भूमि पर स्मृति वन विकसित नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. मुकुन्दरा नेशनल पार्क के डी.पी.आर. के अनुसार कार्य पूर्ण न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

22. वन विभाग में नई भर्ती में स्थानीय युवकों का चयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. प्रदेश में सारस, wet land एवं गोडावण के संरक्षण के साथ ही सारस की captive dreeting का कार्य हाथ में लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. वन विभाग के समस्त रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण व अवैध खनन को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रदेश के समस्त वन्य जीव अभयारण्यों के संरक्षण एवं सुधार पर पर्याप्त ध्यान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

27. वन भूमि में निवास करने वाले एस.सी. एवं एस.टी. के लोगों को उनके मकानों के पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

28. आरक्षित वन क्षेत्रों में गाय एवं अन्य पशुओं को चरने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

29. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के वन विभाग की भूमि के डाइवर्जन के प्रस्ताव तैयार किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के वन क्षेत्रों में अवैध खनन की प्राप्त शिकायतों के संबंध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के वन क्षेत्र में माफियाओं द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
32. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में वन विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में कितने पौधे लगाये गये एवं उनकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिये।
33. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के वनों में वन्य जीवों हेतु पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

34. सरिस्का वन क्षेत्र का पुन: सीमांकन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
35. सरिस्का से विस्थापित किये जाने वाले परिवारों की समस्याओं पर चर्चा के लिये।
36. वन क्षेत्रों में निवास करने वालों की मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

37. पंचायत समिति भदेसर व चित्तौड़गढ़ की वन क्षेत्र में आने वाली सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य करवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

38. श्रीडूंगरगढ़ में बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए वन भूमि पर स्वीकृति दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
39. श्रीडूंगरगढ में एनएच- 11के घूमचक्कर सर्किल के दक्षिण की तरफ एवं स्टेशन रोड के पश्चिम की तरफ स्थित वन विभाग की भूमि को सीमाज्ञान कर अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
40. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के वन क्षेत्रों में पौधरोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

41. बाड़मेर के ग्राम देतांनी में गोचर जमीन-कुंभट पर खेजड़ी के पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
42. बाड़मेर जिले की तहसील गडरा रोड के ग्राम हरसानी-कुंभारों की ढाणी, मगरा-रामसर में डिफेंस रोड पर डी.एन.पी. द्वारा अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. पश्चिमी राजस्थान के वन क्षेत्रों से सेवण-धामण व गठीर घास गायब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. बाड़मेर जिले में गडरा रोड से शिव 85 किमी. सड़क जो कि 1960 व 1965 में बनी सड़कें डिफेन्स रोड हैं, जिस पर डी.एन.पी. द्वारा अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

45. बाड़मेर शहर के बीच स्थित वन क्षेत्र में बने पार्क में जाने हेतु आम रास्ता निकाले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. बाड़मेर शहर के गेहूं रोड पर बन रहे हिली पार्क के रखरखाव एवं पेड़-पौधों के संरक्षण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

47. पाली जिले के परशुराम महादेव सूर्य मंदिर रणकपुर को प्रस्तावित नेशनल पार्क क्षेत्र से बाहर निकलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. राजपुरा से कलदरी वन पथ के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

49. पालड़ी एम से बडावेरा के मध्य वन पथ/फायर रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. वाड़ा खेड़ा क्षेत्र में पर्यटन सर्किट शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. आबूरोड के पैरीफेरी क्षेत्र में वन भूमि पर कब्जे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

52. भीम तहसील के दूधालेश्वर महादेव क्षेत्र में स्थित रिजर्व फोरेस्ट का विस्तार करने एवं बदनोर तहसील के सघन वन क्षेत्र को रिजर्व फोरेस्ट घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

53. पाली नगर परिषद् क्षेत्र में एवं पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में मुख्य मंत्री जलस्वावलंबन योजना कार्यक्रम में किये गये वृक्षारोपण में लापरवाही एवं उदासीनता के चलते सभी वृक्ष नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

54. केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में खटकड़ से जैतपुर सड़क निर्माण में वन विभाग की आपत्ति को दूर कर स्वीकृति दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

55. केशोरायपाटन व रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में स्थित वन विभाग की भूमियों पर भूमाफियाओं द्वारा सैकड़ों बीघा जमीनों पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. वन विभाग के रामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित गांवों में मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क आदि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. कोटा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं. 4 व 5 में स्थित वन विभाग की भूमि पर बसी बस्तियों को आबादी में परिवर्तित कर पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग भूमि पर बसी बस्तियों को आबादी में परिवर्तित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

59. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अंतर्गत जयसमंद झील से निकलने वाली नहरें आर.एम.सी., एल.एम.सी. को जयसमंद रेंज से एनओसी दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के स्वीकृत वन क्षेत्र में पड़ने वाली सडकें जैसे नठारा बड़ा चौराहे से घोटा पानी, मण्डास से कलात, मण्डास से राताखेत, बलुआ से हर घाटा, सिघटवाड़ा से तालाब कला, चावण्ड परसाद रोड से काकरवाली, देलाई से बनाल, घोडासर से मणात कला के निर्माण व मरम्मत हेतु एनओसी दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अंतर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली स्टेट हाईवे 32 सड़क उदयपुर से सलूम्बर, बांसवाड़ा भोपाल को केवड़ा डाया बांध तक 15 किमी सड़क को वन विभाग से एनओसी दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अंतर्गत वन क्षेत्र में पडने वाली ग्राम पंचायतें जावद, अदवास, केवड़ा, ओडा, सिंघटवाडा नेवा तलाई, पालड़ा, देवपुरा, पलोदड़ा, अमरपुरा, पीलादर, सर्सिया, नठारा, कलात, नालअल्कार,

डेलवास, परसाद, खरबर, निम्बोदा, बलुआ, घोडासर भौराई आदि को वन्य जीवों से छुटकारा दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अंतर्गत वन क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों से भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, मनुष्य आदि की रक्षा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

64. किशनगढ़ से पीपलुन्द व आमन्दा से घटाराणी में वन विभाग के चारदीवारी निर्माण व वृक्षारोपण कार्य शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. आमन्दा वन क्षेत्र से अवैध खनन रोकने बाबत चर्चा के लिये।

66. वन क्षेत्र धोद महादेव नाले (कुण्ड) के ऊपर चारदीवारी कर वृक्षारोपण, समतलीकरण व सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. वन क्षेत्र बीरा माता से घोड वन के चारदीवारी व वृक्षारोपण कार्य करवाने हेतु चर्चा के लिये।

68. वन क्षेत्र लुहारी कलां से (भुवार) सरसिया तक दोनों तरफ चारदीवारी व वृक्षारोपण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

69. किसानों के खेतों पर थोर की बाड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

70. वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को रोकने व वन क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण को हटाने व वनों की अवैध कटाई रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

71. वनों की रक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कराने, अतिक्रमण को रोकने, अवैध खनन व अवैध कटाई रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड जंक्शन):

72. वन क्षेत्र में जूली-फ्लोरा जड़ मूल से हटाने पर चर्चा के लिये।

73. वन क्षेत्र में पांच वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों पर चर्चा के लिये।

74. वन विभाग में आई.एफ.एस. एवं आर.एफ.एस. के पदों का अत्यधिक सृजन एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों में कटौती पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

75. जयपुर शहर में बसी हुई सैकड़ों कालोनियां जो आज भी वन भूमि में दर्शायी गई हैं, इनको वन भूमि से मुक्त कर लाखों लोगों को राहत प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

76. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वन क्षेत्र से गुजर रही वर्षो पुरानी सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण तथा सड़कों के निर्माण कार्य को रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के बडामाला वन क्षेत्र में पेड़-पौधों तथा जंगली जानवरों के पीने के पानी हेतु वर्षा जल संग्रहण हेतु पांच नाड़ियों एवं एनीकटों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के वन क्षेत्र सामरिया हड्डा (बावड़ी नर्सरी के पीछे) में डियर पार्क की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

79. किशनगढ़ के रेंज कार्यालय में चौपहिया वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

80. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पर्यावरण को शुद्ध रखने हेतु आवश्यक उपाय करने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. वन विभाग द्वारा फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में पौधरोपण करने तथा पूर्व में लगाये गये पौधों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

82. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वन क्षेत्र में बने बांध एनीकट, तालाबों की मरम्मत कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. सड़कों के किनारे-किनारे ट्री गार्ड सहित वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. बस्सी (जयपुर) में झर, मूंडला, तूंगा देवगांव में नर्सरी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. बस्सी (जयपुर) स्टेट हाई-वे एवं सम्पर्क सड़कों पर तथा चरागाह क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

86. भरक माताजी व चरावन माताजी के वन क्षेत्र में वाटर हाल, ट्यूबवैल, सेफ्टी दीवार व वृक्षारोपण के विकास कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

87. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के वन्य भाग में सड़कों का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पहाड़ी वन क्षेत्र गुप्तेश्वर मंदिर के पास एनीकट बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वन क्षेत्र में बौंली एवं कंकराला में एनीकट बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

90. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन्य क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत करवाये जाने हेतु एनओसी जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन्य क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन्य क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टे दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुंदा):

93. वनों की सुरक्षा हेतु चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. वन क्षेत्र में स्थित प्राचीन तीर्थ/धार्मिक स्थलों को विकसित करने की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

95. महाराणा प्रताप के शस्त्रागार रहे भायरा की गुफा को वन विभाग की तरफ से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. वन क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों को बिजली, सड़क व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

97. वन्य जीव मुख्यालय धौलपुर पर नये वन मंडल का सृजन किये जाने व अवैध खनन रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

98. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में नवीन नर्सरी की स्थापना करने बाबत चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में वन विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोकने बाबत चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में वन विभाग के रिक्त पदों को भरने बाबत चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा के उपखण्ड, शाहपुरा, बनेड़ा, फुलियांकला में वन विभाग की जमीन के अलावा जमीन पर वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त पौधे, ट्री गार्ड आदि उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में वन विभाग की भूमि पर सघन वृक्षारोपण किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

103. रेंजर लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के गैर जिम्मेदार कार्यों से जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. कठूमर (अलवर) के ग्राम मैथना व नागल रूपा में वन क्षेत्र की भूमि पर किये गये नाजायज कब्जे के बारे में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

105. विधान सभा क्षेत्र नोखा अंतर्गत पंचायत समिति मुख्यालय पांचू पर घायल वन्य जीवों के तत्काल उपचारार्थ रेस्क्यू सेंटर की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

106. नोखा तहसील मुख्यालय पर अमृतादेवी बिश्नोई के नाम पर पर्यावरणीय उद्यान की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

107. नोखा तहसील पर घायल वन्य जीवों को लाने-ले जाने के लिए एंबुलेंस वाहन मय दो वाहन चालक तथा इस क्षेत्र में शिकार की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उड़नदस्ता मय वाहन व स्टाफ की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र नोखा में मुकाम रेस्क्यू सेंटर पर घायल वन्य जीवों के उपचार हेतु पशु चिकित्सक का पदस्थापन व तहसील मुख्यालय नोखा पर विभागीय कार्य की अधिकता को देखते हुए रिक्त पदों को भरने व आवश्यकतानुसार नये पदों का सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. पेड़ों की रक्षार्थ 363 शहीदों के स्मृति-स्थल खेजड़ली (जोधपुर) को विश्व धरोहर में अधिसूचित करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर):

110. सरिस्का बाघ परियोजना अलवर में स्थित पाण्डुपोल में अलवर जिले के दर्शनार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. अलवर शहर में पूर्व में स्थापित नर्सरियों में मौसम के अनुसार उच्च कोटि के पौध संधारण के क्रम में चर्चा के लिये।

112. अलवर शहर के साथ-साथ अरावली की पहाड़ियां जो वन क्षेत्र में आती हैं, उनमें सघन पौधरोपण कर अलवर शहर के पर्यावरण को शुद्ध करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

113. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में गत वर्षों में किये गये वृक्षारोपण में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

114. राज्य में निरन्तर घट रहे वन क्षेत्र के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

115. वन्य जीवों के संरक्षण हेतु रेस्क्यू वाहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. वन्य जीवों के संरक्षण एवं उपचार हेतु चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ के स्थाई पदस्थापन हेतु चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

117. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर जयपुर के वन क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर जयपुर की वन-भूमि के सघन वन क्षेत्र में पार्क, वॉक वे, वेली निर्माण विकास के नाम पर विगत 6 वर्षों के दौरान करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार, घोटालों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के वन क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र में विगत 5 वर्षों के दौरान वृक्षारोपण एवं विकास कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

120. जैतारण क्षेत्र में सेंदड़ा के अलावा अन्य जगहों पर भी नर्सरी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. जैतारण क्षेत्र के हाईवे नं.-458 के शेष रहे कार्य रायपुर से जस्साखेड़ा (भीम) तक की सड़क की वन विभाग द्वारा एनओसी दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

122. जैतारण क्षेत्र के बस्सी (आनन्दपुर-कालू) से प्रतापपुरा तक सड़क की वन विभाग से एनओसी दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

123. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में वन भूमि पर निर्मित एनीकटों का रख-रखाव व जीर्णोद्धार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. अरावली पर्वत श्रृंखला जसवंतपुरा वन क्षेत्र में पैंथर की घटती संख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में वन भूमि पर एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. जसवंतपुरा वन क्षेत्र में भालुओं को बढ़ते हमलों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

127. चूरू शहर स्थित वन विभाग की नर्सरी को उन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

128. नेचर पार्क चूरू के बजटीय प्रावधान में स्वीकृत कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु चर्चा के लिये।

129. चूरू शहर स्थित वन भूमि का सीमाज्ञान किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

130. तालछापर अभयारण का क्षेत्रफल विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. तालछापर अभयारण स्थित फोरेस्ट गेस्ट हाउस के संधारण व संचालन हेतु चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

132. मुण्डावर क्षेत्र के सुहेटा गांव में हो रहे वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

133. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्षों से जंगल में रह रहे आदिवासियों को वनाधिकार का पट्टा दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर):

134. रणथंभौर नेशनल पार्क की वार्षिक आय पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

135. सवाई माधोपुर रणथंभौर अभयारण से लगते ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में वन भूमि पर लंबे समय से बसी आवासीय बस्तियों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. वन भूमि एवं बंजर भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य संबंधित ग्राम पंचायत को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

138. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में गौशाला की भूमि पर गायों के लिए घास लगाई जाने एवं नर्सरी विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के मुख्य मार्ग (Highways), एमडीआर, टोल रोड के दोनों तरफ ट्री गार्ड सहित वृक्षारोपण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सघन वृक्षारोपण एवं ट्री गार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के वन क्षेत्र में रह रहे वाशिन्दों को पट्टे दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में नील गाय को पकड़कर संरक्षित स्थान सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

143. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वन क्षेत्रों में रह रहे बाशिन्दों को पट्टे दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नील गाय को पकड़ कर संरक्षित स्थान पर सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नर्सरी क्षेत्र में रह रहे निवासियों को पट्टे जारी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सघन वृक्षारोपण एवं ट्री गार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के मुख्य मार्ग (State Highway) व भारत माला रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

148. जवाई पैंथर कंजरवेशन व कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के एक किलोमीटर के दायरे में भूमि रूपांतरण के संबंध में चर्चा के लिये।

149. कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र बाली में वन्य जीवों के द्वारा पशुपालकों के पालतू जानवरों के मारने पर उचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

151. कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र बाली में गांव पीपला कुडाल, भारला, रोनवाड़ा वेदी में वन अधिकार पत्र दिलवाने पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

153. जैतारण मुख्यालय पर रेंज कार्यालय, नर्सरी (पौधशाला) एवं जंगली

जानवरों की सुरक्षा के लिए सेंदड़ा रेंज के चांग व बोरवाड़ में सुरक्षा दीवार व पानी के लिए सीमेंट की खेलियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. जैतारण क्षेत्र के मगरा क्षेत्र के कालब ग्राम पंचायत में जो वन क्षेत्र में है, वहां पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

155. ओसियां विधान सभा क्षेत्र में वन कर्मचारियों व अधिकारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

156. सरिस्का में आये दिन टाइगरों की मौत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

157. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में गलता वैली योजना के विकास पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

158. न्यू कैम्पस जोधपुर के दीवार के सहारे पाली रोड पर विकसित नगरीय वनीकरण माडल को अन्य स्थानों पर लागू करने पर चर्चा के लिये।

159. जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

160. सरिस्का में पैंथर एवं टाइगर पार्क को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

161. नए वृक्ष लगाने एवं पुराने पेड़ों को बचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 47-पर्यटन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-47 मुख्य शीर्षक **पर्यटन** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा (बारां) के काकोनी, छीपाबड़ौदा व गूगोर (छबड़ा) को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

2. बाड़मेर जिले को पर्यटन मानचित्र में उकेरने के लिए ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन विभाग में शामिल किये जाने की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मिनी माउण्ट हल्देश्वर महादेव मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर पर्यटक मानचित्र में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पाण्डवकालीन पंच तीर्थ भीमगोड़ा, हींगलाज, सुखलेश्वर, हल्देश्वर, कोटेश्वर एवं भीड़ भजन महादेव मंदिरों को पर्यटन विभाग में शामिल करने की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर नकारा पड़ी आर.टी.डी.सी. होटल "खरताल" को विभाग द्वारा रेन्ट पर संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के अनुरूप देशी पर्यटकों को भी सुविधा/ प्रोत्साहन देकर पर्यटन के क्षेत्र में उच्चतम स्थान प्राप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

7. विधान सभा क्षेत्र मावली के नाथेला तालाब की पाल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. एकलिंगजी (कैलाशपुरी) में पर्यटकों के लिये केफेटेरिया निर्मित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

9. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में स्थित प्राचीन सिन्घोलिया माताजी मंदिर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह कस्बे में स्थित प्राचीन भूतनाथ शिव मंदिर को पर्यटन क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह कस्बे में स्थित प्राचीन पहाड़ियां, बावड़ी, महलों व हाडी रानी कुंड का जीर्णोद्धार कर पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुराने गढ़ों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा उत्तर):

13. कोटा जिले में विदेशी पक्षी (जाघिल) की प्रजनन स्थली उदपुवियां गांव को ईको ट्यूरिज्म पैलेस के रूप में विकसित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
14. चम्बल नदी में स्थित जामुनिया दीप को पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
15. हाड़ौती को प्राचीन धार्मिक एवं पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

16. कोटा में चम्बल नदी के जामुनिया दीप को पर्यटन हेतु विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
17. हाड़ौती में सोरसन वन्य जीव क्षेत्रों कों पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. कोटा जिले के उप खण्ड कनवास में किशोर सागर महलों को वन विभाग के साथ मिलाकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
19. हाड़ौती में पर्यटन की सम्भावना को देखते हुए प्रति वर्ष पर्यटन विकास हेतु कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
20. वन्य जीव पर्यटन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

21. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तालवृक्ष धाम एवं शीतलनाथ धार्मिक स्थल को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

22. पर्यटन विभाग द्वारा गाइड का लाइसेंस जारी किये जाने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिये।

23. प्रदेश में राजस्थान की कला एवं पर्यटन को विकसित करने के लिए मेले एवं शोप आदि लगाने का कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. पर्यटन विभाग के जयपुर जिले में संचालित होटल एवं विश्राम स्थलों के संबंध में चर्चा के लिये।

25. चौमूं तहसील में सामोद की पहाड़ियों पर ईको-ट्यूरिज्म विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

27. चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिये गाइडों के पद बढ़ाने एवं उन पर भर्ती किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दुर्ग के पीछे नवीन सड़क मार्ग का निर्माण करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. बस्सी सैंक्चुअरी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

30. श्रीडूंगरगढ़ के पर्यटन स्थल अमृतवासी से रूस्तमधोरा तक सड़क डामरीकरण करवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. श्रीडूंगरगढ़ के रूस्तमधोरा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

32. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के दुधालेश्वर महादेव ग्राम पंचायत मालाता की बेर, नीलकण्ठ महादेव, ग्राम कोटड़ी, ग्रा.पं. सेन्दड़ा, पं.स. रायपुर, मागटजी महाराज, ग्रा.पं. आसन, रामदेवजी बाबा का मंदिर, ग्रा.पं. कोटड़ा एवं तेजाजी महाराज का मेला ब्यावर को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

33. बाड़मेर की विश्व प्रसिद्ध अजरख प्रिंट एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बाड़मेर में राज्य स्तरीय समिट आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. बाड़मेर में 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध किराडू मंदिर, रेडाणा रण, विरात्रा मंदिर, महाबार के रेतीले धोरे, नाकोड़ा, आसोतरा तीर्थ को टूरिज्म सर्किट में शामिल कर इनके रख-रखाव एवं संरक्षण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमर सिंह (बयाना):

35. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में स्थित प्राचीन शाही तालाब का जीर्णोद्धार कर पर्यटकों हेतु बोटिंग व फव्वारा शुरू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. बयाना स्थित प्राचीन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर, छतरी व द्वारों का जीर्णोद्धार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. रूपवास स्थित दाऊजी मंदिर पर पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

38. बयाना स्थित वानासुर किले का जीर्णोद्धार कर पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. बयाना के एकमात्र पर्यटन केन्द्र बन्ध बारेठा पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

40. घुम्बड़ा माताजी मंदिर के पास स्थित प्राकृतिक स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. सुरेश्वर महादेव मंदिर के पहाड़ी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. वलडिया महादेव मंदिर हरजी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

43. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के दीपावास-हरिपुर (रायपुर) बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित ऐतिहासिक गिरी-सुमेल रणस्थली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के रास ग्राम के मण्डी क्षेत्र में नाथ सम्प्रदाय की जस्सानाथ जी की धूणी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के निमाज ग्राम में ऐतिहासिक मगरमण्डी माताजी मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के कुड़की ग्राम में मीरा फोर्ट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

48. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दौसा मिड-वे को पुन: चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

49. इंड़ो-भूटान महोत्सव के लिये राज्य सरकार द्वारा 2019 में सहयोग राशि न प्रदान करने पर भी अनुदान दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

50. पर्यटन स्थल माउण्ट आबू की उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

51. देलवाड़ा, सूर्य मंदिर, परमाण पार्श्वनाथ, जीरावाला तीर्थ, पावापुरी, सारणेश्वर महादेव, सिरोही, बामणवाडजी, सरस्वती मंदिर, अजारी को पर्यटन सर्किल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

52. माउण्ट आबू में पर्यटकों की सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. माउण्ट आबू में पर्यटन हेतु अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा व गतिविधियां शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

54. बदनोर जिला भीलवाड़ा के महलों के अधूरे जीर्णोद्धार को पूरा करने हेतु समुचित राशि स्वीकृत कर इस धरोहर को संरक्षित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

55. जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्री वाई फाई जोन तथा पर्यटकों के लिए फ्री शटल व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

56. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित केशवराय भगवान मंदिर में रंगपुर (कोटा) के बीच स्थित चम्बल नदी पर झूला निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में विजासनमाता मंदिर इन्द्रगढ़ पर आम जनता के दर्शन करने हेतु रोप-वे निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में अबली मीणी के महल मन्दरगढ़, फलौदी माता मंदिर, खेराबाद, गेपटनाथ महोदय मन्दिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर चर्चा के लिये।

59. रामगढ़ अभयारण्य में स्थित अनेक गांवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर चर्चा के लिये।

60. कोटा संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नई पर्यटन नीति के तहत नये स्थानों को विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

61. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्थित घाटाराणी माताजी के मन्दिर, ऊपर पहाड़ी स्थान व घाटाराणी नाला को विकसित करने व चार दीवारी निर्माण करने पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की कोटड़ी तहसील के सार्वजनिक तालाब व चार भुजानाथ मन्दिर का विकास कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर चर्चा के लिये।

63. श्रीमांगठ देव मन्दिर जहाजपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु वृक्षारोपण व सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के गाडोली महादेव व सार्वजनिक तालाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु पेड़-पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

65. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत महाराणा प्रताप की कर्मस्थली, समाधिस्थली, हाडारानी सलूम्बर जयसमन्द झील ईडाणजी जावार माता, ऋषभदेव, बेणेश्वर धाम आदि को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कर्मस्थली व समाधि स्थल चावण्ड महल का जीर्णोद्धार तथा समाधि स्थल पर स्थित पुल के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जर्जर अवस्था में स्थित हाडारानी का महल, झरोखे, गोखड़े, छतरियां, दरवाजे व खिड़कियों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में स्थित विश्व विख्यात मीठे पानी की जयसमन्द झील, रूठीरानी महल, हवा महल व 400 वर्षों से अधिक पुरानी पाल को सही कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

70. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ऐतिहासिक किला सिवाना, वीर दुर्गादास स्मारक, हल्देश्वर तिलवाड़ा आदि पर्यटन स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बालोतरा में विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के नाकोड़ा, आसातरा ब्रह्म धाम, खेडरछोड जी का मन्दिर सामरा आशापुरा व पचपदरा सीमा को धार्मिक पर्यटक सर्किट बनाकर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगोनर):

72. राजस्थान की हस्तकरघा/हस्तशिल्प/हैंडीक्राफ्ट/कुटीर उद्योगों को विश्व

स्तरीय मंच देने हेतु दिल्ली हाट की तर्ज पर राजस्थान हाट/जयपुर हाट स्थायी रूप से बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. राजस्थान प्रदेश की सांस्कृतिक प्रतिभाओं व लोक संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु विश्वस्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव निश्चित करने पर चर्चा के लिये।

74. जयपुर शहर के परकोटे को विश्व धरोहर सूची में शामिल किये जाने हेतु शहर में पूर्ण स्वच्छता की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. सांगानेर कस्बे को विश्व पर्यटन की दृष्टि से ट्रैफिक फ्री इलेक्ट्रिक व बैट्री कार जोन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. सांगानेर कस्बे के पुराने महत्व को देखते हुए पर्यटकों हेतु विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

77. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम डाबडा में स्थित शहीद स्थल स्मारक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड जंक्शन):

78. आर.टी.डी.सी. के कर्मचारियों को अन्य विभाग में समायोजित करने व अनुभवी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

79. आर.टी.डी.सी. के भवनों के रख-रखाव एवं बढ़ते टैरिफ पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

80. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ कस्बे को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु विकास कार्य कराकर पर्यटन स्थल घोषित करने पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित कालिका मंदिर, भैरवघाट, सुखसागर, नवगृह मंदिर, श्रीमथुराधीश जी बैठक व रतन तलाई का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ स्थित गोन्दोलाब झील का सौन्दर्यीकरण कर इस पर चौपाटी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बर की गाल व सुन्दरतम उदयपुर के बंधे का सौन्दर्यीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में ऐतिहासिक झील (गोन्दोलाव) के मध्य स्थित मोखमविलास के बन्द पड़े सौन्दर्यीकरण के कार्यों को शुरू कराने पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

85. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में स्थित नईनाथ शिव मन्दिर स्थल के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखते हुए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

86. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के भरक माताजी पर्यटन स्थल को पर्यटक की दृष्टि से विकसित करने हेतु उड़नखटोले, बच्चों के झूले एवं अन्य पर्यटक संबंधित विकास कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

87. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित जमवारामगढ़ बांध को पर्यटन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

89. धौलपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होटल खोलने, दमोह जल प्रपात, पुरानी बावड़ी एवं ऐतिहासिक इमारतों को, तालाबशाही एवं मचकुंड सरोवर व वन विहार सैंक्चुअरी में पर्यटन की दृष्टि से बन्द पड़े सात क्यारी को विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुंदा):

90. विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा स्थित धोलिया जी पहाड़ को पर्यटन हेतु विकसित करने पर चर्चा के लिये।

91. प्रदेश में आदिवासियों की संस्कृति को जीवित रखने के लिये पर्यटन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. महाराणा प्रताप से संबंधित ऐतिहासिक स्थानों पर निर्माण कार्य करवाये जाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति सायरा में स्थित प्राचीन तीर्थ जरगाजी भाग-1 व भाग-2 को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

94. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के वन क्षेत्र के जीर्णोद्धार के कार्यों हमीरगढ़ इको टयूरिज्म विकास कार्यों हेतु वाच टावर, सेफ्टी दीवार, बच्चों के झूले, जिप्सी चलाने, वृक्षारोपण व फायर लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के भरक माताजी, गुरला माताजी व तालाब तथा चरणाव माताजी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

96. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये गाइड़ों को प्रशिक्षण एवं लाइसेंस दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोक देवता बाबा रामदेव मेले में यात्रियों को पर्यटक की दृष्टि से मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने हेतु पर्यटन नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में बारहठ बन्धुओं के स्मृति स्थल व संग्रहालय को विकसित करने पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में पर्यटन की दृष्टि से देवस्थानों व पुराने ऐतिहासिक किले व हवेलियों को चिन्हित कर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

101. नोखा तहसील क्षेत्र के गांव उदासर, पांचू, नाथूसर, भादला, सांईसर, धरनोक, साठिका, बंधाला, जांगलू, छिंपा नाडा जेगला से होते हुए

देशनोक तक के रूट में आकर्षक रेतीले-धोरों में पर्यटकों के लिए कैमल सफारी हेतु नया क्षेत्र चिन्हित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर के कोयलापाटन जांगलू में स्थित ऐतिहासिक बरंगाली नाड़ी तालाब को ऐतिहासिक धरोहर एवं जल सरंक्षण के बड़े स्रोत के तौर पर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. तहसील नोखा में स्थित पर्यावरण के प्रणेता गुरु जम्भेश्वर भगवान के मुख्य धाम मुकाम (नोखा) को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में अधिसूचित करवाकर विकसित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. तहसील नोखा क्षेत्र में स्थित सैंगाल धोरा, साठिका, सुसवाणी माता मंदिर मोरखाणा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

105. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में स्थित सुन्धा माता मंदिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर):

106. अलवर जिले के पर्यटक व धार्मिक स्थल जयसमंद, सिलीसेड़, गरवाजी, रावल देहरा, तालवृक्ष, भर्तृहरि, पाण्डुपोल नीलकण्ठ महादेव आदि को विकसित कर पर्यटकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. अलवर जिले के धार्मिक स्थल पाण्डुपोल में अलवर जिले के दर्शनार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. अलवर शहर स्थित कंपनी बाग में स्थित शिमला का जीर्णोद्धार कर पर्यटकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. अलवर जिले की भर्तृहरि धाम को मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित कर पर्यटकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

110. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के महाभारतकालीन स्थलों/अवशेषों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के बौद्ध स्तूप, अशोक शिलालेख, भीम की डूंगरी, बीजक पहाड़ी एवं केशवराय मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों का विकास करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

113. चूरू शहर स्थित राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित चिरमी गेस्ट हाउस को प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. पर्यटन की दृष्टि से चूरू शहर की पुरानी ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. चूरू स्थित पर्यटन स्थल जोहरी सागर व सेठानी का जोहड़ा के स्वीकृत जीर्णोद्धार के कार्यों को पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. नेचर पार्क चूरू को पर्यटन मानचित्र में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

117. जिला प्रतापगढ़ में जाखम बांध जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है पिकनिक व विदेशी सैलानियों का प्रमुख स्थान है, के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में योगेश्वर महादेव, गोतमेश्वर महादेव का विकास कर पर्यटन मानचित्र में सम्मिलित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. जिला प्रतापगढ में जाना गढ़ दिवाक माता देवगढ़ का किला, सीतामाता अभयारण्य को पर्यटन मानचित्र में सम्मिलित करते हुए विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

120. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के शाकंभरी तीर्थ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

122. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में धनमाता की पहाड़ी व काली मां की पहाड़ी को पर्यटन स्थल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजा डूंगर बरण्डा भील की छतरी पहाड़ी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर):

124. रणथम्भौर किले को हैरिटेज का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

125. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नए पर्यटक स्थल विकसित करने एवं उनियारा में स्थित हाथी भाटा पर्यटक स्थल को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. सवाई माधोपुर के रणथम्भौर की तर्ज पर विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में भी इससे सटे इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

127. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आमेर महल के 14 साल से बंद शीशमहल को खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. जयपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परकोटे के आस-पास हुए अतिक्रमणों को हटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विश्व विरासत में शामिल होने के पश्चात् जयपुर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु विदेशों में प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

130. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के चुघेर किला को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

131. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल जयपुर के परकोटे क्षेत्र को हैरिटेज

इमारतों एवं परकोटे को सरंक्षित घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

132. नगरपालिका क्षेत्र सूरजगढ़ में स्थित प्राचीन तालाब को सरंक्षित कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

133. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के लाडेरा गांव में पूर्व में आयोजित हुए ऊंट मेले को पुन: शुरू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. लूणकरणसर कस्बे की झील को प्राकृतिक पर्यटन स्थल में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कतरियासर गांव में जसनाथ जी महाराज के विश्व प्रसिद्ध मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

136. नीमराणा में बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. जिला अलवर को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के शामदा गांव में स्थित बावड़ी का जीर्णोद्धार कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. अलवर शहर में स्थित पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

140. प्राचीन नीमराणा बावड़ी और मांडन किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. बहरोड़ मिड-वे को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

143. विधान सभा क्षेत्र कपासन के मातृकुण्डिया धार्मिक स्थल, शनि महाराज धार्मिक स्थल, दीवानशाह दरगाह धार्मिक स्थल व सांवलियाजी धार्मिक स्थल को चित्तौड़गढ़ किले के साथ पर्यटक सर्किट के साथ जोड़ने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

144. राजसमंद में पर्यटन कार्यालय खोले जाने, राजसमंद झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए water sports शुरू करने, नौचौकी पर Light & sound शुरू करवाने, Irrigation garden को नये सिरे से develop व द्वारकाधीश मंदिर तक जाने के लिए elevated road का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-5

लिखित वक्तव्य

मांग संख्या 47 पर श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री) का शेष वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया

इसी कड़ी में पर्यटन विभाग प्रमुख Foreign Travel Marts, Domestic Travel Marts में भी सक्रिय भागीदारी लेगा और प्रमुख राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय शहरों में Road Shows के आयोजन पर भी कार्ययोजना तैयार करेगा। इसके साथ-साथ पर्यटकों की सुरक्षा, सहायता व सूचना हेतु एक Tourist Mobile App बनाया जायेगा। विभागीय वेबसाइट को Recast कर और अधिक User Friendly बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में फिल्म शूटिंग की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस पर विशेष ध्यान देकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सरलीकरण कर अधिक आकर्षक Tourism Product निजी सहभागिता के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

राज्य में पर्यटन में निवेश को बढ़ाना भी हमारा एक मुख्य ध्येय है। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार दिसम्बर-2018 में बनने के पश्चात् मई-2019 तक 72 नये पर्यटन इकाई प्रोजेक्ट अनुमोदित किये, जिनमें लगभग एक हजार ग्यारह करोड़ रुपये (1011 करोड़) के निवेश का अनुमान है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार छोटे व मध्यम उद्योगों व Service Industry जिसमें तीन वर्ष तक उद्योग के लिए अब कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं रह गई है। मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी के इस दूरगामी कदम से चालू वित्त वर्ष और उसके बाद वाले वर्षों में भी नवीन पर्यटन इकाइयों की स्थापना में तीव्रता आएगी।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित शाही रेलगाड़ी शुरू से ही पर्यटकों के बीच एक आकर्षण का केन्द्र रही है। यह संतोष का विषय हैं कि अप्रैल-2019 में सम्पन्न हुए चरण में इसकी Occupancy 63.78 प्रतिशत रही, जो कि गत वर्ष समान अवधि में 55.00 प्रतिशत थी। यह भी हर्ष का विषय है कि आगामी 2 वर्षों के लिए 746 केबिन्स की Confirmed Advance Booking प्राप्त हो चुकी है और हमारा यह प्रयास है कि शाही रेलगाड़ी को upgrade कर इसके लिए शत-प्रतिशत Advance Booking प्राप्त की

जाए, RTDC की होटल इकाइयों को निजी होटलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिससे इनकी लाभ की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि RTDC शीघ्रातिशीघ्र लाभ की स्थिति में आ सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में तथा आप सभी के सकारात्मक सहयोग एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी Stake Holders की सहभागिता से नवीन पर्यटन नीति का निर्माण करेंगे जिससे कि राज्य में पर्यटन इकाइयों में नये निवेश के लिये उद्यमी प्रेरित हों। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि राज्य में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक Experiential Tourism से रोमांचित होकर अपनी अनूठी यादों के साथ वापस जाएं। इन सभी प्रयासों से राजस्थान पर्यटन और अधिक गतिमान होगा एवं आने वाले 5 वर्षों में हम वर्तमान पर्यटक आगमन पांच करोड़ बीस लाख (5.20 करोड) को बढ़ाकर दस करोड़ (10.00 करोड़) तक पहुंचाने की ओर अग्रसर होंगे।

माननीय सदस्यगण, मुझे आपके पर्यटन संबंधित कटौती प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं। इन प्रस्तावों का परीक्षण करवाकर बजट की उपलब्धता तथा प्राथमिकता के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।